

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE



हिमाचल-वेद वेद

नेताजी

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड - 6

सम्पादकीय सलाहकार मंडल

पी.के. सहगल

लियोनार्ड ए गोर्डन

योंजी आकाशी

सम्पादक

शिशिर कुमार बोस

सुगता बोस

अनुवादक

जानकी प्रसाद शर्मा



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

प्रथम सस्करण शक 1919 (1997)

ISBN 81-230-0514-8

मूल्य : 85/-

निदेशक,
प्रकाशन विभाग,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार, पटियाला हाउस,
नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित

विक्रय केन्द्र प्रकाशन विभाग

- प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल) कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
- कामस हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038
- 8 एस्लेनड ईस्ट, कलकत्ता-700069
- राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090
- बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम्-695001
- 27/6 राममाहन राय मार्ग, लखनऊ-226001
- राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004

© नेताजी अनुसंधान ब्यूरो 1987



साभार

शरतचंद्र-बिवाबती बोस संग्रह
एमिली सेकल-बोस
अनिता बी पफाफ

प्रस्तावना

नेताजी के 90 वे जन्मदिवस पर प्रकाशित हो रहे उनके संपूर्ण वाङ्मय के छोटे भाग में उनके राजनीतिक जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण चरण, जिसकी समाप्ति 1933 में उनके यूरोप प्रवास के साथ होती है, तक की घटनाएँ शामिल हैं।

जब से पाचवाँ भाग प्रकाशित हुआ है, सपादकीय परामर्श मंडल के वरिष्ठतम सदस्य श्री ए० सी० एन० नाम्बियार के निधन के रूप में हमारी एक अपूरणीय क्षति हुई है, जिनके गभीर अनुभव एवं विद्वत्तापूर्ण परामर्श का अब हम कभी लाभ नहीं उठा सकेंगे। ऐसे विद्वानों के दुःखद किंतु अपरिहार्य निधन एवं भविष्य की आवश्यकताओं की मांग है कि वांछित प्रशिक्षण और इतिहास में विशेषज्ञता रखने वाले युवा पीढ़ी के लोगों को लेकर मंडल का पुनर्गठन किया जाये। यह कार्य हो रहा है।

वाङ्मय के तीसरे और चौथे भागों में हमने नेताजी के 1923 से 1932 तक के पत्र व्यवहार के विस्तृत संग्रह को प्रकाशित किया है। इसमें 1924 से 1927 तक के बर्मा के बंदी-जीवन का दौर शामिल है। जब ये भाग प्रकाशन की प्रक्रिया में थे, तब इसी काल से संबंधित नयी एवं असाधारण रूप से महत्वपूर्ण सामग्री का एक खंड रिसर्च डिवीजन द्वारा प्रकाशन विभाग को सौंप दिया गया। हमें लगा कि इस तमाम नयी सामग्री के लिए दो खंड आवश्यक होंगे। 1985 के मध्य में प्रकाशित पाचवें खंड की अन्य चीजों के साथ-साथ नेताजी की बर्मा डायरी से बड़ी मात्रा में अप्रकाशित सामग्री को शामिल किया गया है। इस खंड में अतिम विशुद्ध राजनीतिक विषय के रूप में दिसम्बर 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में दिये गये उनके ऐतिहासिक भाषण को शामिल किया गया है। जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स बनाम पूर्ण स्वाधीनता के मुद्दे पर महात्मा गांधी के प्रस्ताव में सशोधन पेश किया था।

प्रस्तुत खंड 1929 के आरंभ से 1933 के आरंभ तक के समय से हमारा परिचय कराता है, जबकि उन्होंने यूरोप प्रस्थान किया था। यह वह समय था जब वे अपने ढग के एक विशिष्ट नेता के रूप में तथा उभरते हुए वामपथ के एकमात्र प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय परिदृश्य पर उपस्थित हुए। पाठकों के हित को ध्यान में रखते हुए, जो कि उनके राजनीतिक भाषणों एवं वक्तव्यों को पढ़ेंगे, यह आवश्यक लगता है कि 1929 से लेकर 1933 में नेताजी के यूरोप प्रस्थान तक राजनीतिक विकास और इसमें उनके द्वारा अदा की गयी भूमिका का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया जाये।

कलकत्ता कांग्रेस में महात्मा जी के प्रस्ताव को लेकर नेताजी के सशोधन की पराजय से राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को भारी क्षति पहुँची। तथापि इसमें आश्वस्त करने वाली बात यह थी कि नेताजी को अपने प्रस्ताव के पक्ष में जो पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ था, वह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि कांग्रेस और देश में उभरता हुआ वामपथ शक्ति अर्जित कर रहा था। 1929 के आरंभिक महीनों में उत्तर भारत में क्रान्तिकारी गतिविधि का विस्फोट हुआ जिसका चरम रूप भगत सिंह वृत्तांत और जतीनदास के आत्म-बलिदान के रूप में समझे आया। इस वर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल तथा इससे बाहर विद्यार्थियों और युवाओं के अनेक सम्मेलनों की अध्यक्षता की। उन्होंने युवाओं और विद्यार्थियों के लिए देशभक्ति, ईमानदारी, त्याग, राहत, साहस

और पूर्ण स्वाधीनता के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति अविचल निष्ठा की शिक्षा दी। यह वर्ष मजदूर वर्ग के बीच बढ़ते हुए असंतोष का भी साक्षी रहा। मेरठ पड्यंत्र केस 1929 में शुरू हुआ। राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों, युवाओं और मजदूर वर्गों के विक्षोभ ने नेताजी को अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक राजनीतिक अभियान चलाने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने बंगाल कांग्रेस की उदारवादी और दक्षिणपथी शक्तियों के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम किया। उनकी पार्टी के मुखपत्र "फार्वर्ड" के बद हो जाने पर नेताजी के अनुयायियों ने उल्लेखनीय सम्मन सपन्नता का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रायः रात भर में इसके विकल्प के रूप में "लिबर्टी" को जारी कर दिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित एक गोलमेज सम्मेलन के संबंध में ब्रिटिश वायसरॉय द्वारा की गयी घोषणा के जवाब में वर्ष के अंत में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन ने राष्ट्रवादियों के बीच एक रोचक पवित्रबद्धता का उद्घाटन किया। जब जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने अपने घोषणापत्र में उनके प्रति सहयोग जताया था और डोमिनियन स्टेटस के आधार पर बातचीत करने के लिए तैयार थे तब सुभाष चंद्र बोस, सैफुद्दीन किचलू और अब्दुल बारी ने डोमिनियन स्टेटस और अंग्रेजों की शर्तों पर एक गोलमेज सम्मेलन का विरोध करते हुए एक पृथक घोषणापत्र जारी किया।

लाहौर कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण-स्वाधीनता के रूप में राष्ट्रीय लक्ष्य की सुस्पष्ट घोषणा की। लाहौर में नेताजी ने मांग को प्रभावशाली बनाने हेतु किसानों, मजदूर वर्गों और युवाओं के सुदृढ़ संगठन पर आधारित एक संपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार 'राष्ट्रीय सघर्ष समझौते पर आधारित एक अधूरा प्रयास नहीं हो सकता। इसे अंग्रेजी कानून और प्रशासन का "पूर्ण बहिष्कार" करते हुए एक समानांतर सरकार का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। यह एक ऐतिहासिक रूचि का तथ्य है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता के उन उग्रवादी वर्गों के क्रांतिकारी कार्यक्रमों को अपनाने में कमी का परिचय दिया है जो निष्क्रिय जन प्रदर्शनों और कानून के प्रतीकात्मक उल्लंघन में आस्था नहीं रखते थे। यह बात सबसे स्पष्ट रूप में 1942 में गांधीजी द्वारा छोड़े गये अंतिम सघर्ष के दौरान खुलकर सामने आयी जब भारतीय जनता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के सगठित-दमन और आक्रमण का सामना करने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। नेता जी का भी यह विचार था कि कांग्रेस के सामाजिक कार्यक्रम कांग्रेसजनों के हाथ में ही रहना चाहिए, ये कार्यक्रम उन सगठनों के अधीन नहीं होने चाहिए जो सीधे पार्टी के नियंत्रण में नहीं हैं।

लाहौर कांग्रेस से कलकत्ता लौटने के तुरंत बाद सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और एक वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया।

जब महात्मा जी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरूआत की, नेताजी उस समय जेल में थे और उन्होंने जेल की दीवारों के पीछे से ही राष्ट्रीय प्रतिरोधकता आंदोलन की गतिविधियों का बड़ी रूचि के साथ अनुसरण किया। सरकारी आतंक ने देश-विशेष रूप से बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद के विस्फोट को प्रेरित किया। अप्रैल 1930 में चित्तगोण के शस्त्रागार पर छापा मारा गया और राष्ट्रवादियों तथा सरकारी शक्तियों के बीच हर मोर्चे पर महीनो झूमा-झूमी की लड़ाई चलती रही। अंग्रेज सरकार ने जून 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की। इसे

एक ओर से सभी पार्टियों द्वारा निरस्त कर दिया गया और इससे जनता का मनोबल ऊचा हुआ। जेल में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर चुना गया। वे जेल से मुक्त होने के बाद अपना कार्यभार सभाल सकते थे। मेयर के पद से उनके अभिभाषण को इस खड में उचित स्थान दिया गया है। वर्ष के अंत में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। यह एक निरर्थक प्रयास था और इसके माध्यम से भारतीय जनता को "रक्षाकवच" और ब्रिटिश अवधारणा का "सघ" मुहैया कराने की पेशकश की गयी जिसकी नेताजी और अन्य लोगो ने खुलकर भर्त्सना की।

1931 के आरंभ में नेताजी की सत्ताह्व शक्ति से सीधी भिडत हुई। जब वे स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, 1931 को कलकत्ता में मेयर के रूप में जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे अपने साथियो सहित उनके ऊपर अग्रेज घुडसवार सिपाहियो द्वारा जान लेवा हमला किया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जब वे जेल में थे तब मार्च 1931 का गांधी-इर्विन समझौता हुआ। समझौते की शर्तो से उन्हें बडी निराशा हुई। फिर भी उन्होंने पार्टी के विभाजन को उचित नहीं समझा। मुक्त होते ही वे महात्मा गांधी से मिलने को बम्बई दौडे, उनके साथ फिर दिल्ली की यात्रा की ओर उनके साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। कराची कांग्रेस एक महान त्रासदी की छाया में आयोजित हुई। यह त्रासदी थी-भारत के जनमत की पूर्ण उपेक्षा करते हुए भगतसिंह और उनके साथियो को फासी देना। नेताजी ने नागरिक अधिकारो के कराची प्रस्ताव का स्वागत किया जो पार्टी के समाजार्थिक उद्देश्यो को कुछ बल देता था। यह बात महत्वपूर्ण है कि लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के सकेत पर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपथी रूझान के साथियो को लाहौर और कराची दोनो जगह कांग्रेस कार्यसमिति से बाहर रखा गया।

कराची कांग्रेस के समय ही नेताजी को भगतसिंह द्वारा सस्थापित एक क्रांतिकारी युवा सगठन नौजवान भारत सभा की अध्यक्षता हेतु आमंत्रित किया गया। नेताजी ने इन साथियो से मिलते हुए सहज आत्मीयता का अनुभव किया और उन्होंने अपने क्रांतिकारी समाजार्थिक विचारो तथा राष्ट्रीय पुनर्निमाण के भावों को उचित ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कांग्रेस से अलग समाजवादी सोच पर एक वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने में सकोच नहीं किया। उनका विचार था कि कांग्रेस का कार्यक्रम आमूल परिवर्तनवाद के बजाय निहित स्वार्थों के समायोजन और समझौतो पर आधारित है। उन्होंने भारत की उस ऐतिहासिक और रचनात्मक भूमिका को भी रेखांकित किया जो कि उसे ससार भर से साम्राज्यवाद का विनाश करते हुए एक नयी विश्व-व्यवस्था के निर्माण में अदा करनी है।

जब कांग्रेस कार्यसमिति ने महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में चुना, तब नेताजी ने स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की कि यह एक कार्यनीतिक भूल थी। इस पर भी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को उनके विलायत प्रस्थान के पूर्व सध्या पर तार द्वारा एक भावपूर्ण और शालीन सदेश भेजा, जो इस प्रकार है- "आप जहा हो, हमारा मन आपके साथ है। जाग्रत भारत प्रत्याशा भरी आखो से आपका अनुसरण करेगा। हम आश्वस्त हैं कि आपके हथ्यो राष्ट्र का सम्मान सुरक्षित रहेगा। आवश्यकता हुई तो हम फिर से लडेगे-लेकिन अपने जन्मसिद्ध अधिकार से कम को स्वीकार नहीं करेगे।"

जैसा कि नेताजी का अनुमान था, सम्मेलन में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी के विरुद्ध अज्ञातकुत्तशील लोगो, आत्म-नियुक्त नेताओ और सकीर्णतावादी तत्वो की व्यूहरचना खड़ी कर दी और अल्पसंख्यको की समस्या व भारत के भावी सरचनात्मक ढांचे के मुद्दो को केंद्र में लाते हुए गांधीजी के ऊपर ही बाजी फलट दी। इस प्रकार उन्होने बड़ी सहजता से राष्ट्रीय स्वाधीनता के मुख्य मुद्दे को टाल दिया। नेताजी का यह मानना था कि गांधीजी की लड़न यात्रा गलत ढंग से नियोजित की गयी थी। इसके समाप्त होने पर महात्माजी का पूर्ण मोहभंग हो गया। आगे, नेताजी ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि गांधी जी को उन लोगो के संपर्क में नहीं रहने दिया गया, जिनकी इंग्लैंड से बाहर यूरोपीय राजनीति में गिनती होती थी।

नेताजी ने मई 1931 में उत्तर प्रदेश में नौजवान भारत सभा और जुलाई में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। दिसम्बर में आयोजित बंगाल राजनीतिक सम्मेलन में नेताजी की प्रेरणा से इस विचार को तरजीह दी गयी कि सविनय अवज्ञा को फिर से चालू किया जाये। जब महात्मा गांधी ने अपनी इंग्लैंड से वापसी पर नये वायसराय विलिंगडन को लिखा। इसके बदले उन्हें सिर्फ एक नकारात्मक और रूखा उत्तर मिला। इस प्रकार दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन का वातावरण तैयार हो गया।

पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार को महात्मा गांधी के प्रतिरोध की नयी पद्धति ने आश्चर्य में डाल दिया था। लेकिन 1932 तक उन्होने सविनय अवज्ञा से निबटने के लिए अपनी मशीनरी को तैयार कर लिया था। और अब वे (अंग्रेज) आक्रामक हो उठे थे। उन्होने इर्विन की जगह चालाक लार्ड विलिंगडन को वायसराय के रूप में बैठा दिया था जिसने देश भर में आतंक का बोलबाला कर दिया। उसने महात्मा गांधी, नेताजी बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओ की गिरफ्तारी में कोई समय नहीं लगाया।

जनवरी 1932 में सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले सेट्रल प्राविस के सिवनी नामक दुरुह स्थान पर एक छोटी जेल में रखा गया। शीघ्र ही उनके पीछे अग्रणी वकील, अग्रिम पंक्ति के कांग्रेस कार्यकर्ता और कलकत्ता नगर निगम के महापौर उनके अग्रज शरत्चंद्र भी जेल में आ गये। बचपन से ही नेताजी को उनके बड़े भाई और भाभी विवावती का विशेष स्नेह प्राप्त था। नेताजी का अपने भाई से पत्र-व्यवहार उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण स्त्रोत सामग्री है। अतएव जो कुछ उपलब्ध है, वह उनके संपूर्ण वाङ्मय में समाविष्ट कर लिया गया है। दोनों भाइयो के बीच विचारधारा और जीवन-क्रम का साम्य हमारे समय के इतिहास में एक विशिष्ट उदाहरण है।

बोस बहुओ ने 1932 की घटनाओ के विकास को जेल की सलाखो के पीछे से देखा। अगस्त 1932 में अंग्रेज सरकार द्वारा तथा कथित सापदायिक निर्णय की घोषणा के बाद महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र के प्रश्न के विरोधस्वरूप उपवास किया। बम्बई में हिंदू नेताओ की एक सभा हुई और अततोगतवा पृथक निर्वाचन क्षेत्रो से दूर रहने के अनुबन्ध पर सहमति जताई गयी। पूना समझौता होने पर महात्मा जी ने उपवास तोड़ा। इस तथ्य के बावजूद कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रो का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, नेताजी भीचक्के रह गये कि भारतीय स्वाधीनता के महान और ज्वलंत प्रश्न को गांधी जी के उपवास की भावुकतापूर्ण लहर द्वारा टाल और दबा दिया गया। उनका मत यह था कि अंग्रेज सरकार को पूना समझौते को मानना ही पडता लेकिन राष्ट्रीय स्वाधीनता के मुख्य मुद्दे को सफलतापूर्वक टालते हुए सरकार ने निश्चित रूप से कांग्रेस

से काफी कुछ प्राप्त कर लिया। सविनय अवज्ञा और जन सत्याग्रहो ने अस्पृश्यता विरोधी अभियानों को रास्ता दिया और मंदिर प्रवेश विधेयको पर बहसे शुरू करा दीं। इन प्रतिक्रियाओं ने सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारी तत्वों के मन में भारी असंतोष जगाया।

जैसे ही बोस बंधुओं का स्वास्थ्य तेजी के साथ गिरने लगा उन्हें जबलपुर सेट्रल जेल भेज दिया गया। वहां से नेताजी को दिखावे के तौर पर इलाज के लिए जगह-जगह भेजा जाता रहा। पहले उन्हें मद्रास, फिर भोवाली और अंत में लखनऊ स्थानांतरित किया गया। लेकिन दश दिवस गयी। शरत बोस की प्रभावी अनुपस्थिति में बिवावती ने सुभाष की ओर से दिल्ली में सरकार से बातचीत शुरू की। उन्हें लगा कि सरकार का रवैया अत्यंत निर्मम और कठोर है। अतः सरकार ने नेताजी को उपचार हेतु यूरोप जाने की अनुमति दे दी और यह स्पष्ट था कि उन्हें किसी भी कीमत पर भारत की धरती पर मुक्त नहीं किया जायेगा। जाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए जबलपुर जेल लाया गया, जहां उनके भाई बंदी थे। सुभाष चंद्र बोस फरवरी, 1933 के मध्य में दूसरे बलात् निर्वासन के रूप में इटली के एस० एस० गैज जहाज द्वारा यूरोप गये। यह यात्रा उनके राजनीतिक के एक नये अध्याय की घोषणा सिद्ध हुई। इस खंड के अंत में समुद्र से उनके द्वारा बगालवासियों को भेजा गया विदाई संदेश शामिल है।

मार्च, 1933 से आरंभ होने वाले उनके यूरोप प्रवास से संबंधित सामग्री को अब व्यवस्थित और संपादित किया जा रहा है, इसे संपूर्ण वाङ्मय के सातवें खंड के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

पाठक, कृपया इस बात की प्रशंसा करेंगे कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो भारी बाधाओं के बावजूद इस योजना को आगे बढ़ा रहा है। आठ वर्ष पहले जब यह योजना बनाकर सरकार को भेजी गयी थी, तब से अब तक इस प्रकार के स्तरीय प्रकाशन के उत्पादन लागत मूल अनुमानित लागत की तुलना में तिगुनी हो गयी है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस बात का यथास्थान ध्यान रखा जायेगा। हमारे नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण प्रेस का काम दुःखद रूप से धीरे-धीरे चला।

सातवें खंड के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी की सक्रियता से परिचय प्राप्त करेंगे। अतएव, यह आवश्यक और उचित लगता है कि हम भारत से बाहर के ऐसे विद्वानों की सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करें जो यूरोप के साथ-साथ एशिया में नेताजी से संबंधित गहन शोध कार्य कर चुके हैं।

श्री हरि गगुली ने इस खंड का ध्यानपूर्वक प्रूफ सशोधन किया और सूची तैयार की। कार्तिक चक्रवर्ती ने पाण्डुलिपि को व्यवस्थित किया और नाग सुंदरम ने पुरातत्व संबंधी सामग्री को खोजने में सतत सहयोग किया। इस आत्मीयतापूर्ण सहयोग हेतु हम इन मित्रों के आभारी हैं।

नेताजी रिसर्च ब्यूरो

नेताजी भवन,

38/2, लाला लाजपतराय मार्ग,

कलकत्ता- 20

भारत

23 जनवरी, 1987

शिशिर के० बोस

सुगता बोस

विषय-सूची

पृष्ठ सं०

1.	बंगाल की सार्वभौमिकता और समाजवाद का संदेश — रंगपुर राजनीतिक अधिवेशन में दिया गया अध्यक्षीय अभिभाषण 30 मार्च, 1929	1
2	एक सहानुभूतिपूर्ण हडताल के लिए बहस — जमशेदपुर के टिन प्लेट कर्मचारियों की हडताल पर वक्तव्य 6 जुलाई 1929	2
3	विनाशकारी श्रमनीति — श्रमनीति पर वक्तव्य, जमशेदपुर, 7 जुलाई, 1929	3
4	विधायिकाओं से निवृत्ति का प्रश्न — एमोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधियों को दिया गया बयान, 11 जुलाई, 1929	6
5	व्यक्ति, राष्ट्र और आदर्श — चिनसुरा में हुगली जिला छात्र अधिवेशन में भाषण, रविवार, 22 जुलाई, 1929	7
6	"लिबर्टी" के संपादक के नाम पत्र — 23 जुलाई, 1929	10
7	कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन — बंगाल प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जारी बयान, 23 जुलाई, 1929	10
8	आपतित टिन प्लेटों पर संरक्षण कर की वापसी — टिन प्लेट कारखानों में हडताल के संबंध में प्रेस को एक बयान, 3 अगस्त, 1929	13
9	राजनीतिक पीड़ित दिवस — बंगाल प्रांत कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में बयान, 4 अगस्त, 1929	13
10	स्वतंत्रता की सही प्रकृति — राजशाही जिला छात्र अधिवेशन में भाषण, 17 अगस्त, 1929	14

- 11 अनुशासन की जरूरत 17
 - राजशाही छात्र अधिवेशन में भाषण, 20 अगस्त, 1929
- 12 गैर समझौतावादी रुख और संघर्ष 18
 - टिन प्लेट कंपनी के कर्मचारियों के समर्थन में बयान, जमशेदपुर,
 28 अगस्त, 1929
13. राजनीतिक दमन और आर्थिक शोषण में मेल-जोल 19
 - फ्री प्रेस से साक्षात्कार में बंगाल प्रांत कांग्रेस समिति के
 अध्यक्ष के रूप में बयान, 5 सितंबर, 1929
- 14 सरकार का विश्वासघात बारीसाल में राजनीतिक बदियों की
 हड़ताल के कारणों के बारे में 20
 - बयान, 24 सितंबर, 1929
15. जन सगठन और सामाजिक क्रान्ति की अपरिहार्यता 22
 - हावड़ा जिला राजनीतिक अधिवेशन में भाषण, शनिवार,
 28 सितंबर, 1929
16. बारीसाल के सतीन सेन द्वारा भूख हड़ताल के बारे में कुछ शब्द 25
 - बंगाल प्रांत कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में बयान,
 4 अक्टूबर, 1929
17. बारीसाल के सतीन सेन के आत्मबलिदान के बारे में देशवासियों
 से अपील 26
 - 8 अक्टूबर, 1929
- 18 श्री जे० एम० सेनगुप्ता से अपील 27
 - 10 अक्टूबर, 1929
19. सतीन सेन की भूख हड़ताल 30
 - सरकार के विश्वासघात की भर्त्सना करते हुए एक बयान
 15 अक्टूबर, 1929
- 20 पंजाब और बंगाल छात्र और राजनीति 32
 - पंजाबी छात्र सम्मेलन के लाहौर अधिवेशन में भाषण,
 19 अक्टूबर, 1929
21. पंजाब के युवकों से अपील 40
 - लाहौर, 24 अक्टूबर, 1929

22. सेवादल की सहायता के लिए अपील 41
 - लाहौर, 24 अक्टूबर, 1929
23. जतींद्रनाथ दास के स्मारक का निर्माण करने की बाबत अपील, 41
 - जतींद्रनाथ दास के जन्मदिवस समारोह में भाषण,
 28 अक्टूबर, 1929
24. उपनिवेशवाद का सही चेहरा 43
 - लार्ड सभा में हुई बहस के बारे में बयान 8 नवंबर, 1929
25. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कार्यसमिति से त्यागपत्र वापस लेना 44
 - कारण स्पष्ट करते हुए एक बयान, 22 नवंबर, 1929,
26. हमारे राष्ट्रीय जीवन में युवाओं की भूमिका 45
 - प्रथम सेट्रल प्राविस युवा सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भाषण,
 29 नवंबर, 1929 नागपुर
27. दक्षिण, वाम और जनतांत्रिक व्यवस्था के दायित्व 51
 - आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बयान,
 6 दिसंबर, 1929
28. विद्यार्थियों और उनके आंदोलनों के प्रति मेरा रवैया 53
 - 11 दिसंबर, 1929 को जारी एक बयान
29. स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी रूपांतरण की जरूरत 59
 - सेट्रल प्राविस और बरार छात्र अधिवेशन में अध्यक्षीय
 वक्तव्य अमरावती, 15 दिसंबर, 1929
30. बंगाल कांग्रेस का चुनावी विवाद 64
 - इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू का बयान,
 17 दिसंबर, 1929
31. सुभाष चंद्र बोस का बयान 64
32. यूनियन बोर्ड की स्थापना के विरुद्ध अभियान 66
 - बंगाल प्रांत कांग्रेस कमेटी में जारी एक बयान, 20 दिसंबर, 1929
33. युवा आंदोलन का लक्ष्य 67
 - मिदिनापुर युवा सम्मेलन में भाषण, 21 दिसंबर, 1929
34. समानांतर सरकार और पूर्ण बहिष्कार 69
 - सन्नैक्ट कमेटी की एक बैठक में प्रति-प्रस्ताव, 31 दिसंबर, 1929

- 35 पूर्ण बहिष्कार का कार्यक्रम 71
- कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाषण, 31 दिसंबर, 1929
36. पूर्ण बहिष्कार 72
- एक साक्षात्कार में बयान, 2 जनवरी, 1930
- 37 असवैधानिक निर्णय 74
- मी प्रेस के लिए साक्षात्कार में दिया गया बयान, 7 जनवरी, 1930
38. बहुमत की निरंकुशता 76
- बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में बयान, लाहौर, 8 जनवरी, 1930
- 39 स्वाधीनता का प्रस्ताव 80
- कलकत्ता के हरीश पार्क की एक सभा में भाषण, 10 जनवरी, 1930
- 40 विधार्थियों के प्रति 81
- कलकत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज में भाषण, 15 जनवरी 1930
- 41 बडाबिल्ला सत्याग्रह के बारे में कुछ और बातें 84
- बडाबिल्ला की स्थिति पर बयान, 17 जनवरी, 1930
- 42 कलकत्ता के मेयर के नाम पत्र 85
- 23 जनवरी, 1930
- 43 बडाबिल्ला सत्याग्रह और बंगाल कांग्रेस 85
- 23 जनवरी, 1930 को जारी बयान
- 44 अखिल भारतीय मजदूर सभ (एटक) 86
- 23 जनवरी, 1930 को जारी बयान
45. बंगाल के स्वयंसेवी 87
- 23 जनवरी, 1930 को जारी बयान
- 46 स्वाधीनता दिवस 87
- कलकत्ता के नागरिकों से अपील 24 जनवरी, 1930
- 47 जेल डायरी 88
- अलीपुर सेट्रल जेल, 7-15 फरवरी, 1930
- 48 मेयर के रूप में अभिभाषण 92
- कलकत्ता निगम की सभा, 27 सितंबर, 1930

- 49 कलकत्ता की यातायात-व्यवस्था की समस्याओं के बारे में 97
 - बंगाल बस सिंडिकेट की बैठक में भाषण, शाम बाजार,
 19 अक्टूबर, 1930
- 50 स्वदेशी की रक्षा में 99
 - बंगाल प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बयान,
 25 नवंबर, 1930
51. कांग्रेस का कार्यक्रम और युवा 100
 - मेयर तथा प्रांतीय कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में भाषण,
 11 दिसंबर, 1930
- 52 मित्रता के प्राचीनतम सूत्र 101
 - स्काटिश चर्च कालेज, कलकत्ता में भाषण, शुक्रवार, 12 दिसंबर, 1930
- 53 मौलाना मुहम्मद अली की स्मृति को श्रद्धाञ्जलि 102
 - कलकत्ता निगम के मेयर के रूप में निगम की बैठक के लिए सदेश,
 7 जनवरी, 1931
- 54 आशिक क्षमा का कोई अर्थ नहीं 103
 - महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की रिहाई से संबंधित वायसराय के
 निर्णय पर बंगाल प्रांत कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और कलकत्ता के मेयर के
 रूप में भाषण, 25 जनवरी, 1931
- 55 क्षमा का प्रश्न 104
 - अलीपुर जेल से रिहा होने पर रेमजे मैकडोनाल्ड के प्रस्ताव पर बयान
 25 जनवरी, 1931
- 56 स्वाधीनता का मार्ग 105
 - बम्बई प्रस्थान की पूर्व संध्या पर जारी बयान, 15 मार्च, 1931
- 57 सामान्य क्षमा के लिए माग 106
 - महात्मा जी के साथ दिल्ली आगमन पर बयान, 20 मार्च 1931
- 58 स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य और कार्यक्रम 107
 - अखिल भारतीय नौजवान सभा के कराची अधिवेशन में अध्यक्षीय
 भाषण, 27 मार्च, 1931
- 59 भारत का ऐतिहासिक मिशन 109
 - कराची में अखिल भारतीय नौजवान सभा में भाषण 5 अप्रैल 1931

60. बगाल के कांग्रेसजनों के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य 117
 - बगाल प्रांत कांग्रेस समिति के चुनाव के अवसर पर नयी दिल्ली
 में प्रेस के लिए बयान, 11 अप्रैल, 1931
61. एकता के लिए अपील 118
 - एक बयान, 13 अप्रैल, 1931
62. सिलहट कांग्रेस विवाद का समाधान 120
 - बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में प्रेस के लिए बयान,
 17 अप्रैल, 1931
63. प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार एस० सी० चटर्जी के कार्य के बारे में 121
 - निवर्तमान मेयर के रूप में बयान, 19 अप्रैल, 1931
64. मेरे जीवन का स्वप्न 122
 - फरीदपुर के अबिका मेमोरियल हाल में भाषण, 20 अप्रैल, 1931
65. फरीदपुर कांग्रेस विवाद का समाधान 122
 - फरीदपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच के भारी मतभेदों को
 सुलझाने पर एक बयान, 23 अप्रैल, 1931
66. मेमन सिंह की घटना और उसके बाद 123
 - कलकत्ता में प्रेस के लिए जारी एक बयान, 25 अप्रैल, 1931
67. कुष्ठिया नगरपालिका का चुनाव 124
 - कुष्ठिया के मतदाताओं से अपील, 10 मई, 1931
68. पूर्ण स्वाधीनता और उसका अर्थ 125
 - नोआखाली में भाषण, 15 मई, 1931
69. युवा और भारत का भविष्य 126
 - नोआखाली युवा अधिवेशन में भाषण, 17 मई, 1931
70. सकटग्रस्त उत्तर बगाल 127
 - एक अपील, 22 मई, 1931
71. भारत की स्वतंत्रता का अर्थ है कि मानवता की रक्षा 127
 - मधुरा में आयोजित उत्तर प्रदेश नौजवान भारत सभा के अधिवेशन में
 भाषण, 26 मई, 1931
72. संपूर्ण बगाल के कांग्रेसजनों से अपील 135
 - बगाल प्रांत कांग्रेस समिति से संबन्धित वक्तव्य 2 जून, 1931

73. गैर जिम्मेदाराना आरोप 136
 - देशवासियो से एक अपील, 11 जून, 1931
74. मजदूर सघ और बेरोजगारी की समस्या 137
 - अखिल भारतीय मजदूर सघ के सत्र मे अध्यक्षीय भाषण
 4 जुलाई, 1931
75. मजदूर सघ आंदोलन के लिए अपनाया गया मार्ग 142
 - मजदूर सघ कांग्रेस मे मास्को के खतरे पर बयान,
 11 जुलाई, 1931
76. भारत की रक्षा का अर्थ मानवता की रक्षा है 144
 - नराइल मे संबोधन, 17 जुलाई, 1931
77. बंगाल विवाद को लेकर सच्चाई 148
 - प्रेस के लिए बयान, 12 अगस्त, 1931
78. गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का स्वागत 149
 - बंगाल प्रात कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप मे बयान,
 15 अगस्त, 1931
79. बंगाल प्रात कांग्रेस समिति का चुनाव विवाद 150
 - अमृत बालार पत्रिका के संपादक के नाम पत्र, 18 अगस्त, 1931
80. राहत कोष की बचत के बारे मे कुछ प्रश्न 151
 - बंगाल कांग्रेस बाढ एव अकाल राहत समिति के अध्यक्ष के नाम पत्र
 20 अगस्त, 1931
81. कलकत्ता नगर पालिका चुनाव के संचालन मे प्राधिकार 152
 - बंगाल प्रात कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप मे बयान,
 16 सितम्बर, 1931
82. बंगाल प्रात कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तथा कलकत्ता निगम के महापौर
 पद से त्यागपत्र के कारण, बंगाल के कांग्रेसजनों को संबोधन 153
 - 18 सितंबर, 1931
83. हिजली शिविर और खडगपुर रेलवे अस्पताल मे बंदियो की हालत 155
 - हिजली और खडगपुर की स्थिति पर बयान, 19 सितंबर 1931
84. व्यक्ति स्वयं को राष्ट्र मे विलीन करे 156
 - एकता पर कांग्रेसजनों को संबोधन, 20 सितंबर, 1931
85. जमशेदपुर की गभीर स्थिति 158
 - एक बयान, 24 सितंबर, 1931

86. हिजली शिविर में भूख हड़ताल पर बैठे बंदियों से साक्षात्कार की अनुमति नहीं मिली 159
 - बयान, 1 अक्टूबर, 1931
87. नवापाड़ा पुलिस स्टेशन में उत्पीड़न 160
 - बयान, 14 अक्टूबर, 1931
88. बगाल को अपनी रक्षा पुनः करनी है 163
 - 16 अक्टूबर, 1931 को एसोसिएटेड प्रेस को जारी बयान
89. जमशेदपुर के मजदूरों की समस्याएँ और मागे 164
 - टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के मजदूरों को संबोधन, 17 अक्टूबर, 1931
90. चित्तगोग और हिजली की जांचों के आधार पर मागे 166
 - प्रेस के लिए जारी बयान, 23 अक्टूबर, 1931
91. निजी स्वतंत्रता से वंचित और परेशान हाल 167
 - चादपुर से बयान, 10 नवंबर, 1931
92. आत्म सम्मान, मनुष्यता और जनता के अधिकार कुचल दिये गये 170
 - मिरपत्तारी के समय सदेश, 12 नवंबर, 1931
93. हिजली और चित्तगोग के अत्याचारों का प्रतिकार किया जाये 171
 - हरीश पार्क में भाषण, 26 नवंबर, 1931
94. बहिष्कार कार्यक्रम 172
 - खुलना जाने से पहले दिया गया बयान, 17 दिसम्बर, 1931
95. समझौते के बावजूद दमन जारी है 173
 - महाराष्ट्र युवा सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण का मूल पाठ, 22 दिसंबर, 1931
96. कांग्रेस को एक निर्भीक नीति अपनानी चाहिए 175
 - शिवाजी मंदिर में आयोजित महाराष्ट्र युवा सम्मेलन में भाषण, 24 दिसंबर, 1931
97. स्वाधीनता प्राप्ति में एकमात्र उद्देश्य निहित है 176
 - कलकत्ता जाने से पहले प्रेस को जारी बयान, 3 जनवरी, 1932
98. मेरा स्वास्थ्य एवं अन्य विचार 176
 - एक मित्र के लिए पत्र, 16 अप्रैल, 1932

- 99 मेरे शारीरिक एव मानसिक स्वास्थ्य के बारे मे 178
- कलकत्ता के मित्र के नाम पत्र, 22 अप्रैल, 1932
- 100 स्वास्थ्य और उपचार के बारे मे 180
- कलकत्ता के कविराज अनाथ नाथ राय के नाम पत्र,
4 जून, 1932
- 101 उचित निदान के लिए एक्स-रे परीक्षण 180
- जबलपुर से कलकत्ता के एक मित्र के नाम पत्र,
10 जून, 1932
- 102 शारीरिक दशा मे कोई परिवर्तन नहीं 181
- मद्रास सुधारालय से कलकत्ता के एक मित्र के नाम पत्र,
31 जुलाई, 1932
- 103 फेफडो के कष्ट का पता लगा 181
- मद्रास सुधारालय से कलकत्ता के एक मित्र के नाम पत्र
18 अगस्त, 1932
- 104 डा० आलम के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना 183
- बेगम आलम के नाम पत्र, 2 नवबर, 1932
- 105 प्रयोगात्मक उपचार का रोगी 183
- एस० सत्यमूर्ति के नाम पत्र, 19 नवबर, 1932
106. प्रयोगो से तग आ गया 185
- भोवाली सेनेटोरियम यू० पी० से मद्रास के एक मित्र के नाम पत्र,
19 नवबर, 1932
107. उपचार जारी है, कोई सुधार नहीं 186
- विमल काति घोष के नाम पत्र, 22 नवबर, 1932
- 108 अब तक विस्तर से बधा हुआ रोगी हू 187
- भोवाली से सत्येद्र नाथ मजूमदार, सपादक आनंद बाजार
पत्रिका के नाम पत्र, 24 नवबर, 1932
09. बिबावती बोस के नाम पत्र 188
- 26 अक्टूबर, 1932
110. बगालवासियो को विदाई सदेश 189
- 2 मार्च, 1933
- 111 अनुक्रमणिका 191

बंगाल की सार्वभौमिकता और समाजवाद का संदेश

रंगपुर राजनीतिक अधिवेशन में दिया गया अध्यक्षीय अभिभाषण,

30 मार्च, 1929

बंगाल के पास विश्व को देने के लिये अपना एक संदेश है। इस संदेश में जीवन की कुल "जमापूजी" और बंगाल का समग्र इतिहास निहित है। इस संदेश को सुनाने के जैसे प्रयत्न उसने अतीत में किए थे, उसके ये प्रयत्न आज भी जारी हैं। यह संदेश बंगाल के चरित्र में रचा-बसा है। बंगाल ने विविधता, समन्वय और भ्रातृत्व को सदा अपने दिल में जगह दी है। बंगाल का सहज स्वभाव सदा से ही स्थैतिक नहीं बल्कि गतिशील रहा है। उसे सही मायनों में क्रांतिकारी कहा जा सकता है। वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक ऐसे अनेक दृष्टांत मिल जायेंगे जिनसे यह उजागर होता है कि वह सदा से गतिमयता और आत्मसातीकरण का पक्षधर रहा है।

सत्य मात्र ही हमारा आदर्श है और इसीलिये बाह्य सस्कृति, सभ्यता साहित्य एवं धर्म के प्रवेश के बावजूद बंगाल हर समय अपनी निजता को सुरक्षित रखते हुए नवागतों के सत्य को आत्मसात करता रहा है। इस सम्यक् "क्रांति" के परिणामस्वरूप बंगाल में वैष्णववाद फला फूला। आज भी इस दिशा में प्रयत्न जारी है। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिये हमें संपूर्ण जाति-व्यवस्था को समूल नष्ट करना होगा। या हमें सभी जातियों को शूद्र अथवा ब्राह्मण—एक जाति में बदलना होगा। अब यह बात तय हो जानी चाहिये कि हमें इनमें से किन तरीकों को अपनाना है।

बंगाल ने धर्म की तरह साहित्य में भी अपने-आपको विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया है। उसके विद्यापति और चंडीदास, मुकंदराम और शरतचंद्र काशीराम, क्रिष्णदास और रामप्रसाद चित्तन एवं सस्कृति के क्षेत्र में उसकी नई खोजों के चिरस्थायी उदाहरणों के रूप में मौजूद हैं। बंगाल ने उसके साहित्य के लिये मुसलमानों के योगदान को भुलाया नहीं है और इसीलिये यहां दोनों समुदायों के बीच अटूट एकता पाई जाती है जो अतीत में अनेक तूफानों का सामना कर चुकी है। संक्षेप में, आज बंगाल जैसा है, वह जाति एवं पथ से परे सार्वभौमिकतावाद की सतान है।

लेकिन एक समय विशेष में जो यह वातावरण बना था उसे तब गहरा आघात पहुंचा जबकि बंगाल पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आया। अपनी चारित्रिक विशेषताओं के मुताबिक बंगाल राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किये गये नये आंदोलन में योगदान करने के लिये जाग उठा। जब उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ तो राजा राममोहन राय के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की आशा जागृत हुई। उसके साहित्य दर्शन एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में धार्मिक पुनर्जागरण का प्रतिबिंबन हुआ तथा हिंदू-मुसलमान दोनों समुदायों के सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए एकजुट हो गए।

यह स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने बंगाल के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जैसा कि उन्होंने बार-बार कहा है, मनुष्य का निर्माण करना ही उनके जीवन का ध्येय है। मनुष्य-निर्माण के कार्य में स्वामी विवेकानंद ने अपने ध्यान को किसी मत विशेष तक सीमित नहीं रखा बल्कि समूचे समाज को गले लगाया। उनके आग्नेय शब्दों की अनुगूजन आज भी बंगाल के घर-घर में सुनाई देती है—“कारखानों, शोपडियों और बाजारों से एक नये भारत का उदय होगा।”

यह समाजवाद कार्लमार्क्स की पुस्तको से लिया हुआ नहीं है। इसकी जड़े भारत की विचार परंपरा एवं संस्कृति में हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित जनतंत्र के सिद्धांत को देशबधु दास की कृतियों और उपलब्धियों में संपूर्ण अभिव्यक्ति मिली जिन्होंने कहा था कि नारायण उनके भीतर निवास करता है जो जमीन जोतते हैं अपनी भैंसों के पसीने से हमारा भोजन तैयार करते हैं और वे जो अभावों की चक्की में घिस रहे हैं हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की मशालें उनके कारण ही जल रही हैं।

राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहला कदम सच्चे मनुष्य को गढ़ना है तथा दूसरा कदम है संगठन। विवेकानंद एवं अन्य मनीषियों ने मनुष्य-निर्माण के प्रयास किये, जबकि देशबधु राजनीतिक संगठन बनाने के प्रयास करते रहे और उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसकी अग्रेजों तक ने सराहना की।

आजकल भारत में समाजवाद के नये विचार पश्चिम से आ रहे हैं, बहुत लोगों को ये क्रांति की ओर उन्मुख भी कर रहे हैं लेकिन समाजवाद का विचार इस देश में कोई नयी चीज नहीं है। हम इसे जस का तस इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम अपने इतिहास के धागे को रोंग बैठे हैं। किसी भी विचारधारा को त्रुटिरहित और निरपेक्ष सत्य मान लेना एक भूल होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कार्लमार्क्स के प्रमुख अनुयायी रूसवासियों ने उसके विचारों का अधानुकरण नहीं किया। उसके सिद्धांतों को अमली रूप देते हुए उन्हें दिक्कत पेश आई तो उन्होंने एक नयी आर्थिक नीति को अपनाया जिसमें निजी संपत्ति के अधिकार और व्यापारिक फैक्ट्रियों के स्वामित्व को बरकरार रखा। अतएव हमें अपने समाज और राजनीति को अपने आदर्शों के अनुसार और अपनी ज़रूरतों के अनुसार करना होगा। हर भारतीय का यह ध्येय होना चाहिए।

हम अपने राजनीतिक संघर्ष की तीसरी मजिल पर आ पहुँचे हैं। स्वदेशी का दौर पहली मजिल थी क्रांतिकारियों का दौर दूसरी मजिल थी और असहयोग व समाजवाद तीसरी मजिल है। कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि स्वराज की लड़ाई के हमारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए। लेकिन कोई भी कारगर कोशिश नाकाम नहीं हुआ करती। पिछले पच्चीस वर्षों के आंदोलन के परिणामस्वरूप हमने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर लिया है। धीरे-धीरे देश सगठित हो रहा है और धरती पर कोई ताकत नहीं है जो हमें अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित कर सके। समस्या सिर्फ यह है कि हम कितने जल्दी इसे हासिल कर सकते हैं।

एक सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल के लिए वहस

जमशेदपुर के टिन प्लेट मजदूरों की हड़ताल पर वक्तव्य,

6 जुलाई, 1929

बम्बई में अनेक मित्रों ने मुझसे यह जानना चाहा कि मैंने टिन प्लेट कम्पनी में हड़ताल का समझौता न करने के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी को क्यों जिम्मेदार ठहराया और क्यों मैंने टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी में सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल की तरफदारी की? मेरी

दलीले बहुत साफ है। जहा तक मेरी जानकारी है टाटा के पास टिन प्लेट कम्पनी के एक-तिहाई शेयर हैं। इसके अलावा बोर्ड में टाटा के दो डायरेक्टर हैं जो वहा उपस्थिति आसानी से जता सकते हैं। टिन प्लेट कम्पनी अपने अस्तित्व के लिए टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी पर निर्भर करती है और बाद की कंपनी पूर्वोक्त कंपनी पर हडताल का निबटारा करने के लिये आसानी के साथ पर्याप्त दबाव डाल सकती है। टिन प्लेट कंपनी ने टाटा से पट्ट पर जमीन ली है। टाटा टिन प्लेट कंपनी को बिजली और फिल्टर किये हुये पानी की आपूर्ति करते है। टिन प्लेट कंपनी के बिजली विभाग की मरम्मत टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा ही की गई है।

“आगे मुझे बताया गया है कि टाटा ने टिन प्लेट कंपनी को आदमियों से परीक्षण मदद की है जो पहले टाटा के यहा नौकरी करते थे। इन तमाम कारणों से टिन प्लेट कंपनी पर हडताल को सुलझाने के लिये टाटा के लिए दो मिनट की बात थी और टाटा को राजी करने के मिलसिले में एक सहानुभूतिपूर्ण हडताल की घोषणा करना जरूरी कहा जा सकता है। टाटा के कमचारी जो कि सतुष्ट नहीं है, इस तथ्य की रोशनी में ऐसा प्रस्ताव रख देना कोई मुश्किल बात नहीं है। मि मानिक होमी ने जो आशाएं जगाई वे पूरी नहीं हुईं और जो वचन दिये उनका पालन नहीं किया गया। उनका उत्साह एक बहुत उच्च बिंदु तक पहुंच गया लेकिन जब उन्हें और उनकी लेबर फेडरेशन को मान्यता मिल गई तो अचानक ही उन्होंने अपनी मांगें वापस ले लीं। हाजाकि मि होमी प्रबंधता से जोड़कर अपनी पहचान बनाते है लेकिन लोग अब भी उत्तेजना की उमी हालत में है और अब भी मि होमी से उनके द्वारा दिये गये वचनों को पूरा करने की अपेक्षा रखते हैं। लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये उन्हें सिर्फ उनकी अधूरी आशाओं की याद दिलाना होगा। एक सहानुभूति पूर्ण हडताल हमारा सर्वोत्तम सहारा है। यदि टाटा ने टिन प्लेट हडताल को सुलझाने की दिशा में सर्वोत्तम प्रयास नहीं किये तो इस बाबत हमें कदम उठाने होंगे भन्ने का चाहे कितना कष्ट उठाना पड़े।”-“प्री प्रेस”

विनाशकारी श्रमनीति

श्रमनीति पर वक्तव्य, जमशेदपुर 7 जुलाई, 1929

मैं टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की स्थिति के बारे में बयान देने में सोयदेश्य वचाव करता रहा हू। ऐसा न हो कि मेरे बयान देने से चीजे और उलझ जाए। लेकिन आज ऐसा करने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया है। अतएव मैं स्वयं के लिये तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए स्थिति को स्पष्ट करना स्वीकार करता हू। वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने के मिलसिले में मितंबर 1928 तक की घटनाओं का सक्षिप्त इतिहास बताना जरूरी होगा, जबकि यह हडताल सतम हुई थी। इससे यह बात साफ होगी कि कंपनी और प्रबंधता में मजदूरों को लेकर एक सतत नीति को नहीं अपनाया था। इसके परिणामस्वरूप उद्योग

को भारी क्षति उठानी पड़ी। जब सितंबर 1928 में समझौते के लिये बातचीत शुरू हुई तो मैंने यह पाया कि प्रबन्धतंत्र और निदेशकगण दोनों ही में मानिक होमी के लिए कुछ भी न करने का निश्चय किये हुए थे और उन्होंने अपने इस निश्चय को बरकरार करने के लिये अनेक आधार तैयार कर लिए थे। समझौते की शर्तों में होमी सहित दोनों पक्षों की स्वीकार्य थी लेकिन मैं होमी की यह शर्त थी कि वे किसी समझौते को प्रतिष्ठा रूप से तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें अपने गवर्नर मजदूर सघ सहित कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त न हो जाए। मैंने होमी के इस रवैये से सहमत नहीं था। प्रथमतः क्योंकि वे हड़ताल के समझौते के बीच निजी मामले को ला रहे थे और दूसरे, क्योंकि एक ही जगह और मजदूरों के एक ही निकाय के बीच में दो यूनियनों का होना मजदूर सघ के उम्बूले के विरुद्ध है। मैंने ही होमी से निवेदन किया कि वे निजी सवाल को लेकर समझौते के मार्ग में आड़े न आये। मैंने उनसे कहा कि वे कम्पनी द्वारा मान्यता प्राप्त मजदूर सघ पर आसानी के साथ काबिज हो सकते हैं और यदि वे चाहें तो उसके एक पदाधिकारी भी हो सकते हैं। तब कंपनी उन्हें मान्यता देने से किसी तरह इकार नहीं कर सकती और जबकि फ्लिहात वह आसानी से कह देगी कि उनकी कोई अधिकारिता नहीं है।

आगे मैंने उन्हें मान्यता प्राप्त करने के सिलसिले में अपने तथा मजदूर सघ के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया बशर्ते कि वे सही नीतियों पर चलते रहें। मैंने होमी ने तब भी दुर्आग्रह नहीं छोड़ा। उन्होंने महाप्रबन्धक के साथ हुए समझौते की शर्तों की स्वीकृति को बाधित करने की जीतोड़ कोशिश की। फिर उन्होंने मजदूर सघ में उस समुदाय के जिससे मेरे सबन्ध हैं तथा प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध एक अत्यंत विघ्नित और द्वेषपूर्ण अभियान छेड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लेबर फेडरेशन के सदस्यों ने गलियों में रात में और दिन-दहाड़े लेबर एसोसिएशन के सदस्यों पर हमले करना शुरू कर दिये। एक अवसर पर उन्होंने दिन-दहाड़े लेबर एसोसिएशन के दफ्तर पर छापा मार दिया एसोसिएशन की संपत्ति लूट ली गई और कर्मचारियों से मारपीट की गई।

भारी उत्तेजना के बावजूद हमने शांत रहने का निर्णय लिया और हमारे सघ के सदस्यों की तकलीफों को असहाय होकर देखने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था। हम सबे समय तक इस भयानक उत्पीड़न के शिकार हुए और हमारे लोग अपने जीवन का जोखिम उठाकर शांतिपूर्ण प्रचार के साधनों द्वारा एक बेईमान दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहे। जब हम प्रायः सफल हो गये और लेबर फेडरेशन के विघटन के कगार पर पहुंच गईं तब कंपनी ने अचानक मैंने होमी और उनकी लेबर फेडरेशन को मान्यता दे दी और इसके द्वारा लेबर फेडरेशन को पुनर्जीवित करने में मदद की। फेडरेशन को मान्यता प्रदान करते हुए कम्पनी ने मजदूर सघ के सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण किया जो एक जगह तथा मजदूरों के एक निकाय के बीच एक से ज्यादा यूनियन की इजाजत नहीं देते। फिर भी कम्पनी का मकसद सभ्यतः "फूट डालो और राज करो" था।

मान्यता उस समय दी गयी जब मैंने होमी की फेडरेशन विघटन के कगार पर थी। उन्होंने सिर्फ यह जताने के लिए कि मजदूरों पर उनका नियंत्रण है, हड़ताल कराने की अनेक कोशिशें कीं। ये तमाम कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुईं। लेबर एसोसिएशन को खत्म करने के लिए उसके दफ्तर पर दिन-दहाड़े छापा मारना लेबर फेडरेशन के समर्थकों का आखिरी खेल था। हालांकि लेबर एसोसिएशन को स्थानीय सरकार और पुलिस अधिकारियों की ओर से अपर्याप्त सहायता मिल

रही थी, जबकि वह भीषण सकट के दौरों में थी और आज भी वह दृढ़ता के साथ लड़ रही है। मैंने जनवरी में सब लोगों से यह कह दिया था कि कुछ ही महीनों में जमशेदपुर में सब कुछ सामान्य हो जायेगा।

मि होमी को सबसे पहले टिन प्लेट कम्पनी से मान्यता मिली। कम्पनी का यह विचार था ऐसा करके वह मजदूरों को सतुष्ट करेगी और इससे उत्पादन में वृद्धि होगी। टाटा ने भी वैसा ही किया। लेकिन मि होमी ने मजदूरों की हालत में सुधार के बजाय मान्यता प्राप्त करने में अधिक दिलचस्पी दिखाई। वे लेबर एसोसिएशन को नीचा दिखाने और यह जताने के लिए कि समझौते की शर्तों से मजदूर सतुष्ट नहीं हैं, टाटा के मजदूरों के बीच फिज़ूल की मांगें उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें टिन प्लेट कम्पनी से मान्यता मिली, वैसा ही उन्होंने मजदूरों की तर्कसम्मत और अत्यंत शालीन मांगों को भुला दिया और खुलकर प्रबधतंत्र से हाथ मिला लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि यूनिन के भूतपूर्व अध्यक्ष के रूप में मि होमी का कोई असर बाकी नहीं रहा है।

जब टाटा ने मि होमी और लेबर फेडरेशन को मान्यता प्रदान की तब संभवतः उन्होंने यह सोचा था कि वह अकेले मजदूरों पर नियंत्रण कर लेंगे और लेबर फेडरेशन को मान्यता देने से उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन जल्दी ही टाटा ने यह समझ लिया कि मि होमी अपने लिए मान्यता प्राप्त करने की लालायित है और वे कर्मचारियों में भारी उम्मीदें जगाकर मात्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन्हें उकसा रहे हैं। कंपनी इस बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाई कि मि होमी अपनी मांगों को लेकर तुरंत ही इतने उदार हो गये। जिन मजदूरों की उत्तेजना को उन्होंने इतना अधिक बढ़ा दिया था वे अब शांत नहीं होंगे और वे दबाव डालेंगे कि मि होमी अपने किए गये वायदों को पूरा करे और यहाँ तक कि वे उन्हें कुर्सी से उतार देंगे जैसा कि टिन प्लेट मजदूरों ने किया था।

जनवरी 1929 के अंत तक मेरे ऊपर मजदूरों को नियंत्रित करने की कुछ जिम्मेदारी थी। लेकिन जब से यह जिम्मेदारी मि होमी के पास चली गई जिनकी प्रबधतंत्र से अब अच्छी साठ-गाठ है। उत्पादन के आंकड़े हमें बताते हैं कि 13 सितंबर 1928 को हड़ताल के समझौते के बाद से अब तक क्या प्रगति हुई है। परिष्कृत इस्पात का उत्पादन अक्टूबर 1928 में 35400, नवंबर में 34700, दिसंबर में 32500, जनवरी 1929 में 39000, फरवरी में 31300, मार्च में 33000, अप्रैल में 31900, मई में 33400 और जून में 31000 टन के आसपास था। अतएव यह स्पष्ट है कि अक्टूबर 1928 के उत्पादन के आंकड़े मि होमी के तमाम प्रभाव के बावजूद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों को नहीं छू पाए। दूसरी ओर लेबर फेडरेशन की ओर से हमारे विरुद्ध भारी दुष्प्रचार तथा स्थानीय अधिकारियों के अपर्याप्त समर्थन के बावजूद जनवरी में उत्पादन 39000 टन तक पहुँच गया जबकि मि होमी बार-बार हड़ताल घोषित करने की कोशिश करते रहे। यदि यह बात ध्यान में रखी जाए तो तुलनात्मक अध्ययन में काफी मदद मिलेगी कि फरवरी से लेबर एसोसिएशन ने मि होमी और उनकी फेडरेशन के मार्ग में कोई बाधा नहीं पहुँचाई और सारा क्षेत्र उनके लिए खुला छोड़ दिया गया।

मैं जल्दी ही टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी की आंतरिक स्थिति पर एक दूसरा बयान जारी करूँगा जो कि उद्योग को तबाही से बचाने के लिए इसके अशाधारियों से एक अपील होगी।

विधायिकाओं से निवृत्ति का प्रश्न

एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधियों को दिया गया बयान, 11 जुलाई, 1929

जैसोर से लौटने के बाद मैंने पाया कि विधायिकाओं से निवृत्ति के प्रश्न पर मेरे भाषण को कलकत्ता के कुछ अखबारों ने गलत ढंग से पेश किया है।

जैसोर अधिवेशन के समक्ष प्रस्ताव था कि 31, दिसंबर, 1929 तक विधायिकाओं से अलग नहीं हुआ जायेगा। जैसे कि मैं सभा की अध्यक्षता कर रहा था, इस प्रश्न पर अपने विचार रख कर मैं प्रतिनिधियों के निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहता था लेकिन जैसे ही बहस आगे बढ़ी, मैंने पाया कि असगत मुद्दे उठाए जाने लगे और बहस अतन्त परिषद-प्रवेश का आगा-पीछा विचार करने की ओर मुड़ गई। अतएव मैंने इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए इस विषय को मतदान हेतु रखने से पहले अपनी बात कहने का निर्णय लिया।

मैंने बहुत आरंभ में ही यह कहा था कि सदन के दोनों पक्ष इस बात पर पूर्णतः सहमत थे कि मात्र विधायिकाओं की गतिविधियों के जरिए हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात पर पूर्ण मतैक्य था कि देश में व्यापक स्तर पर काम किये बिना कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सकते। आज की परिस्थितियों में विधायिकाओं से अलग रहने का मुद्दा हमारे उद्देश्य प्राप्ति में सीधे-सीधे सहायक होगा। बंगाल विधान परिषद् की संरचना को देखते हुए मैं यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि अपने आपको अलग करने में हमें कोई सहायता मिलेगी। परिषद् में कांग्रेस के चर्च पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं लेकिन वे अपनी ऊर्जा का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा परिषद् के कार्य में खर्च करते हैं और चाहे वे परिषद् से बाहर हो या न हो, वे हर स्थिति में परिषद् से बाहर कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ायेगे। बहुसंख्यक पार्षद, जो कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं हैं परिषदेतर कार्यों में ठोस सहायता कर सकते हैं, यदि वे ऐसी सदृच्छा रखते हैं। लेकिन 1916 के बहिर्गमन और 1928 की निवृत्ति के हमारे अनुभवों को देखते हुए मुझे बहुत क्षीण आशा है कि वे ऐसा कर पायेंगे।

दूसरी ओर परिषदों से अपने-आपको बाहर रखकर हम गतिविधि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यावहारिक रूप से शत्रु के हाथ में सौंप देगे जिसे हमने एक लम्बे सघर्ष के बाद हथियाया है। हमारे बाहर रहने का भाव मतलब यह है कि हम ऐसे समय में विधायिकाओं से विपक्ष का सातम्य कर रहे हैं जबकि उसकी बहुत जरूरत है। अन्य महत्वपूर्ण प्रांतीय समस्याओं के साथ-साथ मंत्रीमंडल का गठन और साइमन कमीशन जैसी कई अहम समस्याएँ आज हमारे सामने हैं। हमने इन बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जीता। हमने चुनाव अभियान में पंडित मोतीलाल नेहरू से प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त की। कलकत्ता कांग्रेस में अगीकार किया गया आदर्श और कार्यक्रम आज भी बदला नहीं है, लाहौर कांग्रेस की प्रतीक्षा किये बिना परिषद-कार्यक्रम में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करने से पहले लोगों को ध्यानपूर्वक सोच-विचार करना होगा।

ये सब बातें कहते हुए मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मेरे मन में विधायिकाओं का लेशमात्र भी मोह नहीं है। यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विधायिकाओं से निवृत्ति की घोषणा करती है तो मैं आज भी त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ यदि इससे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू

को सत्तुष्टि होती है। मैं परिषद् के अन्य पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को लेकर भी कह सकता हूँ। ऐसा इसलिए कि मेरे मन में विधायिकाओं का कोई मोह नहीं है, जैसा कि मैं महसूस करता हूँ। मैंने चीजों पर ठंडे दिमाग से विचार किया है, मैं इस प्रकरण को यथासंभव निष्पक्ष रूप में सदन के समक्ष पेश करूँगा। जहां तक मैं समझ सका हूँ, समूचे प्रांत की राय वर्ष के अंत से पहले निवृत्ति या त्यागपत्र के विरुद्ध है। हम जल्दी ही प्रांतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक बुलायेंगे और इलाहाबाद प्रस्थान करने से पूर्व सदन की राय लेंगे।

व्यक्ति, राष्ट्र और आदर्श

चिनसुरा में हुगली जिला छात्र अधिवेशन में भाषण,
रविवार 22 जुलाई, 1929

स्वागत समिति के सभापति जी एव विचारार्थियों

आप बेहतर जानते हैं कि आज के इस छात्र अधिवेशन में आपने मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, आज की इस सभा में उपस्थित होने की अभिरधि और हिम्मत का कारण यह है कि मैं आज भी स्वयं को आपकी तरह एक विचारार्थी महसूस करता हूँ। मैंने "जीवन के वेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और इस समय मैं जीवन-अनुभवों के भीषण थपेड़ों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान को एकत्र करने में जुटा हुआ हूँ।

हर राष्ट्र या व्यक्ति का अपना एक विशेष विश्वास या आदर्श होता है। वह उस आदर्श के अनुरूप अपने जीवन को ढालता है। इस आदर्श को यथासंभव साकार करना जीवन का एक मात्र ध्येय बन जाता है। इस आदर्श के अभाव में उसका जीवन अर्थहीन और अनावश्यक हो जाता है। जिस तरह इस ध्येय की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति की कोशिशें लम्बे समय तक जारी रहती हैं, ठीक उसी तरह एक राष्ट्र पीढ़ी-दर-पीढ़ी ये कोशिशें करता रहता है। इसीलिए बुद्धिमान लोगों का कहना है कि एक आदर्श जीवनरहित और गतिहीन नहीं होता। इसमें गति प्रवाह और जीवनदायिनी शक्ति निहित होती है।

हम उस आदर्श की एक झलक को देखने में हमेशा सफल नहीं हो पाते जो पिछले एक हजार वर्ष से हमारे समाज में व्यक्त होने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन जो विचारवान और वास्तविक अंतर्दृष्टि से लैस हैं, वह तमाम दृश्यमान स्थितियों के पीछे इस आदर्श के एक सामान्य मूल का जरूर पता लगा सकता है। यह सूत्र फालगू नदी के तीव्र अतवर्ती प्रवाह की भांति है। और यह आदर्श ही है जो युग के विचार को जन्म देता है। जब एक व्यक्ति आदर्श का पूर्ण बोध प्राप्त कर लेता है, तब वह अपनी मजिल और अपने मार्गदर्शक को आसानी से तलाश कर लेता है। लेकिन क्योंकि यह बोध हमें हमेशा नहीं हो पाता तो हम गलत आदर्शों के पीछे दौड़ने लगते हैं और झूठे मसीहाओं का अनुसरण करने लगते हैं। विचारार्थियों, यदि वास्तव में तुम किसी लक्ष्य के लिए अपने

जीवन को ढालना चाहते हो तो तुम हर प्रकार के झूठे मार्गदर्शकों और भ्रष्ट आदर्शों के प्रभाव से बचो और जीवन के आदर्श का चुनाव तुम स्वयं करो।

जिस आदर्श ने पंद्रह वर्ष पहले बंगाल के विद्यार्थी समुदाय के मन में उत्साह जगाया, वह स्वामी विवेकानंद का आदर्श था। इस गौरवशाली आदर्श के जुदाई प्रभाव के वशीभूत बंगाल का युवा वर्ग स्वार्थपरता और क्षुद्रता से रहित एक शुद्ध और आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के निश्चय से भर गया। समाज और राष्ट्र के निर्माण के मूल में निजता का प्रकटन होता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद यह कहते हुए थके नहीं कि "मनुष्य-निर्माण" ही उनका मिशन है।

विवेकानंद से पूर्व हमारे देश में जब एक नये युग का सूत्रपात हुआ तब राजा रामा मोहन राय हमारे मार्गदर्शक थे। राम मोहन के युग से स्वाधीनता के आकाश भारत में विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से व्यक्त होती रही है। जब उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक तथा बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में स्वामी विवेकानंद के इन विचारों—“स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आत्मा का गीत है”—ने स्वदेशी के हृदय के बंद दरवाजों को तोड़ दिया और एक अबाध शक्ति का रूप धारण कर लिया, सारा देश इन विचारों से ओतप्रोत हो गया और लगभग पागल-सा हो गया।

यह स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने एक ओर अनुयायियों को सभी प्रकार के बंधन तोड़ने और सच्चे अर्थों में "मनुष्य" बनने के लिए प्रेरित किया तथा दूसरी ओर सभी धर्मों एवं संप्रदायों में अनिवार्य एकता पर बल देते हुए भारत में सच्चे राष्ट्रवाद की नींव रखी। लेकिन विवेकानंद के यहाँ स्वतंत्रता की जो धारणा विद्यमान है, वह उनके समय की राजनीति में देखने की नहीं मिलती। सबसे पहले हमने अरविंद के मुख से स्वतंत्रता का संदेश सुना। और जब अरविंद ने अपने "बंदे मातरम्" के स्तंभों में लिखा—“हम ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वायत्तता चाहते हैं”—तब एक स्वतंत्रता प्रेमी बंगाली युवा ने महसूस किया कि उसे अपना मनचाहा व्यक्ति मिल गया है।

इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्रता की प्रेरणा प्राप्त करने पर बंगाल के लोग आगे बढ़े, मार्ग में आने वाली तमाम मुश्किलों को उन्होंने आसान बना लिया। और जब हम 1921 तक आते हैं तो असहयोग के संदेश के साथ-साथ महात्मा गांधी की जबान से एक नई बात सुनते हैं—“व्यापक जन समुदाय के बिना स्वराज नहीं आ सकता, और जब तक हम उनमें स्वतंत्रता की भूख नहीं जगाते हैं—देशबंधु चित्तरंजन के जीवन से यह प्रबल संदेश और अधिक स्पष्ट हो जाता है। लाहौर भाषण के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि जो स्वराज वह चाहते हैं, वह कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, आम जनता के लिए है। उन्होंने अखिल भारतीय मजदूर अधिवेशन में अपने देशवासियों के समक्ष “आवास के लिए स्वराज” का आदर्श रखा।

देशबंधु के जीवन में व्यवहृत हमने एक अन्य संदेश प्राप्त किया। वह यह है कि मनुष्य जीवन—राष्ट्रीय और साय-साय में निजी—एक अपरिवर्तनीय सत्य का अंश है। इसे दो या इससे ज्यादा जलरुद्ध खानों में बांटना संभव नहीं है। जब एक मनुष्य का जीवन चैतन्य की अवस्था को प्राप्त करता है, तब हर ओर से हमें इस नवजागरण के पर्याप्त प्रमाण मिल जाते हैं और सर्वत्र एक नये जीवन का स्पंदन सुनाई देता है। संसार—उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन—विविधताओं से परिपूर्ण है। यदि हम इस त्रिविधता को समाप्त कर दें तो जीवन की पूर्णता भी नहीं बच सकेगी।

ऐसा करके एक तरह से हम अपने-आपको मृत्यु या विनाश के समीप ले जायेंगे। इसीलिए हमें इसी विविधता के द्वारा, इसी अनेकता के द्वारा व्यक्ति और राष्ट्र के दोनों के व्यक्तित्व का उजागर करना है।

रामकृष्ण और विवेकानन्द ने आध्यात्मिक जगत में 'एक' और 'बहु' के बीच जो एकत्व स्थापित किया था, देशबन्धु ने इसे राष्ट्र के जीवन और राजनीतिक क्षेत्र में अर्जित किया या कम से कम, अर्जित करने के प्रयत्न किये। छोटे शब्दों में कहे तो वे 'मस्कृतियों के एक सघ' में यकीन रखते थे। राजनीतिक अर्थों में वे भारत के लिए एक केंद्रीकृत राज्य के बजाय एक सघीय राज्य के रूप में देखना पसंद करते थे।

सर्वांगीण विकास और आत्म-परिपूर्णता ही आज के युग का आदर्श है जिसमें देशबन्धु दृढ़ता के साथ विश्वास रखते थे। यदि हम इस साधना को पूर्णकाम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क में स्वतंत्रता का एक अखंडित बिम्ब बनाना होगा। जब तक व्यक्ति को अपने आदर्श का पूर्णरूपेण बोध नहीं होगा, वह जीवन के समर में कभी विजयी होने की आशा नहीं कर सकता। इसीलिए पूरे भारत से विशेष रूप से युवा वर्ग में यह कहना जरूरी हो गया है कि जिस स्वतंत्र भारत का हम स्वप्न देख रहे हैं उसमें हर व्यक्ति आजाद होगा—सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक सभी तरह की बेड़ियों से आजाद।

मैं आज यहाँ विद्यार्थी समुदाय से यह बात कहने के लिए आया हूँ कि जिस युग में आपने जन्म लिया है उसका "मूल विचार" पूर्ण और सर्वांगीण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हमारे लोग जीना और प्रगति करना चाहते हैं। वे एक स्वतंत्र देश में और एक उन्मुक्त वातावरण में रहना चाहते हैं। हमारे स्वाधीनता के दावे का मतलब गलतियाँ करने का अधिकार प्राप्त करना है। इसलिए हमें एक भ्रममूलक दुःस्वप्न से विचलित नहीं होना चाहिए जो कि हमें राजनीतिक मुक्ति दिला भी सकता है और नहीं भी। हमें अपने भीतर एक अटल विश्वास पैदा करना होगा और आगे बढ़कर अपने जन्मसिद्ध अधिकार को अनिच्छित हाथों से छीनना होगा।

हमारे देश में तीन बड़े समुदाय बिल्कुल सुप्त पड़े हुए हैं। यह है—स्त्रियाँ तथाकथित दलित वर्ग और मजदूर अवाम। हमें उनके पास जाना होगा और कहना होगा आप भी मनुष्य हैं और मनुष्यों के पूरे अधिकार आप प्राप्त करेंगे। इसलिए उठो जागो अपने निष्क्रियता के रस्ते को बदलो और अपने विधि सम्मत अधिकारों को छीन लो।'

बंगाल के विद्यार्थियों और युवाओं तुम सब पूर्ण स्वाधीनता के उपासक बनो। तुम भविष्य के भारत के उत्तराधिकारी हो। अतः तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम समूचे राष्ट्र के पुनर्जागरण और उन्नयन के कार्यभार को सम्भालो। बंगाल के दूर-दराज के गाँवों और कोनों में तुम हजारों की तादाद में जाओ और प्रत्येक व्यक्ति को समानता एवं स्वतंत्रता का जीवनदायक संदेश दो। मैंने अभी-अभी स्वाधीनता की जो तस्वीर तुम्हारे सामने पेश की है उसे आगे बढ़ाते हुए तुम्हें समूचे राष्ट्र के सामने ले जाना है। शुद्ध मन के साथ आगे बढ़ो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी "साधना" सही परिणामों के रूप में फलीभूत होगी भारत फिर स्वतंत्र होगा और तुम्हारा जीव ! गरिमा एवं यश से मंडित होगा।

लिबर्टी के सम्पादक के नाम पत्र

रविवार 23 जुलाई, 1929

सम्पादक

'लिबर्टी'

आज के 'लिबर्टी' में बंगाल विधान परिषद् के सदस्य की हैसियत से मेरे द्वारा भेजे गये कुछ प्रश्न छपे हैं। उनमें से एक प्रश्न को लेकर इस आशय का निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरी इच्छा है कि राजनीतिक बदियों के लिए एक पृथक कारागार की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे प्रश्न से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। प्रश्न को प्रकाशित करने के पीछे सीधे-सीधे मेरा उद्देश्य सरकार के इरादे से सबधित सूचना को प्रकाश में लाना था।

कतकत्ता,

23-7-1929

आपका,

सुभाष चंद्र बोस

कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जारी बयान

23 जुलाई, 1929

एक व्यक्ति विशेष को कांग्रेस प्रत्याशी मनोनीत करने की बाबत बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही का औचित्य सिद्ध करते हुए मैंने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन इस बारे में काफी कुछ लिखा और कहा जा चुका है कि वीरभूमि से जे एल बनर्जी को कांग्रेस का नामांकन क्यों नहीं मिला। इसलिए इतनी देर बाद भी इस प्रश्न पर बयान जारी करने हेतु मुझे बाध्य होना पडा।

श्री बनर्जी ने एक चतुर रणनीतिक की तरह यह प्रचारित करते हुए लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की जब बंगाल विधान परिषद् द्वारा बंगाल काश्तकारी विधेयक पारित होने वाला था, तब उन्होंने हर मौके पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं किया था, इस कारण उन्होंने कांग्रेस का समर्थन खो दिया है। यह बात एकदम श्रूठ है। उनके मामले में जिन कारणों

से हमने नामांकन को रोका था, उन कारणों को बगाल काश्तकारी विधेयक पर उनके मतदान से कोई लेना-देना नहीं है।

मैं शुरु में एक बात साफ कर दू कि जब 1926 में श्री बनर्जी को नामांकन प्राप्त हुआ बड़ी कठिनाई के साथ वह ऐसा कर सके थे क्योंकि पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्यों द्वारा उनके नामांकन का कड़ा विरोध किया गया था। वे लोग जो श्री बनर्जी के पिछले इतिहास को पूरी तरह भूले नहीं हैं, उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा कि इस वर्ष या 1926 में हमारी पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्यों द्वारा उनके नामांकन का प्रतिवाद किया गया। यदि कोई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही का औचित्य सिद्ध करना चाहता है तो उसे श्री बनर्जी की असह्य भूनों निरंतर कलाबाजियों, देशबधु की नीति एवं कार्यक्रम के सतत विरोध और इन सबसे ऊपर 1923 में जेम्स से रिहा होने से लेकर अब तक के इतिहास को जरूर ध्यान में रखना होगा। 1923 की दिवली कांग्रेस के विशेष सत्र में देशबधु के परिषद् प्रवेश कार्यक्रम का उनके द्वारा विरोध और कर्गाची में स्वराजियों की नीति एवं कार्यक्रम को ध्वस्त करते हुए उनका घुआधार भाषण अभी लोगों के मस्तिष्क में ताजा बना होगा। श्री बनर्जी को उनके बुरे इतिहास के बावजूद सार्वजनिक कार्य को आगे बढ़ाने हेतु एक वक्ता के रूप में उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए 1926 में एक आखिरी मौका दिया गया। इस सुअवसर का वे स्वयं लाभ नहीं उठा सके। बगाल में कांग्रेस काउंसिल पार्टी के सदस्य जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार काम किया और कैसा व्यवहार किया। उनके भाषणों ने कई बार पार्टी को अडचन में डाल दिया। मंत्रियों और कार्यकारी पार्षदों के साथ उनकी साजिशों को लेकर पार्टी को अक्सर समझौता करना पड़ा। 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के दौरान मद्रास कांग्रेस के निर्णय का पालन करते हुए जब कांग्रेस पार्टी परिषद से बाहर आ गई तब श्री बनर्जी हमारे निवेदन करने पर भी परिषद में बैठे और कांग्रेस पार्टी की कार्यवाही का उपहास करते हुए एक भाषण दिया। वह पार्टी से निकाले ही जाने वाले थे कि उन्होंने अपने आचरण के लिए क्षमा-याचना करते हुए अपने निष्कासन को टाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य से इसके बाद श्री बनर्जी ने अपने आप में कोई सुधार नहीं किया।

परिषद के बाहर भी बनर्जी की गतिविधियाँ जनता के विश्वास को प्रेरित नहीं कर सकीं। नगरेतर सार्वजनिक जीवन में जुड़े लोग इस सबध में श्री बनर्जी के इतिहास से शायद परिचित न हो लेकिन मैं बेहिचक यह बात कह सकता हूँ कि श्री बनर्जी के नामांकन को सार्वजनिक हित में नकारा गया है और यदि कोई पुराने इतिहास की रोगनी में उनकी परख करे तो कोई समझदार व्यक्ति उनकी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं कर सकता। हम बहुत शिद्दत के साथ यह महसूस करते हैं कि यदि श्री बनर्जी मंत्रियों और सरकारी दलानों के साथ अपनी साजिशों को जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिये ये बेहतर होगा कि वे कांग्रेस के ठप्पे के संरक्षण में नहीं बल्कि चुनकर ऐसा करे। वे हाल के चुनाव से अब तक के उनके पुराने इतिहास को ध्यान में रखे फिर उनके कांग्रेस नामांकन को अस्वीकार करने विषयक हमारी कार्यवाही के औचित्य पर विचार करे। मझे कोई संदेह नहीं है कि वे जो आज भी श्री बनर्जी में आस्था रखते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हमने उन्हें मनोनीत न करते हुए कोई अन्याय किया है उनका मोहभंग अब ही होगा।

लोग बहुत जागरूक है इसलिये बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने वीरभूमि प्रत्याशी के रूप में श्री अविनाश चंद्र राय को मनोनीत किया था। फिर भी श्री बनर्जी और उनके मित्रों ने उन्हें अवकाश प्राप्त करने के लिए समझाया-बुझाया। उनका यह सोचना था कि ऐसा करके वे श्री बनर्जी को प्रांतीय कमेटी में मनोनीत करा लेंगे। उपर्युक्त कारणों से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का यह विचार था कि उन जैसे छद्म-कांग्रेसी को मनोनीत करके कमेटी सार्वजनिक कार्य को नुकसान पहुंचायेगी। यह बात हमारी जानकारी में आई कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा श्री बनर्जी के मनोनयन को अस्वीकार करने के बावजूद वीरभूमि जिले में यह प्रचारित किया गया कि वह ही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस प्रचार को रोकने और बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सही दृष्टिकोण को मानने लाने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को कलकत्ता से वीरभूमि भेजा गया। मैं वहां स्वयं गया और मैं अपनी जरूरी व्यस्तताओं के बावजूद स्वयं को नहीं रोक सका। मैंने उन्हें इस बात के लिए अधिकृत भी किया कि वे क्षेत्र में दूसरे प्रत्याशी से संपर्क करें और यह पता लगायें कि क्या वह कार्ड में अपने चरित्र को नये सिरे से बदलने और एक पूर्ण कांग्रेसी होने को तैयार हैं। जैसाकि यह संभव नहीं था अतः वीरभूमि की जनता के समक्ष अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के अलावा बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव में आगे कोई दिलचस्पी नहीं रही।

अपने द्वारा एकत्र सूचनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कलकत्ता से भेजे गये कार्यकर्ताओं ने वीरभूमि की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे श्री बनर्जी की उम्मीदवारी का समर्थन न करें क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने मनोनीत नहीं किया। जहां तक मेरी जानकारी है दूसरे प्रत्याशी की ओर से वोट मागने का कोई अभियान नहीं चलाया गया।

श्री बनर्जी ने बड़े जोर-शोर के साथ यह दावा किया कि जिला कांग्रेस कमेटी के निवेदन करने पर भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अधिकारिक प्रत्याशी के रूप में स्वीकार न करके गलत काम किया है। सब लोगों में श्री बनर्जी कांग्रेस के सविधान और नियमों से भर्ती-भाति परिचित है कि प्रत्याशियों के मनोनयन का अंतिम अधिकार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पास ही है। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी अपने मुझसे भेज सकती है, प्रा का, क इन्हें स्वीकार कर सकती है और निरस्त भी। इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी श्री बनर्जी के पक्ष में अविनाश चंद्र राय (कांग्रेस प्रत्याशी) पर दबाव डालने को लेकर एकदम गलती पर थी। जबकि यह बात बहुत साफ थी कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी बड़े सोच-विचार के बाद उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर चुकी थी। जिला कांग्रेस कमेटी के पक्ष पर यह भी एक भूल थी कि उसने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर श्री बनर्जी का समर्थन किया, जबकि उसे तटस्थता का आवरण करना चाहिए था।

आयातित टिन प्लेटों पर संरक्षण कर की वापसी

टिन प्लेट कारखाने में हड़ताल के सम्बन्ध में प्रेम को एक बयान,

3 अगस्त, 1929

गोलमुडी, जमशेदपुर की टिन प्लेट कम्पनी में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति लम्बे समय से जनता के सामने है। इस कम्पनी का वास्तविक मालिक बर्मा आयल कम्पनी है। हालांकि बर्मा आयल कम्पनी इस देश के सम्पन्नतम पूँजीवादी प्रतिष्ठानों में से एक है लेकिन इसके कर्मचारियों की हालत इससे सम्बद्ध टाटा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों से कहीं बदतर है। पिछले वर्षों में टाटा के कर्मचारियों ने जितना सुख भोग किया है उसकी तुलना में बर्मा आयल कम्पनी के कर्मचारी बहुत थोड़े दामों पर काम कर रहे हैं। कम्पनी भारी नुकसान के बावजूद हड़ताल को लम्बा खींचते हुए इसे तोड़ने की कोशिश में है उसे आशा है कि बर्मा आयल कम्पनी के असीमित साधनों के कारण उसकी जीत होगी। टिन प्लेट कम्पनी इस तथ्य को बखूबी जानती है कि जो संरक्षण उन्हें मिला हुआ, इसके रहते हुए वह इस देश में अपना व्यवसाय जारी रख सकती है। अतएव अब यह समय आ गया है कि यदि टिन प्लेट कम्पनी अपने वर्तमान अडियल रवैयों को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो विधायिका में भारतीय जनता के प्रतिनिधिगण आयातित टिन प्लेटों पर से संरक्षण कर हटाने हेतु कदम उठाये। कोई कारण नहीं एक विदेशी कम्पनी जो भारतीय मजदूरों के प्रति इन निर्मम और सवेदनशून्य है संरक्षण के लाभ को उठाती रहे। अतएव मैं विधायकों से अपील करता हूँ कि वे आगामी सत्र में सरकार से आयातित टिन प्लेटों पर से संरक्षण कर हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करें। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मुझे अनेक मित्रों ने आश्वस्त किया है कि विधान परिषद के आगामी सत्र में इस मामले को उठायेंगे।

राजनीतिक पीड़ित दिवस

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बयान,

4 अगस्त, 1929

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीडित मोतीलाल नेहरू ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से निवेदन किया है कि अखिल भारतीय राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाये और 3 प्र कांग्रेस कमेटी का अनुसरण करते हुए 4 अगस्त को इसे मनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 4 अगस्त की तारीख बहुत जल्दी लगती हो तो कोई बाद की तारीख रखी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि कोई बाद की तारीख निश्चित करना बेमतलब होगा ताकि सभी प्रांत इस उत्सव का आयोजन कर सकें। 4 अगस्त को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाना बंगाल के लिए संभव नहीं है इसलिए बंगाल के लिए हमने रविवार 11 अगस्त की तारीख निश्चित की है। किसी वजह से कोई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 4 अगस्त को यह आयोजन न कर सके तो मैं उनसे अपील करूँगा कि वे रविवार 11 अगस्त को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनायें।

स्वतंत्रता की सही प्रकृति

राजशाही जिला छात्र अधिवेशन में दिया गया भाषण

17 अगस्त, 1929

आपको संबोधित करते हुए मुझे अति हर्ष की अनुभूति हो रही है सबसे पहले क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि हमारी समस्याओं का समाधान केवल युवाओं के द्वारा ही संभव है। और अपनी शक्ति की सीमाओं में यह युवाओं का दायित्व है कि अपने युग की समस्याओं का पता लगायें और उनका हल निकालें। मेरी दृष्टि में युवा वह है जिसमें आत्मा की प्रबल जीवन-शक्ति है। दूसरे हालांकि मेरे विद्यार्थी जीवन को बीते कई वर्ष हो गये फिर भी मैं एक बंगाली विद्यार्थी के मन में विद्यमान आशाओं और आकांक्षाओं से पूरी तरह परिचित हूँ और मैं उन खतरों और बाधाओं को भी जानता हूँ जिनसे वह लगातार घिरा रहा है।

एक व्यक्ति की भाँति राष्ट्र के जीवन में भी 'गति एवं विस्तार' का नियम होता है। यह उस समय तक कार्य करता है जब तक कि उसमें जीवन की विद्यमानता रहती है। जब यह नियम कार्य करना बंद कर देता है तो राष्ट्र या व्यक्ति मानो जड़ या मृत हो जाता है। "गति एवं विस्तार" दो ऐसे बैरोमीटर हैं जो हमारे राष्ट्र की वर्तमान हालत को संकेतित करते हैं।

और भी एक राष्ट्र के उत्थान व पतन के पीछे एक अदृश्य और रहस्यात्मक सिद्धांत कार्य करता है। कुछ राष्ट्र पृथ्वी के नक्षत्रों से बिल्कुल गायब हो गये हैं जो केवल पहाड़ की चोटियों पर यह इतिहास के पृष्ठों पर नजर आते हैं। और दूसरे वे हैं जो आज भी अस्तित्ववान हैं और अपने अस्तित्व का अहसास कराते हैं। इसका क्या कारण है? यह भिन्नता क्यों है? इसका उत्तर एक दिन या महीने में देना संभव नहीं लगता लेकिन फिर भी इसके उत्तर को खोजना चाहिए। यदि हम इस पहेली का हल नहीं खोज पाते तो हम एक नये राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? पाश्चात्य विचारक आग्रहपूर्वक कहते हैं कि जो राष्ट्र इस रहस्य को खोल देता है उसी का उत्थान हो सकता है—वह जितनी बार नीचे गिर सकता है उतनी बार ऊपर उठ सकता है। यह एक तथ्य है कि जब एक राष्ट्र में पतन के आसार दिखाई देते हैं तो उसके बौद्धिक दृष्टिकोण को एक क्रांतिकारी आघात पहुंचता है ताकि वह पुनर्विचार शुरू कर सके। चीन, जापान और भारत द्वारा संभ्रता के नियम भारी आघातों को सहने का मुख्य कारण यह है कि अधिकार-युग के अंत तक यहाँ वैचारिक क्रांतियाँ जारी रहीं। दूसरी ओर विदेशियों के साथ सांस्कृतिक सामुज्य भी होता रहा है, इसने भी उनके अस्तित्व में बड़ा योगदान किया है।

इनमें से कौन-सा सही और महत्वपूर्ण है यह आपको तय करना है। प्रश्न कितना भी जटिल क्यों न हो, यदि आपके पास विचारवान मन है तो इसका उत्तर सरलता से खोजा जा सकता है। इस जीवन की सार्थकता इसी में है यदि यह जान सके या जानने का प्रयत्न करे कि एक नये राष्ट्र का निर्माण करना किस प्रकार संभव है? छात्र सम्मेलन के सामने यह वास्तविक समस्या है।

यह पूछा जा सकता है कि मनुष्य का सच्चा आदर्श और 'साधना' क्या है? विद्यार्थी जीवन की आचार-सहिता क्या होनी चाहिए, जो उस आदर्श की प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सकती है। इस सबध में नीतेशे का अतिमानव का सिद्धांत एक उपयुक्त सुझाव हो सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उसने जर्मनी को एक महान और आदर्श राष्ट्र बनाने हेतु किया था। नीतेशे ने उस दौर के प्रभावी विचारों में थोड़ा परिवर्तन करके एक नई आचार-सहिता प्रस्तुत की थी। उसका विश्वास था कि ईसाई नैतिकता ने मनुष्य को सही आदर्शों के मार्ग से भटका दिया था और यदि मनुष्यों के एक नये वर्ग की रचना होनी थी तो ईसाई नैतिकता को तिरस्कृत और बहिष्कृत करना लाजिमी था। प्लेटो, सुकरात अरस्तू, थामस मूर और हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक मार्ग का साधन किया जिसके जरिए मनुष्य मानवता के उच्चतर धरातल तक ऊपर उठ सकता है जो सबके लिए एक आदर्श होगा।

अब, हमारा आदर्श क्या है? कोई विदेशी या बाहर का आदमी यह नहीं सुझा सकता। हमारे बीच से ही इसका उत्तर आना चाहिए हमारी जनता के बीच से ही इसका उत्तर आना चाहिए। जब तक हमारी दृष्टि साफ नहीं है तब तक सभवतः हम अपने आदर्श को नहीं पा सकते। पहले अपने आदर्श को आत्मसात करना होगा केवल और केवल तभी हम अपना कर्तव्य निश्चित कर सकते हैं। मनुष्य आदर्शों का प्रतीक है जब उसकी संपूर्णता में वह उन्हें अनुभव करता है तभी वह पूजनीय बनता है। समय-समय पर आदर्श में भिन्नता आ जाती है और यह व्यक्ति की दृष्टि-सीमा एवं अर्जित ज्ञान में आनुपातिक सबध रखता है। हमारे आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में अनेक प्रयत्न हुए हैं और हो रहे हैं। राजा राममोहन राय के आदर्शों को विभिन्न धार्मिक आंदोलनों और तत्पश्चात् ब्रह्म समाज की स्थापना के रूप में अभिव्यक्ति मिली। केशवचंद्र का विचार था कि जब तक समाज को अधविश्वास की बुराईयों से मुक्ति नहीं मिलती है तब तक आदर्श मनुष्य का प्रश्न ही नहीं उठता तब पुनः हमारा यह विश्वास है कि जब तक हम राजनीतिक गुलामी और सभी प्रकार के उत्पीड़नों की बेडियों से आजाद नहीं होते हैं तब तक हम एक सही किस्म का इन्सान नहीं बना सकते। और अब राजनीतिक आंदोलन को लीजिए। इन आंदोलनों की चर्चा करते हुए एक बड़ी सच्चाई सामने आती है जिससे यह उजागर होता है कि लोग राजनीतिक धार्मिक सामाजिक और आर्थिक दासता से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है वे यह नहीं जानते।

हम स्वतंत्रता चाहते हैं क्योंकि दासता मृत्यु का लक्षण है। अधरे में जीने का अभ्यस्त लोग उससे मुक्त होने में अरुचि दिखाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे नारी समाज को लीजिए। कभी-कभी यह पाया गया है कि उनकी सबसे बड़ी शत्रु वे स्वयं हैं।

लम्बे समय से हम इस सोच में जीते रहे कि मात्र धार्मिक या आर्थिक या राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे उद्देश्य को पूरा कर देगी। यह अर्द्ध सत्य है। लेकिन महान सत्य यह है कि एक व्यक्ति का जीवन पूर्ण सत्य है और एक जीवित मनुष्य के लिये सर्वांगीण स्वतंत्रता अभीष्ट है। यह अत्यंत उदात्त आदर्श है जिसे आत्मसात और ग्रहण करना बहुत कठिन है। यह एक ऐसा आदर्श है जिसमें बिना किसी भेद-भाव के सबके लिये समान अधिकार निहित हैं। बगाल के विद्यार्थियों और युवाओं को इस आदर्श को ग्रहण करना होगा। अतएव भविष्य की तमाम आशाएं और आकांक्षाएं उन पर ही केन्द्रित हैं।

निस्संदेह इस आदर्श को लेकर विद्यार्थियों को भारी निजी हानि और खतरे भी उठाने होंगे। उसे स्कूल या कालेज से निकाला भी जा सकता है लेकिन तो भी यह उसकी मनुष्यता को समुन्नत करेगा। मेरे निजी जीवन में मुझे जब अधिकारियों का सामना करना पड़ा, मैंने अपने भीतर शानदार ताकत को महसूस किया और यह आज भी मुझे रास्ता दिखा रही है। एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक मात्र अवसर आता है जो कि उसके जीवन में बदलाव का बिंदु साबित हो सकता है और उसकी पूरी तर्ज बदल देता है। कर्तव्य ने खडगबहादुर को एक साहसिक कार्य हेतु उत्प्रेरित किया जिसको लेकर वह जानते थे कि यह कार्य अनिवार्य मृत्यु का कारण बन सकता है। सौभाग्य से उनका जीवन बच गया लेकिन एक ओर मृत्यु तथा दूसरी ओर पूर्ण मनुष्यता के बीच चुनाव की बात कायम रही। हजारों पुस्तकें या सैकड़ों सम्मेलन या सभाएँ ऐसे परिवर्तन आत्मा की ऐसी मुक्ति का प्रभाव पैदा नहीं कर सकतीं।

हमारी स्त्रियों पर दिन-ब-दिन बढ़ती हुई क्रूर हिंसा के बारे में सोचिये। क्या इसका कोई उपचार नहीं है? बड़ी संख्या में अंग्रेज हमारे देश में रहते हैं लेकिन उनकी स्त्रियों को किसी भी रूप में सताया नहीं जाता। कुछ साल पहले सीमा-प्रांत की घटना को याद कीजिये। जब कुछ आदिवासियों ने एक अंग्रेज स्त्री का अपहरण कर लिया था तब विश्व भर के अंग्रेज एक होकर उसे छुड़ाने के लिये उठ खड़े हुए थे।

हमारे आदर्श को लेकर समग्रता में विचार कीजिये और सर्वतोन्मुखी स्वतंत्रता की इस धारणा को अपने जीवन व्यवहार में अनुभव करने का प्रयास कीजिये। जो अपने जीवन को पूर्णरूपेण अभिव्यक्ति देना चाहता है उसके मार्ग में बाधाएँ आती ही हैं। लेकिन सत्य की जीत होती है। मेरी समझ से सत्य और स्वतंत्रता एक ही है। स्वतंत्रता जीवन का लक्षण है और यदि तुम सत्यनिष्ठ होकर इसे जानते हो तो एक दिन यह साकार भी होगी।

जिस तरह हमारा संघर्ष चल रहा है ऐसे राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में अस्युश्यता के प्रश्न को लीजिये। हम तथाकथित दलित वर्गों को मंदिर के परिसर में दाखिल होने की अनुमति नहीं देते मानते कि ईश्वर एक जाति विशेष यानि ऊँची जाति का है और उसके ही द्वारा रचे गये एक वर्ग के स्पर्श से वह अपवित्र हो जायेगा।

जब एक राष्ट्र या एक व्यक्ति जाग्रत होता है तो यह जाग्रति पूर्ण और सर्वांगीण होनी चाहिये। हमें कार्यकर्ताओं की एक जमात की जरूरत है, चाहे वह कितना ही कठिन हो, जो इस पवित्र उद्देश्य के उपासक के रूप में काम कर सके। साधना के लिये शक्ति और ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा। हमारी जीवन शक्ति के "गति एव विस्तार" पर्याप्त नहीं है। चमत्कार की भावना, अज्ञात को जानने की लालसा—इन तमाम चीजों का हमारे युवाओं में भारी अभाव है।

अनुशासन की जरूरत

राजशाही छात्र-अधिवेशन मे भाषण

20 अगस्त, 1929

बंगाल के इतिहास मे यह स्वयसेवक आंदोलन कोई नई चीज नहीं है, हमारे राष्ट्रवाद के उदय के समय से ही इसका विचार युवाओं के मन मे समाया हुआ है। हालांकि एक ओर सरकारी दमन तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय कार्य मे हमारी भिन्नतामूलक पद्धतियों के कारण कुछ समय के लिए यह विचार सुप्त पडा रहा। पुनः सगठन का विचार अब फिर से पहले मोर्चे पर आ गया है। शारीरिक अभ्यास और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र मे बंगाल निस्संदेह अपना कोई सानी नहीं रखता लेकिन निरंतर बढ़ता हुआ सरकारी दमन हमारे लिए इस प्रकार के आंदोलन और सगठन की उपयोगिता का अहसास करा रहा है।

यह कहा जाता है कि हथियारों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के अभाव मे आंदोलन असफल मानित होगा। लेकिन यहा एक तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि सैन्य प्रशिक्षण मे आग्नेय अस्त्रों के पाठ्यक्रम द्वारा 'ड्रिल कोर्स' की अनुमति दी गई है। हमे पहले चलना सीखना चाहिए। चलते समय हमे अपने हाथ-पैरों की उचित अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा। एक स्वतंत्र देश के लोगों पर दृष्टिपात कीजिए, देखिए वे कैसे खड़े होते है, कैसे चलते है, जब वे जुलूस मे चलते है या थियेटर की खिडकी पर पकित मे खड़े होते हैं, जब वे सिनेमा या खेल के मैदान मे होते है, तब वे कैसा व्यवहार करते हैं? यहा आपको अनुशासन का एक उचित भाग प्राप्त होगा।

दूसरे देशों मे सरकार स्वयं लोगों के सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है लेकिन स्पष्ट रूप से भारत मे यह सब हमे ही करना पडता है।

कलकत्ता कांग्रेस के दौरान स्वयसेवक सेना का आयोजन करते हुए हम दुनिया को यह बताने मे सफल हुए कि इस पराधीन देश मे भी इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है।

इस प्रकार के प्रशिक्षण के पीछे मुख्य लक्ष्य और सिद्धांत ये है कि लड़के और लड़कियों की एक टोली नपे हुए कदमों से यदि साथ-साथ चल सकती है तो वे एक साथ कार्य करना भी सीख सकते है। कहना चाहिए कि यदि बीस हजार लड़के आज एक जगह एकत्र हों जाए तो एक प्रकार का हुल्लाद मच जाएगा लेकिन यदि उन्हें प्रशिक्षित करके फिर से एकत्र किया जाए तो एक अनुशासित सेना के रूप मे दिखाई देगे।

पिछली कांग्रेस मे स्वयसेवी दल पर हुए बड़े खर्च के औचित्य को लेकर अनेक लोगों की ओर से प्रश्न खड़े किए गये। लेकिन यहा इस तथ्य को अनदेखा किया गया कि दातेदार आरी की भांति एक सिपाही की वर्दी भी राष्ट्रीयता का प्रतीक होती है। सेना के नियमानुसार यह एक शिष्टाचार है कि एक अधिकारी अपने से उच्चतर श्रेणी के अधिकारी को सलाम करे। निजी गुणों मे बड़ा अधिकारी छोटे की तुलना मे कमतर हो सकता है लेकिन "राजा की वर्दी को सलाम किया ही जाना चाहिये।" वास्तव मे सलाम व्यक्ति को नहीं उस वर्दी को किया जाता है जिसे वो पहने हुए है। हम अपने विद्यार्थियों को वर्दी का एक ऐसा ही आदर सिखाना चाहते है। हम ऐसा ही "वफादारी का भाव" चाहते है।

जब हम सेना में भर्ती होते हैं तो हम किसी व्यक्ति को उसके अवगुणों को कारण अधिवादन करने में सक्नुवाते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह अधिवादन या आज्ञाकारिता उस बर्तन के कारण है जिसे वो पहने हुए है।

घोती लपेटने से इस प्रकार की आज्ञाकारिता या अनुशासन नहीं आ सकता। इसलिये मैं आग्रह के साथ कहना चाहता हू कि बैलगाड़ी के जमाने में लौटना हमारे लिए असभव होगा।

आधुनिकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएँ रही हैं। चीन में भी यह बात रही थी। लेकिन जो सफलता उसे मिली वह उसकी स्वयंसेवी सस्थाओं के कारण ही संभव हो सकी। इतिहास में ऐसे सशक्त सगठनों के बेशुमार उदाहरण भरे पड़े हैं। "आयरन साइड" क्रामवैल का मुख्य आधार था, उसकी राष्ट्रीय सेना थी, नेपोलियन के पास इपीरियल गार्ड थे, जर्मनी के फ्रेडरिक के पास गैरीबाल्डी के दस हजार लोग थे, मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स और रजियन रेड आर्मी—ये तमाम सगठन इतिहास के महत्पूर्ण स्मारक रहे हैं। जापान ने अपनी अनुशासित सेना के द्वारा रूस पर गौरवशाली विजय प्राप्त की, कमात ने तुर्की में अधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ा और अपनी अनुशासित एवं वफादार सेना के द्वारा एक आदर्श राज्य की स्थापना की। यदि शाह अमानुल्लाह के पास एक समतुल्य अनुशासित एवं वफादार सेना होती तो अफगानिस्तान क्रांति की भबर की लपेट में न आया होता। तथापि व्यक्तियों के एक अनुशासित समुदाय की सहायता के अभाव में कोई भी सुधार प्रभावी नहीं हो सकता। यदि हम अनुशासित रूप में कार्य करने की कला का अधिकार पा लेते हैं तो हम इसी पद्धति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू कर सकते हैं।

इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। भारत अपने आप में एक विशाल कारागार है। बाहर रहते हुए हमारी स्थिति भीतर से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। हमें नये भावों और विचारों से प्रेरणा लेनी है। यदि एक बार तुम इनसे आप्लावित हो गए तो धरती पर कोई ताकत तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। सुकरात और ईसा की भाँति इन विचारों का जितना प्रतिरोध होगा, ये उतने ही तीव्र रूप में उभरेंगे।

गैर समझौतावादी रुख और संघर्ष

टिन प्लेट कम्पनी के कर्मचारियों के समर्थन में बयान, जमशेदपुर,

28 अगस्त, 1929

टिन प्लेट कम्पनी की स्थिति एक गतिरोध के बिंदु पर पहुँच गई है। पिछले शुक्रवार से एक आम हड़ताल शुरू हो गई है। नये और पुराने दोनों मजदूर बाहर हो गए हैं। मात्र दिखावे के लिए मशीनरी चल रही है। लेकिन कोई खास उत्पादन नहीं हो रहा। प्रबंधन अपनी हठ पर कायम है लेकिन जब कि वे यूनियन से बातचीत को इन्कार करते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से मजदूरों को लालच देने और फुसलाने का काम कर रहे हैं। महाप्रबंधक सहित कम्पनी के बड़े अधिकारीगण मजदूरों को फुसलाने के लिए घर-घर जाने में तक संकोच नहीं करते।

मजदूरो की मागे बहुत उदार है और स्थानीय प्रबधतत्र का रुख बहुत अताकिक और गैर समझौतावादी है। हम लोग जो मजदूरो के हित के लिए समर्पित है हमारे सामने अत तक लडाई जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस उद्देश्य के लिए हम स्थानीय विधानपरिषद और विधानसभा का समर्थन प्राप्त करना चाहते है। टिन प्लेट कंपनी एक धमकी दे रही है कि यदि सरक्षण वापस ले लिया जाता है तो वे सदा के लिए बंद कर सकते है और तब बर्मा आयल कंपनी टिन प्लेटे बाहर से आयात करेगी। यदि यह धमकी आगे जारी रहती है तो मौजूदा लडाई तब बर्मा आयल कंपनी और हमारे बीच की लडाई का रूप ले लेगी। इस लडाई को जारी रखने के लिए हम बर्मा आयल कंपनी के स्वामित्व वाली भारत में प्रत्येक फैक्ट्री से सपर्क करेगे। और हम वह स्थिति पैदा कर देगे जो कि हमने बज-बज में की थी। इस सिलसिले में कदम उठा लिए गये है। स्थानीय प्रबध तत्र के कठोर रुख ने एक अखिल भारतीय मुद्दे का रूप ले लिया है। हम जो कि टिन प्लेट कर्मचारी नहीं हैं केवल उनकी मदद कर रहे हैं स्वयं कर्मचारियों द्वारा ही इस लडाई में झोक दिए गये हैं। इसमें हस्तक्षेप करने से पहले हमने कई महीनो प्रतीक्षा की। लेकिन जब हमने यह अनुभव किया कि गरीब मजदूर भारी विपत्ति से जूझ रहे हैं और प्रबध तत्र बहुत दुराग्रही है, तब हमें इस लडाई में कूदना पडा। जब एक बार हम कूद पडे है तो हम कठोर अत तक लडाई जारी रखेगे।

राजनीतिक दमन और आर्थिक शोषण में मेल-जोल

श्री प्रेस के साक्षात्कार में बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बयान,
5 अगस्त, 1929

आज का भारत एक दमन के दौर से गुजर रहा है और यह दमन हमारे प्रांत के हिस्से में बहुत अधिक आया है। बंगाल सरकार परिषद के भीतर सत्र में की गई घोषणा-दमन की नीति वर्ष के अत तक अपरिवर्तित रहेगी-के मुताबिक कार्य कर रही है। मैं हृदय से इस दमन का स्वागत करता हू। यह दमन हमारे देशवासियों को राजनीतिक जडता से उबारने में मदद करेगा और इसने हमारा देश अगली 1 जनवरी से नया कदम उठाने के लिये तैयार है।

बंगाल और दूसरी जगह की सरकारों की दमन नीति में महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार केवल राजनीतिक गतिविधियों को दबाने हेतु दमनकारी कदम नहीं उठा रही है बल्कि मजदूरों की औद्योगिक गतिविधियों पर भी प्रतिबध लगा रही है। विशेष रूप से ऐसी जगहों पर जहां इन गतिविधियों से विदेशी पूंजीपतियों के हितों की हानि होती है। सरकार और विदेशी पूंजीपति अपने सामान्य लक्ष्य की ओर हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे हैं। यह सामान्य लक्ष्य है-राजनीतिक एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन का दमन इस "मेल-जोल" के जवाब में हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के मजदूर आंदोलन के बीच आक्रामक एवं आत्मरक्षात्मक मैत्री कायम करनी होगी। देश को दमन की अवांछित सुराके दी जा रही है और वास्तव में ये सुराके लेने की उसकी आदत

बन चुकी है। फिर भी ऐसा कोई खतरा नहीं है कि यह दमन हमें कमजोर और हतोत्साहित करेगा। सरकार यदि यह अपेक्षा करती है कि दमन इस देश के स्वाधीनता आंदोलन को नष्ट या अशक्त कर देगा तब मैं खुली चुनौती देता हूँ कि तुम बुरा से बुरा जो हो सके करके दिखाओ।

सरकार का विश्वासघात .

बारीसाल में राजनीतिक वदियों की हड़ताल के लिए जिम्मेदार कारणों के बारे में वयान,
24 सितम्बर, 1929

हमारे देशवासी सभवतः ठीक-ठीक नहीं जानते हैं कि श्री सर्तींद्र नाथ सेन और उनके कुछ सहकर्मियों ने भूख हड़ताल क्यों की? जिन तकलीफों के खिलाफ वे लड़ रहे हैं, संक्षेप में इस प्रकार हैं -

1. श्री सेन और उनके साथियों के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन कार्यवाहियों का पुनः प्रवर्तन, जबकि जुलाई 1928 में पटुआ खाली विवाद के समाधान के समय इन्हें समाप्त कर दिया गया था।

2. हमले के दो मामले बनाना—एक श्री सेन और उनके साथियों के विरुद्ध तथा दूसरा उनमें से कुछ लोगों के विरुद्ध।

जुलाई 1928 में पटुआ खाली सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त करने के सिलसिले में बारीसाल के जिला मैजिस्ट्रेट की पहल पर सभी संबंधित पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन कार्यवाहियों सहित सत्याग्रहियों के सभी मुकदमों में वापस ले लिए गये।

लगभग मार्च, 1929 के मध्य में श्री सर्तींद्र नाथ सेन और उनके कुछ साथियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही यह जाहिर हो गया कि इस मामले में गवाही ली गई है, उसका सबंध पटुआ खाली विवाद के समझौते से पूर्व के समय से है। इन कार्यवाहियों के पुनः प्रवर्तन से श्री सेन और उनके साथियों का रुष्ट होना स्वाभाविक था। जिससे सरकार के पक्ष पर भारी विश्वासघात का पता चलता है।

हमले के मामले में पुलिस व जेल अधिकारियों और कैदियों के बीच कड़ा-सुनी के कारण सामने आये। कैदियों का कहना था कि उनके लिए सवारी की व्यवस्था होनी चाहिए अथवा उन्हें अदालत न ले जाया जाये। कैदियों का आरोप था कि उनकी सवारी की उचित व्यवस्था नहीं थी, तो भी उन्हें असंतोषजनक हालत में अदालत जाने के लिए बाध्य किया गया, यहाँ तक कि बीमारी को भी नहीं बख्शा गया। उनके इनकार करने पर उनके साथ मार-पीट की गई। ऐसा लगता है

कि आपराधिक प्रक्रिया सहिता की धारा 110 के तहत कार्यवाहियों के असफल हो जाने के कारण श्री सेन और उनके साथियों को दंडित करने के उद्देश्य से ये हमले किये।

लेकिन श्री सेन ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया, हालांकि वे सरकार का रुख लेकर काफी स्पष्ट थे। वह मई अंत तक प्रतीक्षा करते रहे कि शायद न्यायायिक पद्धतियों द्वारा हालात में कुछ सुधार हो सके। या कि बाहर के उनके मित्र उन्हें रिहा कराने में सक्षम हो सके। लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्हें भूख हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा।

मै पिछली जुलाई में जिला अधिवेशन के सिलसिले में बारीसाल गया था और इम अजसर पर मैने जेल में श्री सेन से भेटवार्ता की थी। मै बडी मुश्किल से उन्हें भूख हड़ताल तोडने के लिए राजी कर सका। मै अपनी ओर से तयार बारीसाल की जनता की ओर से सिर्फ यह आशवासन देने के बाद कामयाब हो सका कि उनकी भूख हड़ताल के बिना भी जेल के वाहर उनके मित्र लोग उनके कार्य को आगे बढाते रहेगे।

बारीसाल से लौटने पर मैने सरकार को उन तकलीफो के बारे में लिखा जिनके रहते हुए श्री सेन को भूख हड़ताल पर बैठना पडा। मैने सरकार से स्थिति में शीघ्र सुधार के लिए कहा। मुझे जवाब में बताया गया कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ।

कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद और यह जानने पर कि हमारे प्रयत्न निष्फल रहे श्री सेन और उनके कुछ साथियों ने फिर भूख हड़ताल का रास्ता अपना लिया। यह भूख हड़ताल आज तक जारी है जहा तक श्री सर्तीद्र नाथ सेन की बात है वे थोडे से सोडा वाटर के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं कर रहे है। यह बात सुनिश्चित है कि यदि कुछ दिन और यह भूत हड़ताल चली तो इसका परिणाम मृत्यु होगा। सर्तीद्र नाथ सेन सरकार के सकीर्ण और प्रतिशोधात्मक रवैये के खिलाफ में, विशेष रूप से पिछले मामले को दोबारा उठाने को लेकर उसके विश्वासघात के खिलाफ में भूख हड़ताल कर रहे है, वे मामले जो कि पटुआखाली विवाद के समझौते के समय हमेशा के लिये खत्म कर दिए गए थे। यद्यपि मैने भरसक प्रयास किए कि श्री सेन अपने जीवन को बचाने के लिए भूख हड़ताल तोड दे। मै स्वीकार करता हू कि उन्होंने जो रुख अपनाया वह उचित और सम्मानजनक था और मै उससे पूर्ण सतुष्ट होकर लौटा और हम तो साधारण रूप से चेतावनी के सलाहकार भर हैं। उस समय जब श्री सेन अपने जीवन का उत्सर्ग करते हुए अपने सम्मान की रक्षा कर रहे है और राजनीतिक कार्यकर्ताओ को दण्डित करने वाली आपराधिक प्रक्रिया सहिता की धारा 110 पर रोकथाम लगाने का प्रयास कर रहे है तब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम श्री सेन की बिन शर्त रिहाई को लेकर सरकार पर दबाव डालते हुए एक देश व्यापी भीषण अभियान की शुरुआत करे। हमे अपने आचरण के द्वारा सीधे-सीधे सरकार को यह बताना है कि इस देश में मानवीय जीवन इतना सस्ता नहीं है जैसा कि और जगह है और यह कि बंगाल के लोग बारीसाल में लाहौर त्रासदी की पुनरावृत्ति देखने को तैयार नहीं है।

जन सगठन और सामाजिक क्रांति की अपरिहार्यता

हावड़ा जिला राजनीतिक अधिवेशन मे भाषण
शनिवार, 28 सितम्बर, 1929

स्वागत समिति के सभापति जी देवियो और सज्जनों

आपने वाकई एक अत्यंत पवित्र और उपयुक्त समय पर हावड़ा जिला राजनीतिक अधिवेशन का आयोजन किया है। देश के सामझे कठिन से कठिनतर समस्थाए प्रतिदिन उपस्थित हो रही हैं और दमनकारी नीतियों के परिणामस्वरूप भारत के राजनीतिक क्षितिज पर काले बादल छा रहे हैं। भीषण तूफान के पूर्वाभास के रूप में समय-समय पर हवा के झोके आते रहे हैं और थोड़े-थोड़े अंतराल पर बिजली कड़क रही है। ऐसे मौसम में हम जैसे यात्री अपने लक्ष्य पर आख लगाये हुए अपने हृदय में आशाए भय आकाशाए और उत्कठाए लिए हुए स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।

अभी कुछ ही दिन पहले ठीक इसी मैदान के पास आपने एक महान बंगाली नायक व आत्मबलिदान साहस और पराक्रम की प्रतिमूर्ति स्मृति के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने हेतु बड़ी तैयारिया की थीं। हजारों हजार स्त्री-पुरुष आयु या जाति और पथ के भेदभाव को भुलाकर रातभर उस नायक को श्रद्धाजलि अर्पित करते रहे थे। नाम और ख्याति की दृष्टि से अज्ञात युवा कार्यकर्ता यतींद्र नाथ ने देश की स्वाधीनता के लिये बड़े धैर्य के साथ अपने प्राणों के बलि दे दी। वह अपने कठोर निश्चय से लेश मात्र भी नहीं हटा और आज मैं यह आशा कर सकता हूँ और पूरे मन से यह प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हम अपने सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, यतींद्रनाथ का साहस, आत्मबलिदान, पराक्रम, सकल्प, देशभक्ति और कार्य करने की अद्भुत क्षमता हमें निरंतर प्रेरणा देती रहे।

इसका उपाय क्या है?

हमारे दुःखद शोषण और स्वतंत्रता की हानि तथा अवसरो को लेकर हमारी माग के जस का तस बने रहने के बावजूद भारत ने पिछले डेढ़ सौ वर्षों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से महापुरुषों को जन्म दिया है। यह तथ्य दुनिया के सामने इस बात की घोषणा करता है कि यह राष्ट्र मर नहीं सकता, मरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इस तथ्य में हमारा भारी दुर्भाग्य छुपा हुआ है कि उस देश में जो कि इतने महापुरुषों को जन्म दे चुका है, जनता बहुत अपमानित और दुःखी है तथा अपनी तमाम आशाओं-आकाशाओं को खो चुकी है। इस स्थिति से उबरने का क्या उपाय है? वस्तुतः हमें राष्ट्रीय "साधना" व्यक्तिवाद के सिद्धांत के आधार पर नहीं चलना चाहिए, इसे एक स्वस्थ समाजवाद के आधार पर स्थित करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम सिर्फ तभी और तभी शक्तिमान आत्माओं को भारत के गाव-गाव और घर-घर में प्रवेश करते हुए तथा उसे धन और गौरव से आपूरित करते हुए देख पायेंगे।

मैंने जो ऊपर कहा है, उसका अभिप्राय सिर्फ यह है कि यदि हम आज समूचे राष्ट्र में नवजागरण और नये जीवन का संचार देखना चाहते हैं, तो हमें सभी प्रकार की कृत्रिम सामाजिक असमानताओं से मुक्त होना होगा और हमें सबको समान अवसर देने होंगे ताकि उन्हें मनुष्यता का पूर्ण दर्जा प्राप्त करने में मदद मिल सके। मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए और स्त्रियों को पुरुषों की दासता से मुक्त कराया जाना चाहिए।

समाज और राज्य के जीवित सबंधों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस बात का पूरी तरह कायल हूँ कि जब तक हम अपनी समाज व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन एक संपूर्ण क्रांति नहीं करते हैं तब तक हम अपनी राजनीति शक्ति को फिर से हासिल करने या अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करने की स्थिति में नहीं आ सकेंगे। जितनी देर तक समूचा राष्ट्र स्वतंत्रता के उन्माद से बचता रहेगा उतनी ही देर तक हमारी राजनीतिक मुक्ति एक आकाश कुसुम बनी रहेगी।

राष्ट्रीय आंदोलन के शनैः शनैः बढ़ते हुए प्रभाव के साथ-साथ स्वतंत्रता के अर्थ में भी विस्तार हो रहा है। एक समय था जब स्वराज का अर्थ हमारे लिए सिर्फ "उपनिवेशीय स्वशासन" था। लेकिन आज यह पूर्ण स्वाधीनता का पर्याय बन गया है।

इतिहास का अवलोकन स्वतंत्रता के मार्ग को ढूँढने का एक सुनिश्चित तरीका है। पिछले तीस वर्षों में भारत और बंगाल के इतिहास का विश्लेषण करते हुए, तीन विशिष्ट और सुपरिभाषित युगों से हमारा परिचय होता है। उनके नाम इस प्रकार हैं- (1) स्वदेशी का युग (2) अराजकता या क्रांति का युग और (3) असहयोग का युग। पहले युग के दौरान हमारा प्रमुख हथियार विलायती माल का बहिष्कार था, विशेष रूप से विलायती कपड़े और नमक का बहिष्कार। स्वदेशी के दिनों में जबर्दस्त आंदोलन के परिणामस्वरूप बंगाल का विभाजन हुआ और मॉर्ले-मिटो सुधार सामने आये। नौकरशाही का ऊँचा सिर नीचे झुक गया और उसका स्थायी बंदोबस्त बिखर गया। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1918-19 तक जारी रहा। बहुत से नौजवान देशभक्ति की कीमत चुकाते हुए हसते-हसते फासी के तख्ते पर चढ़ गये। लेकिन यह इन्हीं उच्चाशय नौजवानों की गतिविधियों का नतीजा था कि अंग्रेजी हुकूमत को 1919 के सुधार पेश करने हेतु बाध्य होना पड़ा।

असहयोग के तीसरे दौर का मुख्य सिद्धांत जनता को संगठित करना और नौकरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव को हर संभव तरीके से खत्म करना है और इसके जरिए हमारी वैचारिक सहायता के उस मुख्य आधार को नष्ट करना है जिस पर अंग्रेजी हुकूमत टिकी हुई है।

मैं नहीं जानता कि हमारे देश में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनका यह विश्वास है कि घद बम और पिस्तौलों से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की मुक्ति ऐसी आसान चीज नहीं है। एक बम या पिस्तौल यहाँ वहाँ आतक पैदा करने में सफल हो सकती है लेकिन यह क्रांति कदापि नहीं ला सकती। आतकवाद एक विशुद्ध भौतिक घटना है, यहाँ तक कि मुट्ठी भर लोग आतक पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्रांति का जन्म हमारे विचारों के व्यापक

संसार और साहित्य के माध्यम से होता है। अंग्रेज लोग इस बात को भली-भांति समझते हैं। इसीलिये हमारे राष्ट्रीय साहित्य पर कड़ी और क्रूर दृष्टि रखी जाती है। तथा भारत में राजद्रोह की आश्चर्यजनक व्याख्या की जा रही है।

बहरहाल मेरा यह सुनिश्चित मत है कि आतंकवाद का दौर बीत चुका है। आज हमारा मुख्य हथियार जन-संगठन है। हम अपने देशवासियों को अपने हितों की रक्षा करते हुए तथा अपने अधिकारों को दबाव बनाये रखते हुए एकजुट करना होगा और यह जनसंगठन विशेष दावों और तकलीफों के इर्द-गिर्द खड़ा किया जाना चाहिये। जहाँ भी हमें दमन दिखाई दे या निहित स्वार्थों की क्रूरता का पता चले वहीं हमें एक व्यापक आंदोलन चलाना होगा। शायद इससे हमें समाज की ऊँची जातियों या कभी-कभी धन के घमडी पूँजीपतियों से खुली जग करनी पड़ सकती है। या कभी हमें करो का भुगतान न करते हुए नागरिक अवज्ञा का कदम उठाना पड़ सकता है और इस प्रकार हमारे देशवासी अपने सर्कीण स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हो सकते हैं। असहयोग के मूलभाव को सफलता तक पहुँचाते हुए अहिंसक जनसंगठन को तैयार करने का सबसे प्रमुख तरीका प्रचार और अत्यधिक प्रचार है। एक प्रभावशाली और अनवरत प्रचार के माध्यम से हम अपने देशवासियों के मानसिक संसार में एक क्रांति ला सकते हैं यहाँ तक कि विचारवान अंग्रेज लेखकों ने इस सभावना को जानते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि हम इस प्रकार के प्रचार के परिणामस्वरूप एकजुट हो जाए तो भारत में अंग्रेजी राज का अंत आ जाएगा। हमें निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को एक ऐसा समुदाय पैदा करने की जरूरत है जो स्वतंत्रता की एक पूर्ण और स्पष्ट समझ से प्रेरित होकर भूरे मन के साथ जनता के बीच में काम करे और जन आंदोलनों में खुलकर हिस्सेदारी करे। निर्भीक कार्यकर्ताओं की इस जरूरत को देखते हुए युवा और छात्र आंदोलनों को होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज अनुशासन है जिसकी हममें बड़ी कमी है। अनुशासन की भावना को विकसित करने के लिए सशक्त स्वयंसेवी आंदोलन की बड़ी जरूरत है। हम जानते हैं कि जब बंगाल में यह स्वयंसेवी आंदोलन सफल हो जायेगा तो बंगाली चरित्र का एक बहुत बड़ा दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।

अगर हम आज की उन समस्याओं का हल निकालने में दिलचस्पी रखते हैं जो कि हम जूझ रहे हैं तो हमें तुरंत दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहली सैन्य आधार पर स्वयंसेवी दल का संगठन और दूसरी, मजदूर आंदोलनों में हमारी पूरे मन के साथ भागीदारी। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारे नेताओं ने राष्ट्रीय कार्य में आज तक इन दो बिंदुओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

एक बात और कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। देश की मौजूदा हालत देखिए, मैं महसूस करता हूँ कि आगते वर्ष तक हम अपनी मातृभूमि के इस छोर से उस छोर तक एक जवरदस्त आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में हैं और सरकार की मौजूदा दमन नीति हमारे इस आंदोलन को रोकने में सक्षम नहीं हो सकती। लेकिन इस भयंकर कठिनाई के दौर में हमें हजारों समर्पित कार्यकर्ता चाहियें। इस सभावना के उजागर होने पर बंगाल के विद्यार्थियों को एक बार फिर स्कूल और कालेजों से बाहर बुलाने का आव्हान किया जायेगा। फिर भी यह एक वर्ष की

बात है हमेशा के लिए नहीं। उन्हे हजारो और लाखो की सख्या मे राष्ट्रीय आंदोलन मे उतरना पडेगा। शायद मेरी बातो से अभिभावक गण नाराज होंगे। लेकिन मेरा उत्तर है- "यदि आपको आजादी चाहिए, तो कोई और रास्ता नहीं है।"

सज्जनों, मेरी बात पूरी हो गई। शायद मैं अब कोई नयी बात नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जो बातें मैंने अभी आप से कही हैं, वे मेरे हृदय का उद्गार हैं और मेरे आंतरिक अनुभव हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भारत फिर से आजाद होगा। इस धरती के बड़े भू-भाग पर भारत मा के सपूत एक बार फिर अपने सिर और कंधो को उठाकर चल सकेंगे और राष्ट्रों की मसद मे एक बार फिर उनकी कला और साहित्य की प्रशंसा की जाएगी। लड़ाई जारी है। भाइयो और बहनो इस पवित्र अवसर पर अपने सकीर्ण निजी स्वार्थों से ऊपर उठो और इस लड़ाई मे पूरी तन्मयता के साथ कूद पडो।

-वदे मातरम्

बारीसाल के सतीन सेन द्वारा भूख हड़ताल के बारे मे कुछ शब्द

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप मे बयान
4 अक्टूबर 1929

बंगाल से प्राप्त ताजा सूचनाओ से पता चलता है कि सतींद्र नाथ सेन जो कि बारीसाल जेल मे भूख हड़ताल पर हैं, की हालत काफी बिगड रही है। सरकार कह चुकी है कि यह श्री सेन के खिलाफ मुकदमे को वापस नहीं लेगी। वह श्री सेन और उनके सहकर्मियों के खिलाफ की गई ये कार्यवाहिया प्राप्त कर चुकी है जो कि या तो उच्च न्यायलय द्वारा खारिज कर दी गई थी या पटुआ खाली समझौते के समय सरकार ने वापस ले ली थी। इन कार्यवाहियों का मुख्य उद्देश्य उन्हे जेल मे बंद रखते हुए उनकी सार्वजनिक गतिविधियों को खत्म करना है। यह नितांत असंगत है कि एक देशभक्त कार्यकर्ता के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया सहिता की कुख्यात धारा के तहत कार्यवाही की जाए। यदि सरकार अपने उद्देश्य मे सफल हो जाती है तो यह पूरे देश के लिए खतरनाक साबित होगा। जब उनके देशवासी उन्हे रिहा कराने मे असमर्थ सिद्ध हुए तो श्री सतीन सेन जैसे सम्मानीय व्यक्ति के सामने अपने कार्य की दिशा तय करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा, जैसा कि वे कर भी रहे हैं। ऐसे मे जब कि वे धीरे-धीरे मृत्यु के समीप पहुंच रहे हैं। तब हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उन्हे मुक्त कराने के लिए एक जबरदस्त देशव्यापी अभियान छेडे। इस उद्देश्य के लिए बंगाल के प्रत्येक जिले मे "सतीन सेन मुक्ति समिति" कार्यरत

होनी चाहिए। इन समितियों को श्री सतीन सेन की रिहाई के लिये आंदोलन करना चाहिए तथा जहाँ सम्भव और जरूरी हो वहाँ सत्याग्रह करना चाहिए। सिर्फ हम तभी सरकार को यह बताने में समर्थ होंगे कि बंगाल के लोग इस बात के लिए कृत सकल्प हैं कि वे बारीसाल में लाहौर त्रासदी की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और तभी हम दृढ़तापूर्वक सरकार को उसकी अमानवीय नीति के भीषण परिणामों से आगाह कर सकेंगे।

अखिल बंगाल अभियान के पहले सोपान पर मैं बंगाल की सभी कांग्रेस कमेटियों से यह निवेदन करूँगा कि रविवार 6 अक्टूबर, 1929 को अखिल बंगाल सतीन सेन दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन श्री सतीन सेन के स्वास्थ्य और मुक्ति के लिए सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों, सामूहिक प्रार्थनाओं आदि का आयोजन किया जाए।

बारीसाल के सतीन सेन के आत्म बलिदान के बारे में देशवासियों से अपील

8 अक्टूबर, 1929

जब मैं यह सोचता हूँ कि हम कितने असहाय हैं, मेरी वाणी मूक हो जाती है। एक अत्यंत कर्मठ कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रतिरोध करते हुए देश के कार्य के लिए तिल-तिल करके मर रहा है और हम उसके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। जब उन्हें धारा 110 के तहत बंद किया गया तो उन्होंने यह सोचते हुए भूख हड़ताल नहीं की कि उनके देशवासी सरकार की दमन नीति के खिलाफ आंदोलन करेंगे लेकिन उनकी प्रत्याज्ञा पूरी होती नहीं दिखाई दी तो उन्होंने स्वयं अपने हथियार को आजमाया। जब सरकार सतीन सेन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस धारा के तहत कैद करने में सकोच नहीं दिखाती तो इसी तरह किसी भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता को सताया जा सकता है। अतएव यह सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिये एक धमकी है।

सरकार का इरादा किसी भी तरह सतीन सेन को जेल में बंद किए रखने का है। यदि धारा 110 का मुकदमा किसी तरह नाकाम रहता है तो सरकार के पास और बहुत से इल्जाम अभी सुरक्षित हैं।

यदि जतीन दास और सतीन सेन के आत्मबलिदान के पीछे निहित मनोविज्ञान का विश्लेषण किया जाए तो यह पाया जाएगा कि उन्होंने पहले विद्रोह की भावना से प्रेरित होकर फिर बाद में गुप्तानी की टीस के कारण भूख हड़ताल का खस्ता अपनाया। यह टीस उनके हृदय में इतने गहरे में समाई हुई थी कि उन्हें ऐसा निश्चय करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जब एक बार जो गुम्फात हो चुकी है, उससे पीछे हटना भी उचित नहीं था जब श्री सेन गुप्ता और मैंने सतीन से भूख हड़ताल तोड़ने की बात की तब उन्होंने इतने त्रिकट तर्कों के साथ हमारी बातों का जवाब दिया

जिससे यह प्रकट होता था कि उन्हें अपने लक्ष्य की अनुभूति तथा सत्य का माहात्कार हो चुका है। उन्होने हम से कहा, "मैं जीवन में किसी व्यक्ति के सामने कभी नहीं झुका और मैंने कभी कोई अपमानजनक वचन नहीं दिया है। यदि मैं अपने जीवन को बचाने के लिये आज रिहा हो जाऊ तो मैंने जो मानसिक शक्ति प्राप्त की है, उसे खो दूंगा।" सचमुच में इतने दृढ़ है इतने दृढनिश्चयी और इतने गैर समझौतावादी हैं कि सरकार तक उनसे डरती है।

कांग्रेस कार्यकारी समिति के एक सदस्य के रूप में मैं उसके निर्णय से प्रतिश्रुत हूँ। लेकिन निजी तौर पर मेरा विचार है कि भूख हड़ताल के बारे में कांग्रेस का आदेश जारी करना उचित नहीं होगा। यदि जतीन के आत्मदाह के बाद कोई व्यक्ति ऐसा ही तरीका अपनाता है तो यह समझना चाहिए कि उसने ये कदम सोच समझ कर उठाया है और उसे ऐसा करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

जतीन दास और सतीन सेन जैसे के बलिदान जो कि उन्होने मानवता की भलाई के लिए किए हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे और यहाँ तक कि ईसाई भी इसके कायल होंगे। गुलामी की यह टीस जिसने जतीन दास और सतीन सेन को प्रेरित किया हममें से प्रत्येक के भीतर ~~गुलामी~~ चाहिए।

श्री जे० एम० सेनगुप्ता से अपील

10 अक्टूबर, 1929

श्री जे० एम० सेनगुप्ता पिछले कुछ समय से मेरे तथा साथ-साथ बंगाल प्रदेश कांग्रेस ~~के~~ की कार्यकारी परिषद पर निजी और सार्वजनिक रूप में आक्रमण करते रहे हैं। मैंने सोउद्देश्य रूप से इसके उत्तर में अब तक कुछ नहीं कहा है। क्योंकि मैं महमूस करता हूँ कि इस विवाद को प्रेस और मंच के बीच से जाना उचित नहीं होगा। लेकिन उनके अभी हाल ही के कथन सुनने के बाद अब अधिक समय तक चुप रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। विशेष रूप से तब जब कि श्री सेनगुप्ता शांतिनायक की मर्यादाओं को लाघ चुके हैं।

श्री सेनगुप्ता और उनके गुट की प्रचारात्मक गतिविधियों के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन इन बातों को मैं किसी बाद के अवसर के लिये बचाए रखूँगा। फिलहाल मैं "जतीननाथ दास स्मारक समिति" तथा चित्तगोग विवाद के संबंध में उनकी टिप्पणियों का जवाब देना चाहूँगा।

महान शहीद का एक उपयुक्त स्मारक बनाने के बारे में कदम उठाने हेतु बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी परिषद की एक बैठक उचित पूर्व सूचना के बाद बुलाई गई। इस सस्था के सदस्य होते हुए भी श्री सेनगुप्ता ने इस बैठक में उपस्थित होने की परवाह नहीं की हालांकि उनके दो साथी बैठक में आए। मैंने बैठक की अध्यक्षता की थी और मुझे भलीभांति याद है कि कमेटी के गठन से संबंधित सभी सुझाव कार्यकारी परिषद ने स्वीकार कर लिये थे। बैठक में यह आम समझ भी उभरी थी कि यदि बाद में दूसरे नाम सुझाये जाते हैं तो उन्हें भी शामिल कर लिया जायेगा।

बैठक समाप्त हुए अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री किरण शंकर राय के पास श्री सेनगुप्ता के घर से टेलीफोन आया और बताया गया कि श्री सेनगुप्ता समिति में नहीं रहना चाहते और वे दूसरी सुबह के अखबारों में अपना नाम नहीं जाने देना चाहते। लगभग उसी समय "फ्री प्रेस" के सम्पादक को टेलीफोन पर श्री सेनगुप्ता का एक सन्देश मिला। का.क. के सचिव ने उत्तर में कहा कि कार्यकारी परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम हटाने का अधिकार उनके पास नहीं है। मैं नहीं समझता कि जल्दबाजी में यह निर्णय लेने से पहले श्री सेनगुप्ता समिति के सदस्यों के नामों से परिचित भी थे और स्मारक समिति के कार्य की शर्तों को भी जानते थे या नहीं। बहरहाल हम सबके लिए यह आश्चर्य की बात थी उनके सभान् स्थिति वाला एक नेता इस तर्ज पर आचरण कर सकता है।

जल्दी ही श्री सेनगुप्ता को अपनी भूल का अहसास हो गया। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे लखनऊ से तार भेजकर बताया कि वे समिति के साथ सहयोग करेंगे लेकिन इस बात पर खेद प्रकट किया कि वे समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं।

श्री सेनगुप्ता ने सभवतः अब यह महसूस किया है यह स्थिति अतिर्विरोधपूर्ण है और अब वे समिति की सदस्यता से मुक्त होने के कारण दूढ़ रहे हैं। इस माह की 8 तारीख के "वसुमति" में उन्होंने कहा है— "समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने को लेकर मेरी अनिच्छा के अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह मात्र चढ़ा एकत्र करने वाली समिति नहीं है बल्कि यह एक ऐसी समिति है जिसे एकत्र राशि को खर्च करने का अधिकार भी है।" मैं श्री सेनगुप्ता को सूचित करता हूँ कि वे जिस समिति की बात कर रहे हैं उसे यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि एकत्र राशि को किस तरह खर्च किया जाये।

श्री सेनगुप्ता जिस अंदाज में आगे कहते हैं वह उन जैसे नेता से सगति नहीं रखता— "बंगाल के मेरे पिछले निजी अनुभवों को देखते हुए और सार्वजनिक धन को खर्च करने के दायित्व को निभाने की मेरी असमर्थता को देखते हुए मैं ऐसी समिति में नहीं रहना चाहता जो जनता की ओर से धन खर्च करने का दायित्व सभाले हुए है।" यदि सेनगुप्ता में पर्याप्त साहस और निर्भीकता है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस प्रकार के छल-कपट में लिप्त न हो बल्कि एकदम खुलकर बोलें। और यदि सचमुच में वे ये मानते हैं कि सार्वजनिक धन को खर्च करने के दायित्व को निभाने में असमर्थ हैं, मुझे आश्चर्य है कि वे एक निगम के प्रमुख कैसे बने रहे जो दो करोड़ रुपये वार्षिक खर्च करता है।

श्री सेनगुप्ता के मन में अखिल चंद्र दत्त योगेन्द्र चंद्र चक्रवर्ती और विजयकृष्ण बोस के प्रति अचानक एक दूरी का भाव जाग्रत हो गया था। यदि वह वास्तव में यह इच्छा रखते थे कि उन्हें स्मारक समिति का सदस्य होना चाहिए तो फिर वह कार्यकारी परिषद की बैठक में क्यों नहीं आए और अपने सुझाव क्यों नहीं रखे? इससे आगे जल्दबाजी में समिति से त्यागपत्र देते समय थोड़ा विराम लेकर हमसे कुछ पूछ-ताछ की? वे श्री दत्त, चक्रवर्ती और बोस या इनसे कमतर व्यक्तित्व वाले किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाने की बाबत अपनी आपत्ति जाहिर करते। मैं कहना चाहूँगा कि उपर्युक्त मज्जनों को सदस्यों के रूप में चुने जाने के विषय में सेनगुप्ता ने जो तर्क

दिया है वह निर्मूल है क्योंकि चुनी गई समिति विशुद्ध रूप से सग्रह समिति है। (तर्क यह था कि धन की देखभाल बगाल में मौजूद लोगों के नियंत्रण में रहे) फिर भी मैं पूरे अधिकार के साथ यह कह सकता हूँ कि सर्वश्री दत्त, चक्रवर्ती और बोस जैसे प्रतिष्ठित लोगों को सदस्य के रूप में चुने जाने पर न कोई आपत्ति थी और न ही कभी होगी।

निष्कर्ष के रूप में श्री सेनगुप्ता 8 तारीख के "वसुमति" में कहते हैं

"क्या कोई निष्पक्ष कांग्रेसी है जो ईमानदारी के साथ यह बता सके कि बगाल कांग्रेस को मुख्यालय की ग्रुप पालिसी का पालन करने से प्रायः हर जिला कांग्रेस समिति में कितने दुःखद परिणाम सामने आये।"

इसी लहजे को बरकरार रखते हुए श्री सेनगुप्ता ने कल के "वसुमति" और "अमृत बाजार" पत्रिका में चित्तगोग विवाद के बारे में लिखा है - "मैं तमाम तथ्यों पर भलीभाँति सोच विचार करने के बाद और दायित्व की पूरी भावना के साथ धोपणा करता हूँ कि इन चर्चियों का अतार्किक रवैया बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी परिषद की उस समूह नीति का परिणाम था जिसने बगाल के प्रत्येक जिले में विभाजन विवादों और उपद्रवों को जन्म दिया है।"

मैं नीचे ब० प्र० का० क० की कार्यकारी परिषद की सूची दे रहा हूँ, जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह सस्था कितनी प्रतिनिधिक है। यह बात याद रखनी चाहिये कि जब नवंबर 1928 में वर्तमान कार्यकारी परिषद को चुना गया था तब श्री सेनगुप्ता और ब० प्र० का० क० के बीच कोई विवाद नहीं था। वह ब० प्र० का० क० की उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें वर्तमान कार्यकारी परिषद को चुना गया था। जैसी की बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सामान्य स्वीकृति थी उन्होंने भी चुनाव का अनुमोदन किया था। चुनाव के भागीदार होने के नाते उनकी जुबान से कार्यकारी परिषद के गठन की आलोचना शोभा नहीं देती। मैं यहाँ तक कहूँगा की श्री सेनगुप्ता को मेरी चुनौती है कि वे कार्यकारी परिषद के सदस्यों की एक सूची तैयार करके दिखाएँ जो कि अपने चरित्र में प्रतिनिधिक हो। आगे मैं सेनगुप्ता को याद दिलाऊँगा चाहूँगा जब उन्होंने बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आग्रह किया था कि उन्हें एक कार्यकारी परिषद मनोनीत करने का अधिकार दिया जाए जो कि उनके प्रति पूरी तरह वफादार हो। लेकिन वर्तमान कार्यकारी परिषद का चुनाव बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्ण बैठक में हुआ था जिसमें कि श्री सेनगुप्ता और उनके सभी साथी उपस्थित थे।

श्री सेनगुप्ता ने विभाजन विवाद, उपद्रवों आदि का हवाला दिया है जो कि उनके मतानुसार बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी परिषद की समूह नीति के द्वारा पैदा किए गये हैं। क्या मैं श्री सेनगुप्ता से पूछ सकता हूँ कि वे उस दिन को भूल गये जब उनके नेतृत्व के बावजूद गुटों और समूहों में टूट कर बिखर गया था और इस प्रात में दो प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का दुःखद दृश्य पैदा हो गया था। क्या ऐसा उस समय नहीं हुआ जबकि देशबन्धु की छत्रछाया उन्हें प्राप्त थी और उन्हें देशबन्धु की भाँति ही संपूर्ण शक्ति, प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त थी क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि 1925 में देशबन्धु से उन्हें कौन सी नीति विरासत में मिली थी और 1927 में

उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को क्या दिया? क्या 1926 और 1927 की तुलना में बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 1928 और 1929 के दौरान का रिकार्ड अलग नहीं दिखाई देता? हालांकि अंतिम दो वर्षों में नेतृत्व बटा हुआ था और बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सेनगुप्ता का आर्थिक सहयोग शून्य रहा था।

ऐसे समय में जबकि हम एक निष्पक्ष नौकरशाही से कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपनी तमाम ताकतों से अपेक्षा करते हैं कि वे एक दिशा में एकजुट हो जायें। अतएव मैं हम सब की मातृभूमि के नाम पर श्री सेनगुप्ता से निवेदन करूंगा कि वे एक पल के लिये जरा सोचें कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर सरेआम आक्रमण करते हुए इस प्रांत में कांग्रेस सगठन को नीचा दिखाना क्या उनकी दृष्टि में उचित है? बंगाल में कांग्रेस अनेक तूफानों और आक्रमणों को झेल चुकी है, चाहे वे भीतर से रहे हो या बाहर से। लेकिन यह हमारे और संपूर्ण प्रांत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि श्री सेनगुप्ता अपनी ऊर्जा प्रभाव और योग्यता को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर आक्रमण करने में खर्च कर दें। इससे विदेशी नौकरशाही के अतिरिक्त किसी का हित नहीं होगा।

सतीन सेन की भूख हड़ताल

सरकार के विश्वासघात की भर्तना करते हुए एक बयान, 15 अक्टूबर, 1929

जब मुझे कलकत्ता में यह चिन्ताजनक समाचार मिला कि बारीसाल जेल में श्री सतीन नाथ सेन की हालत तेजी के साथ बिगड़ रही है और किसी भी क्षण उनका अंत आ सकता है, मैंने उनके भाई श्री हेमचंद्र सेन के जरिए उनके पास सूचना भेजी कि जेल के बाहर उनके तमाम मित्रों और शुभचिंतकों का यह कहना है कि वे उन्हें मिलने का अंतिम अवसर दिये बिना मृत्यु का पीछा न करें। मैंने उनसे यह निवेदन भी किया था कि वे अपने आपको कम से कम कुछ दिनों तक और जीवित बनाए रखें जब तक कि हम बारीसाल पहुंचकर उनका इतरव्यू न कर लें। सौभाग्य से श्री हेमचंद्र सेन उन्हें कुछ आहार ग्रहण करने को राजी करने में सफल हो गये। इसके परिणामस्वरूप मैं जब बारीसाल जेल में उनसे मिला तब उनके अंत के आसन्न खतरे का कोई पता नहीं चला था।

जैसा कि मैं एकाधिक बार कह चुका हूँ, श्री सतीन नाथ सेन की मुख्य तकलीफ यह थी कि सरकार ने उन मामलों को फिर से उठाकर विश्वासघात किया जो कि पटुआ स्वामी समझौते के समय खत्म कर दिये गये थे और सरकार ने जब भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं को असफल होते देखा तो सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की बदनाम धारा 110 का इस्तेमाल किया। एक दूसरी तकलीफ थी उनके खिलाफ बनाया गया मारपीट का मुकदमा। अधिकारियों ने श्री सतीन बाबू और उनके मायियों के साथ जो व्यवहार

किया वह निदनीय और प्रतिशोधात्मक था। उनके रवैये और आचरण की कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए।

फिर भी मैंने सतीन बाबू को समझाने के भरसक प्रयास किये जबकि उनकी तकलीफें जायज थीं, मैं इस बात से कभी भी सतुष्ट नहीं हुआ कि स्थिति में सुधार का एकमात्र तरीका उनका भूख हड़ताल पर बैठ जाना है। यह सच है कि उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने से पहले उन्होंने जनता को उनकी ओर से प्रयास करने का पूरा समय दिया था। उस समय उनका चीजों को अपने हाथ में लेना उचित ही था जबकि उन्होंने देखा कि कई महीने इतजार करने के बाद भी जनता के आंदोलन से कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका है।

लेकिन समूचा प्रात उल्लेखित था और जनता का रोप और अमतोष बहुत बढ़ चुका है। उन्हें चाहिए कि वे स्थिति को जनता के हाथों में सौंप दे और भूख हड़ताल तोड़ दें। जो व्यक्ति सतीन बाबू को ठीक से जानता है उसे कोई संदेह नहीं है कि वे इतने बहादुर और निर्भीक हैं कि यदि बलिदान की जरूरत पड़ती है तो वे हसते हसते मृत्यु को गले लगा लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि अभी वह अवसर नहीं आया है। उन्हें सतुष्ट करने के लिए मैंने उनके सामने दो महत्वपूर्ण बिंदु रखे। पहला भारत में अंग्रेजी राज के इतिहास में सरकार द्वारा विषवासघात कोई पहली घटना नहीं है। इसके त्रिपरीत भारतीयों के मतानुसार भारत में अंग्रेजी राज का इतिहास मधियों के टूटने का इतिहास रहा है इसके बाद यदि हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि वह 1929 में विषवासघात नहीं करेगी तो यह एक तरह से उनकी प्रशंसा होगी जिसकी कि वह पात्र नहीं है। दूसरे देश की मौजूदा परिस्थितियों में उनका मृत्यु की ओर अग्रसर होना सिर्फ विदेशी नौकरशाही को मददगार साबित होगा। जब कार्यकारिणी ने सतीन बाबू को अपनी रास्ते का एक काटा समझा तो इस काटे के रास्ते से हट जाने का उनमें स्वागत किया।

उनमें बातचीत के दौरान उभरे इन तमाम तर्कों का कुछ असर हुआ और सतीन बाबू बड़ी मुश्किल के साथ भूख हड़ताल तोड़ने पर राजी हुए लेकिन उन्होंने माफ़ कह दिया था कि वे सिर्फ उतना स्वल्पाहार लेंगे जिसमें वे जीवित बने रहें। फिर निष्कर्ष रूप में उन्होंने कहा कि यदि जनता का आंदोलन उनकी तकलीफों को दूर करने में नाकाम रहता है तो उन्हें भूख हड़ताल का रास्ता अपनाने की आजादी होगी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके कष्टों को दूर करने के हर सभ्य प्रयत्न किये जायेंगे।

इन परिस्थितियों के तहत सतीन सेन को अपना उपवास समाप्त करने के लिए राजी किया गया। उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जो सतीन सेन के प्रति लगाव महसूस करते हैं और जिन्होंने उनकी ओर से आंदोलन किये मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि श्री सेन की तकलीफें अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट का निर्णय जो भी रहे लेकिन सतीन सेन के कष्ट निवारण की दिशा में शांतिपूर्ण और वैधानिक कार्यवाहियां जारी रहनी चाहिए। अतएव हमें सकल्प करना चाहिए कि हम श्री सतीन सेन के सम्मान की रक्षा हेतु यथाशक्ति प्रयास करें और आपराधिक प्रक्रिया महिता के धारा 110 का राजनैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की दुष्प्रवृत्ति पर हमेशा के लिए रोक लगायें।

पंजाब और बंगाल, छात्र और राजनीति

पजाबी छात्र सम्मेलन के लाहौर सत्र में भाषण

19 अक्टूबर, 1929

पजाब के बहनों व भाईयो

पचनद की पवित्र भूमि में मेरे प्रथम आगमन के अवसर पर आपने मेरा जो आत्मीयतापूर्ण स्वागत किया है, इस हेतु में आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने जो सम्मान मुझे दिया है, मैं उसके कितने योग्य हूँ? आज मैं यही कामना करता हूँ कि स्वयं को उस दयालुता और अपनत्व के योडा भी योग्य साबित कर सकूँ जो यहाँ मुझे आपसे प्राप्त हुई है।

यहाँ आपने मुझे कलकत्ता जैसी दूर जगह से भाषण के लिए बुलाया है। यहाँ मैं आपके निमंत्रण को सम्मान करने हेतु आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपने तमाम लोगों में से मुझे ही क्यों बुलाया? क्या इसलिए कि पूर्व और पश्चिम को अपनी सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु परस्पर मिलना चाहिए? क्या इसलिए कि बंगाल अंग्रेजी शासन के अधीन आने वाला प्रथम राज्य है और पराधीन होने वालों में पजाब सबसे अंतिम है, इसलिए दोनों का मिलना जरूरी है? या इसलिये कि हमारे भीतर कोई चीज सामान्य है और हम आप एक जैसे विचारों के हैं तथा अपने भीतर एक जैसी आकांक्षाएँ लिए हुए हैं?

नियति का यह कैसा कटाक्ष है कि आपने मेरे रूप में एक ऐसे व्यक्ति को जो एक बार विश्वविद्यालय से छात्र जीवन में निष्काशित किया जा चुका था, यहाँ लाहौर में छात्रों को संबोधित करने हेतु बुलाया है। क्या आपको इस बात पर आपत्ति होगी यदि हमारे बुजुर्ग यह शिष्यागत करे कि अब समय अनुकूल नहीं है क्योंकि नये-नये विचार दुनिया में आगे आ रहे हैं। यदि आपने मुझे मेरे पिछले इतिहास की पूरी जानकारी के साथ आमंत्रित किया है तो जो मैं कहने जा रहा हूँ, आप उसका वास्तव में पूर्वानुमान कर लेंगे।

मित्रों, आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं शुरू में ही अपने मन में तरंगे लेती हुई कृतज्ञता की भावनाओं को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करना चाहूँ। हो सकता है मेरी अभिव्यक्ति उतनी सशक्त न हो। मैं कृतज्ञ हूँ कि पजाब, विशेष रूप से पजाब के युवाओं ने जतींद्र नाथ दास और उनके सह-पीड़ितों की उस समय बहुत सहायता की थी जब वे पजाब की जेलों में बंद थे। पजाब के युवाओं ने उनकी सुरक्षा के जो प्रबंध किए, उनके प्रति उत्सुकता और चिंता प्रकट की जब वे भूख हड़ताल पर बैठे तो उनके प्रति सहानुभूति जताई, जतीन के जीते जी और उसकी मृत्यु के बाद भी जो स्नेह और सम्मान दिया गया—ये सब बातें बंगाल के लोगों के हृदय में बहुत गहरे में समाई हुई हैं।

रक्षा समिति के सदस्यों ने जतीन की जो लाहौर में सहायता की थी वे उससे सतुष्ट नहीं थे। अतएव रक्षा समिति के सदस्यगण इस महान शहीद की पार्थिव अवशेषों को लेकर कलकत्ता आए और ये अवशेष हमें सौंप दिए। हम भावुक लोग हैं और आपके हृदय की उदारता ने हमें जो स्नेह दिया है वह अकथनीय है। बंगाल आभार और कृतज्ञता के साथ वह सब याद रखेगा जो कि पजाब ने उसके बुरे दिनों में उसे दिया है।

एक दिन डा० आलम जैसे आपके महान नेता ने महान शहीद का हवाला देते हुए कलकत्ता में कहा था कि जिस तरह सूर्य पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है और जिस तरह सूर्यास्त के पश्चात् चन्द्रोदय होता है और फिर वह पश्चिम से पूर्व की वापसी यात्रा करता है ठीक उसी प्रकार जतीन ने अपने जीवन को जीते हुए मृत्यु का वरण किया। उसने जीवन के आह्लाद के साथ कलकत्ता से लाहौर की यात्रा की और मृत्यु के बाद उसके पार्थिव अवशेष वापस कलकत्ता आ गए वे मात्र एक निर्जीव मिट्टी के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र, श्रेष्ठ और दैवीय प्रतीक के रूप में वापस आए। जतीन आज भी मृत नहीं है वह भावी पीढ़ियों को आलोकित करने के लिए एक शुद्ध और स्वच्छ नक्षत्र के रूप में आकाश में आज भी जीवित है। वह अपने अमर बलिदान और दिव्य पीडा के रूप में आज भी विद्यमान है। वह मानवता के पवित्रतम आदर्श और प्रतीक के रूप में आज भी अस्तित्ववान है। मेरा यह विश्वास है कि उसने अपने आत्मबलिदान के द्वारा न केवल देश के आत्मा को जाग्रत किया है बल्कि उसने दो प्रांतों के बीच अमिट सबंध बना दिए हैं—एक, जहां उसका जन्म हुआ दूसरा, जहां उसकी मृत्यु हुई अतः मुझे आपके इस महान शहर से ईर्ष्या होती है जो कि एक तपस्या क्षेत्र— इस आधुनिक दर्धीचि की तपोभूमि रहा है।

हम जैसे-जैसे आजादी की सुबह की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे हमारी यातनाओं का पैमाना बढ़ता जा रहा है। ये स्वाभाविक है कि दूसरी जगह के तानाशाहों की तरह अपने हाथ से सत्ता को खिसकते हुए देखकर हमारे शासक भी दिन ब दिन कठोर होते जाएं। इस बात से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वे धीरे-धीरे सभ्यता के तकाजों को छोड़ दें और अपने ऊपर से शालीनता का आवरण हटा दें जिससे कि वे जनता के ऊपर खुलकर और निस्संकोच भाव से नूखनी घूस से प्रहार कर सकें। इस समय पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर दमन चक्र चल रहा है वास्तव में यह एक बधाई की बात है कि इसके द्वारा हम एक प्रभावशाली तरीके के साथ स्वराज की ओर बढ़ रहे हैं। इसके विपरीत, देशभक्त नेताओं का निर्माण दमन यातना अवमानना और पीडा के माध्यम से ही होता है इसलिए हमें दमन का हार्दिक स्वागत करना चाहिये और अपने हित में इसका पूरा उपयोग करना चाहिए।

शायद आपको कुछ ज्ञात होगा कि बंगला साहित्य ने स्वयं को समृद्ध करने तथा अपने पाठकों को समुन्नत करने के उद्देश्य से पंजाब के आरंभिक इतिहास से कितना कुछ ग्रहण किया है? रवीन्द्रनाथ टैगोर सहित हमारे महान कवियों ने आपके वीरों की गाथाओं पर रचनाएँ लिखी हैं और उनका गान किया है। इनमें से कुछ आज भी हर बंगाली घर में सुनने को मिल जाएगी। हमारे सतों की वाणियों कर अनुवाद परिष्कृत बंगला में किया जा चुका है। ये वाणियाँ असंख्य बंगालवासियों की प्रेरणा-का स्रोत रही हैं। इस सांस्कृतिक संपर्क का दूसरा रूप राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देता है। हम देखते हैं कि हमारे और आपके "राजनीतिक तीर्थयात्री" केवल भारत की जेलों में ही नहीं बल्कि दूरस्थ बर्मा और समुद्र पार अडमान के जंगलों में भी एक दूसरे से मिलते रहे हैं।

मित्रो, मैं इस बात के लिए खेद नहीं जता पाऊंगा कि मैं अपने इस भाषण में राजनीतिक प्रश्नों और उनके समाधान के तरीकों पर ज्यादा बल दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं—यहां तक कि कुछ प्रतिष्ठित लोग भी उनमें शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि एक

“गुलाम देश की कोई राजनीति नहीं होती” और विधार्थियों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे विचार से एक गुलाम देश के पास और कुछ नहीं सिर्फ राजनीति ही होती है। एक पराधीन देश की समस्याओं का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो अपने अंतिम रूप में वे राजनीतिक समस्याएँ प्रतीत होंगी जैसे कि स्वर्गीय देशबन्धु सी० आर० दास कहा करते थे—जीवन संपूर्ण होता है—अतएव आप राजनीति को अर्थशास्त्र या शिक्षा से अलग नहीं कर सकते। मानवीय जीवन को खानो में नहीं बाटा जा सकता। राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्ष परस्पर अतर्सम्बद्ध हैं और तमाम समस्याएँ परस्पर अंतर्ग्रहित हैं। इस हालत में एक पराधीन जाति में तमाम दोषों और त्रुटियों की जड़े राजनीतिक कार्य में खोजी जा सकती हैं। यह राजनीतिक कार्य है हमारी राजनीतिक गुलामी। इसके बाद विधार्थी हमारी राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त करने की मूलभूत समस्या की ओर से आखे बंद नहीं रख सकते।

मैं यह बात नहीं समझ पा रहा कि यदि सामान्य राष्ट्रीय कार्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो विशेष रूप से राजनीति में भागीदारी पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया जाना चाहिए। पूरे राष्ट्रीय कार्य पर प्रतिबन्ध लगाने की बात समझ में आती है लेकिन सिर्फ राजनीतिक कार्य पर प्रतिबन्ध को कोई अर्थ नहीं है। यदि एक पराधीन देश में सभी समस्याएँ मूलभूत रूप से राजनीतिक समस्याएँ हैं तब सभी राष्ट्रीय गतिविधियाँ अपने चरित्र में राजनीतिक होंगी। किसी स्वतंत्र देश में राजनीति में भागीदारी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है—इसके विपरीत विधार्थियों को राजनीति में उतरने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रोत्साहन जानबूझकर इसलिए दिया जाता है कि विधार्थी वर्ग के बीच से ही राजनीतिक चिंतक और राजनेता उभर कर आते हैं। यदि भारत में छात्र राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेगे तो हम अपने राजनीतिक कार्यकर्ता कहाँ से चुनेंगे और हम उन्हें प्रशिक्षण कहाँ देंगे। इससे भी आगे यह स्वीकार करना चाहिए कि चरित्र के विकास और मनुष्यता के लिए राजनीति में भागीदारी परम आवश्यक है। क्रियाविहीन विचार से चरित्र निर्माण संभव नहीं है। इस कारण चारित्रिक विकास के लिए स्वस्थ राजनीतिक सामाजिक कलात्मक आदि गतिविधियों में शिरकत आवश्यक है। विश्वविद्यालयों का लक्ष्य सिर्फ किताबी कीड़े स्वर्ण पदक विजेता और आफिस क्लर्कों को पैदा करना नहीं है बल्कि ऐसे चरित्रवान व्यक्तियों को निर्माण करना है जो जीवन के विविध क्षेत्रों में अपने देश को महान बनाते हुए स्वयं महान हो जायेंगे।

इस समय देश भर में एक सच्चे छात्र आंदोलन के उदय को उत्साहजनक लक्षण कहा जा सकता है। मैं इस आंदोलन को व्यापक युवा आंदोलन के एक चरण के रूप में देखता हूँ। आज का यह छात्र सम्मेलन पिछले दशक की छात्र गतिविधियों से बहुत भिन्न है। सामान्यतया पहले ये गतिविधियाँ सरकारी देख-रेख में होती थीं। प्रवेश द्वार के बाहर यह वाक्य लिखा रहता था— ‘यहाँ राजनीति पर चर्चा नहीं होगी’। इन सम्मेलनों की तुलना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन आरंभिक सत्रों से की जा सकती है। जहाँ पहला प्रस्ताव सम्राट के प्रति अपनी वफादारी जताने के सबंध में पारित किया जाता था। हम सौभाग्य से न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बल्कि छात्र आंदोलन में भी इस मजिल को पार कर चुके हैं। आज के छात्र सम्मेलन तुलनात्मक रूप से खुले वातावरण में होते हैं और इनमें भागीदारी करने वाले जैसा चाहते हैं विचार विमर्श करते हैं। सिर्फ भारतीय दंड संहिता के प्रतिबन्धों का ध्यान रखना पड़ता है।

आज के युवा आंदोलन में वर्तमान परिदृश्य को लेकर असंतोष और बेचैनी का भाव है उसमें चीजों को एक नये और ज्यादा बेहतर रूप में देखने की तीव्र आकांक्षा है। दायित्व बोध और एक आत्मनिर्भरता का भाव इस आंदोलन को विस्तार प्रदान करता है। आज का युवा इस बात में मत्तुष्ट नहीं है कि संपूर्ण दायित्व वरिष्ठ लोगों को सौंप दिए जाए। उसके बजाय वे महसूस करते हैं कि बुजुर्ग पीढ़ी की तुलना में देश और देश के भविष्य को सबध नई पीढ़ी से ज्यादा है और इसलिए उनका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे अपने देश के भविष्य के संपूर्ण दायित्व स्वीकार करें और स्वयं को इस दायित्व निर्वाह के योग्य बनायें। व्यापक युवा आंदोलन के एक चरण के रूप में छात्र आंदोलन भी ठीक वैसे ही दृष्टिकोण मनोविज्ञान और लक्ष्य से प्रेरित है।

आज का छात्र आंदोलन ऐसे दायित्वशील और गतिशील युवक-युवतियों को आंदोलन नहीं है जो व्यक्तित्व और चरित्र-निर्माण के आदेश से प्रेरित हो। इस आदर्श के रहते हुए ही देश का कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इस आंदोलन की दो प्राथमिकताएँ हैं या होनी चाहिए। पहले, इसे विशेष रूप से सिर्फ विद्यार्थी वर्ग की समस्याओं की समझना चाहिए और उनके शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरे भविष्य के नागरिक के रूप में उन्हें जीवन सग्राम में उतरने योग्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस हेतु उन्हें उन समस्याओं और गतिविधियों से वाकिफ कराना जरूरी है जिनका कि उन्हें भावी जीवन में प्रवेश करते समय सामना करना पड़ेगा।

छात्र आंदोलन के पहले पक्ष का, जिसकी ओर मैंने अभी संकेत किया है सत्ता और प्रभुत्व वर्ग द्वारा विरोध नहीं हो सकता लेकिन आंदोलन के दूसरे पक्ष को कई बार हतोत्साहित और नष्ट-भ्रष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। यह बताना मुझे जरूरी नहीं लगता कि आंदोलन की पहली मद में आपको क्या करना चाहिए? यह कुछ तो आपकी आवश्यकताओं और न्यूनताओं पर निर्भर करता है तथा कुछ इसका सबध शिक्षा अधिकारियों द्वारा इन आवश्यकताओं और न्यूनताओं को पूरा करने के प्रयत्नों से है। हर विद्यार्थी को एक स्वस्थ शरीर, सुदृढ़ चरित्र और नई सूचनाओं व गतिशील विचारों से मुक्त मस्तिष्क चाहिए। यदि अधिकारीगण विद्यार्थियों के शारीरिक चारित्रिक और बौद्धिक विकास की उचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो यह व्यवस्था आपको करनी होगी। यदि अधिकारी गण इस दिशा में किये गये आपके प्रयत्नों में सहयोग करते हैं तो बेहतर है। न भी करे तो उन्हें छोड़िए, आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। आपका जीवन अपना है। इसे विकसित करने का दायित्व किसी दूसरे से ज्यादा आप स्वयं का है।

इस सिलसिले में मेरा एक सुझाव है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी इच्छा है कि हमारे छात्र सच अपने-अपने कार्यक्षेत्र में केवल विद्यार्थियों के लाभार्थ सहकारी स्वदेशी स्टोर कायम करें। यदि ये स्टोर विद्यार्थियों द्वारा ठीक तरह से चलाये जाते हैं तो इनसे दोहरा मतलब हल होगा। इससे एक ओर जहाँ विद्यार्थियों को स्वदेशी वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी साथ ही गृह उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर इससे हमारे विद्यार्थी सहकारी स्टोर चलाना सीखेंगे और लाभ के रूप में प्राप्त राशि को छात्र कल्याण के कार्य में खर्च कर सकेंगे। शारीरिक सस्कृति सभाएं, जिम्नाजियम, अध्ययन वृत्त, पत्रिकाएं, संगीत क्लब,

पुस्तकालय और वाचनालय तथा समाजसेवी संस्थाएँ आदि छात्र कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

छात्र आंदोलन का एक अन्य और सभ्यतः अधिक महत्वपूर्ण पक्ष भावी नागरिकों को प्रशिक्षण देना है। यह प्रशिक्षण बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार का होगा। हमें विद्यार्थियों के समक्ष एक आदर्श समाज की झलक रखनी होगी जिसे कि अपने जीवन-काल में ही साकार करने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। ठीक इसी समय उनके लिए एक कार्यक्रम भी तैयार किया जाना चाहिए जिस पर वे अपनी योग्यतानुसार अमल कर सकें ताकि एक विद्यार्थी के रूप में कार्य करते हुए वे विश्वविद्यालय के बाद के कैरियर हेतु स्वयं को तैयार कर सकें। इस प्रकार की गतिविधियों में अधिकारियों से टकराव की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस टकराव का होना या न होना शैक्षिक अधिकारियों के नजरिए पर निर्भर करता है। यदि दुर्भाग्य से यह टकराव होता है तब इसका कोई चारा नहीं है और विद्यार्थियों को यह मन बना लेना चाहिए कि वे निर्भीक एवं स्वावलम्बी बने तथा विश्वविद्यालय के बाद के जीवन के लिए विचार और क्रिया के माध्यम से अपने-आपको तैयार करें।

इससे पहले कि मैं आदर्श विषयक अपनी धारणा से आपको अवगत कराऊँ जिसे हमें अपने हृदय में सजोना है मैं आपकी इजाजत से थोड़ा विषय से हटकर अपनी बात कहना चाहता हूँ जो एकदम अप्रसंगिक नहीं होगी। ऐसा कौन-सा एशियावासी होगा जिसे यूरोप के पैरों में एशिया को गिरा देखकर दुःख न हो? लेकिन आप इस ख्याल को मन से निकाल दें कि एशिया की यह हालत सदा से ऐसी ही थी। आज यूरोप मालिक है लेकिन एक जमाना था जब एशिया मालिक था। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में एशिया ने यूरोप के बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और उन दिनों यूरोप को एशिया का डर बना रहता था। अब हालत बदल गये हैं लेकिन भ्रम चक्र अब भी घूम रहा है और निराशा की कोई बात नहीं है। एशिया फिलहाल दासता का जुआ उतार कर फेकने की कोशिश में है और वह दिन दूर नहीं जब अतीत के अघकार के वीच से एक सशक्त एवं गौरवशाली नये एशिया का उदय होगा और स्वतंत्र राष्ट्रों की सभा में उसे एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा।

इस शाश्वत पूर्व की कभी-कभी पश्चिम के लोगों द्वारा रूढ़िवादी कह कर ठीक वैसे ही कलंकित किया जाता रहा है जैसे कि एक समय तुर्की को एशिया का भीमार आदमी कहा जाता था। लेकिन यह बात संपूर्ण एशिया या अकेले तुर्की पर लागू नहीं होनी चाहिए। आज जापान से लेकर तुर्की और साइबेरिया से लेकर श्रीलंका तक समूचा पूर्व गतिशील है। जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ प्रगति होगी। वहाँ प्रथा, सत्ता और परम्परा से संघर्ष होगा। पूर्व तब तक रूढ़िवादी रहेगा जब तक वह रहना चाहेगा लेकिन एक बार जब उसकी जड़ता टूटी तो वह पश्चिमी राष्ट्रों से भी ज्यादा गफ्तार के साथ प्रगति करेगा। यह है, जो आजकल एशिया में हो रहा है।

हमसे कभी-कभी पूछा जाता है कि जो गतिविधियाँ और आंदोलन एशिया-विशेष रूप से भारत में हो रहे हैं, क्या इन्हें वास्तविक जीवन के लक्षण कहा जा सकता है? अथवा ये आंदोलन बाह्य

उत्तेजक तत्वों के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया भर है? हमें यह निश्चय करना होगा कि ये आंदोलन निर्जीव मासपेशियों की थिरकन भर नहीं है। मेरा विचार है कि रचनात्मक गतिविधि जीवन का स्वाद देती है और जब हम पाते हैं कि हमारे आज के आंदोलन मौलिक और रचनात्मक प्रतिभा से मुक्त हैं तो हम वाकई एक राष्ट्र के रूप में जीवित हैं तथा हमारे राष्ट्रीय जीवन के त्रिभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देने वाला नया उभार मही मायनों में पुनर्जागरण है।

वर्तमान भारत में हम विचारों के एक भवर में फसे हुए हैं। सभी दिशाओं से असख्य धाराएँ प्रतिधाराएँ और अतर्धाराएँ बहती जा रही हैं। विचारों का एक विचित्र टालमेल चल रहा है एक भ्रमात्मक स्थिति पैदा हो गयी है। इस भ्रम के रहते हुए एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है कि वह अच्छे-दुरे और सही-गलत विचारों में भेद कर सके।

यदि हमें अपने देश का कायाकल्प करना है और उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुँचाने वाले मार्ग की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए।

भारतीय सभ्यता अधकार युग से अभी-अभी उभरी है और अब एक नये जीवन में प्रवेश कर रही है। एक समय था जब कि यह खतरा बना हुआ था कि कहीं फोनेशिया और बेबीलोन की भाँति इस सभ्यता का भी अंत न हो जाये। लेकिन इसने समय के आघातों को सहकर प्राणशक्ति को बचाये रखा। यदि हम देश के कायाकल्प की प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों की दुनिया में क्रांति लानी होगी और जैविक स्तर पर रक्त का परस्पर मिश्रण करना होगा। हमें इतिहास की आवाज और मर पिलडर्स पैट्रिक जैसे विचारकों की राय को स्वीकार करना पड़ेगा कि केवल इसी तरीके से पुरानी और थकी-मादी सभ्यताओं को नया जीवन प्रदान किया जा सकता है। यदि आपको मेरे विचारों से इतिहास नहीं है तो आप सभ्यताओं के उत्थान-पतन के नियमों को अपने निजी प्रयासों से खोजिए। एक बार इस नियम को खोजने में सफल हो गये तो हम अपने देशवासियों को यह समझाने में सक्षम होंगे कि इस प्राचीन भूमि पर एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण हेतु हमें क्या-क्या करना जरूरी है। यदि हमें वैचारिक क्रांति लानी है तो पहले हमें अपने सामने एक आदर्श रखना होगा जो कि हमारे जीवन-पथ को आलोकित करेगा। यह आदर्श है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसकी अनेक अर्थ-छवियाँ हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में स्वतंत्रता की धारणा में विकास की प्रक्रिया रही है। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय सर्वांगीण स्वतंत्रता से है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के साथ-साथ समाज के लिए स्वतंत्रता पुरुष के साथ साथ स्त्री के लिए स्वतंत्रता अमीर के साथ-साथ गरीब के लिए स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों और वर्गों के लिए स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता में सिर्फ राजनीतिक दासता से मुक्ति निहित नहीं है बल्कि इनमें धन का समान वितरण जाति व्यवस्था तथा सामाजिक विषमताओं का अंत सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का उन्मूलन भी शामिल है। चतुर स्त्री-पुरुषों को यह आदर्श अत्यावहारिक सा प्रतीत हो सकता है लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूल को शांत कर सकता है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन की भाँति स्वतंत्रता के भी विविध पक्ष हैं। ऐसे लोग भी हैं जो स्वतंत्रता पर बात करते हुए उनके कुछ विशिष्ट पक्षों तक ही सीमित रहते हैं। स्वतंत्रता की सर्कीर्ण धारणा

से मुक्त होने और सपूर्ण व व्यापक धारणा तक पहुँचने में हमें कई दशक लगे हैं। यदि हम वास्तव में स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं और सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए बल्कि सच्चे मन से प्रेम करते हैं तब यह बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए कि सच्ची स्वतंत्रता के मायने न केवल व्यक्ति को बल्कि सपूर्ण समाज को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कराना है। मेरी समझ से यह हमारे युग का आदर्श है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता और मुक्त भारत के इस स्वप्न पर मेरी आत्मा मुग्ध है।

स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह सोचें और महसूस करें। हमारे समाज में एक पूर्ण क्रांति होनी चाहिए और हमें आजादी की शराब के नशे में गर्क हो जाना चाहिए। जब हमारे मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जाग्रत होगी तब हम सक्रियता के समुद्र में कूदने के लिए दौड़ पड़ेगे। कोई चेतावनी की आवाज हमें रोक नहीं सकेगी और सत्य का आकर्षण हमें अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रेरित करेगा।

मित्रो, अपने जीवन-लक्ष्य को लेकर मैं जो महसूस करता हूँ, सोचता हूँ और मेरी मौजूदा गतिविधियों की पीछे जो प्रेरक शक्ति है, इसके बारे में ही आपको कुछ बताने का प्रयास मैंने किया है। मैं नहीं जानता कि ये बातें आपको आकर्षित करेंगी या नहीं। लेकिन एक बात मेरे मन में बहुत साफ है कि जीवन का एक उद्देश्य है, वह है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। स्वतंत्रता के बाद की भूल आत्मा का एक गीत है और नवजात शिशु की सबसे पहली चीज उन बंधनों के खिलाफ एक चीख होती है जिनके बीच वह स्वयं को महसूस करता है। आप अपने और अपने देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की इस लालसा को अकुरित होने दीजिए, मुझे यकीन है कि भारत जल्दी ही आजाद होगा।

यहां तक कि एक अधःशक्त ठहराये जाने का खतरा उठाते हुए मैं अपने देशवासियों से यह कहना चाहूंगा कि भारत के पास पूरा करने के लिए एक मिशन है और इसीलिए आज भारत जीवित है। इस "मिशन" शब्द में कुछ भी रहस्यवादी तत्व नहीं है। भारत के पास ऐसा बहुत कुछ मौलिक है जो वह विश्व की सस्कृतियों और सभ्यताओं को जीवन के विविध पक्षों में दे सकता है। आज के अपमानजनक हालात के बीच वह जो योगदान कर पा रहा है, निश्चय की कम है। जरा एक क्षण के लिए सोचिए तब उसका योगदान कितना महान होगा जबकि वह अपने सिद्धांतों और अपनी अपेक्षाओं के अनुसार विकास करने के लिए स्वतंत्र हो जायेगा।

देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं-उनमें कुछ प्रतिष्ठित और सम्प्रणीय व्यक्ति भी शामिल हैं, जो स्वतंत्रता के सिद्धांत को सपूर्ण रूप में लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। हमें खेद है कि हम उन्हें सुना नहीं कर सकते लेकिन हम किसी भी स्थिति में सत्य, न्याय और समानता पर आधारित लक्ष्य को त्याग नहीं सकते। हम अपने मार्ग पर चलेंगे। भले ही कोई हमारे साथ आये या न आये। लेकिन एक बात आप निश्चित मानिये कि यदि कुछ लोग हमारा साथ छोड़ भी देंगे तो हजारों-हजार लोग हमारी आजादी की फौज में शामिल भी होंगे। इसलिए हम दासता, अन्याय और असमानता से कोई समझौता न करें। मित्रो, समय आ गया है कि सभी स्वतंत्रता प्रेमी अपने-आपको सुसज्जित भ्रातृत्व के एक सूत्र में बांध लें और आजादी की फौज का निर्माण करें।

यह फौज सिर्फ सिपाहियों को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं भेजेगी बल्कि स्वतंत्रता के मत को प्रचारित करने के लिए मिशनरियों को भी भेजना चाहिए। ये मिशनरी और सिपाही आपके बीच में से ही आने हैं। हमें अपनी कार्यवाही के कार्यक्रम में एक ओर छोटे और बड़े पैमाने पर प्रचार को शामिल करना होगा दूसरी ओर एक देशव्यापी स्वयंसेवी संगठन खड़ा करना होगा। हमारे मिशनरियों को किसानों और फैक्ट्री मजदूरों के बीच जाना होगा और उन्हें यह नया संदेश देना होगा। उन्हें युवाओं को प्रेरणा देनी होगी और देश भर में युवा संगठन खड़े करने होंगे। अंतिम लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें देश के संपूर्ण नारी समाज को जाग्रत करना है— क्योंकि अब नारी को समाज तथा राष्ट्र में पुरुष की सहभागी के रूप में अपना स्थान पाने के लिए आगे आना चाहिए।

मित्रो, आज आप में से अनेक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का प्रशिक्षण ले रहे होंगे। निस्संदेह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय संगठन है और इसी पर हमारी आशाएं टिकी हुई हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपनी मजबूती प्रभाव और शक्ति के लिए मजदूर आंदोलन, युवा आंदोलन, किसान आंदोलन, नारी आंदोलन और छात्र आंदोलनों पर निर्भर करती है या निर्भर करना चाहिए। यदि हम अपने मजदूरों किसानों दलित वर्गों युवाओं और विद्यार्थियों को मुक्त कराने में सफल हो गये तब हम देश में ऐसी ताकत को उभारने में सक्षम होंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का सशक्त औजार बना देगी। अतएव यदि तुम प्रभावशाली रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा करना चाहते हो तो आपको उन आंदोलनों को आगे बढ़ाना होगा जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया है।

चीन हमारा पड़ोसी है। जरा ताजे चीनी इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर देखिए। देखें कि चीनी विद्यार्थियों ने अपनी मातृभूमि के लिए क्या किया है? आधुनिक चीन में पुनर्जागरण अधिकांशतः वहाँ के छात्र-छात्राओं की गतिविधियों के कारण संभव हुआ है। एक ओर वे स्वतंत्रता का नया संदेश सुनाने के लिए गांव कस्बों और फैक्ट्रियों में गये। दूसरी ओर उन्हें इस सिरे से लेकर उस सिरे तक समूचे देश को एक सूत्र में बांध दिया। हमें भारत में ठीक यही करना होगा। स्वतंत्रता पाने का कोई शाही रास्ता नहीं है। निस्संदेह स्वतंत्रता का मार्ग कटक-कफ़ीर्ण है लेकिन यह वह मार्ग है जो गौरव और अमरत्व तक भी पहुंचायेगा। हमें अतीत में मुक्त होना है हमें युगो-युगों की बेड़ियों को तोड़ना है और सच्चे तीर्थयात्रियों की भांति कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन और स्वतंत्रता के प्रयास में मृत्यु का अर्थ है शाश्वत और सर्वोच्च गौरव। आओ, हम स्वतंत्र होने या कम से कम स्वतंत्रता के प्रयास में आत्मोत्सर्ग करने का संकल्प करें, हम अपने आचरण एवं चरित्र से यह प्रदर्शित करें कि हम महान शहीद यतींद्रनाथ दास के देशवासी होने के योग्य हैं।

पंजाब के युवकों से अपील

लाहौर, 24 अक्टूबर 1929

मैं जबकि लाहौर में हूँ, मैं अपने पंजाब के युवा मित्रों से पूरे जोर के साथ अपील करना चाहूँगा कि ऐसे समय में जबकि उनके अनेक देशभक्त साथी जेलों में बंद हैं वे अपने कर्तव्य के दारे में सोचें। यदि वे पीड़ित हैं तो हमारी खुशहाली के लिए हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके इस बलिदान से हम एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में जी सकते हैं। यदि वास्तव में हम उनसे प्रेम करते हैं और उनके त्याग और कष्टों के लिए उनका आदर करते हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम देश के कार्य में प्राण-पर्ण के साथ जुट जायें।

सरकार की दमन नीति पूरी गति से जारी है और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल भी हो जायेगी यदि पंजाब के युवा तत्काल नहीं जागेगे। इस दमन नीति का माकूल जवाब यह है कि युवा लोग सरकार को जता दें कि एक कार्यकर्ता यदि जेल भेजा जाता है तो उसकी जगह काम करने के लिए हजारों लोग तैयार हैं। विद्यार्थियों पर इस बात की बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वे युवाओं में सबसे अग्रणी हैं।

यदि कालेज अधिकारी या सरकार विद्यार्थियों के स्वयंसेवी बनने के मार्ग में बाधा डालते हैं, मैं समझता हूँ इन बातों को नजरअदाज करना विद्यार्थियों का पवित्र कर्तव्य है और उन्हें निर्भीकता के साथ अपना दायित्व निर्वाह करना चाहिए। दूसरे देशों के भाँति भारत के विद्यार्थियों को भी देश की सेवा करने और राजनीति में सक्रिय भाग लेने का अधिकार है। यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मैं युवाओं से विशेष रूप से विद्यार्थियों से पूरे जोर के साथ अपील करूँगा कि हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखा दें।

उन्हें स्वयंसेवी प्रशिक्षण का कोर्स पूरा करना चाहिए और जब कांग्रेस की सभा हो तो अनुशासन और सक्षमता के साथ काम करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस अधिवेशनों के सफलता बहुत कुछ स्वयंसेवी दल की सक्षमता और अनुशासन पर निर्भर करती है। वीरता की इतनी गौरवशाली परंपरा के रहते हुए पंजाब के युवाओं को एक सक्षम स्वयंसेवी दल का निर्माण करना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ प्रयत्न करने की जरूरत है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह कोई ज्यादा दूर नहीं है। अतएव, विद्यार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवार्थ स्वयंसेवी के रूप में सामने आकर अपने बंदी नेताओं और अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करना है।

सेवा दल की सहायता के लिए अपील

लाहौर, 24 अक्टूबर, 1929

स्वयंसेवियों के चयन और प्रशिक्षण का अखिल भारतीय सगठन "हिंदुस्तानी सेवा दल" कई वर्षों से काम कर रहा है। इस अवधि के दौरान कार्यक्रम को सहयोग के रूप में एक अखिल भारतीय स्वयंसेवी अधिवेशन आयोजित करने की परंपरा रही है। इस वर्ष भी लाहौर में वार्षिक स्वयंसेवी अधिवेशन आयोजित हो रहा है।

देश में स्वयंसेवी सगठनों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी मुख्यालय की आवश्यकता पर कोई भारतीय प्रश्नचिह्न नहीं लगायेगा। देश के कुछ निश्चित भागों में हिंदुस्तानी सेवा दल ने अनेक मूल्यवान कार्य किये हैं। यदि इसके पास कार्यकर्ता और धन अधिक हो तो निश्चित रूप से वह ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। दल ने जो प्रशिक्षण शिबिर खोले हैं और कक्षाएँ गुरु की हैं, इसके लिए धन और कार्यकर्ताओं की जरूरत है। अतएव, यह जनता का कर्तव्य है कि वह इस पवित्र कार्य में यथाशक्ति सहायता करे।

सेवादल का मुख्यालय बंगलौर में है जहाँ स्वयंसेवकों और स्वयंसेवक अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। सेवादल को चाहिए कि वह अपने हाथ के काम को ठीक तरह अजाम दे और जहाँ स्वयंसेवी सगठन नहीं है वहाँ इनकी शुरुआत करे। अतएव मैं जनता विशेष रूप से यूवाओं से अपील करूँगा कि वे हिंदुस्तानी सेवादल की हर सभ्य सहायता करें।

जतींद्र नाथ दास के स्मारक का निर्माण करने की बावत अपील

जतींद्र नाथ दास के जन्म दिवस समारोह
में भाषण, 28 अक्टूबर, 1929

जतींद्र नाथ की बात कहते हुए मुझे अपनी भावनाओं को वश में करना मुश्किल होगा। फिर भी मुझ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार है, अतः मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य हूँ।

जतींद्र नाथ दास के बलिदान से पंजाब के राजनीतिक वातावरण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यदि हम पंजाब के अतीत और वर्तमान की स्थितियों की तुलना करें तो जनता के बीच इस बदलाव के असर को आसानी के साथ महसूस किया जा सकता है। पंजाब जो कि कभी साम्प्रदायिकता का गढ़ रहा है, साम्प्रदायिक दलों का केन्द्र रहा है, आज साम्प्रदायिक संदभाव, एकता, मेलजोल और अमन की धरती बन गया है। जतींद्र नाथ की शहादत ने इस प्रांत के न केवल शिक्षित

वर्गों बल्कि आम लोगों के दिलों में गहरा असर किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब कोई सांप्रदायिकता की बात करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज समूचे प्रांत में "इन्किलाब जिदाबाद" और "जतींद्रनाथ दास जिदाबाद" के दो नारे सुनाई देते हैं। कभी-कभी मैं स्वयं से पूछता हूँ कि काश बगाल के लोग भी पंजाब की जनता की तरह आगे बढ़ते। जतींद्र दास लगभग हमारे साथ ही 1921 ई० असहयोग आंदोलन में जुड़ा था। मुझे याद है 1921 में वह हमारे साथ था जब हम पूजा से ठीक पहले सासा रोड पर कपड़े की दुकानों की पिकेटिंग कर रहे थे। औरों की तरह वह भी जेल भेज दिया गया लेकिन जेल से रिहा होने के बाद भी वह राष्ट्र के कार्य हेतु मैदान में सक्रिय बना रहा क्योंकि उसके हृदय में जलती हुई देश प्रेम की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। वह 1925 में अध्यादेश के तहत फिर से जेल गया। जब हम एक वरिष्ठ सी० आई० डी० अधिकारी से बात कर रहे थे तो बातचीत के दौरान उसने बड़े प्रशंसात्मक लहजे में जतींद्र नाथ का जिक्र किया था। उसके बाद के जीवन में इस प्रशंसा को सही साबित किया। कुछ लोग यह कहते हैं कि जतींद्र ने राजनीतिक पीड़ितों की दशा सुधारने के लिए बलिदान किया। यह बात आंशिक रूप से मृत्यु को सकती है पूर्णरूप से नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब जतींद्र नाथ ने भूख हड़ताल की थी तब उसके सामने राजनीतिक बदियों का बेहतर उपचार का प्रमुख मुद्दा था। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मामूली और छोटे से मुद्दे को लेकर एक व्यक्ति जान दे देगा। जब कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठता है और हालात में कोई सुधार नहीं नजर आता तब उसके मन्तिष्क में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। धीरे-धीरे यह मुद्दा व्यापक बन जाता है। एक स्थिति आती है जब संपूर्ण आत्मा दासता के खिलाफ विद्रोह कर देती है। राजनीतिक बदियों को दिया गया अमानवीय उपचार इसी दासता का एक रूप है। जब आत्मा विदेशी शासन नीकरशाही की नीति के परिणामस्वरूप उत्पन्न दासता के खिलाफ विद्रोह करती है तब एक व्यक्ति दासता और बर्बरता के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में आत्मबलिदान के लिए तैयार हो सकता है। जतींद्र नाथ में जब यह आंतरिक रूपांतरण आया तो उसने प्रसन्नता के साथ मृत्यु का वरण कर लिया और जो मन की इस अवस्था तक नहीं पहुंच सके और इस संकीर्ण मुद्दे तक सीमित रहे, वे अंतिम कीमत नहीं चुका सके।

शायद आप यह न जानते हो कि जतींद्र नाथ पहले भूख हड़ताल पर बैठने का इच्छुक नहीं था। उसने कहा था "भूख हड़ताल से मैं एक दम अनभिज्ञ नहीं हूँ। आप को इसका कोई अनुभव नहीं है। यदि एक बार मैंने कदम उठा लिया तो कभी पीछे नहीं हटाऊंगा।" हम जानते हैं और तमाम दुनिया जानती है कि वह जिस तरह अपने शब्दों पर कायम रहा।

मुझे आश्चर्य है कि उसने यह अति मानवीय शक्ति कैसे अर्जित की? मैंने कलकत्ता की अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के दौरान कहा था कि हम न तो वन में तपस्या के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और न ही आश्रमों में ध्यान के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है बल्कि हम इसे केवल संघर्ष और चुनौतीपूर्ण कार्यवाही के द्वारा पा सकते हैं। जतींद्र नाथ के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि आज की हमारी सबसे बड़ी साधना संघर्ष के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है।

भारतीय राष्ट्रवाद के समूचे नेताओं के समुक्त प्रयास वह जागृति नहीं ला सके जो कि अकेले उसके आत्मदाह से पैदा हो गई है। सांप्रदायिकता की उस चट्टान को जिसे कोई नेता अपनी जगह से हिला नहीं पाया वह एक नौजवान के आत्मबलिदान के प्रभाव से चूर-चूर हो गई।

अब मैं उसके स्मारक के निर्माण के बाबत दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस कार्य के लिए लगभग दो लाख रुपये की आवश्यकता है। पूरे बंगाल नहीं अकेले दक्षिणी कलकत्ता के लोग इस धनराशि का प्रबंध कर सकते हैं क्योंकि जतींद्र नाथ की यह जन्मभूमि है। कहना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर अकेला दक्षिण कलकत्ता यह प्रबंध करेगा। मेरी इच्छा है कि जो राशि पंजाब में एकत्र की जाए वे वहीं रहे। वह एक युवा, विद्यार्थी और स्वयंसेवी था और इसलिए युवाओं विद्यार्थियों और स्वयंसेवियों से यह आशा की जाती है कि वे कोष के लिए उदारता के साथ योगदान दें। मैंने कालेजों में देखा है कि विद्यार्थी लोग एक दूसरे से होड़ लगाकर चढ़ा इकट्ठा कर रहे हैं।

जतीन बंगाल स्वयंसेवी दल को संगठित करने वालों में से एक था। उसकी अंतिम इच्छा यह थी कि इस दल को एक मजबूत आधार प्रदान किया जाए। मुझे उम्मीद है यह बात सबको अपील करेगी। उसका दूसरा लक्ष्य था बंगाल की स्त्रियों की उन्नति और मुक्ति। इस कार्य में वह जीवन के अंतिम क्षण तक लगा रहा। मुझे आशा है कि हम लोग उसके राजनीतिक सोच के अनुसार कार्य करने में यथासंभव का प्रयास करेंगे।

उपनिवेशवाद का सही चेहरा

लार्ड सभा में हुई बहस के बारे में बयान 8 नवम्बर, 1929

जब वायसराय की पहली घोषणा हुई तो इंग्लैंड के लिबरल और कंजर्वेटिव सदस्यों ने अपना असंतोष और प्रतिरोध व्यक्त किया। इस घटना से हमारे कुछ देशवासी इन नतीजों पर पहुंचे कि उन्हें सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए लेबर सरकार को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन असंतोष का तूफान इतनी तेजी के साथ फैला कि किसी को यह लग सकता था कि यह समूची घटना नासमझी के साथ नियोजित की गई थी। लार्ड सभा में लार्ड पारमूर के भाषण से उन लोगों को धक्का लगा होगा जो वायसराय की घोषणा में वह सब कुछ खोजना चाहते थे जो कि उसमें नहीं था।

इस भाषण ने निराधार आशाओं के वातावरण को स्पष्ट करने में बड़ी सहायता की। मा बंदोलत स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि डोमीनियन दर्जा कब स्वीकृत किया जायेगा। इससे आगे यह बात भी साफ कर दी गई थी कि 1917 की घोषणा में निहित शर्तें और भारत सरकार अधिनियम 1919 की भूमिका यथावत बहाल रहेगी और बिना किसी फेर बदल के ये सुरक्षित अधिकार बरकरार रहेंगे। यह भी निश्चित कर दिया गया था कि लार्ड रीडिंग के विचारों तथा लेबर सरकार और कंजर्वेटिव व लिबरल पार्टियों के नेताओं के विचारों में कोई मूलभूत अंतर नहीं था।

अंतिम लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावित सम्मेलन सही मायनों में गोलमेज सम्मेलन नहीं था। साइमन कमीशन के कार्य से संबंधित संपूर्ण प्रावधान और जिनका मान्टेग्यु चैम्बेर्नोर्ड सुधारों के समय अनुसरण किया गया, इस सम्मेलन में उस प्रावधान को कोई तरजीह नहीं दी गई। यह सम्मेलन उक्त प्रावधान के दो उत्तर बर्ती सोपानों के बीच की जगह भरने वाली एक फच्छड़ साबित हुआ। इस निर्णय का बाधघटा दोनों पार्टियों पर नहीं होगी क्योंकि यह कह दिया गया है कि सम्मेलन के बाद इस मामले को ससद द्वारा निबटारा जाएगा।

भूझे उम्मीद है कि यह सुस्पष्ट वक्तव्य आशाओं के उस मकड़जाल को बिल्कुल छोट देगा जो कि हम में से कुछ लोगों ने पिछले दिनों से अपने आसपास बना रखा था। मैं नहीं जानता कि हमारे नेता लार्ड फारमूर के भाषण को किस रूप में लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस नेता के व्यक्तव्य के जवाब के रूप में लेता हूँ। अतएव मैं अपनी इसी व्याख्या की रोशनी में अपने प्रयास जारी रखने का निर्णय लेता हूँ।

लार्ड इरविन के वक्तव्य का सीधा-सीधा उद्देश्य यह था कि हमारे देशवासियों को किमी प्रकार के सख्त कदम उठाने से रोका जाए और उनके प्रयासों को शिथिल किया जाए। हम सीधे साधे लोगों के मन में यह आशा जाग उठी कि स्वतंत्रता को एक सक्षिप्त मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए कठोर संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमें और ज्यादा समय तक आशाओं के स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए। लार्ड फारमूर ने स्थिति की कठोर जाम्त्रिकताओं से हमें परिचित करा दिया है।

अतएव हमें लाहौर में आजादी के परचम को ऊंचा उठाना है। और हमें दुगुनी ऊर्जा के साथ देश की भावी मकड़ का सामना करने के लिए तैयार करने में जुट जाना चाहिए।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति से न्यागपत्र वापस लेना

वारण स्पष्ट करते हुए एक बयान, 22 नवम्बर, 1929

इलाहाबाद से वापसी के बाद मैंने पाया कि कलकत्ता के अगव्वारों में नेताओं के सम्मेलन और कार्यसमिति की कार्यवाहियों को लेकर गलत रात्रे छपी है। ऐसा इसलिए हुआ कि प्रेस प्रतिनिधियों ने सम्मेलन और समिति के बैठक में उपस्थित हुए बिना ही उनकी रिपोर्ट देने की कोशिश की। यह बहुत साफ है कि ये खबरे सुनी सुनाई बातों और कल्पना पर आधारित है।

इसी महीने की बीस तारीख के 'स्टेट्समैन' में एक रिपोर्ट है कि अठारह तारीख की मध्यरात्रि के बाद कार्यसमिति की एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। तथापि मैं नहीं जानता कि अठारह की मध्यरात्रि के बाद कार्यसमिति

की ऐसी कोई बैठक हुई है। कम से कम मैं तो ऐसी किसी बैठको में उपस्थित नहीं रहा हूँ। मैं अठारह तारीख का कार्यसमिति की दो बैठको में उपस्थित था लेकिन इन दोनों बैठको में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। इन दो बैठको में बहसों में मैंने हिस्सेदारी नहीं की थी। क्योंकि मैं वायसराय की घोषणा के विषय में अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका था। मुझे खेद है कि प्रेस की रिपोर्टों से यह भाव व्यक्त होता है कि मैं कार्यसमिति के निर्णय में भागीदार रहा था। मेरा दृष्टिकोण आज भी वही है जो कि दिल्ली में था।

कुछ मित्रों ने मुझसे पूछा है कि मैंने कार्यसमिति से अपना त्यागपत्र क्यों वापस ले लिया है? यह याद किया जाएगा कि जब श्री निवास आयगर जवाहरलाल नेहरू सन्महामूर्ति और मुझे कार्यसमिति के लिए चुना गया तब हमें "आजादी वाले" कहा जाता था और यथावत हमें चुन लिया गया। कलकत्ता प्रस्ताव में भी हमें स्वतंत्रता हेतु प्रचारार्थ करने की आजादी दी गई फिर भी जब महात्मा गांधी ने दिल्ली सम्मेलन में यह कहा कि कार्यसमिति एक केबिनेट की तरह है और सभी सदस्यों पर बहुमत के निर्णय की बाध्यता रहेगी। मैंने उनके तर्क की शक्ति को महसूस किया और विचार किया कि कार्य समिति से त्यागपत्र देना बेहतर होगा। त्यागपत्र देने पर मैं स्वतंत्रता क पत्र में प्रचार कार्य सकूंगा और कार्यसमिति के दूसरे मੈम्बरो को अडचन में डाले बिना वायसराय की घोषणा के बारे में अपने विचार पूरी तरह व्यक्त कर सकूंगा। कार्यसमिति की बैठक में जब पंडित मोती लाल नेहरू और दूसरे नेताओं ने कहा कि मेरा त्यागपत्र देना जरूरी नहीं है क्योंकि कार्यसमिति में भिन्न विचार रखने वालों के लिए भी गुंजाइश है। और जब पंडित जवाहरलाल और मुझसे त्यागपत्र वापस लेने के सबंध में प्रस्ताव पारित हुआ तब मैंने महसूस किया कि टम निवेदन को स्वीकार कर लेना उचित होगा। जब तक कार्यसमिति मुझे अभिव्यक्ति और कार्य की आजादी देती है तब तक मेरे इससे अलग होने का कोई कारण नहीं है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में युवाओं की भूमिका

प्रथम सेंट्रल प्राविस युवा सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भाषण,

29 नवम्बर, 1929 नागपुर

सभापति महोदय और मित्रों

आपने सेंट्रल प्राविस के प्रांतीय युवा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाकर मुझे जो सम्मान दिया है इस हेतु मैं आप का धन्यवाद करता हूँ।

हम अपने राष्ट्रीय इतिहास के एक भीषण दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में युवा वर्ग का यह कर्तव्य है कि भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा निश्चित करने को लेकर सभी युवाओं एक जुट हो जाएँ। मुझे यह स्थिति बहुत आशाजनक लगती है कि सेंट्रल प्राविस के युवा अपने धड़ों से मार्गदर्शन की अपेक्षा किये बिना हमारे राष्ट्रीय जीवन की आधारभूत समस्याओं पर विचार करने

हेतु यहा एकत्र हुए है। यदि मैं आप के पवित्र उद्देश्य की सफलता में कुछ सहयोग कर सका तो यह मेरा सौभाग्य होगा।

इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं-इनमें कुछ सम्राट व्यक्ति भी शामिल हैं-जो आज के युवा आंदोलन को कुछ हिकारत की नजर से देखते हैं या यह दशति है कि वे इस आंदोलन के उद्देश्य और महत्व की प्रशंसा नहीं करना चाहते। दूसरे वे लोग हैं जो युवा आंदोलन के आंतरिक अर्थ को नहीं समझते लेकिन उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ना संभवतः इस भावना के कारण स्वीकार कर लिया कि उनकी भागीदारी के बिना कोई आंदोलन नहीं बढ़ना चाहिए।

भारत में वर्तमान पुनर्जागरण के आरंभ से लेकर अब तक अनेक आंदोलन और विचारधाराएँ एक के बाद एक सामने आईं। इस आंदोलन के साक्ष्य में एक दूसरे आंदोलन का अस्तित्व में आना इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि यह युवा आंदोलन समय की एक मांग थी। व्यक्ति और राष्ट्र के मन में एक लालसा रही थी जिसकी सतुष्टि के लिए युवा आंदोलन अस्तित्व में आया। वह मूल भूत लालसा क्या है वह स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की इच्छा है।

आज देश को एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जो व्यक्ति और राष्ट्र को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर सके और साथ ही आत्मनिर्भरता और आत्मभिव्यक्ति की शक्ति प्रदान कर सके। ऐसे लोग भी हैं जो हमारे युवा सम्मेलनों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पिछली कतारों में बदलना पसंद करेंगे। लेकिन ये लोग युवा आंदोलन के उद्देश्य और महत्व से अनभिज्ञ हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्राथमिक रूप से एक राजनीतिक संस्था है इसलिए इसका क्षेत्र प्रतिबंधित है। यहा तक कि राजनीतिक समस्या के संबंध में इसके उद्देश्य को खुलकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे युवाक युवतियाँ जो जीवन को समग्रता में देखते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आबादी चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी विशुद्ध राजनीतिक संस्था से असंतोष अनुभव करते हैं। वे एक ऐसे आंदोलन की ओर आकृष्ट होना चाहेंगे जो मानव की तमाम लालसाओं और हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में प्रयासरत है। अतएव इससे ध्वनित होता है कि युवा आंदोलन मात्र राजनीतिक नहीं है और गैर राजनीतिक भी नहीं है। जीवन की भाँति इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है जिस प्रकार संपूर्ण में सभी अज्ञ अतनिर्हित रहते हैं उसी प्रकार यह निश्चित समझिये कि युवा आंदोलन हमारे राजनीतिक विकास का उत्प्रेरक साबित होगा।

युवा आंदोलन वर्तमान व्यवस्था से हमारे असंतोष का प्रतीक है। यह युगो-युगो की दासता, बर्बरता और उत्पीड़न के खिलाफ युवाओं के संघर्ष को व्यक्त करता है। यह तमाम बेडियों को तोड़ते हुए और मनुष्य की सर्जनात्मक सक्रियता को विकास के अवसर प्रदान करते हुए एक और नये और बेहतर संसार का निर्माण करना चाहता है। अतएव युवा आंदोलन आज के आंदोलनों पर अतिरिक्त या वाह्य रूप से आरोपित कोई चीज नहीं है। यह एक सच्चा स्वतंत्र आंदोलन है। इसकी जड़े मानव स्वभाव में गहरे समाई हुई हैं।

यह आदोलन इसलिए अस्तित्व मे आया क्यो कि यह समय की माग और मानव मन की लालसा को पूरा करता है या पूरा करने का प्रयास करता है। यदि कोई इस आदोलन के निहितार्थ और उद्देश्य से वाकिफ नहीं है तो सिर्फ आदोलन मे भाग लेकर युवा सघो को हथिया कर कुछ नहीं कर सकता। मेरी समझ से युवक और युवतिया एक युवा मघ कहलाने के पात्र तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उनमे युवाओ के चारित्रिक लक्षण न हो। जैसा कि मैं पहले सकेत कर चुका हू कि तमाम युवा आदोलनों का मूल लक्षण मौजूदा व्यवस्था से असतोप है और वे एक बहतर व्यवस्था चाहते है। उनका उद्देश्य सभी बघनो से मुक्ति दिलाना है और ऐसी प्रथाओ और आधिकारिक शक्तियो के खिलाफ सघर्ष छेडना है जो मानवीय अत करण पर बलपूर्वक पाबदिया लगाती है। उनका लक्ष्य आत्मविश्वास और स्वावलबन है। वे अपने बडो को अधानुकरण नहीं करना चाहते। इन परिस्थितियो मे यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे कुछ वरिष्ठ लोग इन आदोलन को नापसद करते है।

युवा आदोलन का उद्देश्य हमारे सपूर्ण जीवन का पुननिर्माण और एक नये आदर्श से प्रेरणा लेते हुए कार्य करना है। यही आदर्श हमारे द्वारा निर्मित जीवन को एक नया अर्थ और महत्व प्रदान करेगा। यह आदर्श है-पूर्ण स्वतत्रता। स्वतत्रता और आत्मनिर्भरता मे अन्योन्याश्रित सबध है। स्वतत्रता के बिना आत्मनिर्भरता सभव नहीं है।

युवा आदोलन अपनी प्रकृति मे जीवन की साथ सह अस्तित्व बनाये हुए है। हमारे जीवन की भाति इसके भी विधि पक्ष हैं। यदि हम शरीर को तरुण बनाये रखना चाहते है तो हमे खेलकूद और जिमनास्टिक की जरूरत होगी। यदि हमे मन को मुक्त और पुरिष्कित करना है तो हमे एक नये साहित्य उच्चतर शिक्षा तथा नैतिकता की स्वथ्य धारणा की जरूरत होगी। यदि हमे समाज को नया रूप देना है तो हमे रूढविचारो और प्रथाओ के स्थान पर नये और स्वस्थ्य विचारो को आश्रय देना होगा। इससे भी आगे हमे मौजूदा सामाजिक और नैतिक मूल्यो का अपने पुगीन आदर्शो के आलोक मे पुनपरीक्षण करना होगा और यथासभव हमे मूल्यो के एक नये मानदड को स्थापित करना होगा जो भविष्य के समाज को शासित करेगा।

यह स्वाभाविक है कि विचार और क्रिया की एक नई दिशा का सघान करते हुए हमे मौजूदा आदर्शो निहित स्वार्थो और सत्ता के विरूद्ध आगे बढना होगा। लेकिन हमे इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए। विरोधियो तथा दूसरी अनगिनत बाघाओ के रहते हुए युवा आदोलन की प्रगति पर बुरा प्रभाव पडेगा। ऐसे मौके भी आयेगे जब हम हर ओर धिरे होंगे और हमे लगेगा कि हम शेष दुनिया से कटे हुए हैं। ऐसी मुसीबतो मे आयरलैंड के महान देशभक्त के इन शब्दो को याद करना चाहिए जो कि उसने भीषण सकट के दौर मे विजयी भाव से ओतप्रोत हो कर कहे थे- "जिस प्रकार एक व्यक्ति ससार का उद्धार कर सकता है उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति आयरलैंड को बचा सकता है।" युवा आदोलन के प्रतिनिधि के रूप मे जिस क्षण आप जीवन के हर क्षेत्र मे स्वतत्रता के सिद्धान्त को लागू करेगे उम समय बहुतो को अपना शत्रु भी बना लेगे। निहित स्वार्थ वाले लोग आप के प्रचार कार्य को ध्वस्त करने के उद्देश्य से एकजुट हो जायेगे। यहा तक कि एक अपराजय शत्रु से एक मोर्चा पर लडना आसान है लेकिन इसके साथ-साथ हर मोर्चे पर

तमाम शत्रुओं से लड़ना बहुत कठिन है अतएव युवा आंदोलन के कार्यकर्ताओं को उन दुरजे शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार करना होगा जिनका कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सामना करना पड़ता है।

युवा आंदोलन में दूसरी कठिनाई भी है। जिसका पूर्वानुमान कर लेना चाहिए और जिसको लेकर हमें पहले से सावधान हो जाना चाहिए एक राजनीतिक आंदोलन या मजदूर आंदोलन में आप को एक बड़ी भीड़ से वास्ता रखना होगा। इस भीड़ पर काबू पाने के लिए आप को कभी-कभी हटकर भी काम करना पड़ सकता है। जनता से अपना संपर्क बनाये रखने के सिलसिले में किसी मौके पर आप को उसके स्तर तक नीचे उतरना पड़ सकता है। दूसरी युवा आंदोलन में आप को लोकप्रियता का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। यदि आप के मन में ऐसी कोई भावना है किन्हीं मौकों पर आप को जनमत तैयार करने या लोकप्रिय भावना के ज्वार को रोकने की जिम्मेदारी उठाना पड़ सकता है। यदि आप अपने राष्ट्रीय जीवन की आधारभूत समस्याओं का समाधान करने की इच्छा रखते हैं तो आप को अपने समकालीनों से मीलों आगे देखना होगा। आम जनता का मन आज भी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य के गर्भ में झांकने के स्थिति में नहीं है। यदि तुम भविष्य की बुराइयों का पूर्वानुमान करने के उपाय सुझा सकते हो तो कोई कारण नहीं जनता इन्हे अस्वीकार करे। ऐसे मौकों पर तुम्हें यह साहस जुटाना होगा कि तुम अकेले खड़े हो सको और शेष दुनिया से लड़ सको। हर समय सस्ती लोकप्रियता के प्रवाह में बहने वाला व्यक्ति न तो स्वयं इतिहास बन सकता है और न ही इतिहास की सृष्टि कर सकता है। यदि हमारे मन में इतिहास निर्माता बनने की आकांक्षा है तो हमें हर प्रकार की गलत फहमियों का सामना करने और किसी सीमा तक उत्पीड़न सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने भले से भले काम के बदले अपशब्द सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने निकटतम मित्रों द्वारा हताश किये जाने को लेकर तैयार रहना चाहिए।

लेकिन मानवीय प्रकृति मूलतः दैवीय होती है। गलतफहमियों, बुराइयों और उत्पीड़नों का समय कुछ लम्बा हो सकता है। लेकिन एक दिन इसका अंत होता है। यहाँ तक कि अपने निष्कपट विचारों के लिए हमें मृत्यु का वरण करना पड़ सकता है। यद्यपि इस मृत्यु के माध्यम से हम जमरतब को प्राप्त करेंगे अतएव हमें किसी भी आपातकाल के लिए तैयार रहना है। काटों के कारण गुलाब की सुन्दरता तिगुनी बढ़ जाती है जीवन की भी यही स्थिति है। त्याग, कष्ट और उत्पीड़न के अभाव में क्या जीवन बासी और फीका प्रतीत नहीं होगा।

विस्तार से देखें तो युवा आंदोलन के पांच पक्ष हैं-राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और सांस्कृतिक इस आंदोलन का दोहरा उद्देश्य है एक, इस पांच के विभाजन को समाप्त करना। दूसरे आत्मनिर्भरता और आत्मभिव्यक्ति के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार यह आंदोलन अपने चरित्र में ध्वसात्मक भी है और रचनात्मक भी। नाश की बिना निर्माण संभव नहीं है इसीलिए हम प्रकृति में हर जगह नाश और निर्माण को साथ-साथ देखते हैं, यदि हम यह सोचते हैं कि नाश बुरा है और निर्माण अच्छा है और यदि हमारा विश्वास है कि नाश के बिना निर्माण संभव है तो हम बड़ी गलती पर हैं यदि हम नाश का अर्थ अंत मानते हैं तो भी एक भूल करते हैं जीवन के

किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के विस्तार का अर्थ है नाश। कभी-कभी धीरे-धीरे अत्यंत पास-पास और असमानता से कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि हमें इन वेदियों को तोड़ना है तो कठोर प्रहार करना होगा। जब हमारा कर्तव्य आगे बढ़ता है तो न हमें पश्चात्तप्य करना चाहिए और न पीछे मुड़कर देखना चाहिए। यदि हमारे भीतर जीवन है-विनयारी के रहित मात्र मिट्टी के ढेले नहीं है तो हमें रचनात्मक गतिविधि के साथ-साथ नाश को भी स्वीकार करना होगा।

आज भारत और इसके बाहर चलने वाले अनेक आंदोलन अपने चरित्र में सुधार के हैं। ये आंदोलन बिना किसी जातिकारी परिवर्तन के हमारे जीवन के किनारों को छू रहे हैं। लेकिन हमें सुधार नहीं जातिकारी परिवर्तन की जरूरत है। हमारे निजी और सामूहिक जीवन का पुनर्निर्माण है। इस पुनर्निर्माण को सभ्य बनाने के लिए हमें स्वतंत्रता की नगंधारों को स्वीकार करना होगा। देश और काल के अनुसार स्वतंत्रता के अर्थ में परिवर्तन होता रहा है। दूसरे देशों की भांति हमारे देश में भी स्वतंत्रता का अर्थ विस्तार होता रहा है। आज अन्तिम रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है-पूर्ण मुक्ति। यही व्याख्या युवाओं को अपनाने भी करती है। अधूरी स्वतंत्रता को हम लम्बे समय तक स्वीकार नहीं कर सकते। हमें स्वतंत्रता की पूरी खुराक चाहिए और हम इसे जीवन के हर क्षेत्र में चाहते हैं। यदि हम स्वतंत्रता प्रेमी हैं तो हम किसी भी दमन और असमानता को सहन नहीं कर सकते। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या अर्थिक या सामाजिक-हर क्षेत्र में हम स्वतंत्रता के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं। पुरुष और स्त्री सभी मनुष्य समान पैदा हुए। सबको विकास के समान अवसर मिलने चाहिए-हमारा एकमात्र नाश यही है। यह सिद्धान्त कहने में जितना सरल है व्यवहार में उतना ही कठिन है। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए हमें बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मित्रों मैं इस बात का सुचिन्ता करने में अनिच्छुक रूप से अधिक समय नहीं दूंगा कि युवा आंदोलन के विस्तार में रुचि रखने वाले को किस प्रकार के कार्यक्रम अपनाने चाहिए। इस आंदोलन के सिद्धान्त और उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए ही मेरा काम पूरा हो चुका है। हमारा एक महत्वाकांक्षी आदर्श है सभ्यत इतना महत्वाकांक्षी कि यह किसी को भी प्राप्त हो सकता है। हम अपने संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं। स्वयं अपने लिए और मानवता के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कृतमकस्य होना होगा। यह स्वतंत्रता का जादुई स्पर्श है जो हमारे सुपुत्र गुणों को जागृत कर देगा और हमारे अन्तर सक्रियता का संचार कर देगा। हम स्वयं अपने तथा देशवासियों के मन में भक्ति की कामना का बीजा बोधेंगे। यह हमारी प्राथमिक समस्या है यदि हम अपने हृदय की गहराइयों में स्वतंत्रता की पुकार लगाते हैं तो हमें गुणगामी की लज्जा और पराधीनता की टीम का सामना करना चाहिए। जब यह एहसास गहरा हो जायेगा तो हमें लगेगा कि स्वतंत्रता के बिना जीवन व्यर्थ है। हमारे इस अनुभव के तीव्र होने पर एक समय ऐसा आयेगा जब हमारी समूची आत्मा स्वाधीनता की उल्लास में आनुरित हो जायेगी।

इन सोचों पर पहुंच कर हम स्वतंत्रता के आदर्श को जनता तक पहुंचाने वाले निगमनी बन सकते हैं। तब हमें आजादी के नए में दूर नए नारियों को घर-घर गांव गांव और शहर शहर

जाकर स्वाधीनता का अलख जगाना चाहिए। इस प्रकार के परिणामस्वरूप हर क्षेत्र से जुड़े लोग जीवन की अनुभूति करेंगे। राष्ट्र, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था सभी में एक नये आदर्श का रूपदन सुनाई देगा। वह है स्वतंत्रता और समानता का आदर्श। मिथ्या मानदंड घिसे-पिटे रीति रिवाज और प्राचीन प्रतिबन्ध ध्वस्त हो जायेंगे। और धीरे-धीरे स्वतंत्रता और भातृत्व पर आधारित एक नयी व्यवस्था अस्तित्व में आयेगी। तब हम न केवल एक राष्ट्रीय समस्या बल्कि एक विश्व समस्या का भी समाधान करेंगे।

भारत विश्व का सार सग्रह है। भारत की समस्याएँ अपने लघुरूप में विश्व की समस्याएँ हैं। इस प्रकार भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ विश्व की समस्याओं का समाधान है। भारत अकथनीय यातनाओं के बावजूद आज भी जीवित है क्यों कि उसके पास एक लक्ष्य है। भारत को अपनी रक्षा इसलिए करनी है क्यों कि अपनी रक्षा के द्वारा उसे विश्व की रक्षा करनी है। भारत को इसलिए स्वतंत्र होना है क्यों कि स्वतंत्र भारत विश्व की सस्कृति एवं सभ्यता के लिए योगदान कर सकेगा। विश्व भारत के उपहार की व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। इसके अभाव में विश्व दरिद्र रहेगा।

मित्रो, हमारा दायित्व महान है युवा हर समय और परिस्थिति में स्वतंत्रता की मशाल धामे रहे हैं हमें दूसरे देशों के युवाओं के समक्ष एक उदाहरण रखना है उन्होंने दूसरी जगह जो कुछ प्राप्त किया है। उसे भारत के युवा यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे कोई सदेह नहीं भारत के युवा अपने दायित्व को पहचानते हैं। मुझे कोई सदेह नहीं कि उनके त्याग, कष्ट और परिश्रम से भारत शीघ्र ही एक स्वतंत्र देश होगा। एक ऐसा देश जहाँ सभी नर नारियों को शिक्षा और विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। भारत के स्वतंत्र होने में लेश मात्र भी सदेह नहीं है प्रश्न केवल यह है कि वह कब स्वतंत्र होगा। हम सब गुलाम पैदा हुए हैं लेकिन हम आजाद मनुष्य की तरह रहने का निश्चय करते हैं। यदि हम अपने जीवन में भारत को स्वतंत्र नहीं देख पाते हैं तो कम से कम हमें भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयास की आहुति दे देना है। स्वतंत्रता का मार्ग एक कटकाकीर्ण मार्ग है लेकिन यह अमरता का मार्ग है। सेट्रल प्राविस के मेरे बहनो और भाइयों। मैं इस पवित्र मार्ग के लिए आप का आह्वान करता हूँ।

दक्षिण, वाम और जनतांत्रिक व्यवस्था के दायित्व आत इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बयान 6 दिसम्बर, 1929

ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थिति पर मेरा बयान लम्बे समय से अपेक्षित है। मैं बयान को जारी करना सौद्देश्य रूप से टालता रहा हूँ क्योंकि तथ्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे समय चाहिए था। मैं 6 दिसम्बर को नागपुर में नहीं था जब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं। मैं 30 नवम्बर की रात को नागपुर से अमरावती के लिए रवाना हुआ था। वहाँ मुझे प्रांतीय अध्ययन सम्मेलन की अध्यक्षता करनी थी परिणामतः फूट के लिए जिम्मेदार घटनाओं के बारे में मेरी सुनी सुनाई जानकारी थी। अमरावती से नागपुर लौटने पर सनसनी खेज घटनाएँ सुनीं और नये पदाधिकारियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू के बयान को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा जो कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थिति का एक प्रशस्तमक उपमहार था। अब मैं इन स्थिति में हूँ कि मौजूदा हालात का एक स्पष्ट मूल्यांकन कर सकूँ और इन सब में अपना दायित्व निश्चित कर सकूँ।

आज ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दक्षिण व वाम पक्षी घड़ों की बीच जो आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनी है सबसे पहले मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर खेद प्रकट करता हूँ। देश में मजदूर आंदोलन के विकास के साथ वामपक्ष अस्तित्व में आया। बाद में इसने शक्ति अर्जित कर ली। यह भी स्वाभाविक है। इस बात को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं रह गया। जब मैंने सुना कि अनेक ईमानदार दक्षिण पक्षियों के आगमन का स्वागत किया गया। उनमें से कुछ लोग गिनके प्रति मेरे मन में असीम श्रद्धा है यह कहते पाये गये कि एक न एक दिन वामपक्षी सत्ता में अवतर आयेंगे। अतएव मैं नहीं समझता कि दक्षिण पक्षियों के मन में वामपक्ष का लेकर कांड दुर्भावना होगी।

दक्षिण और वामपक्षियों के बीच के विवादों और आरोप प्रत्यारोपों के मूल में इन दोनों के भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। वाम पक्ष का सब कुछ निश्चित सिद्धान्तों और विशेष माननिकता में है। ये जन समर्पण में विश्वास करते हैं दक्षिण पक्षियों पर व्यक्तिगत आक्रमण में नहीं। लेकिन उनकी अच्छाई-बुराई को ध्यान में रखते हैं। ज्ञानत्रय में वाम पक्षी दक्षिण पक्षियों पर व्यक्तिगत आक्रमण करने के स्थिति से बचते हुए ही अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रिटिश कमीशन पर मतदान से ठीक पहले मैंने ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में पूरे जोर के साथ इस निवैयक्तिक दृष्टिकोण की पैरवी की थी। किसी प्रकार के दोषारोपण में लिप्त हुए दिना मैं पूरे आग्रह के साथ यह कहना चाहूँगा कि दक्षिण पक्षियों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद का दमन और वाम पक्षियों को मान्यता का दलाल कहना एक भूल होगी।

मैं जानता हूँ कि यह गलत पहली तब शुरू हुई जब 40,000 सदस्यों के साथ "गिर्नर कामगार यूनियन" को मान्यता दी गई। दक्षिण पक्षी यूनियन छोड़ गये। इसके परिणामस्वरूप वामपक्षियों की स्थिति अचानक मजबूत हो गई और इन्में दक्षिण पक्षी नाराज हो गये। यह व्यापक मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई वामपक्षियों को दोष नहीं दे सकता क्योंकि ऐसा होता तो वे

कार्यकारिणी में प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। यह प्रस्ताव इसीलिए मजूर हुआ कि इसके पक्ष में निश्चित रूप से दक्षिण पथियों या गैर कम्युनिस्ट वामपथियों ने मतदान किया था। यह बहुत स्पष्ट है कि कम्युनिस्ट वामपथियों को अप्रत्याशित लोगों से सहायता प्राप्त हुई थी। गिरनी कामगार यूनियन पर मतदान के समय मैं उपस्थित नहीं था लेकिन गिरनी कामगार यूनियन के पक्ष में मतदान करने वाले कई गैर कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं ने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि यूनियन पर सत्ता और मालिकों का दमन चक्र चल रहा था और उसे समर्थन की जरूरत थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मतदान का यह अर्थ नहीं है कि वे हर मामले में गिरनी कामगार यूनियन के प्रतिनिधियों का पक्ष लेंगे। मैं नहीं जानता कि दक्षिण पथी अचानक कैसे पराजयवादी मानसिकता के शिकार हो गये और उन्होंने कांग्रेस से समर्थन वापस क्यों ले लिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने बयान में यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि यदि दक्षिण पक्ष के पास समर्थक हैं तो वह आज भी अपना बहुमत बना सकता है और मैं इस तथ्य को जानता हूँ कि जिन लोगों ने गिरनी कामगार यूनियन की मान्यता तथा वितले कमीशन के पूर्ण बहिष्कार के पक्ष में मतदान किया है वे पैन पैसिफिक ट्रेड यूनियन सेक्रेटेरियेट की सबद्धता जैसे प्रश्न पर एक दूसरे से आख नहीं मिला सकते। यदि दक्षिण पथी अपनी जगह कायम हो तो वे यह पायेंगे कि जिन्हें वे पक्ष के तौर पर "लाल" समझते थे उनमें से अनेक ने आपत्तिजनक प्रस्तावों के विरोध में मतदान किया है। दक्षिण पथियों ने पैन पैसिफिक ट्रेड यूनियन सेक्रेटेरियेट के पक्ष में मतदान करके हालात बिगाड़ दिये। जिसके बारे में अब उनका कहना है कि शुद्ध मन के साथ इसके विरुद्ध है। इन परिस्थितियों में दक्षिण पथियों के ऊपर एक बड़ा दायित्व आ गया है यदि उनका जनतंत्र में विश्वास है तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस में वामपथियों के बढ़ते महत्व पर उगली नहीं उठा सकते। और नहीं वे गिरनी कामगार यूनियन की मान्यता को लेकर मनमुटाव रख सकते। इसके साथ-साथ उन्हें कमीशन के बहिष्कार के प्रश्न पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। जिसमें कि वे उपस्थित थे और बहुमत के फैसले का आदर करना चाहिए।

फिरलाहाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को पैन पैसिफिक ट्रेड यूनियन सेक्रेटेरियेट से सबद्ध करने के प्रश्न को ताक कर रख दिया गया है। तत्पश्चात् मैं समझता हूँ कि अब कोई विवाद नहीं रह गया है। "साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीग" की सबद्धता दक्षिण पथियों के लिए आक्रमण का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती क्योंकि सबद्धता के प्रश्न पर गतवर्ष शरिया कांग्रेस में भी सहमति थी। जिनेवा की अंतर्राष्ट्रीय लेबर कांग्रेस में भागीदारी के प्रश्न पर मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसे अनेक दक्षिणपथी हैं जो आज इसके विरुद्ध हैं। वे सिद्धान्तों के आधार पर आपत्ति नहीं करते लेकिन वे महसूस करते हैं कि सरकारी खर्च पर यूरोप आना जाना मजदूर जगत के दूसरे हिस्सों के लिए अवमाननापूर्ण होगा। अतएव, मजदूरों में ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है तो वे अपने अलग-अलग रंग-ढंग को भुलाकर ऐसा ही करें। किसी भी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय लेबर कांग्रेस में भागीदारी न करने सबद्धी ट्रेड यूनियन फैसले का किसी वर्ग या समूह द्वारा विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह बहुमत का फैसला है। मैं यही बात नेहरू रिपोर्ट वायसराय की उद्घोषणा और पैन पैसिफिक लेबर कांग्रेस के बारे में कहना चाहूँगा।

अतः मैं दक्षिण पथ के सभी मित्रों और साथियों से साग्रह निवेदन करूँगा कि वे अपने मौजूदा रवैयों को बदलें। यदि वे अपनी संरक्षक सस्था से सबद्ध विच्छेद का निर्णय लेते हैं तो वे

अपने ऊपर एक बड़ा दायित्व ले रहे हैं। अतत उन्होंने यह निर्णय ले लिया है। मेर जिनम मत मे ऐसा कोई भी कदम खेल भावना विरोधी अप्रजातात्रिक और देशभक्ति मे रहित है। सार्वजनिक प्रेस मे जो कुछ छपा है इसके बावजूद मुझे विश्वास है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस मे कोई फूट नहीं पड़ेगी। यहा तक कि यदि दक्षिण पथी यह सोचते है कि वे बहुमत मे है तो यह उनका भ्रम है। इसमे सदेह नहीं कि वे एक प्रभावशाली अल्पमत मे हैं। यदि उन्हे विश्वास है कि उनके द्वारा अपनाये गये सिद्धान्त सही हैं तो व कांग्रेस की आगामी बैठक मे अपने को अल्पमत मे बहुमत मे बदल सकते हैं। वामपक्ष ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस मे उस समय भी कार्य किया जब कि वह मामूली अल्पमत मे था और मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि अल्पमत मे पड जाने पर दक्षिण पक्ष को कयो कांग्रेस से बाहर होना चाहिए? मैंने बड़ी व्यग्रता के साथ स्थिति को समझने की कोशिश की है। और इस निश्कर्ष पर पहुचा हू कि ऐसे कोई कारण नहीं है जिनसे फूट पड सके। अर्था हाल मे दीवान चमन लाल द्वारा जारी किया गया बयान निस्सदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात पर पुन विचार करे। आज की हालत को देखकर लगता है कि स्वद विच्छेद की नीति इस सदेह को समाप्त करने मे मददगार नहीं होगी कि अतत विटले कमीशन के बहिष्कार के कारण दक्षिण पथी नाराज हुए है। विटले कमीशन के सत्राल पर विभाजन न केवल अनुचित है बल्कि यह दक्षिण पथियों के दृष्टिकोण से भी नीति विरुद्ध है।

ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मुझे आगामी वर्ष के अध्यक्ष के रूप मे चुना है। मैं इस दायित्व को स्वीकार करने का निर्णय ले चुका हू। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति मे जब कि कांग्रेस नकट मे है मेरा पीछे हटना दायित्व से मुह चुराना सावित होगा। कांग्रेस के दोनो धडो मे मेरे मित्र हैं। मुझे कोई सदेह नहीं है कि मैं उनकी सहानुभूति सहयोग और विश्वास को प्राप्त कर सकूंगा यदि जरूरत हुई तो मतभेद दूर करने और सयुक्त कार्यक्रम तैयार करने की गरज मे मैं दोनो पक्षो की एक बैठक इस माह के अत तक कभी बुलाउगा।

विद्यार्थियों और उनके आदोलनो के प्रति मेरा रवैया

11 दिसम्बर, 1929 को जारी एक बयान

कुछ समय पहले श्री वीरेन्द्र नाथ दास गुप्ता के द्वारा जारी किये गये एक पैम्फ्लेट की आर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया जिसमे मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया गया था और जिमे बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक के दौरान सदस्यो के बीच वितरित किया गया था। यह मिहन् नवम्बर के बीच की बात है। अनेक विद्यार्थी मित्रो ने मुझसे इस निवेदन के साथ सफ़ किंग कि पैम्फ्लेट मे गई गलत बयानी का मुझे जवाब देना चाहिए। फिर भी मैंने आज तक दो कारणो से ऐसा नहीं किया है। पहली बात तो यह है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीतिक विवाद मे नहीं पडना चाहता जो कि मुझसे कनिष्ठ है और जिसे मैं अनुजवत मानता हू। दूसरे मैं महमूम करता हू कि यदि मैंने बयान जारी कर दिया जो मुझे दूसरे युवा मित्रो की आलोचना करनी पडगी। जो अन्य लोगो के बहकावे मे आकर यह सब कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद मेरे स्नेह भावन

है लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ हिस्सों में मेरी चुप्पी का गलत अर्थ लगाया जा रहा है। इसलिए मुझे विद्यार्थी समुदाय के उस बड़े हिस्से के हित के लिए कुछ कहना चाहिए जो सामान्यतया मेरे संपर्क में नहीं रहा है।

मुझे बड़ी हसी आती है जब मैं देखता हूँ कि जनता के कुछ लोगों में जिनमें से कुछ स्वयं को नेता भी कहते हैं-विद्यार्थी समुदाय के प्रति अचानक प्रेम उमड़ आया है और जो दूसरों को छात्र-आंदोलन के प्रति कर्तव्य की शिक्षा देते पाये जाते हैं। 1928 ई के आरंभ में छात्र आंदोलन के उभार से लेकर वर्तमान समय तक छात्र आंदोलन के इन नये हितैषियों ने इस आंदोलन के कोई रुचि नहीं ली है। इसके लिए कोई खास मदद नहीं की है। मैं इस प्रांत के उन गिने-चुने लोगों में से था जिन्होंने इस आंदोलन के लिए पूरी-पूरी मदद की और यहाँ तक कि आज जो लोग मुझ पर प्रहार कर रहे हैं वे भी इस तथ्य से अनभिन्न नहीं हैं। मैंने इस आंदोलन की मदद के प्रयास किये और भविष्य में भी अपनी योग्यतानुसार मदद करूँगा। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। पहले मैंने-अपने जेल से रिहाई के बाद से ही इस देश में छात्र आंदोलन पर बल देता रहा हूँ। क्यों कि मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी और युवा इस देश के कर्णधार हैं। मैं जब विद्यार्थी था तब मेरे अनेक जूनियर और सीनियर साथियों के साथ मुझे अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न सहना पड़ा था। स्वर्गीय बाबू मोतीलाल घोष और देशबन्धु चितरंजन दास के अलावा बहुत कम लोगों ने हमारी मदद की थी। हमारे देश के विद्यार्थियों का जो उत्पीड़न किया जाता है इसका मुझे सीधा-साधा अनुभव है। अतः मैंने इंग्लैंड में विद्यार्थियों को जनता और सरकार की दृष्टि में जैसा सम्मान प्राप्त है और विद्यार्थियों की जैसी हमारे देश में दुर्गति है, इन दोनों स्थितियों की तुलना करने पर मेरा मन खिन्न हो गया। इन कारणों से मैं विद्यार्थियों के अपमान और अवमानना को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैंने यह निश्चय किया कि जब भी मुझ से सहायता के अपेक्षा की जायेगी मैं अवश्य करूँगा। आज के दूसरे लोगों की भाँति मैं भी विद्यार्थियों के कार्य के प्रति निर्मम और निष्ठुर होता यदि मैंने अपने जीवन में उपर्युक्त अनुभव प्राप्त न किये होते।

मैं स्वीकार करता हूँ कि पहले के विद्यार्थियों ने जो कार्यानीति अपनाई थी उससे मुझे गहरा दुःख पहुँचा है। वे भली प्रकार से यह जानते हैं कि मैंने पिछले दिनों में छात्र हित के लिए कार्य किया है और एक व्यक्ति के रूप में मेरी कितनी प्यार दिया है? बंगाल में यह एक सुविदित तथ्य है कि अनेक अवसरों पर विद्यार्थियों के प्रति अपनत्व दिखाने के कारण मुझे अधिकारियों और कुछ राष्ट्र विरोधी असबाबों का कोपभाजन बनना पड़ा है। इसलिए यह देखकर मुझे हसी आती है कि यही असबाब आज छात्र आंदोलन के प्रति सद्भाव जता रहे हैं और इस आंदोलन का शत्रु सिद्ध करते हुए मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। इन असबाबों ने गाँह-बगाँह लम्बे समय तक छात्र आंदोलन पर जमकर प्रहार किये हैं। लेकिन यदि आज ये छात्र आंदोलन की क्षमता और प्रभावशीलता में विश्वास करने लगे हैं तो वास्तव में आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है।

मुझ पर प्रहार करने वाले विद्यार्थियों की मैं एकदम भर्त्सना नहीं करता क्यों कि मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। फिलहाल वे स्वार्थी राजनेताओं के हाथों कठपुतलियाँ हैं लेकिन वह दिन दूर नहीं जब वे अपनी गलती महसूस करेंगे। इस बीच मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं उनके प्रति पहले की भाँति ही स्नेह भाव रखूँगा। उनके प्रति मेरी भावनाएँ रातों-रात नहीं बदल सकती, भले ही धाँधे वे गलतियाँ करें या मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें।

स्वार्थी लोगो द्वारा मेरे ऊपर आलोचना की जो बौछारे होती रहीं हैं मुझे इस सब की जानकारी नहीं है। लिहाजा मैं इन आलोचनाओ का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं चाहूंगा कि विधार्थियों की एक ऐसी बड़ी सस्था हो जिसे राजनीतिक साजिशो से कोई मतलब न हो और जो मेरे पिछले व्यवहार की रोशनी मे मेरे बारे मे राय बनाये। मैं विधार्थी समुदाय से सतत रूप से जुडा रहा हू। और यदि इतना काफी है तो मैं विधार्थियो से अपेक्षा करूंगा कि वे देखे और प्रतीक्षा करे कि भविष्य मे उनका सच्चा मित्र कौन साबित होता है?

ऊपर मैंने जिस पैम्फलेट का जिक्र किया है उसमे कई गलत बाते कही गयी है। इनके खडन की जरूरत है। लेखक का कहना है कि मैंने एक प्राइवेट सभा मे कहा था कि छात्र सघ का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। मैंने निजी या सार्वजनिक रूप से कभी ऐसी कोई बात नहीं की। छात्र-आदोलन के विषय मे मेरे विचार सर्वविदित हैं। मैंने हमेशा इस बात की वकालत की है यह विधार्थियो द्वारा चलाया जाने वाला एक स्वतंत्र आदोलन है और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाये जाने वाले राजनीतिक आदोलन से बिल्कुल भिन्न है। 1930 मे हावडा के राजनीतिक अधिवेशन मे विधार्थियो के दायित्व के बारे मे मैंने जो कहा था उसे यहा दोहरा रहा हू। मैंने कहा था कि परिस्थितियो की यह माग है कि राष्ट्र की पुकार पर विधार्थियो को अपनी पढाई छोडकर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि दूसरे देशो के विधार्थियो ने भी किया है। लेकिन इस त्याग की जरूरत सिर्फ एक निश्चित अवधि के लिए या यो कदिये सिर्फ साल भर के लिए है। इसी क्रम मे मुझे यह भी बता देना चाहिए कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने इस पैम्फलेट के लेखक से पिछले कुछ महीनो मे छात्र सघ के उद्देश्यो या 1930 मे छात्रो के दायित्व को लेकर कभी कोई बात की हो।

पैम्फलेट मे कहा गया है कि विश्वविधालय परीक्षा व्यवस्था के सुधार और अन्य छात्र कल्याण की योजनाओ को लेकर अखिल बंगाल छात्र सघ की गतिविधियो का मेरे कुछ सहयोगियो ने उपहाम किया है। मैं नहीं जानता कि मेरे लेफ्टीनेट्स से क्या अभिप्राय है लेकिन यहा तक मेरा सबध है मुझे ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी नहीं है। इसलिए इनके बारे मे कोई राय बनाने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला।

मैमन सिंह अधिवेशन की अध्यक्षता के विषय मे तथ्य यह है कि मेरी पहल पर मेरे कमरे मे मैंने डा० आलम सिंह को अध्यक्ष निर्वाचित करने के सबध मे दोनो पक्षो (30 ब० छात्र सघ के प्रतिनिधियो और अधिवेशन की स्वागत समिति) को राजी कर लिया था। मैं इस दयान की कगट करने के लिए किसी को भी पढ चुनौती देता हू कि और मैं दावे के साथ कहता हू कि मेरे हस्तक्षेप के बिना डा० आलम की अध्यक्षता मे मैमन सिंह अधिवेशन का आयोजन नहीं हो सकता था। लेकिन डा० आलम के लिए यह अधिवेशन सफल नहीं रहा होगा। अपने कलकत्ता निवास के दौरान डा० आलम मेरे अतिथि रहे थे। उनकी उपस्थिति मे मैंने अपने साथियो से अधिवेशन को सफल बनाने के सबध मे निवेदन किया था और जैसा कि देखा गया मेरे इम निवेदन का अमर भी हुआ। मैंने छात्रो को समझा दिया कि वे किसी विवाद को शुरू मे ही मेरी जानकारी मे न लाये क्यो कि इस स्थिति मे मैं समूची परिस्थिति पर नजर रखूंगा जैसा कि मैंने 1928 ई० मे किया था। जब मैंने छात्रो की ओर से पडित जवाहर ताल नेहरू से अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए निवेदन किया था।

अखिल बगाल छात्र सघ के सविधान के अनुसार अध्यक्षता के लिए जिला सघ सुझाव पेश करते हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए स्वागत समिति को यह अधिकार था कि वह जिसे चाहे अध्यक्ष चुनती। समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि सामान्य कार्यकारिणी के कुछ अपने राजनीतिक गुट के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और वे डा० आलम के नाम का छटनी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इन भावी प्रत्याशी सज्जन वीरेन्द्र नाथ दास गुप्ता का छात्र आंदोलन के सभी कोई सबंध नहीं रहा। इनका छात्र जीवन भी एक अरसा पहले समाप्त हो चुका था। इनका प्रयोजन सिर्फ यह था कि अपनी पार्टी के एक व्यक्ति को प्रमुखता में लाकर पार्टी के विजय साबित करना चाहते थे। अपना स्थल बनाने के लिए मैं जो छात्र आंदोलन से निकट से जुड़ा रहा, कई छात्र आंदोलन में भाग्य और अध्यक्षता करता रहा, मैंमन सिंह के छात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करने की इच्छा व्यक्त की। मेरे बुरे से बुरे शत्रुओं को भी इस आरोप को लेकर भ्रम नहीं होगा। मैं नौजवान लेखक की इस चतुराई की दाद देता हूँ कि उसने इस मामले को मेरे ऊपर उलट दिया। हालांकि इतनी कम उम्र में उनके नैतिक स्वल्पन को लेकर मैं अफसोस जाहिर करता हूँ।

अखिल बगाल छात्र सघ के सदस्यों द्वारा स्वागत समिति की कार्यवाही के विरोध का वास्तविक कारण यह था कि वे भविष्य में अपने किसी आदमी को निर्वाचित करना चाहते थे। जिसके चुनाव के लिए पिछले महीने उन्होंने जी-तोड़ काम किया था। डा० आलम के प्रति इनका सहयोग भाव एक अनुबोध है। जिसका अर्थ अपनी हार को बराबर करना है। डा० आलम के प्रत्याशी होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी जो अखिल बगाल छात्र सघ कार्यकारिणी के विरुद्ध थे। जब मैंने उनके नाम की पैरवी की तो स्वागत समिति ने तुरंत स्वीकार कर लिया।

मैं सोचता हूँ इस स्थिति में मुझे आज के विद्यार्थियों के बीच अशांति के मूल कारण पर स्पष्ट टिप्पणी कर देनी चाहिए। विद्यार्थियों के बीच विवाद सीधे-सीधे बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजनीतिक गुट के भीतरी विवाद की प्रतिछाया है। मैं हमेशा से कार्य अन्विति की वकालत करता रहा हूँ और कांग्रेसियों के विभिन्न गुटों को नजदीक लाने के प्रयास करता रहा हूँ। कुछ समय तक इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले और एक सामान्य कार्यक्रम तैयार करने में सभी गुट आपस में मिल गये। बाद में उनमें मतभेद पैदा हो गये और उनमें से एक पक्ष ने अपने आप को अलग कर लिया। बहुमत ने मेरे सिद्धान्त नीति और कार्यक्रमों की स्वीकृति दे दी। जबकि असंतुष्ट पक्ष अल्पमत के साथ मिल गया। अर्थात् वे लोग बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विरोधी दल से जा मिले और वर्तमान में उनके साथ तथा मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मेरे विरुद्ध अभियान चलाने वाले २० ब० छा० स० के सदस्य आज बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष गुट के प्रभाव में हैं। इस विशेष राजनीतिक गुट द्वारा स्वयं उनके तथा छात्र समुदाय के हितों के विरुद्ध इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात का मुझे अफसोस है क्योंकि मेरे मन में आज भी उनके प्रति पहले जैसा ही स्नेह भाव है। यदि बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मतभेद आज दूर हो जायें तो मुझे विश्वास है कि दूसरे दिन विद्यार्थियों के बीच मतभेद भी दूर हो जायेंगे। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि यह राजनीति गुट अपने किसी व्यक्ति को छात्र सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहता था और अखिल बगाल छात्र सघ के कुछ सदस्य उसकी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए साजिशें रचने लगे थे। इस प्रयोजन के लिए कई दलाल जिलों में भेजे गये। और कुछ मामलों में केवल

उन सघो को मान्यता दी गई जो अ० ब० छा० स० के राजनीतिक गुट का वर्चस्व स्वीकार करते थे और स्वतंत्र रहकर काम करने वालों की उपेक्षा करते थे। इस राजनीतिक गुट के दलालों ने श्रेष्ठ विद्यार्थियों पर अपनी इच्छा धोपने के प्रयोजन से मनमाने ढंग से काम करना शुरू कर दिया। इन कार्यनीतियों के कारण बंगाल के विद्यार्थियों के बीच गहरा असंतोष है। मैमन सिंह अधिवेशन में भी रोष व्यक्त किया गया था। मैं और डा० आलम दोनों मौजूद थे। डा० आलम की नीति और सहानुभूति के कारण हालांकि निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया लेकिन अधिकांश प्रतिनिधि अखिल बंगाल छात्र की कार्यकारिणी के विरुद्ध थे। उन्होंने परामर्श दिया कि कार्यकारिणी को प्रतिनिधियों से समझौता कर लेना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कार्यकारिणी ने ऐसा नहीं किया।

मैं यह पढ़कर आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने विद्यार्थियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मैंने ऊपर बताये कारणों से शुरू से लेकर अब तक छात्र आंदोलन के विकास को प्रोत्साहित किया है। जो छात्र एक राजनीतिक गुट की प्रेरणा से मेरे विरोध में हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि छात्र हित के लिए मेरी क्या सेवाएँ रही हैं? स्वयं अपने कारणों से मेरा विरोध करने वालों में ऐसे अनेक लोग हैं जो शुरू से ही छात्र आंदोलन को किसी भी प्रकार की सहायता किये बिना छात्रों को इस्तेमाल कर रहे हैं।

स्वागत समिति और अखिल बंगाल छात्र सघ की कार्यकारिणी के बीच विवाद के प्रति सम्मान के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने तमाम पत्र व्यवहार और अखिल बंगाल छात्र सघ के सविधान का अवलोकन किया और सविधान की दृष्टि से स्वागत समिति अपनी जगह पर सही थी। पैम्फलेट में श्री सुरेन्द्र मोहन घोष और नलिनी रजन सरकार के विषय में अनेक अप्रिय टिप्पणियाँ की गयी हैं और कुछ बयानबाजी की गई है जो कि साफ तौर पर बेमानी है। लेकिन ये भद्रपुरुष अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हैं। मैं सिर्फ यह कहूँगा कि इन भद्रपुरुषों के साथ मुझे भी इस पैम्फलेट में घसीट लिया गया है। यह तथ्य इस बात का अतिरिक्त प्रमाण है कि इस पैम्फलेट का उद्देश्य पूर्णतः राजनीतिक था और इन कार्यनीतियों के पीछे कई राजनीतिक हस्तियाँ हैं। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि डा० आलम ने अपने कलकत्ता निवास के समय मुझसे कहा था कि अखिल बंगाल छात्र सघ कार्यकारिणी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों ने उनसे कहा था कि वे त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। यही सबकी इच्छा है लेकिन डा० आलम इस तथ्य को प्रकाश में नहीं लाना चाहते थे क्योंकि यह एक व्यक्तिगत बातचीत थी। मैं आम लोगों की जानकारी के लिए इस तथ्य का उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि पैम्फलेट के लेखक ने बयान को चुनौती दी है।

निष्कर्षतः मैं इस बात पर खेद प्रकट करना चाहूँगा कि अखिल बंगाल छात्र सघ की कार्यकारिणी के कुछ सदस्य एक राजनीतिक गुट के षडयंत्र का शिकार हो गये हैं जो फिलहाल बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेरा विरोध कर रहा है। मैं अपनी देखभाल करने में सक्षम हूँ। वे मुझे जो हानि पहुँचा सकते हैं, वह नगण्य हैं कि वे छात्र आंदोलन के लिए भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। यह मात्र एक साधारण घटना नहीं है कि वीरेन्द्र नाथ दाम गुप्ता द्वारा जारी यह पैम्फलेट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के बीच उनके कलकत्ता आगमन पर स्यालदाह स्टेशन पर वितरित किया गया और फिर बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने उसके चुनाव में बाटा गया। ये पैम्फलेट हजारों की सख्या में छापे गये और विभिन्न स्थानों पर वितरित किये

गये। सब जानते हैं कि ये कुचक्र कौन रच रहा है? इस विवाद को कौन हवा दे रहा है इस पैम्फलेट में किसी विधार्थी या विधार्थियों के गुट पर कोई प्रहार नहीं किया गया, सारी आलोचनाएँ मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सुरक्षित रही हैं। मैं राजनीतिक क्षेत्र में इन कार्यनीतियों का अभ्यस्त हो गया हूँ लेकिन इस दाँत से मुझे बड़ी पीड़ा पहुँचती है कि हमारे कुछ होनहार छात्र पुराने छात्रों बाहरी लोगों और राजनेताओं के उकसाने पर स्वयं को भुला बैठे हैं और इन कुत्सि नीतियों से छात्र आंदोलन का अहित कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि वे जल्दी ही अपनी गलती महसूस करेंगे और स्वयं यह समझ जायेंगे कि कौन शत्रु है कौन उनका मित्र है? इस बीच में उन्हें आश्चर्यत करन्ता हूँ कि छात्रों और उनके आंदोलनों के प्रति मेरा सहयोग का रवैया पूर्ववत् जारी रहेगा।

स्वतंत्रता आंदोलन में क्रान्तिकारी रूपांतरण की जरूरत

सेंट्रल प्राविस और बरार छात्र अधिवेशन में अध्यक्षीय वक्तव्य
अमरावती, 1 दिसम्बर, 1929

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने सेंट्रल प्राविस और बरार के छात्र सम्मेलन में भागीदारी की। यह केवल प्रसन्नता ही नहीं बल्कि सौभाग्य की बात है कि मैं इस चरित्र के छात्र सम्मेलन में भागीदारी कर सका। मैं यह बात आग्रह के साथ और निःसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि मैं अपने लोगो के बीच में भी हूँ। हालांकि विश्वविद्यालय के द्वार को छोड़े हुए मुझे एक दण्ड भीत गया लेकिन आज भी मैं स्वयं को एक अन्य विश्वविद्यालय अर्थात् जीवन रूपी विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी-एक विनम्र विद्यार्थी समझता हूँ। यह विश्वविद्यालय आप के विश्वविद्यालय में व्यापक है। हालांकि कि मैं इन दिनों जीवन के विश्वविद्यालय में अपना सबक पाद कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपकी कठिनाइयों और समस्याओं, आप के सुख-दुःख और आप की आशाओं और उम्मीदों को भली प्रकार समझ सकता हूँ।

फिर भी मेरे मन में संदेह है कि क्या मैं वाकई एक छात्र सम्मेलन की अध्यक्ष बनकर योग्य हूँ? क्यों कि "उत्तम चरित्र" की दृष्टि से देखे तो मेरा विश्वविद्यालय जीवन एक कालकर्म रहा। मुझे आज भी याद है जब मेरे प्राचार्य ने अपने सामने हाज़िर किया था और मेरे चरित्र का आदेश दिया था। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूँजते हैं- 'तुम कलेंज में उपादमी लडके हो'। यह मेरे लिए एक चिरस्मरणीय दिन था। कई अर्थों में इसे मेरे जीवन का एक पर्व बिन्दु कहा जा सकता है। यह मेरे जीवन का पहला अवसर था एक जब एक उद्देश्य के प्रति यत्न करने वाले हुए मुझे एक ऐसे आनन्द की अनुभूति हुई जिसके आगे जीवन की दूसरे आनन्द पीके पड जाते हैं। यह मेरे जीवन का ऐसा पहला अवसर भी था जब मेरी सैद्धान्तिक नैतिकता और सैद्धान्तिक देश भक्ति की परीक्षा की गई और जब मैं इन अग्नि परीक्षा में निरापद रूप में बच निकला तो हमेशा के लिए मेरे भावी जीवन की दिशा तय हो गई।

मित्रों, आप कहेंगे कि मैं अजीब सनकी आदमी हूँ जो अपना धायण अपनी आप बीली में शुरू कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप यह नहीं सोचते कि मैं यहाँ नैतिकता और देशभक्ति पर उपदेश देने नहीं आया हूँ बल्कि अपने अनुभवों की रोशनी में आप को कुछ परामर्श देने आया हूँ? क्या यह तथ्य नहीं है कि केवल उसी पाठ का मूल्य एवं महत्व है जिसे अनुभव और उत्पीडन के जरिये पाद किया गया है।

भारत में आज उत्तेजना की लहर है, विचारों के असंख्य धाराएँ और अतर्थास में सक्रिय हैं और विभिन्न आंदोलन, जिनमें से कुछ सुधारवादी हैं और कुछ क्रान्तिकारी। इस देश के रूपांतरण में व्यस्त है। इस विधम की स्थिति में प्रतिष्ठ के प्रगति की रूपरेखा निश्चित कर पाना आसान नहीं है। लेकिन वही लोग ऐसा कर सकते हैं जो युवा हैं। एक आदर्श से अनुप्रेरित हैं जिनमें ऐतिहासिक चेतना है और राष्ट्र की आत्मा से तालमेल बैठा सकते हैं। आज के विभिन्न आंदोलन का विश्लेषण करने और उनके मूल्यों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक से

अधिक भाषण की जरूरत है। अतः मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं अलबत्ता कहना चाहूँगा कि यदि हम भारत का नव निर्माण करना चाहते हैं और इसे एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छे और बुरे के विचारों को बदलना होगा। दार्शनिक भाषा में कहें तो हमें मौजूदा सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पुनर्मुल्यांकन करना होगा।

यह तक कि एक आकस्मिक निरीक्षण करने वाला व्यक्ति भी वह समझ सकता है कि आज के बहुत से आंदोलन अपने चरित्र में सतही और उथले हैं। वे जनता के आंतरिक जीवन में हलचल पैदा किये बिना हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को सिर्फ किनारा भर छू पाते हैं। यह आंदोलन एक दम अनुपयोगी नहीं है। लेकिन इनसे राष्ट्रीय जागरण नहीं आ सकता। हमें इन परिस्थितियों में एक व्यापक जागरण की जरूरत है। राष्ट्र की आत्मा को बहुत गहरे में झकझोरना है। इस कार्य को हम न्यूनतम सभव समय में किस प्रकार संपन्न करें— यही हमारी मुख्य समस्या है। हमारी धरती अति प्राचीन है हमारी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है यद्यपि यह अपने गतिशील चरित्र को खो चुकी है। हम अपने जीवन में अनगिनत उतार-चढ़ाव देख चुके हैं और हम समय-समय पर अनेक आघात सह चुके हैं। अतएव यह कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि हम आज थकान-शिथिलता महसूस करने लगे क्यों कि यह प्रकृति का नियम है कि जीवन रक्षा के लिए समय-समय पर विग्राम और निद्रा आवश्यक है। भले ही हम शिथिल पड़ गये हों लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में निष्प्राण नहीं हुए हैं। विचार और रचनात्मक गतिविधि मूलतः जीवन की पहचान होती है। एक राष्ट्र और एक व्यक्ति के रूप में ये लक्षण हमारे भीतर आज भी मौजूद हैं। यदि हम जीवित न होते तो राष्ट्रीय जागृति की हमारी तमाम आशाएँ निर्मूल थीं। लेकिन आज हम जीवित हैं और एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण हेतु संपूर्ण समाधान हमारे पास हैं। इस रूप में हम एक गौरवशाली भविष्य का स्वप्न देख सकते हैं।

अतएव आज हमें एक राष्ट्रीय जागरण की जरूरत है। जो हमारे जीवन में एक क्रान्तिकारी रूपांतरण लायेगा। ऊपरी सुधारों और सतही समाधानों से बात नहीं बनेगी। यदि आप करना चाहेंगे तो आज हमारे संपूर्ण जीवन के कार्याकल्प—एक सम्पूर्ण क्रान्ति की जरूरत है। क्रान्ति शब्द को लेकर शर्म महसूस न करें। लेकिन जो क्रान्ति में विश्वास न करता हो ऐसा मनुष्य मैंने अभी तक नहीं देखा है। विकास और क्रान्ति में कोई तात्त्विक अंतर नहीं है। क्रान्ति एक सीमित अवधि में घटित हुआ विकास है, विकास एक लंबे समय में घटित होने वाली क्रान्ति है। लेकिन विकास और क्रान्ति दोनों में ही परिवर्तन और प्रगति निहित है और प्रकृति में दोनों के लिए समान स्थान प्राप्त हैं। सच्चाई यह है कि दोनों में से किसी एक के बिना प्रकृति का काम नहीं चल सकता।

मैं कह चुका हूँ कि हमें अच्छे और बुरे को लेकर अपने पुराने विचार बदलने होंगे। मैं यह भी कह चुका हूँ कि हमें संपूर्ण जीवन में एक क्रान्तिकारी रूपांतरण चाहिए। यदि हम एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं और विश्व के अग्रणी राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह परम आवश्यक है। एक आदर्श के लिए जीने पर ही जीवन का कोई मूल्य एवं महत्व है। एक राष्ट्र जी नहीं सकेगा, वास्तव में उसे जीने का अधिकार भी नहीं है यदि उसमें प्रगति की तात्सा नहीं है और वह केवल एक स्वार्थ प्रेरित भावनात्मक प्रयोजन के लिए महानता हासिल करना चाहता है। उसे मानवता को महान बनाने के प्रयोजन से महान बनाने बनने की

आकाशा करनी चाहिए ताकि यह संसार मनुष्य के रहने का एक सुन्दर स्थान बन सके।

भारत के पास तमाम बौद्धिक नैतिक और भौतिक ससाधन है जिनमे यहा की जनता को महान बनाया जा सकता है। भारत अपनी गहरी पुरातनता के बावजूद आज भी जीवित है क्यो कि उसे एक बार फिर महान बनना है। क्योकि उसके पास पूरा करे के लिए एक मिशन है।

भारत का पहला मिशन अपने आप को बचाना है। फिर इसके बाद उसे संसार की संस्कृति और सभ्यता के निमित्त योगदान करना है। पचासो अक्षमताओ के बावजूद आज भारत का योगदान कोई छोडा नहीं है। एक क्षण की जरा कल्पना कीजिए जब वह स्वतंत्र होगा और अपने विवेकानुसार विकास करेगा तब उसका योगदान कितना होगा।

मुझे विश्वास है कि इन आश्चर्यों को हमारे लोग प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ उठ जाने और सतत रूप से सक्रिय होने की जरूरत है। मैं आश्वस्त हू कि एक बार हम जाग गये तो हम धकिया कर आगे बढ़ने वाले पश्चिमी राष्ट्रों को प्रगति के मामले में पीछे छोड सकते है। इसके लिए हमें एक जादुई छडी की जरूरत है, जिसके हिलाने से हमारा सपूर्ण जीवन आनोकित हो उठे। फ्रांस के दार्शनिक बर्गसा ने प्रेरणा की जीवत स्रोत की बात कही थी, जिसके कारण समूचा भसार सक्रियता और प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन की प्रेरणा का जीवत स्रोत क्या है? यह स्वतंत्रता और विस्तार और आत्मभिव्यक्ति की इच्छा है। इस इच्छा का दूसरा रूप दासता के खिलाफ विद्रोह है। यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो, अपने आस-पास के बघनो से मुक्त होना पडेगा और यदि तुम इन बघनो के खिलाफ सफलतापूर्वक विद्राह कर पाते हो तो स्वतंत्रता तुम्हारे कदम चूमेगी।

उन लोगो के अतिरिक्त जिनका नैतिक बोध पूर्ण रूपेण मर चुका है हर मनुष्य दासता के बघनों और अवमाननाओ को न्यूनाधिक महसूस करने के लिए बाध्य है। जब यह भावना गहरी हो जाती है दासता और बघन असहनीय हो जाते हैं और दासता के जुए को फेकने की इच्छा प्रबल हो उठती है। स्वतंत्रता के आनन्द के स्वाद से यह इच्छा और अधिक बलवती हो उठती है। स्वतंत्रता के आनन्द का स्वाद या जो स्वतंत्र देशो के निजी अनुभवो से प्राप्त होता है या अध्ययन और सुखद स्थितियों की कल्पना से प्राप्त होता है जो कि स्वतंत्रता का परिणाम होती है। हमारे देश की मुक्ति के उद्देश्य मे समस्या का मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि हमारे मन को राष्ट्रीय अवमानना और नस्ल भेद के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील बनाया जाए और हमारी स्वतंत्रता की इच्छा को गहराया जाए। इतिहास के अध्ययन, आज की अपमानजनक स्थितियों के निरीक्षण, जीवनादर्शन के चिन्तन तथा इन सब से ऊपर दासता और स्वतंत्रता की अलग-अलग परिस्थितियों को तुलना के माध्यम से यह संभव हो सकता है।

बैटिज्म, इनिर्शिएन, दीक्षा आदि का मेरे लिए केवल एक अर्थ है-स्वतंत्रता के वेदी पर हमारे जीवन का समर्पण। पूर्ण आत्मसमर्पण एक दिन मे संभव नहीं हो सकता लेकिन जैसे-जैसे हमारे भीतर स्वतंत्रता की इच्छा का स्फुरण होगा हमें एक अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति होगी और हम उतना ही अपने जीवन को सार्थक और सोद्देश्य अनुभव करेगे। एक ज्ञान्ति होगी- हमारे विचारो, भावनाओं और आकाशाओ का रूपांतरण होगा। हमारे जीवन मे केवल एक धीज का महत्व है वह है स्वतंत्रता। इस आदर्श की पुष्टि के लिए हमारे आतंरिक जीवन का रूपांतरण पुनर्निर्माण होगा। इस क्रमिक रूपांतरण का अनुभव प्राय अकथनीय है। जब यह रूपांतरण पूर्णता को प्राप्त

होता है हमारा पुनर्जन्म होगा, और सही अर्थों में हम "द्विज" हो जायेंगे। तब हम स्वतंत्रता के विषय में ही सोचेंगे और उसका ही स्वप्न देखेंगे। और हमारी सम्पूर्ण गतिविधियों में केवल एक ही इच्छा व्याप्त होगी, वह है स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा। सारांश यह है कि स्वतंत्रता के मतवाले मनुष्य बन जायेंगे जिनका जीवन केवल स्वतंत्रता के लिए समर्पित होगा।

एक बार जब हमारे हृदय में स्वतंत्रता की इच्छा उद्दीप्त हो जायेगी तब वह अपनी पूर्ति के लिए स्वयं एक उपकरण की तलाश करेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। हम जो अब सीख चुके हैं उसे अनसीखा करना पड़ेगा और हमें जो अब तक पढ़ाया नहीं गया है उसे सीखना होगा। स्वतंत्रता की लड़ाई के योग्य स्वयं को बनाने के सिलसिले में हमारे शरीर और मन को एक नये प्रशिक्षण से गुजरना होगा। हमारे जीवन का वाह्य पक्ष भी बदल जायेगा। विलासिता और विश्राम को त्यागना होगा और पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। इस प्रकार हमारा सम्पूर्ण जीवन स्वतंत्रता प्राप्ति का एक परिशुद्ध उपकरण बन जायेगा।

मनुष्य अन्ततः एक सामाजिक प्राणी है यदि वह शोष समाज से कटा हुआ है तो उसका आत्म परितोष सभव है। व्यक्ति अपने उन्नयन और विकास के लिए समाज पर निर्भर करता है जिस प्रकार कि समाज की निर्भरता व्यक्ति पर है। इससे भी आगे व्यक्ति की प्रगति को कोई मूल्य नहीं है यदि वह सम्पूर्ण समाज के विकास से निरपेक्ष है ऐसा आदर्श को कोई मूल्य नहीं है जिसे एक व्यक्ति ने अंगीकार कर लिया है। किंतु समाज ने इसे निरस्त कर दिया है और वह सामूहिक जीवन का अंग नहीं बन सका है। यदि स्वतंत्रता हमारे जीवन का मूलभूत है हमारी गतिविधियों का जीवन प्रेरणा स्रोत है तब इसे सामाजिक पुनर्निर्माण का एक आधार भी बनाया जाना चाहिए। यदि एक बार स्वतंत्रता के सिद्धान्त को समाज में व्यवहृत कर दिया गया और इसे सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार बना लिया गया तो सामाजिक क्रान्ति में कोई कमी नहीं रह जायेगी। सम्पूर्ण समाज के लिए स्वतंत्रता का अर्थ होगा-पुरुष के साथ-साथ स्त्री के लिए स्वतंत्रता, उच्च जातियों के साथ-साथ दलित वर्गों के लिए स्वतंत्रता, केवल धनवानों को नहीं बल्कि निर्धनों के लिए स्वतंत्रता, आवालवृद्ध सबके लिए स्वतंत्रता। दूसरे शब्दों में कहे तो सभी वर्गों, सभी अल्पसंख्यकों और सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता। इस प्रकार स्वतंत्रता में समानता अंतर्निहित है और समानता से स्वतंत्रता की ध्वनि निकलती है। अतएव एक-एक समाज में स्त्री को कानून के साथ-साथ सामाजिक मामलों में पुरुष के समान अधिकार प्रदान करना होगा। जन्म के कारण जिन वर्गों या जातियों पर हीनता का ब्रांड लगा दिया गया है इसे निर्ममता के साथ नष्ट करना होगा। सामाजिक विकास के मार्ग में आड़े आने वाली आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना होगा और सबको शिक्षा और विकास के समान अधिकार के अवसर प्रदान करने होंगे। जवानी को अब अपराध नहीं समझा जायेगा और पुत्र-पुत्रियों को समाज के पुनर्निर्माण और प्रशासन के दायित्व सौंपे जायेंगे। समाज, देश, और आर्थिक सत्ता में एक व्यक्ति किसी दूसरे की भाँति ही स्वतंत्र होना चाहिए और उसे समान दर्जा मिलना चाहिए। सबको समान अवसर, धन का समान वितरण सामाजिक नियमों का उन्मूलन, जाति प्रथा का अंत और विदेशी शासन से मुक्ति-हम जिस समाज को बनाना चाहते हैं उसके आधारभूत सिद्धान्त ये होने चाहिए।

मित्रो, मैं नहीं जानता कि मेरे सिद्धान्तों में आप मुझे कल्पना जीवी समझे या एक स्वप्न द्रष्टा। लेकिन यदि मुझे एक स्वप्न दर्शा समझते हैं तो मैं कहूंगा कि मैं अपने सपनों में प्रेम करता हूँ। ये सपने मेरे लिए वैसे ही सच्चे हैं जैसे कि दिन में एक सड़क पर खड़े हुए एक व्यक्ति के लिए आल-पास का सत्तार। इन सपनों में मुझे प्रेरणा और सकल्प शक्ति प्राप्त होती है। सपनों के बिना मैं जी नहीं सकता क्यों कि फिर जीवन में कोई अर्थ और अर्पण शेष नहीं रह जाता। मैं जिस सपने को प्रेम करता हूँ वह है एक स्वतंत्र भारत-एक गौरवशाली भारत का सपना। मैं भारत को अपने गृहस्वामी और अपने भाग्य के राजा के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी धरमना नौसेना और वायुसेना के साथ एक स्वतंत्र गणराज्य हो और स्वतंत्र देशों की राजधानियों में उसके राजदूत हो। मैं चाहता हूँ कि भारत पूर्व और पश्चिम के सङ्घर्ष के रूप में सत्तार के सामने खड़ा हो। मैं चाहता हूँ कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता के एक नये सिद्धान्त के साथ विश्व भ्रमण करे।

आज के विद्यार्थियों आप भविष्य के निर्माता हैं। आज स्वतंत्र भारत के उत्तरदायी बनने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि आप मेरे कुछ सपनों और आकांक्षों में भागीदारी करें। मेरे सपने आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। क्या आप मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? आज के श्रेष्ठतम आदर्शवाद से ओतप्रोत होना चाहिए। उदात्त आदर्श आप को अर्थी कर सकते हैं वे सार्थक जितने उच्चतर होंगे उतने ही आप को प्रेरित करेंगे और आप के प्रयुक्त गुणों को वास्तु करेंगे। अन्त उठो, जागो। आप का विद्यार्थी जीवन केवल रोजगार पाने की उद्दिष्टि नहीं है। यह जीवन केवल रोजी-रोटी कमाने तक ही सीमित नहीं है। बल्कि यह एक उच्चतर लक्ष्य की पैदारी है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता। मैंने आपके समक्ष एक भविष्य का स्वप्न रखा है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस भविष्य में तुम्हें खुद भूमिका अदा करनी है अन्त में यह वह भविष्य है जिसका आपको अपने त्याग और परिश्रम में निर्माण करना है। आप को अपने शरीर और मन को भावी जीवन के समुचित वाहक के रूप में प्रशिक्षित करना है। आपके अतीत और वाह्य जीवन से यह पुष्ट हो सके कि आप सेवा के लिए समर्पित हैं। आप की शिक्षा एक सन्कृति को उस लक्ष्य से निर्देशित होना होगा जो कि आप के सामने है। मैं जिस जीवन का आप को परमार्थ दे रहा हूँ वह कष्टपूर्ण हो सकता है लेकिन आप मुझ पर विश्वास करें यह बड़ा ही आनन्ददायक है। मैं जिस मार्ग के लिए आप का अह्वान कर रहा हूँ वह काटो भरा हो सकता है। लेकिन क्या यह अविनाशी गौरव की ओर अग्रसर करने वाला मार्ग नहीं है। अन्त आओ एकजुट होकर और कंधे से कंधा मिलाकर इस श्रेष्ठ की ओर बढ़ें चलो तभी हम अपने मानवीय जीवन को सार्थक बना सकेंगे तथा अधिकार दुःख पीडा और यातनाओं में गुजरते हुए अतोगत्वा हम जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य-परम आनन्द और अनश्वरता तक पहुँच सकेंगे।

वदे मत्तुम्

बंगाल कांग्रेस का चुनावी विवाद

इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू का बयान, 17 दिसंबर, 1929

इलाहाबाद में आयोजित कार्य समिति की अंतिम बैठक में मुझे बंगाल के चुनावी विवाद को सुलझाने हेतु पंच के रूप में नियुक्त किया गया। यह अप्रिय दायित्व मैंने इस भाव के साथ स्वीकार कर लिया कि मेरे पूर्वग्रहों के रहते हुए एक स्थानीय जाच बैठाई जानी मेरे लिए संभव नहीं होगा। कार्य समिति के कुछ सदस्यों ने डा० पट्टाभि सीता रमैया की नियुक्ति की सिफारिश की जो कि गवाही लेने वाले कमिश्नर के रूप में वहां उपस्थित थे। डा० सीता रमैया ने अनिच्छा व्यक्त की और तुरंत बैठक छोड़कर चले गये। उनकी अनुपस्थिति में सुभाष चंद्र बोस और जे० एम० सेन गुप्ता की मौजूदगी में इस प्रश्न पर बहस की गई कि कार्य समिति के सदस्यों में से कौन व्यक्ति इस प्रकार के आयोग के कार्यभार को सभाल सकता है। अतएव अंतिम रूप से इस बात पर सहमति हुई कि डा० सीता रमैया से आयोग का दायित्व स्वीकार करने के लिए पुनः पूछा जाये। जब यह समझ बन गयी तो सेन गुप्ता और सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता चले गये। मैं उन्हें डा० पट्टाभि सीता रमैया को मनाने में सफल हो गया। तदनुसार मैंने सेनगुप्ता और सुभाष चंद्र बोस को तार द्वारा सूचित कर दिया कि मेरी ओर से जाच करने के लिए डा० पट्टाभि सीता रमैया को नियुक्त कर दिया है।

कार्य समिति की पुष्टि के पूर्वानुमान के आधार पर मैंने यह निर्देश कर दिया कि मौजूदा विवाद के अंतिम रूप से सुलझ जाने तक पिछले वर्ष बंगाल से चुने गये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कार्य करते रहेंगे।

अब मैं जे० सी० गुप्ता और एस० के० मिश्रा द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उल्लेख करता हूँ। उनकी मुख्य शिकायत यह भी थी कि जब कमिश्नर के सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं, तो भी दूसरे पक्ष ने अपनी दीर्घसूत्री कार्यनीति के कारण विवाद के त्वरित निर्णय को टाल दिया। श्री गुप्ता और मिश्रा ने यह दलील भी रखी कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक अवसर दिया जा सकता है कि वह उनके मामले को मेरे सामने रख सके और किसी निकट की तिथि पर उनकी सुनवाई करने के लिए मुझ पर दबाव डाल सके। रिक्त स्थान भरने के अलावा बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपने सविधान के प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार नहीं है। प्रतिनिधि जिला समितियों द्वारा चुने जायेंगे नहीं, यह हुआ कि मैंने जाच स्वीकार कर दी।

सुभाष चंद्र बोस का बयान

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू के बयान से मैं बहुत आश्चर्यचकित और क्षुब्ध हूँ। मुझे भय है कि मुझे उनके बयान की गई कुछ गलत टिप्पणियों का खंडन करना है। यदि मैं चुप रहता हूँ तो जनता के मन के कुछ धारणा बन सकती है।

इलाहाबाद की कार्य समिति की बैठक में बंगाल के विवाद की जाच करने हेतु एक के बाद

एक कई नाम सुझाये गये। जब डा० पट्टाभि सीता रमैया का नाम सुझाया गया तो स्वयं डा० सीता रमैया ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि बंगाल जैसे महत्वपूर्ण विवाद को सुलझाने का दायित्व किसी असाधारण व्यक्तित्व को सौंपा जाना चाहिए। इसके बाद उनका नाम रोक दिया गया और हम दूसरे नामों पर विचार करने लगे। अन्य लोगों के साथ-साथ हमने पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर भी विचार किया। लेकिन हमें सूचना मिली कि पंडित मालवीय इलाहाबाद छोड़ चुके हैं। अततोगत्वा हम इस बात पर सहमत हुए कि स्वयं अध्यक्ष इस दायित्व को सभालेगा।

कमिश्नर की नियुक्ति के प्रश्न पर इलाहाबाद में कभी विचार नहीं किया गया। इस बात से आश्वस्त होने के बाद हम सबने इलाहाबाद से प्रस्थान कर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस मामले को स्वयं अपने हाथों में ले रहे हैं। जब कलकत्ता आने के बाद मैंने पंडित का यह तार पाया कि डा० सीता रमैया इस मामले की जांच कर रहे हैं तो आश्चर्यचकित रह गया। इस तार से मैं साफ नहीं समझ पाया कि डा० पट्टाभि को कौन से अधिकार प्राप्त किये गये हैं। मैं डा० पट्टाभि की नियुक्ति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पंडितजी को तुरन्त तार किया लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में मुझे आश्वस्त किया कि अंतिम निर्णय उनके हाथ में रहेगा और डा० पट्टाभि को मात्र जांच करने और गवाहिया लेने हेतु कमिश्नर के रूप में भेजा गया था। मैं जिन्हें पवित्र मानता हूँ उनके वास्तव से यह कहता हूँ कि मैं कमिश्नर के रूप में डा० पट्टाभि की नियुक्ति में शामिल नहीं था। मुझे नियुक्ति की पहली सूचना तब मिली जब मैंने कलकत्ता में पंडित जी का तार पाया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया है। मैंने उनकी ओर से डा० पट्टाभि की नियुक्ति का तार पाने के तुरन्त बाद उन्हें एक तार प्रेषित किया था जिसमें मैंने नियुक्ति को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया था। यदि मैं इस नियुक्ति के प्रति सहमति देने वाला व्यक्ति रहा होता तो मैं आश्चर्य व्यक्त क्यों करता?

मुझे अत्यन्त खेद है कि अ० भा० का० कमेटी के अध्यक्ष ने श्री जोगेश गुप्ता और सतोप मिश्र के एक पक्षीय बयान को सुनने और डा० पट्टाभि को एक पक्षीय रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद अपने बयान में कुछ टिप्पणियाँ की हैं। उन्होंने यह बयान जारी करने से पहले हमें अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जब कि हमने निवेदन किया था कि अपना फैसला देने से पहले हमारी सुनवाई अवश्य करे। मैं आश्वस्त हूँ कि यदि पंडित जी श्री गुप्ता और मिश्रा की तरह अपना फैसला देने से पहले हमारी सुनवाई भी करते तो इस बयान को जारी करने की जरूरत ही महसूस न होती या फिर बिल्कुल भिन्न रूप से जारी किया जाता। हमें तार द्वारा सूचित कर दिया गया कि वे जांच को फरवरी तक स्थगित कर चुके हैं फिर इसके बाद डा० पट्टाभि की एक पक्षीय रिपोर्ट और हमारे विरोधी श्री गुप्ता और मिश्रा के बयानों को स्वीकार करने का क्या औचित्य था?

मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस निर्देश को लेकर भी आश्चर्यचकित रह गया कि अ० भा० का० कमेटी को बंगाल से चुने गये सदस्य विवाद के अंतिम समाधान तक कार्य करते रहेगे। मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनेक नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रतिरोध की जानकारी मिली है। जो कुछ सेट्रल प्राविस (मराठी) में पंडित हुआ उसकी बंगाल की स्थिति से कोई तुलना नहीं है, जैसा कि पंडित जी ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि

सेट्टल प्राविस (मराठी) में चुनाव नहीं हुए थे जब कि बंगाल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नियमानुसार सम्पन्न हुए थे। पंडित जी को शायद याद होगा कि उन्होंने मुझे इस आशय का तार किया था कि अब ० प्र० का० कमेटी तब तक कार्य करती रहेगी जब तक इसके ऊपर किसी को नियुक्त नहीं कर दिया जाता। बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी विधिक प्रक्रिया द्वारा सदस्यों को निर्वाचित कर चुकी है। इन सदस्यों को काम करने से कैसे रोका जा रहा है।

मौजूदा विवाद के विषय में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं किसी बाद के मौके पर कहूंगा। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि डा० पट्टाभि ने जाच शुरू करने से पहले इस विवाद को सुलझाने के दिशा में मैत्रीपूर्ण प्रयास किये थे और मैं नहीं जानता कि पंडित जी को किसने सूचना दी थी? न ही मैं यह जानता कि श्री जोगेश गुप्ता और सतोष मिश्रा का बंगाल के बीस जिलों की ओर से बोलने का अधिकार किसने दिया था। बंगाल के सभी जिलों से चुने गये सदस्यों की सूची हमें अभी प्राप्त हुई है हालांकि अनेक सदस्य दूरी के कारण लाहौर जाने में हिचक सकते हैं, फिर भी लाहौर कांग्रेस में बंगाल का प्रतिनिधित्व अच्छा रहेगा।

यूनियन बोर्ड की स्थापना के विरुद्ध अभियान

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जारी एक बयान, 20 दिसम्बर, 1929

लोग जागरूक हैं कि जैसोर जिले की बादा बिल्ला यूनियन में केन्द्रीय परिषदों की स्थापना के विरुद्ध लगभग छ माह से अभियान चल रहा है। इस अभियान के पहल बादा बिल्ला कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई है और इस कमेटी के सचिव श्री विजय चन्द्र राय ने इसके नेतृत्व को सभाला। जब जुलाई के अंत में जैसोर में जिला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ इसने बडाबिल्ला की स्थिति का जायजा लिया गया और कांग्रेस ने इस मामले की जाच के लिए एक समिति नियुक्त की। तब से जैसोर के प्रमुख नेता इस आंदोलन में दिलचस्पी लेने लगे।

जैसोर कांग्रेस कमेटी और साथ में बडाबिल्ला की स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने हमसे इस अभियान की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए निवेदन किया था। तत्पश्चात् बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्थिति की जाच करने और रिपोर्ट देने हेतु एक समिति नियुक्त की। समिति ने स्थानीय परिवेश का निरीक्षण किया और अभियान चलाने को लेकर बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पक्ष में रिपोर्ट दी। इसके बाद मैं जैसोर और बडाबिल्ला गया और इस अभियान को चलाने की अपेक्षा से प्रभावित हुआ। इस शाम (20, दिस०) बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक हुई। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा बडाबिल्ला और जैसोर की परिस्थितियों को देखते हुए हम अभियान के दायित्व को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए एक प्रतिनिधि समिति का गठन भी कर दिया। बंगाल ग्राम स्वशासन अधिनियम, 1919 के तहत सरकार किसी जिले या जिले के किसी भाग में अपनी इच्छानुसार केन्द्रीय परिषदों की स्थापना कर सकती है। कई इलाकों से केन्द्रीय परिषदें पिछले दिनों हटा ली गईं जहाँ कि लोगों ने इनके गठन का विरोध किया था।

लोगो द्वारा केन्द्रीय परिषदो के गठन के विरोध के अनेक कारण है लेकिन कराधान मे वृद्धि इसका मुख्य कारण है। जैसोर जिले में केन्द्रीय परिषद की स्थापना के बाद ही करो मे वृद्धि हुई। बडाबिल्ला यूनियन मे लोगो ने यूनियन बोर्ड के करो का भुगतान करने से इकार कर दिया और कर वद अभियान" पूरी तेजी के साथ चल पडा। सरकार ने कठोर दमन नीति अपनाई और हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओ सहित अनेक ग्राम वासियो पर मुकदमे चलाये। कर भुगतान न करने वालो की चल संपत्ति को जब्त कर लिया गया और कभी-कभी चुपके से नीलाम कर दी गई। चालीस पचास और साठ रुपये कीमत रखने वाली मवेशी कौडियो के दाम बेच दिए गए फिर भी ग्रामवासी निर्भोक बने रहे। और उन्हे एक सफल अत तक इस अभियान को चलाने को निश्चय किया।

मै जनता और तमाम दलो से साग्रह निवेदन करता हू कि वे अपने मतभेद भुलाकर इस अभियान की सफलता मे योगदान करे।

युवा आदोलन का लक्ष्य

मिदनापुर युवा सम्मेलन मे भाषण, 21 दिसम्बर, 1929

आज आप ने मिदनापुर युवा सम्मेलन का आयोजन किया है और मुझे इसकी अध्यक्षता हेतु आमंत्रित किया है। मैने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है लेकिन जब आप इस सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं तो आपका ध्यान कभी इस ओर भी गया कि राजनीतिक सम्मेलन के बजाय इसे युवा सम्मेलन क्यों कहना चाहिए? देश और देश से बाहर सस्थाओ और आदोलनो का अकाल नहीं है तब युवा आदोलन की क्या आवश्यकता पडी। इस कारण को समझना कोई मुस्किल नहीं है। सभी देश के युवा लोगो मे भारी अधैर्य और असतोष है। उन्हे जीवन की वास्तविकताओ मे अनिर्हित अपने आदर्श की प्राप्ति नहीं होती। वे जो चाहते है उन्हे प्राप्त नहीं होगा। अतएव वे विद्रोही हो उठते है और उनके रास्ते मे आने वाले तमाम व्यक्तिओ और सस्थाओ को विस्थापित करने का सकल्प कर लेते है।

आज बहुत से लोग युवा सघो के गठन के लिए प्रयत्नशील है लेकिन चद लोग ही युवा आदोलनो के आदर्श लक्ष्य और कार्यक्रम की समझ रखते है। युवा सघो को किसी सामाजिक सस्था की प्रतिकृति सूझना एक भूल होगी और युवा सघ भिन्न नामो और लेबलो से युक्त कांग्रेस कमेटिया भी नहीं है। वास्तव मे युवा आदोलन अपने आदर्श और कार्यक्रम रखने वाला एक बिल्कुल अलग आदोलन है। अतएव वे लोग जो कांग्रेस के नेतृत्व मे असफल रहे है वे मानते है कि युवा आदोलन से जुडकर काम करने का कोई महत्व नहीं है। मै एक बिन्दु की ओर आप का ध्यान आकर्षित कर रहा हू। बगाल के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक नजर डालिये आप देखेंगे कि कितने समर्पित कार्यकर्ता इस आदोलन मे जुटे हुए हैं। मै शुरू मे एक बात और कह देना चाहता हू कि युवा सघ न तो कांग्रेस का उपसगठन है और न एक समाज सेवी सस्था। युवा आदोलन का लक्ष्य नवीन की रोज है और इसके माथ-साथ एक नवीन समाज एक नवीन राज्य और एक राजनीति दर्शन की स्थापना लोगो को एक उच्चतर जीवन की ओर अग्रसर करना। जिसका हृदय एक नवीन

और उच्चतर जीवन की प्राप्ति की आकांक्षा से परिपूर्ण है, वह वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ अवश्य विद्रोह करता है।

मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को जानना चाहता है, वह क्यों जीता है और उसका आत्म परितोष कहाँ निहित है? जब तक उसे इस प्रश्न का सतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, उसका जीवन भार स्वरूप हो जाता है और उसके गुण प्रसुप्त बने रहते हैं। इस प्रश्न का सुराग हर व्यक्ति के पास नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर खोजने में समर्थ नहीं है वह दूसरों की सहायता कैसे कर सकता है? जब कि सपने सबको प्रिय लगते हैं। हमारे स्वर्गीय नेता देशबधु चितरजन दास का भी एक सपना था। यह सपना उनकी ऊर्जा और आनंद का स्रोत था। हम उस सपने के उत्तराधिकारी हैं। हमारी सब गतिविधियाँ इसी सपने से परिचलित हैं। वह सपना और आदर्श क्या है? जो मैं चाहता हूँ वह है संपूर्ण स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र राज्य। मैं एक ऐसा समाज चाहता हूँ जिसमें व्यक्ति को भारी आदेशों के नीचे न दबना पड़े। एक ऐसा समाज जिसमें जाति प्रथा नहीं होगी। एक ऐसा समाज जिसमें स्त्री को पुरुष के समतुल्य अधिकार हों और उसे नागरिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे जाये, ऐसा समाज जिसमें धन असमानता न हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। मैं विदेशी प्रभुत्व से मुक्त राज्य चाहता हूँ एक ऐसा राज्य जो हमारे समाज के साथ हिल-मिल कर काम करे। इस सब से ऊपर मैं एक ऐसा समाज और राज्य चाहता हूँ जो भारतीय जनता की तमाम जरूरतों को न केवल पूरा करेगा बल्कि समूचे विश्व के समक्ष एक आदर्श उपस्थित करेगा। मैं ऐसे समाज और राज्य का सपना देखता हूँ। मेरे युवा मित्रों, मेरे पास आप को देने के लिए इस सपने के सिवा कुछ नहीं है, जिससे मुझे असीम ऊर्जा और आनंद की प्राप्ति होती है और जिससे मैं आत्म परितोष की अनुभूति करता हूँ।

नये समाज को निर्माण समानता के आधार पर होगा व जातिप्रथा को नष्ट करना होगा। स्त्री को तमाम बंधनों से मुक्त करना होगा और पुरुष के समान अधिकार देने होंगे। धन की असमानता को दूर करना होगा नस्ल जाति और रंग के भेद को भुलाकर सबको शिक्षा और विकास के समान अवसर प्रदान करने होंगे।

सक्षेप में हमें भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता चाहिए जो इस स्वाधीन भारत में जन्म लेगे उनका राष्ट्रों के समुदाय में सम्मान किया जायेगा।

दर्शन एवं विज्ञान, धर्म एवं कर्म, शिक्षा एवं सस्कृति के क्षेत्र में भारत फिर से अन्य राष्ट्र से श्रेष्ठतर बन जायेगा। अब हमारे कर्तव्यों के विस्तृत वर्णन की जरूरत नहीं है। हम नये भारत के निर्माता हैं। हम सब एक हो जाये और इस पवित्र एवं महान कार्य में जुट जायें।

समानांतर सरकार और पूर्ण बहिष्कार

सब्जैक्ट कमेटी की एक बैठक में प्रति-प्रस्ताव, 31 दिसम्बर, 1929

मैं महात्मा गांधी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि वे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लेकर सामने आये। लेकिन मैं आप के सामने इसलिए हाजिर हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि यह एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके माध्यम से हम पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। मेरा सशोधन अपने आप में पूर्ण और एक व्यावहारिक कार्यक्रम है, मेरे कार्यक्रम के दो मुख्य अंग हैं—रचनात्मक और साथ में ध्वसात्मक। मैं नहीं समझता कि हम जनता की सदिच्छा पर आधारित एक समांतर सरकार बनाये। इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं आयरलैंड के सिन फ्रीवर्स का उदाहरण हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि हमारी जनता अपने अभियान में आयरलैंड का अनुकरण करे। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की एक मात्र योजना समानांतर सरकार की स्थापना है।

मुझे विश्वास है कि यदि हम अपने कार्यक्रम को तेजन्वी और सघर्षमय बना लेते हैं तो हम बाहर के लोगों को इसमें जोड़ने में सफल हो सकेंगे। मेरा अभिप्राय किमानो मजदूरो और युवाओं से है। इन तबकों की कांग्रेस के खिलाफ अनेक आर्थिक और सामाजिक परेशानियाँ हैं। वे सिर्फ राजनीतिक कष्टों के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं और कांग्रेस उनकी आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का उपचार नहीं कर पा रही है। हम उन्हें अपने दायरे में लेना चाहते हैं और उनकी ऊर्जा व ससाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस दलित वर्गों की समस्याओं के साथ जोड़कर अपनी पहचान नहीं बनाती है तब तक कांग्रेस अपने राजनीतिक कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ा सकती है?

यदि बहिष्कार उपयोगी कारगर और प्रभावशाली बनाना है तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले हमें एक संपूर्ण बहिष्कार का कार्यक्रम अमल में लाना होगा। मुझे आशिक बहिष्कार की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती। अदालतों में वकालत करना और कलकत्ता कांपेरिशन जैसी सन्धा में प्रवेश के समय राजभक्ति की शपथ लेना स्वाधीनता के सिद्धान्त के अनुकूल है। हमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा स्वाधीनता प्राप्ति के कार्य में लगा देनी है। मेरा सिद्धान्त है—या तो पूर्ण या कुछ भी नहीं। बहिष्कार को अपनाना है तो पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। अदालतों और स्थानीय सन्धाओं में भागीदारी और काउंसिलों के बहिष्कार का कोई औचित्य नहीं है। राजनीति में कभी-कभी परिस्थितियों की मांग को देखते हुए झुकना भी पड़ता है जैसा कि सिन फ्रीवर्स ने किया था। उसने राजभक्ति की शपथ लेने के बाद ससद में प्रवेश किया था। इसी प्रकार वहा कम्युनिस्ट भी ससद में बैठे थे। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से मेरा यह विश्वास है कि स्थानीय सन्धाओं में जाना स्वाधीनता के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा विचार है कि इस स्थिति में पूर्ण बहिष्कार परमावश्यक है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं महात्मा गांधी द्वारा लाये गये प्रस्ताव के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली घोषणा पत्र पर मैंने हस्ताक्षर नहीं किये थे और मैं नहीं चाहता कोई व्यक्ति इसका समर्थन करे जैसा कि हमने आज 31 दिसम्बर को किया। क्या आप दिल्ली घोषणा पत्र के समर्थन को तैयार हैं क्या आप भारत

के वायसराय की प्रशंसा करना पसंद करेगे। गोलमेज सम्मेलन एक पाखंड है। क्या आप अपने अंतःकरण से प्रस्तावना का अनुमोदन करते हैं। महात्मा गांधी ने सबैक्ट्स कमेटी में एक आश्वासन दिया था कि जहां तक उनका संबंध है, वे सम्मेलन में जाने का इरादा नहीं रखते। यह सदन के अधिकार में है यदि आवश्यक हो तो वह इस वाक्यांश को रहने दे।

अब जहां "गोलमेज सम्मेलन" शब्द बाध बध पर गौर कीजिए, मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे देशवासी इसे गोलमेज सम्मेलन क्यों कहते हैं? निश्चित रूप से यह "गोलमेज नहीं थी। मेरे अनुसार यह चौकोर मेज सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन अपने अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से जुझती हुई युद्धरत शक्तियों का एक सम्मेलन है और सम्मेलन में लिये गये निर्णयों की बाधता दोनों पर है। मैं आप से पूछता हूँ कि-क्या आप को विश्वास है कि भारत की जनता को यह अनुमति दी जाएगी कि वह अंग्रेजी हुकूमत से बराबर की शर्तों पर बातचीत करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेज सके। क्या आप आश्वस्त हैं कि सम्मेलन में लिये गये निर्णयों की ससद द्वारा पुष्टि कर दी जायेगी? जब-जब संधिया हुईं आप सब जानते हैं यहां तक दक्षिण अफ्रीका और अंग्रेजी हुकूमत के बीच बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकले उनका दोनों पक्षों ने सम्मान किया। मैं जानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के मामले में जो सविधान तैयार किया गया उसे व्याकरण की अशुद्धि के बावजूद ससद ने स्वीकृति प्रदान कर दी। यहां तक कि ब्रिटिश राजनेता इसकी व्याकरणिक अशुद्धियों को भी ठीक नहीं कर सके। यह सही मायने में गोलमेज सम्मेलन है लेकिन यहाँ क्या माजरा है? मैंने सुना है कि शासन प्रमुख और यूरोपियन चैम्बर्स आफ कामर्स अपने प्रतिनिधि भेजेगे। क्या शासन प्रमुखों और अंग्रेजों का यूरोपियन चैम्बर्स आफ कामर्स के बीच कोई लड़ाई जारी है? अंग्रेजी राष्ट्र बरकरार है क्या वफादारों और अंग्रेजी हुकूमत के बीच कोई लड़ाई जारी है। तब इन पार्टियों को गोलमेज सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि क्यों भेजने चाहिए।

लेकिन हमारे देश के लोग आज इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं अब देखना है कि अंग्रेज इसे क्या कहते हैं?

ब्रिटिश राजनेताओं ने अपने भाषणों में उचित कारणों से इसे गोलमेज सम्मेलन नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या पिछले कुछ वर्षों से जारी कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम स्वाधीनता लाने के लिए पर्याप्त हैं। मेरे अनुसार नहीं हैं। निःसंदेह इस कार्यक्रम में सविनय अवज्ञा का सदर्थ है। लेकिन इसी समय मैं कहूँगा कि सविनय अवज्ञा का आयोजन इस कार्यक्रम द्वारा संभव नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक हम युवाओं, किसानों और मजदूरों को सगठित नहीं करेंगे तब तक सविनय अवज्ञा हमारे लिए मृग-मरीचिका बनी रहेगी। अतएव, यदि आप इस प्रस्ताव को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूँगा कि आप एक प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार करें। एक समयानुकूल कार्यक्रम बनाना आवश्यक है इसका विधार्थियों युवाओं और मजदूरों द्वारा स्वागत किया जायेगा।

पिछले वर्ष कलकत्ता कांग्रेस में हमने स्वाधीनता के सिद्धान्त में परिवर्तन करना चाहा था। यह संभव न हो सका। मैं सोचता हूँ हम एक वर्ष प्रतीक्षा कर चुके हैं। मैं निवेदन करूँगा कि आप विचार करें इस सिद्धान्त में परिवर्तन न करके आपने क्या पाया? एक वर्ष व्यर्थ गया। यदि यह सगोधन अभी स्वीकृत नहीं हुआ, ईश्वर ने चाहा तो निकट भविष्य में शायद अगले वर्ष अवश्य स्वीकृत हो जायेगा।

महात्मा गांधी के प्रस्ताव को देश के युवाओं का समर्थन नहीं मिलेगा। अतएव मैं महात्मा गांधी से हालात का जायजा लेने और युवा पीढ़ी के हृदय की भावनाओं को समझने का निवेदन करूंगा। अपना स्थान ग्रहण करने से पहले मैं महात्मा को यह प्रस्ताव लेकर सामने आने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।

117877

पूर्ण बहिष्कार का कार्यक्रम

कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाषण, 31 दिसम्बर, 1929

अपने प्रकरण पर आने से पहले मैं महात्मा गांधी का पूर्ण स्वराज सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मुझे अपना सशोधन पेश करना पड़ा क्योंकि मेरा विश्वास है कि उनके द्वारा लाया गया प्रस्ताव हमें पूर्ण स्वराज की ओर अग्रसर नहीं कर सकता। मेरा सशोधन अपने लक्ष्य में पूर्ण सगति रखता है और आज के समय की प्रकृति के अनुकूल है। मुझे कोई सदेह ही नहीं कि अभी नहीं तो आगामी कांग्रेस में इस सशोधन को देश की युवा पीढ़ी का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा।

मेरा कार्यक्रम एक पूर्ण बहिष्कार का कार्यक्रम है। मैं नहीं समझता कि दूसरे पहलुओं की उपेक्षा करते हुए बहिष्कार को केवल एक पहलू तक सीमित रखने की कोई उपयोगिता होगी। अदालतों में जाकर वकालत करना हमारे स्वाधीनता के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं होगा। राजभक्ति की शपथ लेकर कलकत्ता कॉर्पोरेशन जैसी सस्था में प्रवेश करना भी अनुकूल नहीं है। आप को इन सबका परित्याग क्यों करना चाहिए। इसका एक अन्य कारण है। हमारे सामने दुष्कर कार्य है हमारे कंधों पर एक बड़ा दायित्व है। इसलिए हमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा और समय को अपने कार्य में व्यय करना है। मैं कहना चाहूंगा कि इस स्थिति में यदि आप पूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार नहीं हैं तो आप के द्वारा मात्र काउंसिलों के बहिष्कार कोई औचित्य नहीं है।

हमें अपने कार्यक्रम और लक्ष्य में सगति रखनी होगी। या तो हम पूर्ण बहिष्कार करें या कुछ नहीं। मैं एक अतिवादी हूँ और मेरा सिद्धान्त है या तो पूर्ण या कुछ नहीं। यदि मैं सार्वजनिक सस्थाओं को हथियाने की बात करता हूँ फिर मैं प्रत्येक सार्वजनिक सस्था को हथियाना चाहूंगा। यदि हम बहिष्कार करते हैं तो फिर वह पूर्ण बहिष्कार क्यों न हो? और हम अपने ध्यान और ऊर्जा को कुछ अन्य कार्यक्रमों पर केन्द्रित क्यों न करें। अतएव मैं अपने कार्यक्रम के अनुमोदन की पूरे जोर के साथ वकालत करूंगा मैं जानता हूँ आज भारत का जनमत इसके पक्ष में है।

अब महात्मा गांधी जी के प्रस्ताव के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। प्रस्तावना में आप से कहा गया है कि आप दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की कार्यसमिति की कार्यवाही का समर्थन करें। साथ ही क्या आप गोलमेज सम्मेलन के सदस्य को स्वीकृति देने को तैयार हैं? मैं इसे गोलमेज सम्मेलन नहीं कहूंगा। यह निश्चित रूप से गोलमेज नहीं है मैं इसे चौकोर कहूंगा। गोलमेज सम्मेलन दो जूझती हुई पार्टियों का सम्मेलन होता है जिसमें दोनों विरोधी पक्षों के अधिकृत व्यक्तियों को

प्रतिनिधित्व होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिनिधियों से बातचीत करने हेतु क्या भारत की जनता से अपना कोई प्रतिनिधि भेजने के लिए पूछा गया? क्या हमें आश्वस्त किया गया है कि इस सम्मेलन में लिये गये निर्णय दोनों पक्षों द्वारा मान्य किये जायेंगे? क्या हम आश्वस्त हैं कि सम्मेलन के निर्णय ब्रिटिश ससद के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे?

आप जानते हैं जब ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के बीच संधि हुई जब सम्मेलन में लिखे गये निर्णयों का दोनों पक्षों ने सम्मान किया। इस सच्चाई को मैं जानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के मामले में जो सविधान तैयार किया गया वह व्याकरण की अशुद्धियों के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया और ब्रिटिश ससद ने इसकी व्याकरणिक अशुद्धियों को भी दूर नहीं किया। इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। भारत के लिए प्रस्तावित इस सम्मेलन का चरित्र क्या है? साइमन कमीशन और उससे जुड़े हुए तमाम लोग वहाँ होंगे और इसके साथ ही सम्मेलन में लिये गये निर्णय पुष्टि के लिए ससद के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं यूरोपियन चैंबर्स आफ कामर्स तथा शासन प्रमुख भी सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। क्या अंग्रेजी हुकूमत और यूरोपियन चैंबर्स ऑफ कामर्स व शासन प्रमुखों के बीच कोई लड़ाई है? क्या सरकार और वफादारों के बीच कोई द्वन्द चल रहा है। मुझे ऐसी किसी लड़ाई की जानकारी नहीं है। जब इस प्रकार की समस्याओं को सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजना है तो मैं कहता हूँ कि यह गोलमेज सम्मेलन नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के लोग इसे गोलमेज सम्मेलन कहने पर तुले हुए हैं और अंग्रेज इसे गोलमेज सम्मेलन नहीं कहना चाहते हैं।

एक तर्क के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि इस प्रस्ताव में एक रचनात्मक कार्यक्रम तजवीज किया है जिसके द्वारा हम भारत की राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि सदन इस बात पर विचार करे कि कांग्रेस जिस रचनात्मक कार्यक्रम को पिछले कुछ वर्षों से प्रचारित कर रही है क्या वह पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रस्ताव में सविनय अवज्ञा का प्रावधान है। लेकिन मैं कहूँगा कि सविनय अवज्ञा तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम मजदूर, किसानों और दलित वर्गों को उनके विशिष्ट कष्टों के आधार पर संगठित नहीं करते। यदि मेरा कार्यक्रम अपना लिया जाता है, यह स्वाधीनता के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त है और प्रभावशाली साबित होगा। मैं प्रस्ताव के समर्थकों से निवेदन करूँगा कि वे बढ़ती हुई परिस्थितियों और जनता विशेष रूप से युवाओं की भावनाओं को समझे तथा मेरा सुझाव स्वीकार करें।

पूर्ण वहिष्कार

एक साक्षात्कार में बयान, 2 जनवरी, 1930

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुई कल की कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप हमारा पक्ष न्याय सिद्ध हुआ। गत वर्ष हमने कलकत्ता में स्वाधीनता के निहान्त को अपनाने के सबध में दबाव डाला था। निःसंदेह इसमें हमारी पराजय हुई थी। लेकिन हमने अनुभव किया था कि नैतिक जीत

हमारी ही हुई है। महात्मा गांधी और पंडित मोतीलाल नेहरू ने प्रभाव वश जो प्रस्ताव कलकत्ता में निरस्त किया गया वह लाहौर कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। इसने भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वयं गांधी जी ने यह स्वधीनता का प्रस्ताव पेश किया और पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसका अनुमोदन किया।

यह पूछना अप्रासंगिक न होगा कि स्वाधीनता के प्रश्न को लगभग टांचते रहने से हमें क्या प्राप्त हुआ? मुझे विश्वास है कि यदि यह रास्ता हम पहले अपना लेते तो जितनी प्रगति हमने आज की है उससे कहीं अधिक प्रगति हम पिछले बारह वर्षों के दौरान कर चुके होते।

यह प्रस्ताव लाने के लिए महात्मा गांधी को धन्यवाद देते हुए मैं एक बात की ओर नक़्त करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव हम लाये हैं वह समय की मांग तथा आज की युवा पीढ़ी की भावनाओं के अनुरूप नहीं है और न ही मेरे मतानुसार यह कार्यक्रम स्वाधीनता प्रश्न के उचित कार्यक्रम है। मुझे अफ़सोस नहीं है कि मेरा ससोधन अमान्य हुआ। इसी तरह मुझे कोई अफ़सोस नहीं है कि कलकत्ता कांग्रेस में मेरा ससोधन पराजित हुआ था। देश को आगामी तरह नहीं तो मेरे ससोधन की अछाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि आगामी कांग्रेस में मेरी मान्यता को स्वीकृति मिलेगी। फिर भी मुझे खेद मित्र इस बात का है कि इस बीच काफी मूल्यवान समय नष्ट हो चुका होगा। लेकिन इनके अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि राजनीतिक शिक्षा कभी-कभी एक धीमी प्रक्रिया होती है। विशेष रूप से उस समय तक कि प्रमुख नेता व्यावहारिक रूप में विरोधी पक्ष का साथ दे रहे हों।

बहिष्कार के प्रश्न को लेकर मैं अपनी स्थिति एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कल के खुले सत्र में अपने भाषण में कहा था कि मात्र विधानसभाओं का बहिष्कार ब्रेकार है। मैं उनके दम को बटाने में मदद कर सकता हूँ जिन्हें कांग्रेस के स्वयंसेवक कार्यक्रम अपना लेने में पीड़ा पहुँचती थी। यह बात सभी के वारे में है। यह जानकर अचरज होता है कि जिन्होंने बहिष्कार के कट्टर समर्थक पूर्ण बहिष्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी पैरवी मैं कर चुका हूँ। दो कारणों से विधानसभाओं और अन्य सार्वजनिक सभ्यताओं के बहिष्कार का समर्थन किया जा सकता है। पहला स्वाधीनता के सिद्धान्त को स्वीकार करना और उसी समय निष्ठा की शपथ ग्रहण एक कठोर नैतिक दृष्टिकोण से असंगत लगता है। दूसरा इन सभ्यताओं के बहिष्कार से हम अपनी ऊर्जा और समय बचा सकते हैं तथा इन्हें समानतर सरकार के गठन के काम में लगा सकते हैं।

इन दृष्टिकोण से मुझे यह उचित और परामर्श योग्य जान पड़ता है कि प्रायः हम इन सभ्यताओं का पूर्ण बहिष्कार करें या विकल्प के रूप में वे जैसी है उन्हें वैसा ही अकेले छोड़ दिया जाए। विधायिकाओं के भीतर कानून बनाने की प्रक्रिया में मदद करना गलत है। एक वैसे ही अदायता के भीतर कानून के प्रशासन में मदद करना समान रूप से गलत है। यदि विधायिकाओं में राजभक्ति की शपथ लेना गलत है तो अन्य सार्वजनिक सभ्यताओं में शपथ ग्रहण करना भी समान रूप से गलत है। फिर भी जब कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हो चुका है तो इस समय इसकी मुनक़्त पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है।

हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वाधीनता के पक्ष में व्यापक अभियान चलाना है। इस अभियान से एक नयी मानसिकता के निर्माण में मदद मिलेगी और इन नई मानसिकता से

हम एक नया कार्यक्रम अपनाने में सक्षम होंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे कि कांग्रेस अभी निरस्त कर चुकी है।

हम में से जिन्हें यह विश्वास है कि युवाओं, मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य शोषित वर्गों को संगठित करना ही स्वाधीनता प्राप्ति का सही मार्ग है। वे बिना समय नष्ट किये अपना कार्य जारी रखें। वह दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस अपने आप को साम्राज्यवादी और पूंजीवादी प्रभाव से मुक्त कर लेगी और एक लड़ाई छेड़ेंगी व नया कार्यक्रम अपनायेगी। यदि कांग्रेस इसमें असफल होती है तो मुझे कोई सदेह नहीं कि कोई दूसरा संगठन मैदान में आगे आयेगा और जनता का प्रवक्ता बन जायेगा।

असंवैधानिक निर्णय

श्री प्रेस के लिए साक्षात्कार में दिया गया बयान, 7 जनवरी, 1930

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के पहले दिन (27 दिसम्बर) मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति के उस निर्णय के विरोध में अपील करना चाही थी जिसके तहत बंगाल के नव निर्वाचित सदस्यों को काम करने से रोका गया था। मेरा विचार यह था कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियमानुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए सदस्यों का चुनाव किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की सूची की रिक्तियाँ भरने सहित बंगाल प्र० का० कमेटी के सभी कार्यों को उच्चाधिकारियों ने अनुमोदन किया है तब मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्वाचित सदस्यों की वैधता को स्वीकार न किया जाए। बंगाल प्र का० कमेटी के अधिकार और गरिमा के परिरक्षक के तत्वे मुझे नव निर्वाचित सदस्यों के लिए लड़ना पड़ा था। जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित मोती लाल नेहरू ने हमारी पार्टी के सभी सकल्पों और प्रस्तावों (सदन के स्थगन प्रस्ताव सहित) को नामजूर कर दिया तब हमारे सामने बहिर्गमन के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। मेरी समझ में कोई भी आत्म सम्मान प्रिय व्यक्ति ऐसी स्थिति में ठीक यही करता। यह बात सोच से परे थी कि हम नव निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर सब्जेक्ट कमेटी की बैठक में शामिल होते। हमारे बहिर्गमन का असर हुआ। डा० बी० सी० राय के प्रयासों का धन्यवाद। दूसरे दिन एक समझौता हुआ और जे० एम० सेन गुप्ता की अनिच्छा के बावजूद कार्यसमिति और सब्जेक्ट कमेटी के सदस्य नव निर्वाचित सदस्यों को स्वीकार करने के लिए राजी हो गये। इसके उपरान्त हमने एक समूह के रूप में सदन में प्रवेश किया।

अंतिम दिन (1, जनवरी, 1930) हमें प्रतिरोध के रूप में फिर सदन से बहिर्गमन करना पड़ा। इस बार यह अ० भा० का० कमेटी के नये अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू और अ० भा० का० कमेटी में बहुमत के निर्णय के विरुद्ध एक प्रतिरोध था। जब हम बैठक में आये थे तो हम में से कोई नहीं जानता था कि आधा घंटा बाद ही हमें बाहर जाने के लिए त्रिवश होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जे० एम० सेन गुप्ता यह जानकर प्रसन्न हुए थे कि हमने नयी पार्टी बनाने

की भूमिका के रूप में बहिर्गमन किया है। मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसा ही किया और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि दूसरों पर आरोप लगाकर उन्होंने निष्पक्ष और सही सोच के लोगों की नजर में अपने आप को गिरा लिया है। तथ्य यह है कि 1 जनवरी की अ० भा० का० कमेटी की बैठक की घटनाएँ कहावत का "आखिरी तिनका" सिद्ध हुईं। कांग्रेस के सत्र के दौरान अध्यक्ष ने हमारी पार्टी के सदस्यों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और कार्यसमिति ने हमें सहायता करने के बजाय सीधे-सीधे अध्यक्ष का समर्थन किया। यह इन परिस्थितियों का चरम बिन्दु था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और कुछ अन्य नेताओं ने एक नयी सजातीय पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया और कार्यसमिति के अनुभवी सदस्यों को उनकी असंगत मानसिकता के कारण बाहर करने का निश्चय कर लिया। यह असाधारण प्रक्रिया कांग्रेस के सचिवालय के विरुद्ध थी और वर्तमान रीति नीति से ठीक विपरीत थी। कार्यसमिति के लिए सामूहिक रूप से 10 सदस्यों की एक सूची पेश करने के लिए महात्मा गांधी की सेवाएँ ली गईं। इन सूची में श्री निवास आयंगर प्रकाश और मेरे नाम शामिल नहीं थे तथा डा० पट्टाभि सीता रमैया और जय रामदास दौलत राम के नाम शामिल थे। जबकि डा० पट्टाभि के प्रति सदन में अच्छी राय नहीं थी और जयराम दास दौलत राम अभी-अभी घोर सांप्रदायिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। हमने महसूस किया इस सूची को पेश करने में नेतागण महात्मा गांधी के नाम का गलत लाभ उठा रहे हैं। हमें सबसे पीडा दायक बात यह लगी कि कार्यसमिति में हमारे पुराने साथियों ने इतना शिष्टाचार भी नहीं दिखाया कि इस प्रकार का बेटुका कदम उठाने से पहले हमसे संपर्क कर लेते। यदि उन्होंने यह कदम उठा ही लिया है तो तमाम सभावनाओं पर विचार करते हुए हमारा अलग रहना ही बेहतर है।

जब महात्मा गांधी द्वारा मूल सूची प्रस्तावित की गयी तो सत्यमूर्ति ने सशोधन के रूप में कुछ अन्य नामों का प्रस्ताव रखा। इस मुकाम पर नेताओं ने नये नामों को मतदान हेतु पेश करने के लिए जी तोड़ कोशिश की ताकि सशोधन को आगे ही न बढ़ाया जा सके। जमनालाल बजाज ने सुझाया कि अतिरिक्त नामों पर विचार करने से पहले सदन को महात्मा गांधी की सूची का ध्यान रखना चाहिए। यह सशोधन को निरस्त करने और मूल सूची का सामूहिक रूप से अनुमोदन करने के लिए महात्मा गांधी के नाम का उपयोग करने की शक्तिराना चाल थी। सत्यमूर्ति ने इस प्रक्रिया का विरोध किया जो पूरी तरह अजतांत्रिक था और असंवैधानिक था। पंडित मोती लाल नेहरू उठ खड़े हुए और बोले कि इस पर सदन के सदस्यों का मत लेना चाहिए कि वे जमनालाल बजाज और सत्यमूर्ति से किसके द्वारा सुझाये गये प्रावधान को चाहते हैं? सत्यमूर्ति ने पंडित जी का यह कहते हुए विरोध किया कि यह अजतांत्रिक और असंवैधानिक है तथा प्रावधान प्रश्न को सदन के समक्ष मतदान हेतु पेश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अल्पमत और बहुमत से ऊपर की चीज है। इसके बाद अध्यक्ष ने अपना निर्णय दिया कि यह सुझाव अजतांत्रिक और असंवैधानिक नहीं है और उन्होंने प्रावधान के प्रश्न को मतदान हेतु सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी। अध्यक्षीय निर्णय स्पष्ट रूप से पक्षपात पूर्ण और गलत था और इस मुकाम पर हमें प्रतिरोध में बहिर्गमन कर देना चाहिए था। लेकिन हमने सोचा कि सदन को हमारे साथ न्याय करने का एक अवसर देना चाहिए। यह संभव भी लगता कि सदन हमारे पक्ष में निर्णय कर दे।

लेकिन 62 के विरुद्ध 48 से इस प्रावधान के पक्ष में निर्णय दे दिया जिसने तमाम सशोधनों को अमान्य कर दिया।

जब परिणाम घोषित हो गया तो आगे किसी अपील की आशा नहीं रह गयी और हमने अध्यक्ष व नेता की कार्यवाही और बहुमत की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध प्रतिरोध में बहिर्गमन किया। इसके उपरांत पंडित जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की कि वे फिर से नामांकन और मतदान की अनुमति देगे। यह घोषणा अध्यक्ष के द्वारा की गई दूसरी भूल थी। उनकी पहली भूल यह थी कि उन्होंने सदन के मतदान हेतु एक प्रावधान प्रस्तुत किया जो कि सार्वभौमिक था। उनकी दूसरी गलती सदन के निर्णय को कुचलना था जब कि वे पहले ही मतदान करा चुके थे और परिणाम घोषित कर चुके थे। यह साफ तौर पर अपनी भूल को सुधारने के उद्देश्य से किया गया पुनर्विचार था। दुर्भाग्य से भूल करने में उन्हें विलम्ब हो चुका था वयो कि तब तक हम बाहर जा चुके थे।

मैंने अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू के इस बयान का तीव्र विरोध किया कि हमने उनके निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना जल्दबाजी में बहिर्गमन किया। इसके विपरीत जब कि हम उतनी देर तक अपनी जगह पर बैठे रहे जब तक कि हमें न्याय पाने की आशा बनी रही। जब हमने यह महसूस किया कि कार्यसमिति या अ० भा० का० कमेटी में से हमें किसी की ओर से न्याय नहीं मिलने वाला है तब हमारे सामने बहिर्गमन के सिवा कोई विकल्प नहीं था। नयी पार्टी बनाने की बात बहिर्गमन के बाद छिड़ी। तमाम हालात और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि नेतागण एक सजातीय पार्टी के रूप में समूहबद्ध हो चुके हैं हमें लगा कि अपने अस्तित्व को बनाये रखने का एक ही तरीका है कि हम एक पार्टी के रूप में समूहबद्ध हो जायें। संक्षेप में यह वास्तविकता के विषय में हमारा भाव है। मैं उपर्युक्त परिस्थिति के विषय में जल्द ही एक सिद्धान्त बयान जारी करूंगा।

बहुमत की निरकुशता

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बयान, लाहौर 8 जनवरी, 1930

1 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से हमारे बहिर्गमन को लेकर असबानों में छपी गलत रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए और उसी बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू की टिप्पणियों पर गौर करते हुए जो कि उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में भी दोहराई है, हमें यह जरूरी लगता है कि हम अपने द्वारा उठाये गये कदम का स्पष्टीकरण देने के लिए एक पूरा बयान जारी करें।

अध्यक्ष की वह कार्यवाही जिसने हमें सदन से बाहर जाने के लिए विवश किया अपने किस्म की कोई पहली घटना नहीं थी। यह असंवैधानिक और अप्रजातांत्रिक कार्यों की श्रृंखला का चरम बिन्दु था जिसे और अधिक सहन नहीं किया जा सकता था। शुरू से अध्यक्ष के मन में सदन के

जाता। इस प्रकार अध्यक्ष ने सशोधन को गिराने हेतु सदन में मतदान की अनुमति देकर गलती की ऐसा कहने के बाद दूसरी गलती उन्होंने यह की कि सदन के निर्णय को बदल दिया। हमारे समर्थकों के बाहर जाने के बाद अध्यक्ष ने जो प्रक्रिया अपनाई, वह सविधान की धारा 84 के विपरीत थी जिसके अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के बीच से कार्य समिति का चुनाव किया जाना चाहिए। अध्यक्ष का यह बयान कि अध्यक्ष के द्वारा अपनी कैबिनेट के मनोनयन की एक प्रथा चल पड़ी है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस कैबिनेट का अनुमोदन कर देती है पूर्णतः असत्य है। गोहाटी में कार्यसमिति के सदस्यों के नाम केवल अवकाश प्राप्त कार्यसमिति ही नहीं, वर्तमान सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किये गये थे और सभी प्रस्तावित नामों पर मतदान हुआ था। मद्रास में डा० असारी का यह सुझाव गिरा दिया गया था कि वह अपनी कैबिनेट चुन सकते हैं तथा उनके और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित नामों पर मतदान हुआ था। कलकत्ता में सूची पर दोनों पार्टियों की सहमति थी और श्री निवास आयरगर, सुभाष बोस, सरदार शार्दूल सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति के नामों को जोड़कर अल्पमत की पार्टी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था और बिना किसी विभाजन के सूची मजूर हो गयी थी।

पंडित मोतीलाल नेहरू का आग्रह था कि सदन को अपनी प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और आगे नामांकन रोकने का बाबत सेठ जमनालाल बजाज का प्रस्ताव नियम विरुद्ध नहीं है। महात्मा जी ने यथा सभव बड़े कौशल के साथ अपना प्रस्ताव रखा लेकिन लिन तर्कों का उन्होंने सहारा लिया वे स्वीकार नहीं थे। गांधी जी ने आश्चर्यजनक रूप से यह आग्रह किया कि कार्यसमिति कैबिनेट के भाति होती है और कोई भी किसी सदस्य को अध्यक्ष पद नहीं थोप सकता। कैबिनेट पद्धति के मायने पार्टी की सरकार होती है। क्योंकि एक कैबिनेट में समान विचारों के लोग होते हैं अर्थात् उन्हें एकमत तथा एक ही पार्टी का होना चाहिए। कैबिनेट पद्धति की शुरुआत करके महात्मा जी ने स्वतः रूप से दलीय पद्धति को निमंत्रण दे दिया है और वे लोग जो मतभिन्नता रखते थे या मानसिकता के स्तर पर गांधी जी की पार्टी से तालमेल नहीं रखते थे, या तो राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो जाते या स्वयं को एक पार्टी के रूप में आबद्ध कर लेते।

हमारी राय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1921 से ही युद्ध की अवस्था में कार्य कर रही है। अतः युद्धकालीन कैबिनेट के भाति कार्यसमिति को भी मिलीजुला होना चाहिए। इस कारण पिछले समय में पंडित मालवीय जैसे नेताओं को कार्यसमिति में स्थान दिया गया। यद्यपि उस समय वह कांग्रेस की नीति एवं कार्यक्रम के पूर्णतः विरुद्ध थे और उनका इसी कारण गत वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस के दो स्कूलों का कार्यसमिति में प्रतिनिधित्व हुआ। महात्मा जी ने यह भी कहा कि कार्यसमिति में समान विचारों के लोग होने चाहिए। किसी के लिए भी यह आश्चर्य की बात होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा जी में ही विचारों की समानता नहीं है और उनकी मानसिकता में कोई असापेक्षता नहीं है। हम नहीं जानते कि भारत की नयी पीढ़ी इस खबर को किस रूप में लेगी। कई लोगों को यह एक खबर होगी। पंडित जवाहर लाल नेहरू अब अपने स्वाधीनता लीग के साथियों की अपेक्षा डोमिनियन दर्जे के साथियों के अधिक निकट है।

महात्मा जी ने यह भी कहा कि ऐसा चुनीदा होना चाहिए कि वह यथासंभव सविनय अज्ञात के कार्य में सक्षम हो सके। वर्तमान में सविनय अवज्ञा भारत में केवल एक जगह जारी है। वह

जगह है बगाल के जैसोर जिले में बडाविल्ला जहा कि ग्रामीणों ने बडा जोगिम और हानि उठाते हुए यूनियन बोर्ड को कर चुकाने से मना कर दिया। लेकिन प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जिसने सविनय अवज्ञा को अपनाया कार्यसमिति के योग्य नहीं समझा गया। अब हम जनता पर यह फैसला छोड़ते हैं कि हमारा अलिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से प्रतिरोध के रूप में बहिर्गमन करना कितना उचित था।

अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वाधीनता के सिद्धान्त को अपना लिया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु देश को तैयार करने का कार्य आरंभ कर दें। इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें समूचे प्रांत में एक व्यापक अभियान चलाना होगा। पूर्ण स्वराज्य के सदेश को बगाल के घर घर में ले जाना होगा। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया जाए जहा पर अनुकूल परिस्थितिया है। जैसोर जिले में यूनियन बोर्ड के करों का भुगतान बंद कर दिया गया है और यूनियन बोर्ड की व्यवस्था के खिलाफ बगावत के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका है। मुझे मालूम है कि बगाल में ऐसे कई जिले हैं जहा यूनियन बोर्ड बदनाम हो चुके हैं और बोर्डों को खत्म करना चाहते हैं। मैं उन जिलों की कांग्रेस समितियों से निवेदन करूंगा कि वे हालात का जायजा लें और यदि जरूरी हो तो अपने कार्यक्षेत्र में यूनियन बोर्ड के विरुद्ध अभियान छेड़ेंगे। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर सब डिवीजन में जहा यूनियन बोर्ड कायम होने वाले थे पहले ही यूनियन बोर्ड के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया है।

मुझसे कई मित्रों और महकर्मियों ने पूछा है कि जब वे गावों में स्वाधीनता अभियान चलायें तब उन्हें क्या सकारात्मक कार्य करना चाहिए। मैं उन्हें परमर्श दूंगा कि वे हर गाव में कांग्रेस समिति कायम करने का पर्याप्त प्रयास करें और समिति के समक्ष निम्नलिखित त्रिस्तरीय कार्यक्रम रखें -

1. ग्राम कांग्रेस समिति को एक ग्राम सेना का गठन करना चाहिए जो सुरक्षा का काम देखेगी। इसमें गाव के चौकीदार होंगे और गाव के लोगों को पुलिस की जबरन नहीं पड़ेगी।
2. ग्राम कांग्रेस समितिया गाव वालों को अदालत में जाने से रोकेंगी और उन्हें प्रेरित करेगी कि वे अपने विवाद कांग्रेस समितियों के द्वारा सुलझावेंगे।
3. ग्राम कांग्रेस समिति को अंग्रेजी माल के बहिष्कार की मुहिम प्रभावशाली ढंग से चलानी चाहिए। इसके साथ-साथ स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि ग्रामीण जन आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बन सकें।

मैं एक सप्ताह के भीतर विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आमंत्रित करूंगा और उनसे उपर्युक्त कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श करूंगा। साथ ही इस सबध में उनके सुझाव मांगूंगा।

स्वाधीनता का प्रस्ताव

कलकत्ता के हरीश पार्क की एक सभा में भाषण, 10 जनवरी, 1930

कांग्रेस की भीतर मतभेदों का होना अपरिहार्य है लेकिन एक बार किसी मामले पर एक निर्णय ले लिया जाए तो सबको इसका पालन करना चाहिए।

पूर्ण स्वाधीनता को हमारा लक्ष्य बनाने की बाबत प्रस्ताव पारित हो चुका है लेकिन अभी इस बात की जांच करनी बाकी है कि यह प्रस्ताव कितना उपयोगी साबित होगा। जहां तक इसकी उपयोगिता की बात है आयरलैंड का इतिहास इसका उपयुक्त उदाहरण पेश करता है। आइरिश राष्ट्रवादियों ने न केवल पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया बल्कि पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा भी कर दी। इस घोषणा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों ने अपने स्मरणों में लिखा है कि यद्यपि भुट्टी भर लोगों ने इस घोषणा का समर्थन किया था। उस समय यह जरूरी भी था क्योंकि राष्ट्र तब तक जाग्रत नहीं हो सकता जब तक कि उसके सम्मुख एक लक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए। इसके बाद आयरलैंड के सम्पूर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हो गया।

लाहौर में की गई घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानस ने अब तक इस घोषणा को स्वीकार क्यों नहीं किया था। यह जानने के लिए कांग्रेस के चत्तीस वर्ष के इतिहास को जानना जरूरी है। कांग्रेस के प्रारंभिक 15 वर्षों की कार्यवाहियों की मुख्य विशेषता थी—वफादारी के प्रस्ताव पारित करना। शताब्दी के अंत तथा वर्तमान युग के आरंभ के साथ राष्ट्रीय दृष्टिकोण में एक परिवर्तन घटित हुआ।

केशवचन्द्र सेन, स्वामी विवेकानन्द और जगदीश चन्द्र बसु जैसे स्वनामधन्य भारतीय पाण्डित्य सस्कृति के सम्पर्क में आये और उन्होंने बताया कि भारतीय किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र की तुलना में किसी भी दृष्टि से हीन नहीं है और वे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना वजूद बनाये रख सके हैं। विशेष रूप से स्वामी विवेकानन्द ने आत्मनिर्भर प्राप्त करने की अनिवार्य मांग पर बल दिया।

इस आदर्श ने पहले साहित्य में अभिव्यक्ति पायी फिर इसका राजनीति में प्रसार हुआ। हमारे युवाओं ने फिर यह जानना चाहा कि वह राष्ट्र जिमने राममोहन या सर सैयद जैसे लोग पैदा किये आज पतन की अवस्था में क्यों है। वे इस समाधान के लिए व्यग्र थे और इस व्यग्रता ने उन्हें जापान, आयरलैंड और अन्य देशों का इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लोगों की मानसिकता में एक परिवर्तन आया और धीरे-धीरे उन्होंने (वफादारी की प्रस्तावों के) समर्थन में रुचि दिरानी गुरु कर दी।

इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के राजनेताओं के बीच दरार पड़ गयी। आगे चलकर उग्रपथी और नरम पथी दल बन गये। नागपुर में उग्रपथियों की जीत हुई जो कि सूरत में अल्पमत में थे।

वर्तमान शताब्दी के आरंभ में बंगाल के युवाओं ने जिस लक्ष्य को अपनाया था अब वह पूरा होने वाला था।

लाहौर मे स्वाधीनता का प्रस्ताव निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसकी आम राय से स्वीकृति के पीछे दो कारण हो सकते थे। इसमे मूल सिद्धान्त मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दूसरे क्यो कि सरकार के रवैये से समाधान की आशा नहीं रह गयी थी महात्मा गाधी ने यह प्रस्ताव रखा और पंडित मोती लाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। इससे जाहिर होता है कि वे लक्ष्य की ओर मुड चुके है। निश्चित रूप से यह युवाओ की महान विजय थी।

अब स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर ले जाने वाले इस कार्यक्रम को लेकर केवल एक समस्या खडी हो सकती है। फिर भी यह आम पैमाने पर एक जुआरू अभियान हमेशा चलाया जा सकता है। बडाबिल्ला की तरह स्वाधीनता की भावना को जाग्रत करने वाला और मविनय अवज्ञा को प्रेरित करने वाला प्रचार कार्यक्रम अगले बारह महीनो मे हम भी आसानी के साथ चला सकते है।

जहा तक प्रचार कार्यक्रम की बात है इसके बारे मे हम नौकरशाही का रवैया जानते है। जादुई लालटेन (प्रोजेक्टर) के भाषणो के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे चल रहे है। सरकार इतनी कुपित है कि न केवल भाषण कर्ताओ को गिरफ्तार किया है और उन पर मुकदमे चलाये गये है बल्कि वे उपकरण भी जब्त कर लिये गए है।

ब्रिटेन प्रचार की कला मे पुराना उस्ताद है। पिछले युद्ध के दौरान उन्होने जर्मनी के विरुद्ध तटस्थ देशो मे सघन तथा व्यापक दोनो प्रकार के प्रचार अभियान चलाये और मिथ्या आरोप लगाया कि वह निर्मम अत्याचार कर रहा है। जर्मनी के वान लुडल डार्फ और अन्य युद्ध विशेषज्ञो ने बाद मे बताया कि उन्होने पहले तो इन बातो की उपेक्षा की लेकिन उन्होने अपनी गलती महसूस की और तटस्थ देशो मे प्रचार का प्रबध किया। लेकिन उन्होने पाया कि यह मैदान पहले ही अग्रेजो द्वारा कब्जाया जा चुका है। अब इस कार्य को रूस बडे प्रभावशाली ढग से कर रहा है और इसी लिए ब्रिटेन उसे नापसंद करता है। मै यह नहीं कहूंगा कि मै घृणा करता हू जब-कि हथियारों मे और दूसरे ससाधनो मे रूस की ब्रिटेन से कोई तुलना नहीं है।

विद्यार्थियो के प्रति

कलकत्ता इजीनियरिंग कालेज मे भाषण, 15 जनवरी, 1930

मै नहीं जानता कि आपने मुझे जो सम्मान दिया है मै उसके कितने योग्य हू। लेकिन मै इतना जरूर जानता हू कि मेरे सामने जीवन का एक लक्ष्य है और मै इसको प्राप्त करने के उत्तम प्रयास कर रहा हू। हर मनुष्य और हर राष्ट्र निरंतर निर्माण और ध्वस की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। ध्वस और निर्माण मे कुछ न कुछ छुपा रहता है और यदि हम ध्वसजेषो के ऊपर नया निर्माण करने मे असफल होते है तो हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। मनुष्य का जीवन प्रकृति के इस आधारभूत नियम से परिचालित होता है। कोई मनुष्य तब तक महान नहीं बना जब तक

वह अपने जीवन काल में बर्बाद नहीं हुआ है। उसे एक महान निर्माता भी होना चाहिए। रचनात्मक और धर्मात्मक शक्तियों के इसी खेल के द्वारा मानव जीवन की अभिव्यक्ति पाता है।

अब यहाँ मैंने इस कालेज में वास्तविक रचनात्मक कार्य के तमाम लक्षण देखे। इस प्रकार के अनेक प्रयास 1921 के वर्ष में किये गये थे। इनमें से कुछ प्रयास समय के दमन के सामने टिके रहे कुछ दूक गये। यदि सरकारी प्रभाव के दायरे से बाहर हम किसी सस्था की सफलता चाहते हैं तो इसके लिए ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण की जरूरत है जिससे विद्यार्थी अपनी आजीविका अर्जित कर सकें और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। शास्त्रों में केवल विद्या के लिए विद्य पर बल दिया गया है लेकिन इन्हें शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब जीवन के अन्तर्गत ही निर्भर करते हैं। जीवित रहते हुए ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। हम अपने चारों तरफ जीवन को कुचल देने की साजिशें देख रहे हैं और प्रकृति भी इसमें शामिल दिखायी देती है। इसके बाद शिक्षा को इस साध्य का साधन बनाते हुए हमें जीवन की इस रणभूमि में एक लड़ाई जीतनी होगी। आर्थिक प्रतिफल नहीं मिलता तो कोई भी व्यक्ति सरकारी सस्थाओं की परवाह नहीं करेगा। जो विद्यार्थी इस कालेज से बाहर जायेंगे वे अपनी प्रशिक्षण की योग्यता के आधार पर आत्मनिर्भर रहेंगे। अतएव इस कालेज का भविष्य उज्ज्वल होगा। शीघ्र ही यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र बन जायेगा। वास्तव में यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब तक हम इस महान आदर्श को ध्यान में नहीं रखेंगे इस लक्ष्य में कभी भी विचलित हो सकते हैं। अभी हम छोटी सस्थाओं से शुरुआत कर सकते हैं और भुझे विश्वास है कि शीघ्र ही वे एक शक्ति बनकर उभरेगी। निःसंदेह इस प्रकार की सस्थाओं का भविष्य उज्ज्वल होता है क्योंकि इसी प्रकार की मानवीय बुनियादों पर महान सस्थाओं के भवन खड़े होते हैं। सगरुन कर्ताओं की आस्था और श्रम के द्वारा यह सस्था अपने उद्देश्य में सफल होगी।

हमारे देश की आम स्थिति ऐसी है कि हमें अपने किसी उद्यम में बाहर की सहायता नहीं मिलती है। स्वतंत्र देश अपनी जनता को विकास का पूरा-पूरा अवसर देते हैं। हमारे देश में ठीक विपरीत स्थिति है। यहाँ हमें भारी अडचनों का सामना करते हुए अपनी निजी प्रेरणा और शक्ति के बूते पर सफलता प्राप्त करनी है।

फिलहाल मैं दो तरह के कामों में व्यस्त हूँ। जब भी इस देश में ध्वसात्मक कार्यों की बाढ़ आई है मैं इसमें कूद पड़ा हूँ और जब रचनात्मक कार्यों का दौर चला है मैंने इनसे जुड़ने में कोई संकोच नहीं दिखाया। इन सघर्षकारी और विपरीत शक्तियों के बीच जीवन कभी-कभी दूभर हो जाता है।

इस कालेज को लेकर मैं आप को आश्वस्त करता हूँ कि यदि प्रबुद्धकण इस आदर्श से प्रेरित हैं तो सफलता सुनिश्चित है। भुझे विश्वास है वे इस आदर्श और प्रेरणा को आत्मसात कर चुके हैं अन्यथा उन्होंने यह कार्य शुरू न किया होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने काफी धन खर्च किया है और इस लक्ष्य के लिए अपेक्षित त्याग किया है।

जहा तक डिग्री और डिप्लोमा की बात है यह सुखद है। देश के हालात इस हद तक बदल गये है कि लोग इनकी ज्यादा परवाह नहीं करते। अभी हाल मे जिन्होने राष्ट्रीय सस्थाओ मे प्रवेश लिया था उनमें से अनेक प्रतिभाशाली लडके थे। कुछ वापस चले गये लेकिन कुछ ने अच्छा प्रयास किया। उनमे से अनेक को मै जानता हू जिनमे साहस और क्षमता है। उनमे से कोई भी बी० ए० या एम० ए० नहीं है। यहा तक कि व्यक्तिगत और आज की क्षमता दोनो ही दृष्टियो से वे डिग्री धारियो से बेहतर है।

पहले लोग पी० एच० डी० या डी० एस० सी० की डिग्रिया लेने के लिए विदेश जाया करते थे। लेकिन जापानी केवल सीखने के लिए बाहर जायेगे। उनमे से कोई महज डिग्री लेने के लिए नहीं जाना चाहेगा। यही भावना केवल हमारे लोगो मे उपज रही है। हमारे लोग भी कृत्रिमता की उपेक्षा करना सीख गये है और चीजो को सिर्फ उनकी गुणवत्ता के आधार पर परखने लगे है। मैं ऐसे अनेक लोगो को जानता हू जिनके पास डिग्रिया नहीं है। लेकिन वे बडी दक्षता के साथ कार्य कर रहे है। एक बार एक प्रिटिंग प्रेस मे हमने देखा कि विदेश मे प्रशिक्षण प्राप्त इजीनियर ने मशीने लगाई थी। लेकिन ये मशीने जाम होकर रह गई। उसी दौरान मैं एक कारखाने मे गया वहा दो सौ मशीने बहुत सुगमता से काम कर रही थी। यह देखकर मैंने उस इजीनियर का पता लगाना चाहा। मालिक ने बताया कि ये मशीने सिर्फ 40/- रुपये पाने वाले एक फोरमैन ने लगाई है। मैंने हमारी मशीनो को चलाने मे उसी व्यक्ति की सहायता ली।

कुल मिलाकर मैं आपसे यह कहना चाहता हू कि इस प्रकार की सस्थाये आज हमारे देश मे अपरिहार्य हैं। प्रबधको को चाहिए कि वे अपनी दृष्टि और क्षमता के अनुसार इन सस्थाओ का विकास करे। ऐसी सस्थाओ की सफलता के साथ ही उनके जीवन लक्ष्य की पूर्ति होगी।

मैं आप को नहीं बता सकता कि इस दिशा मे वास्तव मे मेरी सामर्थ्य क्या है लेकिन मैं आप को आश्वस्त कर सकता हू कि जो मुझसे बन पडेगा मैं अवश्य करूंगा।

जिन गुणो से लोग प्रतिष्ठा अर्जित करते है वे गुण हमारे लोगो मे विद्यमान है। समय और अवसर साथ नहीं दे रहे है। लेकिन हमारे तमाम प्रयास सफल होंगे यदि हमारे भीतर उन्हे रचने की शक्ति होगी। हमारे सामने एक लक्ष्य है जब हम स्वाधीनता प्राप्त कर लेगे तब हम अपने विकास की उच्चतम सीमा को छू लेगे। मैं विधार्थियो से पुन कहूंगा कि वे इस लक्ष्य के साथ सस्था से बाहर जाये कि उन्हे पैरो पर खडे होकर अपने जीवन को सफल बनाना है। उन्हे जीवन सग्राम मे पौरुष के साथ उतरना चाहिए और भौहो के पसीने से अपनी आजीविका अर्जित करनी चाहिए।

(मूल बंगला से अनुवाद)

बडाबिल्ला सत्याग्रह के बारे में कुछ और बातें

बडाबिल्ला के स्थिति पर बयान, जैसोर, 17 जनवरी, 1930

जैसोर जिले के बडाबिल्ला से चला रहे सत्याग्रह अभियान के सबध मे एसोसिएड प्रेस आफ इडिया द्वारा जारी बयान की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। यह कहना सरासर गलत है कि व्यावहारिक रूप मे सत्याग्रह अभियान समाप्त हो गया है। समाप्त होने की बात तो दूर सत्याग्रह अभी पूरे जोर के साथ चल रहा है और यह केवल एक सम्मानजनक समझौते के साथ ही समाप्त होगा। ताजा रिपोर्ट बताती है कि एक ओर सरकारी दमन चल रहा है दूसरी ओर ग्रामीण पूरे दृढ निश्चय के साथ इस दमन का मुकाबला कर रहे हैं।

एसोसिएड प्रेस आफ इडिया द्वारा दी गई यह खबर बहुत बासी है कि अभियान के एक स्थानीय नेता विजय चन्द्र रे अपने मुकदमे की सुनवाई का इतजार कर रहे हैं। न केवल विजय बाबू बल्कि उनके सभी साथी बहुत पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और अब वे अपनी सुनवाई के इतजार मे हैं। लेकिन नये कार्यकर्ताओ ने पहले ही उनका स्थान ले लिया है।

यह खबर भी बासी है कि जिला बोर्ड के अधिकारी आदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्यो कि वे शुरू से ही इस आदोलन के विरुद्ध कार्य कर रहे है।

इसी तरह यह बात भी गलत है कि कुर्क की गई संपत्ति से बहुत आमदनी हो रही है क्यो कि तथ्य यह है कि चालीस पचास और साठ रुपये कीमत के मवेशी सिर्फ आठ आने या एक रुपये मे बेचे गये।

ग्रामीण लोग भी अब पहले की तरह नहीं रहे जैसा कि एसोसिएड प्रेस बताना चाहती है बल्कि वे अब मिलिट्री पुलिस कैम्प मे बदल चुके हैं और मेरी बडाबिल्ला की यात्रा से अब तक आदोलन न केवल जैसोर जिले की दूसरी यूनियनो मे फैल चुका है बल्कि समीपवर्ती जिलो मे इसका उभार हो रहा है।

कलकत्ता के मेयर के नाम पत्र

सेवा मे,
मेयर,
कलकत्ता निगम,

अलीपुर कोर्ट
23 1 30

मान्यवर,

मुझे अपने कुछ पार्षद मित्रों से सूचना मिली है कि निगम ने अपनी कल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि मैं अपने पार्षद के रूप में त्यागपत्र पर पुनर्विचार करूँ। इस प्रस्ताव के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इस प्रस्ताव में सदन का मेरे प्रति विश्वास अलकता है और निगम के कार्यकाल के दौरान मेरी जो सेवाएँ रही हैं वह उन सेवाओं का सम्मान भी है। मैं इस प्रस्ताव की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ क्योंकि मैं अपने साथियों के साथ जेल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे एक वर्ष की जेल काटनी है। ऐसे में मेरे त्यागपत्र वापस लेने से कोई मतलब हल नहीं होगा। यदि मैं जेल में होते हुए भी अपने पद पर बना रहता हूँ तो यह मेरे मतदाताओं के प्रति अन्याय होगा। निगम ने सर्वसम्मति से मुझसे त्यागपत्र वापस लेने का आग्रह किया। इस हेतु मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ।

भवदीय

सुभाष चंद्र बोस

बडाबिल्ला सत्याग्रह और बगाल कांग्रेस

23 जनवरी, 1930 को जारी बयान

आज हमसे से कई एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा उठाने वाले हैं। इन परिस्थितियों में हमें जैसोर और बडाबिल्ला की चिंता होना स्वाभाविक है। ईश्वर बडाबिल्ला के लोगों को शक्तिशाली नौकरशाही से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। इससे पहले मिदनापुर के लोगों ने ऐसी ही एक लड़ाई छेड़ी थी और सरकार पर दबाव डाला था कि वह स्थानीय यूनिन बोर्ड को वापस ले। जैसोर के उदाहरण का पालन करते हुए बगाल के दूसरे जिलों में भी यूनिन बोर्ड के विरोध में लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह देखते हुए सदेह की कोई गुजाइश नहीं रह जाती है कि बडाबिल्ला की जनता जिस निष्ठा और त्याग भावना के साथ महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है उसे निश्चित सफलता मिलेगी। वह अदम्य साहस और त्याग के साथ कष्ट सहते हुए अपना समर्पण जारी रखे यह हमारी उनसे पुरजोर अपील है। हम जैसोर के लोगों से अपील करते हैं कि वे बडाबिल्ला की सहायता करें। उनके सहयोग के बिना अकेला बडाबिल्ला क्या कर सकता है।

अतः हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बडाबिल्ला के सत्याग्रह आंदोलन से नयी शक्ति

का रूप ले और बगाल के साथ-साथ समूचे देश की जनता के मन में एक नये उत्साह का संचार करे।

हम जेल जाये इससे पहले मैं बगाल के कांग्रेस जनो से तीव्रता के साथ अपील करूंगा कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर नौकरशाही की विरुद्ध एक समुज्ज्वल मोर्चा बनाये। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ताजा उभरे मतभेदों को अब अथाह गहराई में दफन कर देना चाहिए।

अब यह बात बहुत साफ है कि सरकार कूर दमन की नीति पर अमल कर रही है। जब सरकार सगठित और कृत सकल्प है तो हमें भी स्वाधीनता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसी प्रकार सगठित और कृत सकल्प होना चाहिए।

लोग इस बात से बाखबर हैं कि बगाल सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते हुए हमारे ज्यादातर जिलों के कार्यकर्ताओं पर बड़ी सख्ता में मुकदमों चलाये जायेंगे। इसके लिए एक ओर धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी तथा दूसरी ओर अपने कार्यकर्ताओं की बचाव के लिए वकीलों की सहायता भी चाहिए। यदि हम अपने कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए उचित प्रबन्ध नहीं करते हैं तो हम अपने दायित्व निर्वाह में असफल होंगे।

इससे संबंधित एक प्रश्न और है जिसको लेकर मैं लोगों का विश्वास जीतना चाहूंगा और सहानुभूति व समर्थन की अपील करूंगा। बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आर्थिक स्थिति चिंता जनक है। एक ओर हम कर्ज में दल रहे हैं दूसरी ओर हमें कांग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को जारी रखने और बड़ाबिल्ला सत्याग्रह अभियान तथा बगाल में स्वयंसेवी आंदोलन चलाने के लिए फौरी आर्थिक सहायता की जरूरत है। मैं उदार लोगों से अपील करता हूँ कि वे मौजूदा सकट में हमारी सहायता के लिए आगे आये और अपने बटुए का मुँह खोल दें। मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आर्थिक टूटन का शिकार नहीं हुई तो यहाँ तक कि हमारी अनुपस्थिति में भी बगाल का आंदोलन पूरे वेग और उत्साह के साथ जारी रहेगा।

अखिल भारतीय मजदूर सघ (एटक)

23 जनवरी, 1930 को जारी बयान

साथियों

आज के इतिहास में एक गंभीर सकट हमारे सामने है। हम सरकार की दमन नीति की चक्की में मिस रहे हैं। अतएव मजदूर आंदोलन से जुड़े सभी लोगों का यह परम कर्तव्य है कि वे स्वयं को सगठित करने और मजबूत बनाने में कोई कसर न उठा रखें। देश के मजदूरों ने मुझे अखिल भारतीय मजदूर सघ का अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान दिया है इस हेतु मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज मुझे इस बात का खेद है कि मुझे भारत की मनोनुकूलन सेवा करने की आजादी नहीं मिल पा रही है। सरकारी दमन के अलावा अखिल भारतीय मजदूर सघ, मजदूर नेताओं में व्याप्त असंतोष के रूप में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। इस मौके पर मैं सभी मजदूर नेताओं और आम मजदूरों से पुरजोर अपील करता हूँ कि वे मजदूरों के सहायताार्थ

आगे आये और परीक्षा की घडी मे उसके साथ खडे हें। मजदूरो का उद्देश्य न्याय और मानवता कर उद्देश्य है।

मुझे कोई सदेह नहीं कि इस उद्देश्य मे सफलता मिलेगी। भारत के मजदूर जागरे और इस आदोलन को सफलता और गरिमा प्रदान करेगे।

बगाल के स्वय सेवी

23 जनवरी, 1930 को जारी बयान

ऐसा लगता है कि बगाल के स्वय सेवियो से प्रशासन नागज चल रहा है। अतएव यह उचित समय है जब मुझे बगाल के युवाओ से बडी तादाद मे स्वयसेवी सेना मे भर्ती होने की अपील करनी चाहिए। जो पहले से सदस्य है कि वे पूरे मन से काम करे और यह देखे कि हमारी अनुपस्थिति मे सेना के कार्य को किसी प्रकार की हानि न पहुचे। मुझे कोई सदेह नहीं कि सरकार की दमन नीति सेना के अनुशासन और सगठन को मजबूत बनाने मे सहायक सिद्ध होगी।

हमारे एन० सी० ओ के अधिकारियो पर सचमुच मे एक बडी जिम्मेदारी है। उन्हे हमारे सामान्य सैनिको के सामने एक उदाहरण पेश करना होगा। मुझे उनमे तथा हमारे सामान्य सैनिको मे पूर्ण विश्वास है कि इस अवसर पर उनमे एक नया उभार पैदा होगा।

मुभाप चद्र घोष
जनरल आफीसर कमांडिंग
बी० वी० अचीपुर कोर्ट

स्वाधीनता दिवस

कलकत्ता के नागरिको से अपील, 24 जनवरी 1930

यह एक साधारण घटना से कहीं अधिक बडी बात है कि हमे 26 जनवरी से पहले हिरामत मे ले लिया गया। इस दिन को देश भर मे स्वाधीनता दिवस के रूप मे उत्सवित किया जायेगा।

यह हो सकता है कि सरकार यह सोचती हो कि हमारे 26 जनवरी से पहले जेल जाने से स्वाधीनता दिवस मे रुकावट पैदा हो जायेगी। अतएव मे कलकत्ता के नागरिको से अपील करता हू कि वे स्वाधीनता दिवस को इस महान शहर मे सम्मानपूर्ण ढंग से मनाये जिसके नागरिक होने का हमे गर्व है। मुझे सदेह नहीं है कि इस अवसर पर हमारी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि इससे हमारे साथी नागरिको के इस आयोजन को सफल बनाने मे प्रयत्नो मे तेजी आयेगी।

जेल डायरी

अलीपुर सेट्रल जेल, 7-15 फरवरी, 1930

7 2 30 पिछली रात एक नयी परेशानी खड़ी हो गई। हमारे गुप का प्रेम सिंह यह कहने लगा कि जब तक लाहौर जेल के राजनीतिक बंदी उपवास करेगे, वह भी सहानुभूति में उपवास करेगा और भूखहड़ताल जारी रखेगा। रात को अंतिम रूप से बद होने से पहले हमने उससे सन्निवार चर्चा की। लेकिन वह अपने निश्चय पर डटा रहा। सुबह जब हम चाय पर गये तो वहा प्रेम सिंह नदारद था। पूछताछ से पता चला कि वह भी बिस्तर पर ही है। फिर हमने निर्णय लिया कि उसे यह कदम उठाने से रोका जाए क्योंकि एक बार उसने उपवास शुरू कर दिया तो उसका मनोबल और अधिक बढ़ेगा। शायद फिर वह अपनी प्रतिज्ञा को भंग करने में स्वयं को लज्जित अनुभव करेगा। हम सब उसके कमरे में गये और उससे इस बारे में बात की। डा० दास गुप्ता हमारे मुख्य प्रवक्ता बने और बहुत समझाने बुझाने के बाद वह उपवास तोड़ने पर राजी हुआ। उसके खाना खा चुकने के बाद हम चक्कर पर निकले।

सुबह से चक्कर से लौटने पर हमने सुना कि महानिरीक्षक कारावास दौरे पर आयेगे। यद्यपि वे आये लेकिन हमारे बाड़े में प्रवेश नहीं किया।

इसके बाद तीन वकील मित्र बारोडापाइन, मृत्युजय चट्टोपाध्याय और वीरेन्द्र नाम सेन गुप्ता हमसे मिलने आये। एक लम्बे अरसे बाद बारोडा बाबू को देख करके पुलकित हो उठा। वो कहिये कि उनके पीछे माताजी, पिताजी, दीदी और मेजो बाउ जी आदि आये। श्याम दास कविराज उनके साथ थे। वे एक घंटे के आस-पास यहां रहे थे। वे राष्ट्रीय ध्वज की घटना के बारे में जानने को उत्सुक थे कि यह कहा से आया और इसका क्या हुआ? कारावास शायद मित्रों और सगे संबंधियों के व्यवहार को जितना प्रभावित करता है उतना कोई अन्य घटना नहीं कर सकती।

8 2 30 आज शनिवार है। सुबह सुपरिटेण्डेंट आया। हमने अपने कार्यक्रम के बारे में बात की और उसने हमें स्कूल में पढ़ाने का परामर्श दिया जो कि जूनियर बंदियों के लिये बनाया गया था। मन्चाई यह है कि यह सुझाव हमने ही कुछ समय पहले दिया था और इस व्यक्ति ने नामभूर कर दिया था। अब उसका विचार बदल गया था। इस बात की हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा लगता कि उसकी जेल महानिरीक्षक से बात हुई थी। इसी से उसके विचारों में परिवर्तन आया। उसने यह भी बताया कि बंदियों को चरखा चलाना सिखाने में हमारी सहायता ली जायेगी। जब एक बार उन्हें पता चला कि जेल में खद्दर बनायी जा सकती है तो इसके बाद वहा चरखा हनेरा बना रहा।

फिर बाहर से खाना मगाने की बात चली। उसने कहा कि भविष्य में वह सप्ताह में केवल एक बार खाना मगाने की अनुमति देगा। चावल और दाल जैसे अनाज फिर मगाये जा सकते हैं।

9 2.30 आज छुट्टी का दिन शनिवार है। आज के दिन कैदी अपने कपड़े धोते हैं और आराम करते हैं। अतः हमने निर्णय लिया कि आज हम कन्वर्ट नहीं करेगे। इसके बजाय हम अपने कमरे धोने दिस्तारों को हवा लगाने और कपड़े धोने के बाद परस्पर बातचीत करेगे और इस

प्रकार यह दिन बीता। शाम को मृतपजय बाबू और कुछ वकील आये। मुकदमे के बारे में बात करनी थी। आफिस जाने पर मैंने पाया कि घर से बड़ी सख्या में किताबें लायी गयी हैं। मैं राजनीतिक बंदियों के उपचार के बारे में सरकार को लिख चुका था। डिप्टी जेलर ने मुझे सूचित किया कि महानिरीक्षक ने हमारे लिए यह सदेश भेजा है कि मामला विचाराधीन है। मेरे द्वारा लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि नीचे दी जा रही है। डायरी में शामिल नहीं किया गया है-सपादक।

10 2.30 आज सोमवार है और सामान्य निरीक्षण का दिन है। आज के दिन कैदियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निजी वस्तुओं (जैसे "कम्बल चड्डी- वनियान प्लेट और कटोरा) का मुआयना कराये और निरीक्षण हेतु अधिकारी के आगमन की प्रतीक्षा करें। अधिकारी अर्थात् सुपरिटेण्डेंट आता है और हर अहाते में जाकर उनकी वस्तुओं का निरीक्षण करता है। यदि कोई शिकायत है तो कैदी उन्हें दर्ज करा सकते हैं। सुबह निरीक्षण को लेकर कैदियों की भीड़भाड़ के कारण हम अपने सुबह के चक्कर पर नहीं निकल सके। आज यह सब हुआ।

पिछले कुछ दिनों से प्रायः धूप में लम्बी बहसे चल रही थीं। विभिन्न देशों में स्वाधीनता संग्राम, बगाल की संस्कृति एवं शिक्षा चीन का आधुनिक इतिहास रूस और आयरलैंड समाज शास्त्र, नृविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान जैसे विषयों पर बहसे हुईं। यहाँ तक महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा गया। एक नृपेन बाबू कई नौजवानों के साथ महात्मा गांधी को लेकर काफी उग्र रूप में तर्क करने लगे। एक ओर नृपेन बाबू अकेले थे दूसरी ओर तर्क करने वाले तमाम नौजवान कई घंटों की बहस की बाद स्थगन हुआ। उनकी (नौजवानों) धमकी यह थी कि आज का कोई नेता यदि अपने अनुयायियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाता है तो उसे अपने नतृत्व के अधिकार से वंचित हो जाना चाहिए और यदि नृपेन बाबू इस बात को लेकर अपनी राय नहीं बदलते हैं तो उनके अनुयायी विद्रोह कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप जो चर्चा स्थगित हुई थी वह हमेशा के लिए बंद हो गयी।

11 2 30 मंगलवार, आज जब मेजर दत्ता हमारे अहाते में आये उस समय कुछ गड़बड़ी हुई, निचली मजिल पर कुछ कोठरियों में पर्दों के रूप में कबल टगे हुए थे यह देखाकर सुपरिटेण्डेंट ने कारण जानना चाहा। हमारे विचार से यह नियम के विरुद्ध नहीं था। कोठरी में रहने वाला सामने खड़ा था लेकिन उससे कुछ नहीं कहा गया। इसके बजाय सर्जेंट ने गोली दाग दी। इससे कोठरी में रहने वाला भूपेन्द्र रक्षित क्रुद्ध हो उठा। कहने की जरूरत नहीं कि हमारे जैसे राजनीतिक बंदी अपने अपमान को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसे मौकों पर हम उत्तेजित हो उठते हैं और यह उत्तेजना उन्मुक्त हो जाती थी। बहरहाल भूपेन्द्र बाबू उस सुपरिटेण्डेंट से काफी गुस्से में बातचीत करने लगे। दत्ता ने दरवाजे पर कम्बल टागने का कारण जानना चाहा। भूपेन्द्र बाबू ने कहा कि इसे सर्दी से बचने के लिए टागा गया है। यहाँ मुझे यह बताना चाहिए कि हर कोठरी में एक दरवाजा और एक खिड़की थी। दरवाजे लोहे के सरियों में बने हुए थे। इनमें से अदर का सब कुछ देखा जा सकता था। दरवाजे की ठीक त्रिपरीत दिशा में छत के तबके के पास खिड़की थी। लोहे की सलाखों की खिड़कियाँ थीं। दत्ता ने जाते हुए कहा कि इस प्रकार के पर्दों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। उनके बच्चे रात भर दलान में सोये। इस पर से भूपेन्द्र बाबू ने कहा कि इस कोठरी की बात कुछ अलग है। दत्ता माहव को स्वयं ठहर कर

देखना चाहिए कि यहाँ कि महा कैसा लगता है? एक जूनियर आफिसर के सामने इस प्रकार की बातें सुनकर दत्ता आग-बबूला हो गये और बिना कुछ कहे बाहर चले गये और उस दिन हम उससे मिल नहीं सके।

वह क्रोध की मन स्थिति में अपने आफिस गया और आदेश दिया कि -111 किन्ती को कन्बल या पर्दा टगाने की अनुमति नहीं है। 121 ऊपरी मजिल पर रहने वालों को चाहिए कि मिलने के लिए नीचे आये। सार्जेंट ने हमें सक्रोच के साथ यह सूचना दी। लेकिन उस दिन दफ्तर की ओर से ये आदेश हमें प्राप्त नहीं हो सके।

सुपरिटेण्डेंट के हमारे रविये को लेकर हमने आपस में चर्चा की। दूसरी सुबह जब वह आया तो उसके मन में अभी भी फुफार थी। हमने निर्णय लिया कि हम उससे मिलने नीचे नहीं जायेंगे। उसे ऊपर आना होगा। पर्दे अब भी वही थे। सिर्फ उनकी तादाद बढ़ गयी थी। पहले वह दूसरे अहाते में गया जहाँ भूपेन्द्र बाबू और अन्य मित्र थे। नृपेन बाबू के अखबार को लेकर उसकी कुछ अनबन हो गयी थी। जब वे विचाराधीन कैदी था तब उन्हें अखबार दिया जाता था। सजा मित जाने के बाद भ्रमवश उन्हें अखबार दिया जाता रहा। हालांकि कानून के नजरिये से उन्हें अखबार नहीं मिलना चाहिए था। जब यह बात मेजर की जानकारी में आयी तो अखबार भेजना बंद करा दिया। इस बात को लेकर नृपेन बाबू और मेजर में अनबन हो गई।

इसके बाद दत्ता साहब हमारे अहाते में आये और करीब डेढ़ घंटे तक उनसे चर्चा हुई। उन्होंने बड़े दुःख के साथ एक बात कही कि उनका सीधे-सीधे अपमान हुआ है। और उनकी अवज्ञा करने के लिए दूसरे अहाते में भी पर्दे टाग दिये गये आदि-आदि। हमने महसूस किया कि नगण्यमुद्दों को लेकर कटुता का बढावा उचित नहीं होगा। यदि लड़ना ही है तो बड़े मुद्दों को लड़ा जाना चाहिए। हमने सफाई पेश की कि दोनों पक्षों के बीच गलत फहमी के कारण यह समस्या पैदा हुई और पर्दे उनका अपमान करने के लिए नहीं टागे गये थे। हमसे से अनेक लोग कुछ समय तक पर्दे टागे रहे लेकिन उन्होंने इस नगण्य चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे उनका चित्त शांत हुआ और हमें भी प्रसन्नता हुई।

दोपहर के आस-पास मुझे बुलाया गया। सर्वोच्च अधिकारी मुझसे कुछ कहना चाहते थे। पहले मुझे चिंता हुई कि कहीं व्यक्तिगत कारणों से तो मुझे नहीं बुलाया गया या इसका तबादले से तो सबंध नहीं है। मुझे अचानक याद आया कि इसी तरह मेरा बेहरामपुर जेल से भाड़ते जेल के लिए तबादला किया गया था। जहाँ मैं 1925 में एक राजनीतिक बंदी था। बहरहाल दफ्तर पहुंचने पर मैंने महसूस किया कि भय का कोई कारण नहीं है। दत्ता साहब ने मुझे भेट के लिए बुलाया था। हम एक घंटे के ऊपर कैदियों के वर्गीकरण और विशेष प्रकार की भूख हड़ताल पर चर्चा करते रहे। बड़ी देर बाद जब मुझे यकान महसूस होने लगी तब हमारी बैठक बर्सास्त हुई। सर्वोच्च अधिकारी अपने आवास पर गये और मैं अपनी कोठरी में वापस हुआ।

13 2 30 मंगलवार, इस सुबह फिर समस्या खड़ी हो गई लेकिन प्राथमिक स्तर पर ही खतम कर दिया गया और यह गभीर रूप नहीं ले सकी। सुबह जब हम अपने चक्कर पर निकले, सार्जेंट ने तमाम पर्दे हटा दिये। प्रेमसिंह उस समय बाहर नहीं गया था जब सार्जेंट उसक पर्दा हटाने आया। उन दोनों के बीच कहामुनी हो गई। लौटने पर अन्य लोगों ने भी पहले की तरह पर्दे टाग दिये। जब सर्वोच्च अधिकारी के आने का समय हुआ तब सार्जेंट ने हमसे कहा कि

हम नीचे मिलने के लिए आये। कहने की जरूरत नहीं कि उस क्षण हम नीचे जाकर सार्जेंट या उसके अपसर को खुश करने की मन स्थिति मे नहीं थे। लेकिन परिस्थितिक कारणों से इस सुबह मेजर दत्ता हमारे अहाते मे नहीं आये थे। अतः दिमाग कुछ ठंडा हुआ। दोपहर के दो बजे थे। हम सब उध रहे थे कि दत्ता साहब अकेले आ गये। अपने स्वभाव के अनुसार एक लंबा व्याख्यान शुरू कर दिया। व्याख्यान का मुख्य विषय कैदियों के लिए शिक्षा नीति था। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हमारी रुचि हो तो हम अव्यस्क कैदियों की शिक्षा का दायित्व सभाल ले। इसके उपरगत उन्होंने रिहायी के बाद कैदियों की देखभाल और हिन्दू कैदियों की मृत्यु हो जाने पर उनके लिए अंतिम सत्कार जैसे मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम अप्रेजो के विपरीत अपने कैदियों के कल्याण की बहुत कम चिन्ता करते हैं। एक डेढ़ घंटे बाद वे चले गये। उनके भाषण की समाप्ति का इतजार करते-करते डिप्टी जेलर और सिपाही थक गये थे।

14.2 30, इस सुबह सर्वोच्च अधिकारी इधर नहीं आये। बारह बजे के आम पाम जब हम भोजन से निवृत्त हुए, डिप्टी जेलर दत्ता साहब का संदेश लेकर आया। संदेश यह था कि श्री युक्त उर्मिला देवी मुझसे और भूपेन्द्र बाबू से मिलने आयीं हैं। जब हम वहां पहुंचे तो हम मेजर साहब से एक बहस में उलझ गये। हम करीब दो घंटे तक उनके साथ साथ रहे। दत्ता साहब के कमरे से हमने सुना कि बस में नौजवानों का समूह "बंदे मातरम्" पुकार रहा है। पहले हमने सोचा कि श्री ज्ञानाजननियोगी जेल आये होंगे। लेकिन द्वार पर रूका। इसके बजाय वह अर्ली पुर की ओर बढ़ गया। अहाते में लौटने के डेढ़ घंटे बाद हमने बार-बार 'बंदे मातरम्' की ध्वनि सुनी।

अब लगा कि यह ध्वनि हमारी ओर बढ़ रही है। आखिरकार में नारे जेल के द्वार पर लगाए जाने लगे। अब यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञानाजन बाबू आ चुके हैं। उत्तेजना ज्ञान हमने भी स्वागत में नारे लगाने शुरू कर दिये। युवा और वृद्ध सभी ने साथ दिया। हमारी उत्तेजना को देखते हुए यूरोपीय अहाते के एक कैदी ने पूछा "क्या आप सब बाहर जा रहे हैं? हमारा उत्तर था न और अधिक लोग भीतर आ रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया में उसने कहा "हुर्रा"। नये राजनीतिक कैदियों के आगमन की प्रसन्नता को केवल कैदी ही महसूस कर सकते हैं। हमारे अहाते में पहुंचने पर ज्ञान बाबू का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस उत्साह को देखकर मामान्य कैदी आश्चर्य चकित रहे गये और पूछने लगे "इनके साथ क्या हुआ? विकृत चेहरे के साथ जेलर वराडे में आया, यह जानने के लिए कि क्या हुआ? बाहर की गतिविधियों को लेकर हमारे बीच पूछताछ जारी रही। फिर हल्केमामूल हम शाम के चक्कर पर निकल गये।

आज जेल के भीतर दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। पहली श्री निखिल नाथ वद्योपाध्याय पाच वर्ष के कैद के बाद रिहा कर दिये गये। उन्हें दक्षिणेश्वर बम प्रकरण में सजा हुई थी। दूसरी मेचुआ बाजार बम प्रकरण की एक विशेष अदालत के सामने सुनवाई होनी थी। इस प्रकरण में सर्वथित बारह या तेरह युवा कैदी जेल में थे। निखिल बाबू के बारे में एक बात कहना जरूरी लगता है उनका तबादला बंगाल की एक जेल से दिल्ली जेल में किया गया था। वहां वे अकेले थे और उन्होंने भीषण कष्ट सहते थे। धीरे-धीरे हालात सुधरे कुछ समय पहले उन्हें फिर कलकत्ता जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

15 2.30 शनिवार आज सुबह मेजर दत्ता हमारे अहाते मे ज्यादा देर नहीं रहे। मैंने सोचा कि यह शुभ लक्षण है क्योंकि एक बार उन्होंने बोलना शुरू किया तो लम्बा व्याख्यान दे डालते। उनकी वाणी के प्रवाह को देखकर लगता था कि उन्हें अध्यापक या धर्मोपदेशक होना चाहिए था।

इसके बजाय गलती से वे जेल विभाग में डाक्टर हो गये। लेकिन हम बच नहीं सके और एक नयी समस्या खड़ी हो गई। कल यानि शुक्रवार को प्रेमसिंह ने मुझसे कहा था कि वह जिन बीजों का प्राप्त करने का पात्र है, उनका कोटा उसे नहीं मिल रहा है। (जैसे-कुर्सी, अभ्यास पुस्तिका और कागज आदि) और दूसरे दिन यानि शनिवार को वह इस मामले को सर्वोच्च अधिकारी के सामने रखेगा। उसके रवैये को देखते हुए मैं समस्या को भाप गया। मैंने तुरत वार्डर से कहा कि वह दफ्तर को सूचित करे कि प्रेमसिंह को जरूरी सामान नहीं मिल रहा है और वह बहुत व्यथ है। फिर मैंने डिप्टी जेलर अनिल बाबू से कहा कि प्रेमसिंह बहुत आक्रामक हो चुके है क्यों कि उनके पास कोई नहीं पहुँचा है और इस दिशा में शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए।

मेयर के रूप में अभिभाषण

कलकत्ता निगम की सभा, 27 सितम्बर, 1930

मेरे कारावास में रहते हुए आप ने मुझे इस शहर के मेयर के रूप में निर्वाचित किया। इस हेतु मैं आप के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इस सदन के सभी सदस्यों और डिप्टी मेयर द्वारा मेरे प्रति भावनाओं को लेकर भी आप का अत्यंत आभारी हूँ। मैं एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोच सकता कि मैं इस महान सम्मान के किमी भी तरह योग्य हूँ। मैं इस बात को लेकर सचेत हूँ कि यदि मेरा कोई गुण है तो वह केवल यह है कि मैं हमारे स्वर्गीय नेता देश बंधु चित्तरजन दास का प्रबल अनुयायी हूँ और मैं स्वीकार करूँगा कि यदि मुझमें कोई गुण है तो यही है कि मैंने उस मशाल का अनुगमन करने की कोशिश की जिसे कि उन्होंने राष्ट्र का उत्थान करने हेतु अवाध स्वच्छन्दता के साथ अपने हाथ में धामा था। यह स्वच्छन्दता हर भावुक बंगाली का गुण है।

नगरपाल और पार्षद गुण मैं नहीं सोचता कि आप मुझमें लम्बे भाषण की अपेक्षा रखते हैं। मैं वही हूँ जिसे महात्मा गांधी ने एक बार "वैधानिक दृष्टि से मृत" कहा था। लेकिन मेरा विश्वास है कि इस वर्ष की जनवरी में निगम के सम्मुख जो समस्याएँ थीं वे आज भी बदस्तूर बनी हुई हैं। यदि हम इन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो यह बेहतर होगा कि हम पूर्व के इस मुख्य शहर के प्रथम मेयर के प्रथम भाषण की ओर ध्यान दें। मैं उनके भाषण के कुछ अंग उद्धृत करूँगा। आशा है आप मेरा माय देगे। मुझे विश्वास है कि हम सब इस भाषण को हमारे नगर निगम के इच्छा-पत्र के रूप में लेंगे। इस महान भाषण में देश बंधु चित्तरजन दास ने कहा था

“पिछले दस पंद्रह वर्ष से मैंने जिस बड़े काम को हाथ में लिया है, वह एक अखिल भारतीय जनमंच का निर्माण करना है। जिसमें विभिन्न समुदायो और विभिन्न रुचियो के लोग होंगे लेकिन वे एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त और सघन होंगे। इस निगम में मैंने इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया है। मैं यह मानता हूँ कि आप यह पायेंगे कि समूची जाति की समृद्धि के मार्ग में किसी के सांप्रदायिक हित आड़े नहीं आयेगे। जाति से मेरा अभिप्राय भारतीय जनता या विशेष रूप से कलकत्ता के नागरिकों से है।

यहां मेरा विश्वास है कि हमारे पास केवल भारतीय राष्ट्रवाद का दर्शन ही नहीं है बल्कि नागरिक शास्त्र और गैर राजनीति का सच्चा सबंध भी है।”

फिर देश बंधु ने आगे कहा

“यह भारतीय लोगों का महान आदर्श है कि वे गरीबों को ‘दरिद्र नारायण’ समझते हैं। उनके अनुसार ईश्वर गरीबों के रूप में आता है और भारतीय मन के अनुसार गरीबों की सेवा ही ईश्वर सेवा है। अतएव, मैं आपकी गतिविधियों को गरीबों की सेवा में प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। आपने मेरे द्वारा बनाये गये कार्यक्रम में देखा होगा कि इसके अधिकांश बिन्दुओं का सबंध गरीबों की आवास, निशुल्क प्राथमिक शिक्षा और निशुल्क स्वास्थ्य सहायता में है। सभी वरदान गरीबों के लिए हैं। यदि निगम को इस दिशा में सीमित सफलता भी मिलती है तो यह स्वयं न्याय सिद्ध करेगा।”

मुझे विश्वास है कि इस कथन में जो कि उनके दर्शन के सारतत्त्व में युक्त है हमें यह बात मिलेगी जिसे आधुनिक शब्दावली में समाजवाद का आधार कहा जाता है और यदि आप इस कार्यक्रम के परीक्षण हेतु आगे बढ़ेंगे तब आप को मेरी यह बात सही जचेगी कि उन्होंने आध्यात्मिक आवरण में जो संदेश दिया है, वह अपने सार तत्त्व में आधुनिक यूरोप का समाजवाद ही है। देशबन्धु ने नये निगम के अमली कार्यक्रम के रूप में कुछ बिंदु निर्धारित किये थे। निशुल्क प्राथमिक शिक्षा गरीबों को निशुल्क स्वास्थ्य सहायता, शुद्ध और सस्ते पोषण आहार की आपूर्ति, बस्तियों और तंग इलाकों में स्वच्छता गरीबों के आवास के आसपास के इलाकों का विकास बेहतर यातायात सुविधायें और अंत में कम खर्च पर सक्षम प्रशासन।

एक बार फिर, यदि मैं उनकी नीति और कार्यक्रम को आधुनिक भाषा में प्रस्तुत कर सकता हूँ तो मैं कहूंगा कि ये नीतियाँ और कार्यक्रम आधुनिक यूरोप के समाजवाद और फासीवाद का सन्तुलन हैं हमारे पास न्याय, समानता और प्रेम के आदर्श हैं जो कि समाजवाद का आधार हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास फासीवाद की समानता और अनुशासन है जो कि आज के यूरोप में विद्यमान है।

सज्जनो, अब मैं अनेक समस्याओं के समाधान की दिशा में हमारे द्वारा किये गये आज तक के प्रयासों का एक संक्षिप्त विवरण आप के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप धैर्य के साथ मेरा साथ देंगे। ये समस्याएँ हैं—शिक्षा, आवास, सड़कें, स्वास्थ्य सहायता, नालियाँ और प्रकाश।

1923-24 में मात्र 19 स्कूल थे। अब 1 सितम्बर 1930 को यह संख्या बढ़कर 218 हो गई है। इनमें से 137 स्कूल लड़कों के हैं और 81 लड़कियों के। 1923-24 में निगम के स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2468 थी जबकि 1 अप्रैल, 1930 को इनकी संख्या 26,560 थी जिनमें से 15,562 लड़के थे और 10,998 लड़कियाँ थीं। कुल विद्यार्थियों में से 6808 मुस्लिम

समुदाय के विद्यार्थी थे। स्कूल में जाने की आयु वाले बच्चों की संख्या एक लाख है। इनमें एक चौथाई से भी कम निगम के स्कूलों में जाते हैं।

• 1923-24 में शिक्षा पर होने वाला व्यय डेढ़ लाख रुपये था। 1929-30 में यह व्यय एक लाख से कुछ ऊपर तक पहुंच गया। निगम ने पांच माडल स्कूल खोले हैं और दो निर्माणाधीन हैं।

स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों में से लगभग दो तिहाई बच्चे पहले से ही स्वैच्छिक आधार कलकत्ता के स्कूल में मौजूद हैं। अतएव मैं सोचता हूँ कि अब अनिवार्यता का नियम लागू करने का समय आ पहुंचा है। निगम पहले ही वार्ड न० 9 में शुरुआत करने का निर्णय ले चुका है। जहां विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। सरकारी मजूरी की प्रतीक्षा, इसमें सफलता मिलते ही समूचे कलकत्ता में अनिवार्यता लागू कर दी जायेगी।

1927 में अध्यापकों के लिए एक ट्रेनिंग कातेज शुरू किया जा चुका है। बड़ी संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

निगम ने 2 फरवरी, 1925 को योजना तैयार करने हेतु एक विशेष समिति गठित की है। समिति की 12 बैठकें हो चुकी हैं। तिलजला की पुल न० 4 की दक्षिणी ओर 60 फुट सीवर रोड के पास जगह का चुनाव भी कर लिया है। समिति ने 8 ब्लाक वाले माडल को भी स्वीकृति दे दी है। प्रत्येक ब्लाक के में 4 सूट होंगे। जमीन की कीमत सहित प्रत्येक ब्लाक पर तैरह हजार रुपये की लागत आयेगी (बावन हजार रुपये में ऐसे चार ब्लाकों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है)

निगम ने 15 फरवरी, 1928 को इस मामले को पुनर्विचार के लिए समिति के पास भेज दिया है। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में निम्न लिखित स्थलों की सिफारिश की है -

- (अ) तिलजला में 60 फुट सीवर रोड के पास निगम का एक 2 बीघा का प्लाट।
- (ब) योमनि पुर लेन से लगी हुई दलू सरकार लेन में निगम एक साय 3 3/4 बीघा का प्लाट।

जहां तक तिलजला के स्थल की बात है पुराने माडल के इस सुझाव के साथ सिफारिश कर दी गई है कि ऐसे दो इलाकों का निर्माण अविलम्ब कराया जाये। जहां तक दलू सरकार लेन की बात है सर्वेक्षण द्वारा तैयार किये माडल को स्वीकृति दे दी गई है। जिसके प्रत्येक ब्लाक में 4 कमरे, 4 रसोई दोनों ओर एक-एक सटा हुआ बरानडा और एक शौचालय होगा। समिति ने प्रति ब्लाक पच्चीस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर ऐसे चार ब्लाकों के अविलंब निर्माण की सिफारिश कर दी है। समिति ने आगे ये सिफारिश भी की है कि यदि यह योजना सफल हो जाती है तो मजदूर और गरीब वर्गों के आवासीय भवनों के निर्माण पर एक लाख रुपये सालाना खर्च किये जायेंगे।

15 जुलाई, 1930 को निगम द्वारा यह रिपोर्ट इस निर्देश के साथ स्वीकार कर ली गई है कि यह योजना आगामी वर्ष से लागू होगी और अगले बजट में इसके लिए उचित प्रावधान रखा जायेगा।

निगम डामर की सड़कों पर पांच लाख रुपये सालाना खर्च करता है। इसके साथ ही निगम

सडको की मरम्मत पर सात से दस लाख रुपये सालाना खर्च करता है। यातायात की व्यस्तता के कारण सडको की सही स्थिति में लाना बहुत कठिन है। नये निगम के अस्तित्व में आने से काफी पहले निगम की समिति ने उन सडको की सूची तैयार की थी जिनका पक्की नींव के साथ पूर्ण निर्माण किया जाना है। उस समय के आकड़ों को देखते हुए इस कार्य पर 21 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान किया था। सडक निर्माण दिन-ब-दिन विशिष्ट होता जा रहा है। अतः निगम को इस समस्या की ओर शीघ्र ही ध्यान देना होगा।

निगम स्वास्थ्य सहायता की सुविधाएं देता है। नये निगम की शुरुआत में निगम की 7 डिस्पेंसरिया थीं। निगम ने 1923-24 में स्वास्थ्य सहायता एक अनायालय प्रसूति और बाल कल्याण सहित कुल 3,60,000 रुपये व्यय किये थे। 1928-29 में यह व्यय 7,20,000 रुपये तक पहुंच गया और नये बजट में इसके लिए 8,66,000 रुपये का प्रावधान है। फिलहाल निगम के पास 13 डिस्पेंसरिया हैं। इनमें से एक यूनानी है और दूसरी विशेष रूप से होम्योपैथी के उपचार के लिए है। इस समय अस्पतालों के अनुदान की राशि चार लाख रुपये है जबकि यह राशि 1923-24 में केवल 1,18,000 रुपये थी।

निगम ने जलाशय की योजना को निरस्त कर दिया है। इसमें बहुत बड़ी राशि का अनुपयोगी व्यय शामिल था। इसके स्थान पर निगम ने विशेषाधिकारी डा० वी० एन० डे द्वारा तैयार की गई दो योजनाओं को मजूरी दे दी है—एक योजना भीतरी नालिया तथा दूसरी योजना पानी की निकासी से संबंधित है।

नालियों की मौजूदा व्यवस्था बेकार हो चुकी है। समय को देखते हुए इस मामले पर विचार-विमर्श हो रहा है। इस मामले को जितनी जल्दी हो सके तुरंत हाथ में लेना होगा।

आगामी कुछ वर्षों में निगम की यह मुख्य चिंता होगी।

यह एक विशेष हित की बात है कि निगम ने एक योजना हाथ में ली है। इसे भी विशेषाधिकारी-द्वारा तैयार किया गया है। यह योजना नगर पालिका भवन हाग स्ट्रीट भवन और हाग बाजार में बिजली की आपूर्ति के लिए है। मैं समझता हूँ कि इससे बिजली के बिल में 70,000 रुपये की बचत होगी।

अतएव, निगम के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित करना।

सज्जनों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी इन टिप्पणियों से यह बात साफ हो चुकी होगी कि नया निगम 1924 से ही शहर की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयत्नशील है। मैं एक क्षण के लिए भी हमारे प्रयत्नों से सतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी ओर मैं यह मानता हूँ कि सडक, शिक्षा, आवास और विशेष रूप से सहायता प्राप्त क्षेत्रों के विकास की समस्याओं की दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है। हम इन समस्याओं को जितना महत्व देंगे उतना ही समूचे शहर का भला होगा।

सज्जनों, सदन में समय-समय पर इस बात को लेकर भय व्यक्त किया जाता है कि इस महान शहर में नये निगम के हाथों कुछ निरिचित समुदायों या समूहों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे इस भय का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। मुझे विश्वास है कि सभी समुदायों के प्रति निष्पक्ष और ईमानदार रहने के प्रश्न को लेकर सदन के सभी सदस्यगण सहमत हैं। मैं इस सदन के यूरोपीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस अनुमान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे हाथों

चौरगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम चौरगी और अहीरी-टोला क्षेत्रों की स्थिति के अंतर को महसूस करते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य चौरगी को अहीरी-टोला के स्तर पर नीचे ले आना नहीं है बल्कि हम अहीरी-टोला को चौरगी के स्तर तक ऊंचा उठाना चाहते हैं।

हमारे मुसलमान दोस्तों के मन में समय-समय पर यह भय उत्पन्न हुआ है कि हमारे हाथों उनके हितों को नुकसान पहुंचेगा। मैं अपने मदन के कुछ दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे लेकर कुछ कृपापूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। मैं अपने मित्रों को याद दिलाना चाहूँगा कि 16 जुलाई, 1924 को मैंने नियुक्तियों के मामले में मुस्लिम समुदाय के दावों को लेकर एक बयान दिया था। वह बयान पूरे दायित्व बोध के साथ और सोच-समझ कर दिया गया था और मैं इस मेयर की कुर्सी से कहता हूँ कि आज भी मैं इसे बयान के एक-एक शब्द के प्रति निष्ठावान हूँ। मैं इस बयान में निहित नीतियों को कितना प्रभावी बना सकूँगा यह केवल मुझ पर नहीं बल्कि इस सदन पर निर्भर करता है। जहाँ तक मेरा सबध है और मुझे विश्वास है जहाँ तक सदन में कांग्रेस दल का सबध है हम इस शहर के नागरिक जीवन में शामिल सभी समुदायों के प्रति निष्पक्ष और ईमानदार रहे हैं।

पिछली जनवरी में मेरे पार्षद के रूप में त्यागपत्र को लेकर एक मित्र ने एक टिप्पणी की थी। उस मित्र ने इसे मेरी 'राजनीतिक बदमिजाजी' बताया था। मैं नहीं समझता कि मैं कभी इस बीमारी से ग्रस्त हुआ हूँ जिसे उन्होंने 'राजनीतिक बदमिजाजी' की हज़ा दी है। अलबत्ता, मैं राजनीतिक प्रश्नों पर अपने कठोर विचार रखता हूँ लेकिन कोई कारण नहीं जघता कि मेरे मित्र ने मेरे इस आवरण को 'राजनीतिक बदमिजाजी' क्यों कहा? इस आरोप के उत्तर में मैं सिर्फ़-इतना कहूँगा कि अपने त्यागपत्र के दौरान मैं इस सदन से बाहर था। यह तथ्य इस बात का पर्याप्त कारण है कि मैंने पिछली जनवरी में त्यागपत्र क्यों दिया?

मैं अब आपके बीच वापस आते हुए हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ। मैं आपके बीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पार्षद के रूप में रहा हूँ और अब आपने मुझे सर्वोच्च सम्मान दिया है जो कि आप दे सकते हैं। आपके बीच में रहना मेरे लिए आनंद का स्रोत ही नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे महान नेता देशबन्धु चित्तरंजन दास ने 1924 के मध्य में जिस कार्य का आरम्भ किया था, वह कार्य आपके सहयोग से पूर्णता तक अवश्य पहुंचेगा।

लोगों के मन में इस बात को लेकर कुछ भय है कि हम आज की परिस्थितियों को देखते हुए जनहित के प्रश्नों को अधिक महत्व नहीं दे पायेंगे जो कि करदाताओं के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है। सदन में इस पक्ष के मेरे कुछ मित्रों ने आरोपों के उत्तर दे दिये हैं। मुझे अपने महान नेता के शब्दों में एक बार फिर यही कहना है कि "जीवन समग्र होता है।" आप नागरिक शास्त्र की राजनीति और अर्थशास्त्र को पृथक नहीं कर सकते। ये तमाम समस्याएँ परस्पर गुथी हुई हैं और जीवन के एक क्षेत्र के हितों के सबध जीवन के दूसरे क्षेत्र के हितों से हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत क्रांति की प्रसव वेदना से गुजर रहा है। यह अहिंसक क्रांति हो सकती है, यह अहिंसक क्रांति है लेकिन क्रांति एक जैसी ही हुआ करती है। हम प्रशासन के

मौजूदा रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मेरे मन में न्याय, समानता और प्रेम के आदर्शों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था वाले एक स्वतंत्र भारत का स्वप्न है।

मित्रो, आज समूचा राष्ट्र एक नये भारत के निर्माण को लेकर अपने आप को सबोधित कर रहा है। क्या कोई व्यक्ति गभीरता से यह बात स्वीकार कर सकता है कि कलकत्ता के नागरिक जीवन को समूचे राष्ट्र से अलग कर दिया गया। यदि आप न्याय, समानता और प्रेम के आदर्शों के आधार पर अपने राष्ट्रीय जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो क्या यह जरूरी नहीं लगता कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम कलकत्ता के नागरिक जीवन का पुनर्निर्माण करें? मैं नहीं समझता कि हमारी अग्रेजों से कोई अनिवार्य कलह है। हम दोनों के लिए दुनिया बहुत पर्याप्त है। हम स्वतंत्र मनुष्यों और मित्रों की भाँति रहना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि वे अपने हृदय की गहराइयों से हमारी इच्छा की सदाशयता को महसूस करेंगे। हम उस दिन के लिए लालायित हैं जब भारत में स्वतंत्रता और समूचे विश्व में शांति होगी। मुझे केवल यह कहना है कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता है तब तक समूचे विश्व में शांति संभव नहीं है।

कलकत्ता की यातायात व्यवस्था की समस्याओं के बारे में

बंगाल बस सिंडिकेट की बैठक में भाषण

शाम बाजार, 19 अक्टूबर, 1930

आपने मुझे इस बैठक में आमंत्रित किया और इतना स्नेह व सम्मान दिया इस हेतु मैं आपको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने यह अच्छा किया कि आज की बैठक में अपनी समस्याएँ प्रस्तुत करने से पहले राय ललित कुमार मित्रों के नाम का उल्लेख किया जिनके निधन में न केवल बस सिंडिकेट को बल्कि निगम और साथ-साथ जनता को गहरा धक्का लगा है। मैंने 1924 में कहा था कि ललित बाबू जैसे सुमस्कृत और प्रबुद्ध युवक की सेवाओं से देश अत्यधिक लाभान्वित होगा। उनके कलकत्ता निगम के कार्यकाल के दौरान एक पार्षद के रूप में उनकी योग्यता भली-भाँति सामने आ चुकी थी। शहर की जनता वास्तव में उनकी ऋणी है।

इसके स्थान पर सचिव के नाम का उल्लेख करना भी सर्वथा उचित है। हमारी सबसे अक्षमता यह है कि हम किसी एक काम में निश्चय के साथ सलग्न नहीं होते। देश की एक निश्चित समस्या के प्रति अडिग निष्ठा से इस दिशा में हमें दूरगामी सफलता प्राप्त होगी।

आज आपने मेरे सामने ढेर सारी समस्याएँ रख दी हैं। मैं नहीं जानता कि मैं अपने उत्तरों में आपको संतुष्ट कर पाऊँगा या नहीं। हमने आज तक शहर की यातायात समस्या को गभीरता के साथ नहीं लिया है। हर स्वतंत्र देश में परिवहन को नियमित बनाने के लिए एक परिवहन मंत्रालय होता है। लेकिन यह हमारे देश में नहीं है और इसलिए इसके अधिकार पुलिस के पास

चले गए हैं। हमें आशा है जब हम सत्ता प्राप्त कर लेगे, तब हम परिवहन मंत्रालय से इस प्रश्न पर बात करने की स्थिति में होंगे।

आप कह चुके हैं कि निगम के पास इसका अधिकार है और मैं भी कहता हूँ कि हाँ उसे यह अधिकार प्राप्त है लेकिन मैं नहीं जानता कि यह अधिकार पर्याप्त है। जो थोड़ा बहुत अधिकार है उसका प्रयोग नहीं किया गया। जहाँ तक आपके इस सुझाव की बात है कि सड़कों को नई व्यवस्था दी जाये या नहीं सड़कें बनाई जाएँ तब निगम की निर्माण समिति को परामर्श देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये। इस सबध में यह कहना चाहूँगा कि निगम के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत उपसमितियों की भाँति यातायात के लिए भी एक उपसमिति का गठन कर देना चाहिए। वर्तमान निर्माण समिति में बस सिडिकेट के प्रतिनिधियों को भी ले लिया जाये यदि ऐसा करने से कानूनी अड़चन न आये। यदि किसी कारण से बस सिडिकेट के सदस्य नहीं लिये जाते हैं तो एक विशेष उपसमिति का गठन किया जा सकता है।

लाइसेंसिंग बोर्ड को लेकर निगम कुछ नहीं कर सकता। यह पूरी तरह सरकार का काम है। हम केवल इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी मजूरी सरकार पर निर्भर करती है।

आपने एकाधिकार की बात की थी। हम कभी किसी को एकाधिकार नहीं देना चाहते। ट्रामवेज कम्पनी ने अपना भाड़ा अब तक कम नहीं किया है क्योंकि उनका एकाधिकार है लेकिन बस कम्पनी के आ जाने पर अब उनका एकाधिकार समाप्त हो चला है।

आपने शाम बाजार ट्राम डिपो को हटाने का प्रस्ताव रखा है। यदि हम यह कार्य कर सकें तो अवश्य करेंगे।

जहाँ तक पेय जल की सुविधाओं की बात है मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं जब 1924 में निगम में था तब मैंने सड़क किनारे विश्रामगृह बनाने का प्रस्ताव रखा था और एक योजना बनाई गई थी। कुछ स्थानों पर एक दो विश्रामगृह बनाये भी गये थे लेकिन बाद में यह योजना असफल हो गई। यदि कोई व्यक्ति हमें योजना बना कर देता है तो हम उसका स्वागत करेंगे।

हम अभी ट्रामवेज कम्पनी की ओर अपने हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं। पिछली जून में हमारे पास एक अवसर था लेकिन वह हाथ से निकल गया। अब हमें अगले सात वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब मैं यह देखूँगा कि कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, तब शीघ्र ही एक नया अनुबन्ध किया जायेगा।

इस प्रसंग में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जब आपका एक शक्ति के रूप में उदय होगा दूसरे लोग आपको बाटना चाहेंगे। अतएव, आप को हमेशा सतर्क रहना है कि आप किसी ऐसी दलगत राजनीति के बहलावे में न आ जायेंगे जो आपके भीतर अपना रास्ता बना सकती है। दूसरे यदि आप अपने सगठन को दीर्घजीवी बनाना चाहते हैं, तब आपको सचेत रूप से भजदूर और मालिकों के बीच किसी विवाद को अनुमति नहीं देनी चाहिए। सगठन के हित में भजदूरों को सभी सुविधाएँ दी जानी चाहिए क्योंकि उनके सुख में ही मालिकों का लाभ है।

स्वदेशी की रक्षा में

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बयान,

25 नवम्बर, 1930

अपनी पावन यात्रा के दौरान मुझे वहाँ के हीजरी उद्योग की रक्षा देखने का अवसर मिला। जो मुझे मिले, वे किसी भी देशभक्त भारतीय को सतर्क कर देने के लिए पर्याप्त हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी चालू मिलों का निरीक्षण किया और मैंने उन मिलों के मालिकों व प्रबंधकों से लम्बी बातचीत की।

एक आश्चर्यजनक तथ्य जो मुझे मिला, वह यह है कि 1930 में बहिष्कार आंदोलन के बावजूद सभी मिलों की दशा बिगड़ गई थी। पाबना हीजरी की मांग बहुत नीचे गिर चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप हर मिल के सामान्य उत्पादन में गिरावट आ गई थी। कई मशीनें बेकार पड़ी थी, काम के घंटे कम हुए थे, बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार कर दिये गये थे, नौ में से दो मिल बंद हो गये थे और कुछ तबाही के कगार पर पहुँच चुके थे।

अपने द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर मुझे इस दुरावस्था के प्राथमिक रूप से दो कारण दिखाई देने हैं। पहला, मौजूदा आर्थिक संकट के कारण बंगाल-विशेष रूप से उत्तरी बंगाल और पूर्वी बंगाल में पाबना हीजरी की मांग में तेजी के साथ गिरावट आई है। दूसरे जापानी प्रतिस्पर्धा ने गंभीर अड़चन पैदा कर दी और भारतीय बाजार में सस्ती जापानी हीजरी की बाढ़ आ गई है। इसके अलावा विदेशी हीजरी मिलें और पाबना के बाहर अन्य भारतीय मिलें पाबना मिल के प्रति ब्रांडो का इस्तेमाल कर रही हैं। वे अपने उत्पादनों के ऊपर 'पाबना फिनिश' और "पाबना क्वालिटी" आदि ब्रांडो की मुहर लगा देती हैं।

मुझे मिलों की अधिकारीगण देशभक्त व्यक्ति प्रतीत हुए और वे विदेशी धागे को त्याग कर अपने उत्पादनों को पूर्ण रूप से स्वदेशी बना रहे हैं। लेकिन सबकी यह शिकायत है कि उन्हें उत्तम कोटि का स्वदेशी धागा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। इन कारणों से स्वदेशी धागे और स्वदेशी रंगाई वाली वस्तुओं की भारतीय खरीददार और व्यापारी पसंद नहीं करते और विदेशी धागे से बनी हीजरी की मांग बढ़ जाती है। भारतीय जनता के लिए यह जरूरी है वह अपनी रुचियों को बदले और स्वदेशी हीजरी को प्रोत्साहित करें। मुझे लगता है कि जनता की वर्तमान रुचि बरकरार रही तो पाबना की हीजरी मिलों के सामने दो विकल्प बचे रहते हैं—यदि वे विदेशी धागे का प्रयोग नहीं करने का निर्णय ले चुके हैं तो धीरे-धीरे मिलें बंद कर दे या फिर हीजरी बनाने के लिए विदेशी धागे का प्रयोग आरम्भ कर दें।

यह सच है कि आज देश में उपलब्ध भारतीय धागे से बनी हीजरी स्वच्छ बुनावट की दृष्टि से विदेशी धागे से बनी हीजरी से कमतर है लेकिन शुद्ध स्वदेशी माल गुणवत्ता में कमतर नहीं है। अतएव यदि भारतीय लोग थोड़े-बहुत कम स्वच्छ बुनावट की स्वदेशी हीजरी को प्राथमिकता देने लगते हों सभी मिलें विदेशी धागे को तुरंत त्याग देंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि सारे तथ्य भारतीय उपभोक्ता के सामने रख दिये जायेंगे तो वह किसी दूसरे माल की तुलना में स्वदेशी उत्पादन को पसंद करेगा। भले ही विदेशी की तुलना में उसकी बुनावट कमतर हो।

इस सिलसिले में भारतीय कताई मिलों का ध्यान हौजरी धागे की मांग की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह उचित समय है कि कई मिलों ने 18 से 22 तक हौजरी धागे बनाना शुरू कर दिये हैं और मुझे विश्वास है कि यदि वे इस काम को जारी रखते हैं तो उन्हें एक तैयार बाजार मिल जायेगा।

फिलहाल पाबना में 9 हौजरी मिले हैं जिनमें से दो बंद हो चुकी हैं। इस आशाजनक व्यवसाय में लाखों रुपये व्यय हो चुके हैं। इस उद्योग को बंगाल की रचनात्मक सेवा को प्रोत्साहन करने का श्रेय जाता है।

लोग कई वर्षों तक कम सफाई वाला बगल लक्ष्मी कपड़ा ऊँचे दामों पर खरीदते रहे और मुझे कोई संदेह नहीं कि इस मौजूदा प्रसंग में भी वे कम सफाई वाली पाबना हौजरी तुरत खरीदेंगे लेकिन पहले उनके सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मैं इस तथ्य की ओर भी जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पाबना की अधिकांश मिलें अर्थात् और बैंकिंग असुविधाओं का कष्ट उठाती रही हैं। यदि उन्हें बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं तो वे उद्योग में विस्तार कर सकती हैं और इसके द्वारा कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है।

कांग्रेस का कार्यक्रम और युवा

मेयर तथा प्रात की कांग्रेस पार्टी के नेता के
रूप में भाषण, 11 दिसम्बर, 1930

मैं सोमवार रात्रि की दुःखद घटनाओं पर गहरा खेद प्रकट करता हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि वे घटनाएँ कांग्रेस के कार्यक्रम की अस्थायी विफलता का अपराध-स्वीकार हैं और साथ में देश की सम्पूर्ण युवा पीढ़ी को प्रभावित करने की दिशा में कांग्रेस नेताओं की अस्थायी विफलता का भी अपराध-स्वीकार हैं।

मुझे आशा है कि जब हमारी भावनाओं का ज्वार कम होगा तब हम घटनाओं के कारणों की गहराई से छानबीन करेंगे जिनसे हम सबको गहरा आघात पहुँचा है। यह सिर्फ इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार युवाओं को 'गुमराह' करना भर नहीं है। यह एक प्रकट तथ्य है कि आज का भारत शीघ्र ही स्वतन्त्रता चाहता है। यह भी एक प्रकार का तथ्य है कि इस देश में ऐसे लोग भी हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो, जो केवल कांग्रेस के कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए स्वतन्त्रता नहीं चाहते बल्कि वे किसी भी कीमत पर और किन्हीं भी साधनों द्वारा स्वतन्त्रता चाहते हैं।

जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सबध है, वह अपनी नीति और कार्यक्रमों को बार-बार स्पष्ट करती रही है। आज सारा संसार इस बात को जानता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अहिंसा की सिद्धांत में विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के प्रयासों के बावजूद महात्मा गांधी से लेकर गांधी के सामान्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों के बावजूद हम इस देश की युवा पीढ़ी की मस्तिष्क और निर्णय को प्रभावित करने में क्यों असफल रहे हैं? हम इसलिए असफल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का

कार्यक्रम अब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आगे चल कर हम स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त कर लेगे लेकिन जब तक हम अपनी सफलता से यह सिद्ध नहीं कर देते कि कांग्रेस का कार्यक्रम ही केवल अपना योग्य कार्यक्रम है। तब तक मैं नहीं समझता कि देश की शतप्रतिशत जनता को हम अपने सिद्धांत के अनुरूप बदलना कैसे संभव होगा?

मैं आप के समक्ष एक तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आप से यह सोच विचार करने की अपेक्षा करूंगा कि पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी नीतियों ने क्या हमारे देशवासियों के मन पर सुखद प्रभाव छोड़ा है? मैं पिछले दिनों जारी किये गये कुछ अध्यादेशों को सदर्भित कर रहा हूँ। मैं जेल में था मैंने सरकार के कई जिम्मेदार लोगों से बात की थी और मैंने उनके लिए यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि ये अध्यादेश एक के बाद एक जारी होते रहे यदि जन सभाओं और-जलूसों पर प्रतिबन्ध लगा रहा, यदि हमारे ऊपर प्रेस अध्यादेश जैसे अध्यादेश थोपे जाते रहे और इनके द्वारा तमाम खुली गतिविधियों के रास्ते बंद कर दिये गये तो कांग्रेस के नेता यह सिद्ध करने में सफल नहीं होंगे कि उनका कार्यक्रम ही सबसे प्रभावशाली कार्यक्रम है। ये अध्यादेश स्वाधीनता की चेतना को नष्ट नहीं कर पायेंगे क्योंकि यह असंभव है--बल्कि भूमिगत आंदोलन को प्रोत्साहित करेंगे। मुझे अफसोस है कि मेरे सबसे बुरे पूर्वानुमान आज सही साबित हुए। मैं हर व्यक्ति को आश्चर्य कर सकता हूँ कि चाहे वह मेरा देशवासी हो या अंग्रेज-कि भारत ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए अहिंसा के सुगम मार्ग का चुनाव कर लिया है। मुझे विश्वास है कि कुछ अस्थाई दोषों के बावजूद हमारे देशवासी इस मार्ग पर अडिग रहेंगे और भविष्य में इस मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है मुझे आशा है कि हम केवल प्रस्ताव करने, भर्त्सना करने या युवाओं के "गुमराह" को गुमराह सिद्ध करने में ही सतोष का अनुभव नहीं करेंगे बल्कि इसी समय हमें उन गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों की खोज करनी होगी जो इस प्रकार की दुखद घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

मित्रता के प्राचीनतम सूत्र

स्काटिस चर्च कालेज, कलकत्ता में भाषण, शुक्रवार, 12 दिसम्बर 1930

इतिहास में महान् धर्म प्रचारक सम्राट के रूप में विख्यात अशोक ने दो हजार दो सौ वर्ष पहले पश्चिमी विश्व को धर्म का प्रेरणास्पद संदेश प्रेषित किया था। बाद के समय में उस विचार प्रवाह की धाराएं बदल गयीं। फिर भी ईसा के बौद्धिक मुक्ति के संदेश के साथ का प्राचीन धर्म के धर्मोपदेशक आये, तब हमारी प्राचीन भूमि पर पुनर्जागरण के युग का सूत्रपात हुआ। एक अन्वेषण की चेतना ने हमारी बुद्धि को विस्तार दिया और हमारे मस्तिष्क को जीवित बनाया। हमें प्रसन्नता है कि आज हम उस जागरण की शताब्दी मना रहे हैं।

जिन्होंने इस नव जागरण में योगदान दिया वे हमारे कृतज्ञता व पूर्ण धन्यवाद के पात्र हैं। विचार के क्षेत्र में हम क्रांति की सतान हैं। उन्होंने जो शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित की थी वह

आज देशीयमान है। हम न केवल प्रकृति के रहस्यो को ही देख महसूस और जान सकते हैं, बल्कि हम अपने मन में गहरे अंतरालों में भी झाक सकते हैं और इन सबसे ऊपर हम अपने सांस्कृतिक दाय से पूर्ण परिचय प्राप्त कर सकते हैं।

गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में व्यस्त रहते हुए हम महसूस करते हैं कि इस कालेज की शिक्षा का प्रभाव जाने या अनजाने हमारे प्रत्येक आचरण में प्रतिबिम्बित होता है और मैत्री का वह दृश्यमान सूर्य सूत्र हर समय हमारे मन में रहता है जिसने हमें सहानुभूति और प्रेम में बाध रखा है। यहां मित्रता के सबसे पहले सबंध जिन्होंने आज हमारे जीवन को आलोकित किया है।

हमारे कालेज ने सहज सौ वर्ष पूरे किये हैं अक्सर हम इसको बढ़ाई देते हुए स्वयं को ही बढ़ाई देते हैं क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते कि हम ही कालेज हैं और हम हैं। हम प्रार्थना करने हैं कि इसकी दूसरी शताब्दी इस पहली शताब्दी से कहीं बेहतर हो।

मौलाना मुहम्मद अली की स्मृति को श्रद्धांजलि

कलकत्ता निगम के मेयर के रूप में निगम की बैठक के लिए एक सदेश,

7 जनवरी, 1931

मुझे खेद है कि पहले की व्यस्तताओं के कारण मैं बुधवार को शहर में अनुपस्थित रहा और अतएव निगम की बैठक में आने में असमर्थ रहा। तदनुसार मैं मौलाना मुहम्मद अली की स्मृति को श्रद्धांजलि के रूप में कुछ पक्तियाँ प्रेषित कर रहा हूँ। इंग्लैंड में हिन्दू और मुसलमानों के बीच सौहार्द के प्रयास करते हुए उनका आकस्मिक निधन एक दुःखद घटना है। उनके निधन से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। आज उनकी भविष्यवाणी याद आती है। उन्होंने कहा था कि या तो मैं स्वराज लेकर ही भारत लौटूंगा या फिर इंग्लैंड में ही मरूंगा। मौलाना मुहम्मद अली के रूप में हमने दुर्लभ साहसी और महान आत्मा देश भक्त खो दिया है, जो दो दशक तक स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम मोर्चे पर रहे और इसके लिए कष्ट उठाये। उन्होंने "कामरेड" के लिए कार्य किया। उन्होंने प्रेस और मंच के माध्यम से आश्चर्यजनक प्रभाव उत्थान किया। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग और मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए कार्य किया। युद्ध के दिनों में तुर्की का समर्थन किया, असहयोग और रिलाफ्त आंदोलन के दौरान नजरबंद हुए उनकी ये तमाम गतिविधियाँ सर्वविदित हैं। मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहता। मौलाना मुहम्मद अली की गतिविधियाँ केवल अपनी स्मृति मातृभूमि के हित साधन तक सीमित नहीं थीं। उनकी दृष्टि का क्षितिज बहुत व्यापक था। एक सर्वे एंगिया सच उनके जीवन का स्वप्न था। यह वास्तव में एक त्रासदी है कि स्वर्गीय मौलाना जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व जो आने वाले दिनों में बेहतर भूमिका अदा कर पाते इतनी अल्पायु में हमारे बीच में विदा हो गये। अन्य देशों में इतनी आयु में तो लोग जवान दिखाई देते हैं। भारत का सार्वजनिक जीवन की यह एक त्रासदी है मौलाना मुहम्मद अली की अल्पायु में मृत्यु इसका एक और दुःखदायक है।

मुझे याद करते हुए गर्व हो रहा है कि स्वर्गीय मौलाना से मेरी व्यक्तिगत आत्मीयता थी। अतएव उनका निधन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। फिर भी ईमानदारी के साथ यह कहूँगा कि मैं पिछले दिनों में सार्वजनिक विषयों को लेकर उनसे सहमत नहीं रहा हूँ। तथापि आज यह उपेक्षणीय बात है क्यों कि मौलाना जन कल्याण की भावना से प्रेरित थे और वे सहमत न होते हुए भी सेवा कार्य करते रहते थे।

यद्यपि मौलाना मुहम्मद अली अपेक्षाकृत अल्पायु में दिवंगत हो गये लेकिन वे अपने पीछे जन सेवा का एक गौरवशाली इतिहास छोड़ गये हैं। अपने कार्यों के बल पर वे अपने देशवासियों के हृदय में सदैव विद्यमान रहेंगे और भविष्य में अजन्मी पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे।

मैं श्री रज्जाक द्वारा लाये गये प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन करता हूँ और मैं अपनी तथा अपने साथियों की ओर से श्रीमती मुहम्मद अली शौकत अली और उनके शोक सतप्त परिवार को सात्वना देता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

आंशिक क्षमा का कोई अर्थ नहीं

महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की रिहाई से संबंधित
वायसराय के निर्णय पर बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कलकत्ता
के मेयर के रूप में भाषण, 25 जनवरी, 1931

यह मेरी दायित्वहीनता होगी यदि मैं कांग्रेस कार्य समिति के अन्य नेताओं का रिहा करने की दिशा में महामहिम वायसराय द्वारा उठाये गये उत्साहपूर्ण कदम की सराहना न करूँ। लेकिन मैं यह आशा भी करता हूँ कि वे अपने कार्य का एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचने का साहस दिखायेंगे।

मैं समझता हूँ कि रिहाई के तुरंत बाद कार्यसमिति के सदस्यों को सर्वोच्च अधिकारी के प्रस्ताव विचार विमर्श करने का अवसर मिलेगा। यदि वे इस प्रस्ताव को विचार के योग्य मानने का निर्णय कर लेते हैं और अपनी बातचीत को तैयार हो जाते हैं तब महामहिम के लिए यह आवश्यक हो जायेगा कि वे एक सामान्य क्षमा की घोषणा करें।

वास्तव में यदि कार्यसमिति इस प्रस्ताव को एक दम ठुकरा देती है तब मैं सरकार के आगे किसी क्षमादान की अपेक्षा नहीं करूँगा। कार्यसमिति 15 सदस्यों का एक लघु निकाय है और इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अनदेखा करते हुए निर्णय नहीं करेगी जो कि 350 सदस्यीय एक वृहत्तर सस्था है।

इसके बदले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस प्रश्न पर अंतिम रूप में निर्णय लेने के लिए कांग्रेस का एक विशेष रूप से सत्र बुला सकती है। अनेक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता अभी जेल में हैं जो कि कार्यसमिति के सदस्य नहीं हैं। जब तक वे रिहा नहीं हो जाते तब तक मुझे डर है कि कांग्रेस के लिए किसी निर्णय पर पहुँचना असंभव होगा।

आज जब कि बातचीत प्रगति पर है, देश में शांतिपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। शांति बनाये रखने के लिए बातचीत शुरू होने के साथ ही एक सामान्य क्षमा की घोषणा कर देनी चाहिए।

इसके साथ ही तमाम दमनकारी तरीको को वापस ले लेना चाहिए क्यो कि यदि समूचे देश मे दमन जारी रहा, तमाम बातचीत और समझौते के प्रयास निष्फल जायेगे।

मैंने वायसराय के प्रस्ताव की गुणवत्ता और वास्तविक क्षमा के विषय मे अपनी धारणा पर सोदेदेश्य रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं इन दोनो बिन्दुओ पर एक बयान जारी कर चुका हूँ और जो मैं कह चुका हूँ जो कलकत्ता के कल के अखबारो मे प्रकाशित हो चुका है और जो कुछ कह चुका हूँ उसे यहा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक बात जोडना चाहूंगा कि महामहिम गर्वनर जरनल यदि समझौते को लेकर गभीर है तो उन्हे पूर्ण क्षमा प्रदान करने का साहस बटोरना होगा जैसा कि मैंने परामर्श दिया है। मुझे कोई सदेह नहीं है कि आशिक क्षमा व्यर्थ है।

क्षमा का प्रश्न

अलीपुर जेल से रिहा होन पर रेभजे मैक्डोनाल्ड के प्रस्ताव पर बयान,
25 जनवरी, 1931

हाल ही मे ब्रिटिश ससद की ओर प्रधानमंत्री द्वारा लाया प्रस्ताव भारतीय जनता के मन मे कोई उत्साह नहीं जगा सका है। यह प्रस्ताव जैसा है उस रूप मे हमे स्वाधीनता नहीं दिला सकता। यहा तक कि यह हमे स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी नहीं दे सकता जो कि विश्व के विभिन्न भागो मे दूसरे गुलाम देशो की भांति भारत की एक आकांक्षा है। यदि मैं बंगाल के मन को ठीक तरह से जानता हूँ तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार का अशालीन और असतोषजनक प्रस्ताव बंगाल को स्वीकार नहीं होगा। जैसा कि मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि इस विषय को लेकर देश के अन्य भागो मे भी बंगाल की भांति ही भावनाएँ होगी।

जहा तक मेरा सबध है भारत के लक्ष्य प्रश्न को लेकर मेरी स्थिति बहुत स्पष्ट रही है। मेरा ईमानदारी से हमेशा विश्वास रहा है कि न केवल भारतीय जनता की भलाई के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है बल्कि विश्व शांति के लिए स्वयं अंग्रेजो के हित मे भी स्वतंत्रता आवश्यक है। भारतीय और अंग्रेजो की बीच कोई अनिवार्य कलह नहीं है, न किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। भारत और इंग्लैंड उसी क्षण मित्र बन सकते है और बन जायेगे बशर्ते कि उन्हे वे सब अधिकार मिल जाये जो कि अंग्रेजो को इंग्लैंड मे मिले हुए है। यदि भारत वास्तविक अर्थो मे स्वतंत्र नहीं होता है तो विश्वशांति की स्थापना असंभव है। जब मैंने 1928 मे कलकत्ता कांग्रेस मे स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर अपना सशोधन प्रस्तुत किया था तब पूरे दायित्व बोध के साथ मैंने ऐसा किया था और मुझे विश्वास था कि बंगाल के मन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। नि सदेह कलकत्ता कांग्रेस मे यह सशोधन गिर गया किंतु एक वर्ष बाद लाहौर कांग्रेस मे इसे स्वीकार कर लिया गया और यह प्रस्ताव उन लोगो द्वारा स्वीकृत किया गया जिन्होंने कलकत्ता कांग्रेस मे इसके विरोध मे मतदान

किया था। मैं नहीं जानता इस स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यह कैसे कहा जा सकता है कि वह मौजूदा प्रस्ताव को एक सम्मानजनक समझौते की बातचीत के प्रस्थान बिन्दु के रूप में ले।

मुझे आशा है कि मैं गलत नहीं समझ रहा होऊंगा। मैं एक सम्मानजनक के विरुद्ध नहीं हूँ। इसके विपरीत मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के समझौते की भावनाओं की तलाश करनी चाहिए। लेकिन समझौते की तमाम बातचीत वास्तविक हृदय परिवर्तन द्वारा आगे बढ़नी चाहिए। इस बात का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि बातचीत शुरू होने के साथ पूर्ण क्षमा की घोषणा कर दी जाए। इस क्षमा में बंगाल अध्यादेश के तहत गिरफ्तारी ऐसे ही अन्य आदेश और हिंसक अथवा अहिंसक अपराधों के तहत गिरफ्तारियाँ आदि तमाम चीजें शामिल होनी चाहिए। हिंसा के लिए गिरफ्तार कान्टिकारी कैदियों के क्षमा के विषय में मैं कह सकता हूँ कि यद्यपि हम हिंसा की भर्त्सना करते हैं फिर भी यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कोई यदि हिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ गया है तो उसका यही विश्वास रहा है कि वह अपने उत्तम प्रयासों से अपने देश की सेवा कर रहा है। 1921 में आयरलैंड की घटना से जुड़े लोगों तथा कमांडेंट को जिन्हें मृत्युदंड दिया गया है क्षमा दान दिया जाना चाहिए। मैं यह बात भी जोड़ना चाहूँगा कि इस क्षमा के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में चल रहे षडयंत्र के मुकदमों में वापस ले लेने चाहिए।

मेरा कोई अंदाजा नहीं है कि क्षमादान की घोषणा के जेल में बंद मजदूरों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए मैं उनके मुकदमों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा क्योंकि भागत के स्वाधीनता संग्राम में मजदूरों का बड़ा योगदान है। इसके साथ-साथ मेरे षडयंत्र मुकदमों को भी वापस ले लेना चाहिए। यदि क्षमा के प्रश्न को उचित भावना के साथ नहीं लिया गया तो मुझे डर है कि समझौते के प्रयास विफल हो सकते हैं।

स्वाधीनता का मार्ग

बंबई प्रस्थान की पूर्व संध्या पर जारी बयान, 15 मार्च, 1931

मैं बहुत पहले से स्वाधीनता के लिए आग्रह शील रहा हूँ—इस बात में तनिक भी संदेह या संकोच नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है मेरी सोच के अनुसार जो कि हमें स्वाधीनता के तत्काल हमें मुश्किल में ले जाएगी। हमारे सामने समस्या यह है कि हमें आज की परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ताकि हमें जल्द से जल्द स्वाधीनता मिल सके। मैं पहले ही चुका हूँ कि मैं इसके तरीकों के बारे में अपना मन बनाने में अब तक असमर्थ रहा हूँ।

मैं महात्मा गांधी से साक्षात्कार करने और मार्गदर्शन हेतु बंबई जा रहा हूँ। वहाँ से लौटने के पश्चात ही मैं अपने देशवासियों से यह कहने की स्थिति में होऊँगा कि वर्तमान परिस्थितियों में अपनी प्रिय मातृभूमि की सर्वोत्तम सेवा हेतु हमें कौन सा उचित तरीका अपनाना चाहिए।

सामान्य क्षमा के लिए मांग

महात्मा गांधी जी के साथ दिल्ली आगमन पर बयान, 20 मार्च, 1931

मैंने बर्बई में और कई घंटे की दिल्ली यात्रा के दौरान महात्मा गांधी से लंबी बातचीत की है। जब तक मैं कलकत्ता में नहीं पहुंच जाता हूँ तब तक फिलहाल मुझे यह बात बताना सभ्य नहीं है कि समझौते की शर्तों को लेकर मेरा दृष्टिकोण क्या है। लेकिन मैं आम लोगों की जानकारी में एक मुख्य समस्या लाना चाहता हूँ जिसका आज बंगाल सामना कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को जो क्षमा प्रदान की गई है उससे 800 के आस-पास राजनीतिक बंदी बाहर रह गये हैं। जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए त्याग नहीं किया है बल्कि अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कष्ट सहे हैं। हमें इस तथ्य को नहीं भुला सकते कि बंगाल की आम जनता में उनके कष्ट और त्याग के प्रति सहानुभूति है यहां तक कि उनके तरीके सब मजूर नहीं थे। अतएव सामान्य क्षमा के अंतर्गत जब तक सभी वर्गों के राजनीतिक बंदी नहीं आ जायेंगे तब तक बंगाल का जनमत समझौते की शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता। यह क्षमा भले ही तुरंत प्रदान न की जाए। कम से कम गोलमेज सम्मेलन के पहले इस पर अमल किया जा सकता है।

सिर्फ अकेला बंगाल इस समस्या में नहीं गुजर रहा है। दूसरे प्रांत विशेष रूप से पंजाब और संयुक्त प्रांत भी समस्या ग्रस्त हैं जहां पश्ता पूर्ण क्षमा प्रदान की गई है। जन असंतोष का मुख्य कारण यह है कि स्थानीय सरकारें बंदियों को मुक्त करते समय गांधी-इर्विन समझौते की भावना का पालन नहीं कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप सविनय अवज्ञा और राष्ट्रद्रोह के मुकदमों वाले अब भी जेल में बंदी बने हुए हैं। समझौते के तहत बंगाल अध्यादेश द्वारा गिरफ्तारियां की गईं। बंगाल में सतीशसेन जैसे प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता को अब तक रिहा नहीं किया गया। मध्य प्रांत में नागपुर के श्री अहारी और बेतूल तथा मडला जिलों के वन सत्याग्रहियों को रिहा नहीं किया गया। बर्बई में श्री राजा और श्री जानी जैसे राजद्रोही बंदियों को रिहा नहीं किया गया और शोलापुर तथा चिरनौर के बंदी भी अब तक जेल में हैं।

पंजाब के लोगों की एक लंबी सूची है और हम संयुक्त प्रांत में काकोरी घड़यंत्र के बंदियों को भी नहीं भुला सकते। बंगाल में अब तक मुक्त न किये गये राजनीतिक बंदियों की संख्या 800 है और बिना सुनवाई के जिन्हें सजा दे दी गई उनकी संख्या लगभग 450 है। चित्तौड़गढ़ में हथियारों की लूट, मेरठ घड़यंत्र, मैमनसिंह, टाका में तार काटने, मुशीगंज में पोस्ट आफिस की लूट, राजशाही में लूट यारीसाल डकैती और ऐसे ही अनेक घड़यंत्रकारी मुकदमों के अंतर्गत विचाराधीन कैदियों की संख्या 100 से अधिक है। फिर सविनय अवज्ञा और राजद्रोह के बंदी 100 के लगभग हैं जिन्हें अभी रिहा नहीं किया गया है—कलकत्ता निगम के पार्षद डॉ० नारायण राय जैसे सजायाफ्ता कान्तिकारियों की संख्या लगभग 100 है। मैमनसिंह वेयर हाउस मुकदमों और भीनीपुर दंगे के मुकदमों में लगभग 50 लोग बंद हैं। उनमें से एक बाबा गुरदिन सिंह हैं। तिलुआ हडताल और ऐसी ही अन्य हडतालों के तहत लगभग 25 सजदूरो को बंदी बनाया गया जिनमें तिलुआ के शातिराम उडन और कलकत्ता निगम के पार्षद मदन मोहन बर्मन भी शामिल हैं। अतः मैं किंतु उतने ही

महत्वपूर्ण दिनेश गुप्ता और रामकृष्ण विश्वास है जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया है। अतएव बंगाल में अब तक जिन्हे रिहा नहीं किया गया है उन राजनीतिक बंदियों की कुल संख्या 800 है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति सरलता से बंगाल की वर्तमान जनभावनाओं को समझ सकता है।

मुझे आशा है, ममझौते की शर्तों में जो भी प्रावधान हो सरकार एक व्यापक और सामान्य क्षमादान की घोषणा करेगी। जिसके अंतर्गत राजनीतिक बंदियों के साथ-साथ मजदूर बंदी भी शामिल होंगे ताकि गोलमेज सम्मेलन से पहले देश में एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा सके।

स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य और कार्यक्रम

अखिल भारतीय नौजवान सभा के कराची अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण
(वक्तव्य) 27 मार्च, 1931

मित्रो और साथियो,

आज हम एक महान त्रासदी की छाया में मिल रहे हैं। हमारा मन इतना भरा हुआ है कि हम बोल नहीं सकते। हमारे देश के इतिहास के ऐसे कठिन क्षणों में आपने मुझसे सम्मेलन की अध्यक्षता का आग्रह किया है। इस हेतु मैं आप का कृतज्ञ हूँ।

हम यहाँ उस सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्र के विषय में विचार विमर्श हेतु एकत्र हुए हैं जो मनुष्यता और चरित्र के विकास में सहायक होगा और जो सामूहिक मानवता के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देगा। हम उन तरीकों की खोज भी यहाँ करना चाहते हैं जिनसे हम शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष के रूप में जिन सिद्धांतों को हमारे सामूहिक जीवन का आधार बनना चाहिए, वे हैं समानता, न्याय, स्वतंत्रता अनुशासन और प्रेम। अतएव समानता लाने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार की गुलामी से मुक्ति चाहिए तथा हमें पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होना चाहिए।

सारांश यह है कि मैं भारत में एक समाजवादी गणराज्य चाहता हूँ। जो सदेश मुझे देना है, वह एक समग्र और सर्वोत्तम-मुखी स्वतंत्रता का सदेश है। जब तक क्रान्तिकारी तत्वों का उदय नहीं होता है हम स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे। हम क्रान्तिकारी तत्वों को यह नया सदेश दिये बिना लाभवाद नहीं कर सकते जो हृदय से निकलकर सीधे हृदय में प्रवेश करता है।

कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम में मूलभूत कमजोरी यह है कि कांग्रेस के नेताओं के सोच में अत्यंत अस्पष्टता और मानसिक प्रतिबन्ध है। उनके कार्यक्रम में क्रान्तिकारिता ही नहीं बल्कि समझौते भी हैं। अर्थात् भूस्वामी और किसान के बीच समझौता पूँजीपति और मजदूर के बीच समझौता तथाकथित उच्च वर्गों और शोषित वर्गों के बीच समझौता पुरुष और स्त्री के बीच समझौता।

मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का कार्यक्रम देश को स्वाधीनता दिला सकता है। मेरे अनुसार जो कार्यक्रम स्वाधीनता दिला सकता है, वह इस प्रकार है -

- 1 समाजवादी कार्यक्रम पर किसानों और मजदूरों का सगठन।
- 2 कठोर अनुशासन के तहत स्वयंसेवक दलों के रूप में युवाओं का सगठन।
- 3 जातिप्रथा का अंत और सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक अंध-विश्वास का उन्मूलन।
- 4 ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वाधीनता के सिद्धांत और नये कार्यक्रम का प्रचार करने हेतु महिला सघों का गठन।
- 5 अंग्रेजी माल के बहिष्कार का गहन कार्यक्रम।
- 6 नयी नीति और कार्यक्रम के प्रचारार्थ नये साहित्य की रचना।

गांधी-इर्विन समझौता का जिक्र करने से पूर्व मैं लाहौर में दी गई फासियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। भगतसिंह उस विद्रोह की भावना का प्रतीक था जो देश के इस छोर से लेकर उस छोर तक फैला हुआ है। वह भावना अपराजेय है और वह मशाल कभी बुझ नहीं सकती जिसने इस भावना को उद्दीप्त किया है। भारत को स्वतंत्रता की आशा करने से पहले अभी अनेक सबूतों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। हाल की फासिया मुझे इस बात का स्पष्ट संकेत लगती है कि अभी सरकार के पक्ष पर कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है और एक सम्मानजनक समझौते का समय अभी नहीं आया है।

गांधी-इर्विन समझौते में निहित सधि के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि यह अत्यन्त असंतोषजनक एवं चिन्ताजनक है। मुझे सबसे अधिक दुरा इस बात का है कि सधि में रेखांकित हमारी शक्ति की तुलना में हम आज कहीं अधिक शक्ति अर्जित कर चुके समझौते में पहले से घली आ रही कमजोरियाँ हैं लेकिन अब वह समझौता एक पूर्ण तथ्य है। आज की स्थिति में हमारे सामने यह प्रश्न है कि हम क्या करें? मैं एक क्षण के लिए भी उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता जो इन समझौते की शर्तों के लिए जिम्मेदार है। अतएव, हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम कोई सकारात्मक कार्य करें जो हमारे राष्ट्र तथा राष्ट्र की अपेक्षाओं को सशक्त बनाए। इस उद्देश्य के लिए मैंने अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। हमारे देशश्रमियों में से एक ज्ञानिकारी वर्ग इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से निभा सकेगा। यह कार्यक्रम हमारे कांग्रेस नेताओं की बीच परस्पर द्वन्द्व को प्रोत्साहित नहीं करेगा क्योंकि इस आपसी द्वन्द्व से हम कमजोर होंगे और सरकार मजबूत होगी। इस सब से ऊपर हमें दूसरों की आलोचना करने में समय बरतना होगा। विनम्र और सयमी होने से हमें कोई हानि नहीं होगी अपितु कुछ लाभ ही होगा।

भारत विश्व की इमारत की शहतीर है और एक स्वतंत्र भारत सम्पूर्ण विश्व से साम्राज्यवाद का विनाश कर देगा। अतएव, इस अवसर पर हमें जाग जाना है और भारत को स्वतंत्र बनाना है ताकि मानवता की रक्षा की जा सके।

भारत का ऐतिहासिक मिशन

कराची में अखिल भारतीय नौजवान सभा में भाषण, 5 अप्रैल, 1931

मेरे प्रिय मित्रों,

आपने मुझे कराची में अखिल भारतीय नौजवान सभा के दूसरे सत्र के कार्यक्रम की जानकारी की अध्यक्षता हेतु आमंत्रित किया है। मैं आप का केवल इसलिए आभारी नहीं हूँ कि आपने मुझे अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया। बल्कि इसलिए भी हूँ कि आप ने मुझे असीम स्नेह प्रदान किया। आप हमारे इतिहास के भीषण समय में यह सम्मेलन कर रहे हैं और मैं केवल आशा करता हूँ कि मैं उन समस्याओं पर कुछ रोशनी डाल सकूँगा जो हमारे मार्ग में बाधा के समान खड़ी हैं।

आरंभिक युगों से ही मानवता चीजों की बेहतर व्यवस्था की खोज में रही है। यह खोज पूर्व और पश्चिम दोनों में समान रूप से जारी रही है और इस खोज के पीछे न केवल ऋषि और स्वप्न दृष्टा रहे हैं बल्कि राजनीतिक भी रहे हैं। विभिन्न कालों में समाज के भिन्न-भिन्न आदर्श रहे हैं। लेकिन इनके पीछे मूल भावना एक ही रही है। पूर्व में लोगों ने एक आदर्श गणराज्य का स्वप्न देखा। कभी साधकों ने प्रकृति की ओर पीछे लौटना चाहा, फिर बाद के कालों में उन्होंने अतीत के खडहर के ऊपर कुछ महान और आदर्श निर्माण करने के लिए पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहा था।

इन सार्वभौमिक मानवीय प्रयासों के मूल में मनोवैज्ञानिक आवेग रहा है कि मनुष्य अपनी वर्तमान व्यवस्था और वातावरण से असंतोष अनुभव करता है और एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की इच्छा रखता है। इस आवेग से प्रेरित होकर मनुष्यों ने असहायता की स्थिति में मानवीय अस्तित्व से परे और पृथ्वी से परे दैवीय शक्ति की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। जहाँ मानवीय आत्मा आदर्श परिस्थितियों के बीच एक आदर्श जीवन जी सकती थी। दूसरे लोगों ने भिन्न मार्ग अपनाया और यह कहा कि दैवीय शक्ति या स्वर्ग का साम्राज्य हमारे मन में ही है। धरती पर अधिकतम शांति और आनंद की प्राप्ति हेतु उस दैवीय शक्ति को तपस्या पूजा और प्रार्थना से अर्जित किया जा सकता है।

हमें इन दोनों वैचारिक समुदायों से कोई लेना-देना नहीं है। न हम किसी को स्वीकार कर सकते हैं और न ही निरस्त कर सकते हैं हमारा सब कुछ उस राष्ट्र और सामाजिक ढाँचे से है जो हमें अधिकतम सुख उपलब्ध करायेगा। मनुष्यता और चरित्र विकास में सहायक होगा और हमारे सामूहिक मानवता के स्वप्न को साकार करेगा। हम उन तरीकों की खोज में भी रुचि रखते हैं जो उपर्युक्त तथ्य की शीघ्र प्राप्ति में सहायक होंगे।

एक बेहतर व्यवस्था की खोज में मानवता युगो-युगों से अग्रकार और प्रकाश के धुंधले से गुजरती रही है। धर्म, दर्शन और साहित्य ने इस धुंधले आदर्श पर कुछ प्रकाश विकीर्ण करने का प्रयास किया है। समय-समय पर हर सभ्य देश द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयत्नों का अध्ययन करना एक रोचक अनुभव है। लेकिन फिलहाल यह अध्ययन हमें तात्कालिक समस्या से विचलित

कर सकता है। यह मान लेना पर्याप्त होगा कि मानवता आज प्रगति के सिद्धांत को अपना चुकी है और इसके विरोधी सिद्धांत और उसके विरोधी सिद्धांत अर्थात्, मनुष्य के पतन और हाल के सिद्धांत को निरस्त कर चुकी है। यह प्रगति का सिद्धांत हमारी चर्चा का प्रस्थान बिन्दु हो सकता है।

यदि हम विभिन्न प्रकार समाज-राजनीतिक आदर्शों का तुलनात्मक विश्लेषण करे, जिन्होंने मानवीय व्यवहार और गतिविधि को प्रेरणा दी है तो हम कुछ सामान्य सिद्धांतों तक पहुँच जायेंगे। आत्म गवेषण और आत्म निरीक्षण करने के उपरांत भी हम ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। किसी भी मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता अनुशासन और प्रेम ही हमारे सामूहिक जीवन का आधार है। इस बात में किसी तर्क की गुंजाइश नहीं है कि हमारे समूचे कार्य व्यापार और सबंध न्याय की भावना से नियंत्रित होते हैं। न्याय एवं निष्पक्ष होने की स्थिति में हमें सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना होगा। मनुष्य को समान बनाने की स्थिति में हमें उन्हें स्वतंत्र करना होगा। समाजार्थिक या राजनीतिक व्यवस्था में गुलामी की विद्यमानता स्वतंत्रता को समाप्त कर देगी और तरह-तरह की असमानताओं को जन्म देगी। अतएव समानता स्थापित करने के सिलसिले में हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार की गुलामी से मुक्त होना होगा और हमें पूर्णरूपेण स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता या स्वेच्छाचार नहीं है। स्वतंत्रता में कानून की अनुपस्थिति नहीं होती। आत्मानुशासन केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही आवश्यक नहीं है। बल्कि स्वतंत्रता के दौरान भी आवश्यक है। अतएव जीवन के आधार के रूप में एक व्यक्ति या समाज के लिए अनुशासन अनिवार्य है। अतः न्याय समानता स्वतंत्रता और अनुशासन के सिद्धांतों में प्रेम के आदर्श का समावेश होता है। जब तक हम मानवता के प्रति प्रेम की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक हम दूसरों के प्रति न्याय नहीं कर सकते न मनुष्यों के साथ समान व्यवहार कर सकते न स्वतंत्रता आंदोलन के लिए त्याग कर सकते और न ही उचित प्रकार का अनुशासन लागू कर सकते। मेरे मतानुसार में पाँच सिद्धांत हमारे सामूहिक जीवन का आधार हो सकते हैं। मैं आगे यह भी कहूँगा कि यही सिद्धांत समाजवाद के आधार हैं जैसा कि मैंने समझा है और मैं भारत में इसी समाजवाद की स्थापना देखना चाहूँगा।

मेरी मान्यता है कि भविष्य में भारत के समाजार्थिक राजनीतिक संरचना को विकसित करने में सक्षम हो जायेगा जो कि कई मानों में विश्व के लिए एक सबक होगा। जिस प्रकार आज बोलेशेविज्म ने मानवता के लिए गई उपयोगी शिक्षाएँ दी हैं लेकिन मैं नहीं मानता कि अमूर्त सिद्धांतों को ज्यों का त्यों लागू किया जा सकता है। मार्क्सवादी सिद्धांतों को जब रूस में लागू किया गया तब रूस में बोलेशेविज्म का उदय हुआ। इसी प्रकार जब भारत में समाजवाद लागू होगा तब एक विशेष प्रकार का भारत में समाजवाद लागू होगा विकसित होगा, उसे हम भारतीय समाजवाद कह सकेंगे। वातावरण, जातीय स्वभाव, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को कलम की ठोकर से नहीं उड़ाया जा सकता। अतएव परिस्थितियाँ हर सिद्धांत को प्रभावित और परिवर्तित करती हैं, तब कहीं कोई भी सिद्धांत यथार्थ में परिवर्तित होता है।

बाहर से प्रकाश और प्रेरणा ग्रहण करते हुए हम यह बात नहीं भुला सकते कि हमें किसी व्यक्ति का अधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें केवल वही बातें आत्मसात करनी चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्रतिभा के अनुरूप हैं। इस कहावत में बड़ी सच्चाई छुपी हुई कि—“जो एक व्यक्ति के लिए आहार है, वह दूसरे व्यक्ति के लिए विष हो सकता है।” अतएव मैं उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ जो बोलेशेविज्म के तरीकों का अधानुकरण करने के लिए लालायित हैं। बोलेशेविज्म के सिद्धांतों के बारे में यह कह सकता हूँ कि वर्तमान में ये सिद्धांत प्रायोगिक अवस्था से गुजर रहे हैं। रूस के लोगों में न केवल मार्क्स के मूल सिद्धांत से अलगाव बढ़ने लगा है बल्कि सत्ता प्राप्त करने से पूर्व लेनिन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से भी अब दूरी बढ़ने लगी है। यह अलगाव रूस की उन विशिष्ट परिस्थितियों की देन है जिन्होंने मूल मार्क्सवाद या बोलेशेविज्म सिद्धांत से सशोधन हेतु दबाव डाला। इसमें बोलेशेविज्म द्वारा अपनाये गये तरीकों के विषय में मैं इतना कह सकता हूँ कि वे भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं हैं। इसके प्रमाण स्वरूप मैं कह सकता हूँ कि साम्यवाद के सार्वभौमिक एवं मानवीय आकर्षण के बावजूद साम्यवाद भारत में अपना मार्ग नहीं बना सका। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा अपनाये तरीकों एक दूसरे से विच्छिन्नता को प्रेरित करते हैं। सभावित मित्रों और सहयोगियों को जीतने की प्रेरणा नहीं देते।

सक्षेप में जैसा कि मैं कह चुका हूँ मैं भारत में एक साम्यवादी गणराज्य चाहता हूँ। समाजवादी राज्य का वास्तविक रूप क्या होगा—इसकी व्याख्या आज करना संभव नहीं है। हम फिलहाल समाजवादी राज्य के मुख्य सिद्धांतों और अभिलक्षणों की रूपरेखा बना सकते हैं।

मेरा केवल एक संदेश है— सर्वतोन्मुखी स्वतंत्रता। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए जिसके द्वारा हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त स्वाधीन भारतीय राज्य के संविधान की रचना कर सकें। हर व्यक्ति के मन में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि स्वाधीनता का अर्थ ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति है और इस बिन्दु पर कोई अस्पष्टता और मानसिक प्रतिबंध के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरे हम पूर्ण आर्थिक मुक्ति चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य का अधिकार और जीवन यापन योग्य मजदूरी मिले। हमारे समाज में कोई निकम्मा नहीं होगा सबको समान अवसर होंगे। इन सबसे ऊपर धन का एक न्यायपूर्ण और समान वितरण होगा। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्र को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। तीसरे हम पूर्ण सामाजिक समानता चाहते हैं। कोई जाति नहीं होगी कोई दलित वर्ग नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास समाज में समान अधिकार होंगे और समान हैसियत होगी। इसके साथ-साथ लिंग भेद या सामाजिक हैसियत या कानून के आधार पर कोई असमानता नहीं होगी और हर क्षेत्र में स्त्री का पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होंगे।

अतएव, हमारे पास समाज के हर समूह या वर्ग व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो किसी भी रूप में उत्पीड़ित है। हमारे पास राजनीति कार्यकर्ताओं मजदूरों भूमिहीन आर संपत्तिहीन लोगों समाज के तथाकथित दलित वर्गों और स्त्रियों के लिए एक संदेश है। हमारे समाज में ये शोषित एवं दलित वर्ग क्रान्तिकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम उन्हें सर्वतोन्मुखी स्वतंत्रता

का शुभकामना सदेश दे सकते हैं तो मुझे कोई सदेह नहीं कि वे तुरंत ही प्रेरणा लेगे। जब तक इन क्रान्तिकारी तत्वों का उद्धार नहीं होता है, हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। हम क्रान्तिकारी तत्वों को वह नया सदेश दिये बिना लाभबद नहीं कर सकते जो हृदय से निकलकर सीधे हृदय में प्रवेश करता है।

कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम में मूलभूत कमजोरी यह है कि कांग्रेस नेताओं की सोच में अत्यंत अस्पष्टता है और मानसिक प्रतिबन्ध हैं। उनके कार्यक्रम में क्रान्तिकारिता ही नहीं बल्कि समझौते भी है, अर्थात् भूस्वामी और किसान के बीच समझौता, पूँजीपति और मजदूर के बीच समझौता, तथाकथित उच्च वर्गों और शोषित वर्ग के बीच समझौता, पुरुष और स्त्री के बीच समझौता। ये समझौते उन लोगों के लिए आदर्श स्थिति हो सकते हैं जो वर्तमान सतुलन को बनाये रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस बात में सदेह है कि ये समझौते समाज में क्रान्तिकारी तत्वों को जाग्रत कर सकते हैं। केवल ये तत्व ही स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इस बात में भी सदेह है कि मौजूदा समझौतों के चलते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता दिला सकती है। स्वतंत्रता के लिए यह एक तुच्छ कीमत चुकानी होगी। लेकिन क्या इस तुच्छ कीमत से हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। मुझे गंभीर सदेह है।

हम इस भीषण समस्या का सतही समाधान नहीं चाहते। अतएव, हमें एक क्रान्तिकारी उग्रवादी कार्यक्रम की जरूरत है। मैं इस परिचयात्मक सबोधन प्रश्न के विस्तार में नहीं जाऊँगा बल्कि इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं पर रोशनी डालना चाहूँगा। मैं पांच सिद्धांतों के विषय में आरंभ में ही कह चुका हूँ। स्वतंत्रता के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी गतिविधियों को निम्नलिखित आधारों पर चला सकते हैं।

1. समाजवादी कार्यक्रम पर किस्तानों और मजदूरों का संगठन।
2. कठोर अनुशासन के तहत स्वयंसेवकों के दलों के रूप में युवाओं का संगठन।
3. जाति प्रथा का अंत और सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास का उन्मूलन।
4. ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वाधीनता के सिद्धांत और नये कार्यक्रम का प्रचार करने हेतु महिला सघों का गठन।
5. अंग्रेजी माल के बहिष्कार का गहन कार्यक्रम।
6. नये सिद्धांत की व्याख्या और नयी पार्टी के गठन हेतु देश व्यापी प्रचार।
7. नयी नीति और कार्यक्रम के प्रचारार्थ नये साहित्य की रचना।

जिन मजदूर और साथियों को यह नया सिद्धांत और कार्यक्रम अपील करता है उन्हें यह विचार करना चाहिए कि वे स्वयं को कांग्रेस के वामपक्ष के रूप में संगठित करना चाहते हैं या नहीं? पहली बात तो यह है कि मान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक धरपरा है और विश्व में एक प्रतिष्ठा है। दूसरे बाद की पीढ़ियों ने इसके लिए भीषण त्याग किया है। यदि वामपक्ष ठीक

तरह से सगठित हो जाता है मुझे कोई सदेह नहीं कि वह वक्त जल्द की आयेगा जब कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में आ जायेगी। एक बार यह पार्टी अपने निजी कार्यक्रम के साथ अस्तित्व में आ जाती है तब यह वर्तमान व्यवस्था और वर्तमान कार्यक्रम का एक मात्र विकल्प बन जायेगी।

मित्रो, मेरे समापन करने से पहले आप मुझसे अपेक्षा जरूर करोगे कि मैं सरकार एव कांग्रेस की कार्यसमिति के बीच हुए समझौते को लेकर अपने विचार व्यक्त करू। लेकिन इससे भी पहले मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे समूचा भारत क्षुब्ध है। मेरा आशय सरदार भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी से है। यह एक ऐतिहासिक घटना है, इसमें भविष्य के लिए बहुत से सबक छुपे हुए हैं और मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इस घटना के विस्तार में अवश्य जाए।

भगत सिंह नहीं रहा। भगत सिंह जिन्दाबाद। भारत की जनता लाहौर में हुई त्रासदी के अंत की महीनो तक व्यग्रता से प्रतीक्षा करती रही। अब अंत आ ही गया। इस त्रासदी पूर्ण नाटक का पटापेक्ष ऐसे दृश्य पर आकर हुआ है जिसमें गहन करुणा एव अविस्मरणीय त्याग का भाव निहित है और यह दृश्य अवर्णनीय है। आरंभ से अंत तक यह नाटक इतना विविधापूर्ण और जीवत रहा कि हम उत्सुकता वश साधे बैठे रहे। इसका अंत भगत सिंह और जतीनदास मेहता के आत्मबलिदान के साथ हुआ। हम दो खास तरह की शहादतों को हर्ष और श्रद्धा के साथ टकटकी लगाये देखते रहे जो कि हमारे हाल के इतिहास की उपज है। जतीन की शवयात्रा एक प्रकार से लम्बी विजय यात्रा थी। इसी प्रकार भगत सिंह की फांसी एक त्याग एव तपस्यापूर्ण कृत्य था जो समूचे राष्ट्र को प्रेरणा देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि लाहौर पड़पत्र ने भारत के हृदय को बहुत गहरे में आदोलित किया है। लेकिन क्या सरकार इसे महसूस करती है? मैं फिर कहता हूँ "भगत सिंह नहीं रहा। भगत सिंह जिन्दाबाद। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं है वह विद्रोह की भावना का प्रतीक है जिसका प्रभाव भारत के एक छोर से उस छोर तक है। यह भावना अपराजेय है। इस भावना की ज्योति कभी बुझेगी नहीं, अतएव, हम भगत सिंह, सुखदेव, और राजगुरु के दिवंगत होने का शोक नहीं मनाते। भारत को स्वाधीनता की आशा में कई सबूतों का बलिदान करना पड़ सकता है। लेकिन हम इसलिए दुःखी हैं क्योंकि उन्हें इस समय मरना पड़ा जब देश के मुख्य राष्ट्रवादी सगठन-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सरकार ने एक समझौते की घोषणा की है। हरकिशन लाल, दिनेश गुप्ता और रामकृष्ण विश्वास जैसे भारत के सपूतों के भाग्य में क्या है इसका सरलता से अनुमान नहीं किया जा सकता। अतएव पूरे जोर के साथ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे समझौते का क्या मूल्य है यदि इसी प्रकार की निराशाजनक गतिविधियाँ जारी रहती हैं और यदि हम अपने सर्वश्रेष्ठ नायकों की जीवन की रक्षा नहीं कर सकते?

यह तर्क दिया जा सकता है कि समझौते में मृत्युदंड के विधान को लागू करने के सबध में कोई बात नहीं की थी। मैं इस बिन्दु से सहमत हूँ लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि समझौते का उद्देश्य क्या है? इस बात को सभी लोग मानेंगे कि समझौते का उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन की बातचीत से पूर्ण देश में शांतिमय वातावरण की स्थापना करना है ताकि सौमनस्यपूर्ण वातावरण में बिना किसी कटुता और पूर्वग्रह के विचार विनिमय हो सके। यदि फांसिया दी जाती रहेगी और बड़ी सख्या में राजनीतिक बंदी जेल में बने रहेंगे तो क्या शांतिपूर्ण वातावरण बन सकेगा? यदि

सरकार समझौते की शर्तों से इतनी ज्यादा बधी रहेगी, यदि वे अपना हिस्सा मागने के लिए आतुर रहे तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि बातचीत या विचार-विमर्श के समय वे सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे? यह बात बेइमानी नहीं है कि महात्मा गांधी की बातचीत से पूर्व हृदय परिवर्तन पर बल देते रहे हैं। यदि सरकार ऐसे ही नौकरशाहों द्वारा चलायी जाती रही और यदि ऐसे ही प्रतिशोधात्मक मानसिकता बनी रही तो यह सरकार स्वेच्छापूर्वक भारत के शासन को जन प्रतिनिधियों के हाथों में नहीं सौंपेगी। यह तर्क दिया जा सकता है कि हम सत्ता के हस्तांतरण की बातचीत भारतीय सिविल सेवा या भारत सरकार से नहीं करेंगे बल्कि ब्रिटिश कैबिनेट या साथ-साथ ब्रिटिश जनता से करेंगे। लेकिन यदि पुलिस की ज्यादाती की पूछताछ और मृत्युदंड के लघुकरण के बारे में ब्रिटिश सरकार को वहां मौजूद व्यक्ति की बात माननी पड़ी। इससे हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि सत्ता का हस्तांतरण जैसे व्यापक प्रश्न पर सरकार उसी व्यक्ति की इच्छा में परिचलित होगी।

अतएव हाल की फामिया इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार के पक्ष पर कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी एक सम्मानजनक समझौते की परिस्थिति परिपक्व नहीं हुई है। स्वराज का आनंद उठाने से पूर्व अभी हमें उत्पीड़न और त्याग का एक लम्बा रास्ता तय करना है। मेरी बात स्पष्ट करने के लिए आयरलैंड के ताजा इतिहास से उदाहरण काफी होगा। कार्क के लार्ड मेयर मैकस्वी ने अपने कारावास के प्रतिरोध स्वरूप हड़ताल पर बैठे जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गये तब अग्रेजों और आयरलैंड वसियों की ओर से राजा से अपील की गई कि वे अपने शाही अधिकार का प्रयोग करते हुए मैकस्वी की जान बचाये। राजा इससे द्रवित हुआ लेकिन उसने अपने सचिव के द्वारा यह घोषणा की कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके मंत्री माफी के खिलाफ हैं। अतएव राजा को ही झुकना पड़ा। आयरलैंड में इस घटना का प्रभाव यह हुआ कि अग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में कटुता बढ़ती गयी। कुछ समय बाद दोनों पक्षों ने एक समझौते की जरूरत महसूस की तब राजनीतिक बदियों को क्षमादान का प्रश्न उठा और सिन-कीन नेताओं ने राजनीतिक बदियों की रिहाई की माग की इनमें से बंदी भी शामिल थे जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गयी थी। इनमें वे भी कैदी शामिल थे जिन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गयी थी। ब्रिटिश ससद ने मृत्यु दंड के बंदी सिऑन मेक्यान के अलावा सभी राजनीतिक बदियों को आजाद कर दिया। इस पर से सिन-कीन नेताओं ने धमकी दे दी कि यदि सियान को चौबीस घंटे के अंदर रिहा नहीं किया गया तो वे समझौते को तोड़ देंगे। धमकी के जवाब में जिस कैबिनेट ने देशव्यापी आंदोलन के वाजजुद मैक्सीने को बचाने के प्रार्थना ठुकरा दी थी उसी कैबिनेट ने सिऑन मेक्यान को चौबीस घंटे के अंदर रिहा कर दिया। मैक्सीने को जान गवानी पड़ी। क्यों कि अभी तक समझौता नहीं था। सिऑन मेक्यान बच गये क्यों कि अग्रेजों के पक्ष पर हृदय परिवर्तन हो चुका था। क्या हम भारतीय इतिहास में यही आदर्श स्थापित नहीं कर सकते।

ऐसे बहादुर बनो जैसे कि भगतसिंह और उसके साथी थे। उन्होंने मायाचना नहीं की। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग देने की ठान ली ताकि भारत स्वतंत्र हो जाए। लेकिन सारा देश चाहता था कि उनका जीवन बचाया जा सके। यदि सधि की घोषणा हो चुकी थी यदि शांतिपूर्ण वातावरण बनने लगा था ऐसी स्थिति में इन तीन बहादुरों को बचाया जा सकता था और उनका राष्ट्रीय

पुनर्निर्माण के कार्य में सदुपयोग किया जा सकता था। देश के सभी राजनीतिक दलों और सभी विचारों के लोगों ने मृत्युदंड के लघुकरण को लेकर सच्चे मन से अपनी भावनाएँ व्यक्त की। इस दिशा में लोगों ने हर संभव प्रयास किये किन्तु एक प्रयास और किया जा सकता था। जब समझौते की बातचीत चल रही थी तब देश प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्रान्तिकारियों और भारत की लेबर पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त करना चाहिए था। कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि वह लेबर पार्टी के क्रान्तिकारियों से जुड़कर अपनी पहचान बनाये। यह बात सरलता से समझी जा सकती है कि जब इन दोनों दलों का अस्तित्व है और दोनों अपने-अपने तरीकों से राष्ट्र की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है। अतएव दोनों दलों की सहभागिता से ही शांति स्थापित हो सकती है।

इस परिस्थिति में सरकार की ओर से एक उदारतापूर्ण संकेत आ जाये तो इसका दोनों दलों और ममूचे देश पर गहरा असर होगा। उस पक्ष से ऐसा कोई उदारतापूर्ण संकेत आने के बाद यदि कोई समूह दल या व्यक्ति इसके प्रति उदासीनता दिखाता है तो वह दुनिया की आंखों में गिर जायेगा। सरकार को दोनों ही स्थितियों में कोई नुकसान नहीं होगा। यदि वह मेल-मिलाप के जरिये देश के उग्रवादी दलों को मजबूरी दे देती है तो यह उसकी नैतिक विजय होगी। यदि मेल-मिलाप नहीं हो पाया तो वे एक बार दमन चक्र चलायेंगे और उसे न्यायोचित भी सिद्ध करेंगे।

सरकार की तरह कांग्रेस ने भी गलती की। संधि-वार्ता के दौरान कांग्रेस को समूचे देश की बात करनी चाहिए थी जिस प्रकार कि क्रान्तिकारियों और मजदूर दलों के तरीकों से जुड़कर अपनी पहचान बनाते हुए सिन-कीन ने समूचे आयरलैंड की बात की थी। कांग्रेस भली भाँति उनकी मांगों को रख सकती थी। लेकिन ऐसा करने में कांग्रेस असफल रही। इस असफलता का कारण देश और विश्व में उसकी साख गिरी है। कांग्रेस इसी प्रकार का चौथा भगतसिंह और उसके साथियों के मृत्युदंड के लघुकरण की घाँटिका के समय अपना सकती है जिसे कि सरकार ने नामजूर कर दिया था।

यदि कांग्रेस औपचारिक रूप से भगतसिंह और साथियों के मृत्युदंड के लघुकरण की मांग रखती तो इससे उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती बल्कि वह दुनिया की नजरों में ऊँची उठ जाती और भगतसिंह की जीवन रक्षा भी कर सकती थी। भले ही सरकार इस मांग का नामजूर कर देती लेकिन कांग्रेस को यह सतुष्टि तो होती कि उसने अपना दायित्व निर्वाह किया। फिर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस से यह शिक्वा शिक्वायत न करता कि उसने भगतसिंह का बचाने का दिशा में कुछ नहीं किया।

गार्डी-ईर्विन समझौते के विषय में मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यह अत्यन्त असंतोषजनक और निराशापूर्ण है। मुझे विशेष दुःख इस बात है कि समझौते के समय हमारी शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी जितनी कि समझौते की अंतर्वस्तु से प्रकट होती है। मैं यहाँ संक्षेप में समझौते के कुछ असंतोषजनक बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूँगा -

- 1 बंगाल अध्यादेश (बंगाल क्रिमिनल एमेडमेंट एक्ट) और वर्मा अध्यादेश जैसे अध्यादेशों को रद्द नहीं किया जिनके द्वारा बिना मुनवाई के मात्र सदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया।

- 2 अर्थदंड को लौटाने और जब्तशुदा संपत्ति से सबंधित प्रावधान सतोपजनक नहीं है।
- 3 पुलिस की ज्यादातियों की जाच से सबंधित माग को नहीं ठुकराना चाहिए था। विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा यह माग उठाये जाने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ कांग्रेस को गढ़वाली पुलिस कर्मियों का पक्ष लेना चाहिए था जिन्होंने निहत्थे लोगो पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया था और जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने तमाम ज्यादातियों के वावजूद अपने आदमियों को नीचा दिखाने से इन्कार कर दिया जब कि कांग्रेस अपने लोगो का पक्ष नहीं ले सकी।
- 4 कांग्रेस को विलायती माल का बहिष्कार बंद नहीं करना चाहिए था। विशेष रूप से जब यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने से हम विलायती माल का बहिष्कार करते थे किन्तु दुर्भाग्य से अब नहीं कर सकते। अतएव हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व की तुलना में अब वही बुरी स्थिति में है।
- 5 नमक बनाने के प्रावधान उचित नहीं है। नमक एक सीमित क्षेत्र के भीतर ही बनाया जा सकता है।
- 6 घरने (पिकटिंग) के स्थानों को लेकर प्रतिबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले से भी अधिक बढ़ गया है। यदि ये प्रतिबंध इसी तरह लगे रहे तब घरना देना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायेगा।
- 7 इन सबसे ऊपर क्षमादान से सबंधित प्रावधान अत्यन्त असतोपजनक है। पहले सविनय अवज्ञा के सभी बंदी अभी तक जेल में बने हुए हैं और समझौते की शर्तों के मुताबिक क्रान्तिकारी और लेबर पार्टी के बंदियों की क्षमा का दावा पेश नहीं कर सकते। फार्सी के आदेश रोके नहीं जायेगे। चित्तगोग असलाखाने की लूट और मेरठ पड़्यत्र के मुकदमे जारी रहेगे। पंजाब के मार्शल ला बंदियों की भांति राजनीतिक बंदी 10 या 12 वर्ष तक जेल में बने रहेगे। अंतिम किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना सुनवाई के बंदी बनाये गये बंगाल के लोगो को रिहा नहीं किया जाना है तब इस क्षमादान का क्या मूल्य है? मैं यह बात पुन रेखांकित करूंगा कि हिंसक और अहिंसक बंदियों में भेद करना कांग्रेस का एक कर्तव्य है। यह बात 1929 ई० के दिल्ली घोषणापत्र में नहीं थी। महात्मा गांधी के ग्यारह सूत्रों में भी इसका जिक्र नहीं था।

समझौते की शर्तों के सतोपजनक चरित्र समझने के लिए और किसी दर्लील की जरूरत नहीं है। दस्तावेज देखने के बाद कोई व्यक्ति आसानी से यह समझ सकता है कि कांग्रेस ने पराजित मानसिकता के साथ यह समझौता स्वीकार किया है। कई जगह हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि समझौते के समय हमारी स्थिति वास्तव में कमजोर थी-तो मैं ज्यादा प्रतिरोध नहीं जताऊंगा लेकिन क्या हम इतने कमजोर हैं? मुझे सदेह है।

लेकिन अब यह समझौता सपन्न हो चुका है और प्रश्न यह है कि कोई आक्रामक कदम उठाने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। नकारात्मक आलोचना में अपनी ऊर्जा नष्ट

करने के बजाय हमें कुछ सकारात्मक और सार्थक कार्य करना चाहिए। मैं समझौते की शर्तों के लिए जिम्मेदार लोगों की देश भक्ति पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। इस प्रवृत्ति से दूर रहते हुए हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम कोई सकारात्मक कार्य करें जिससे हमारा राष्ट्र और राष्ट्र की मांगें मजबूत हों। इस प्रयोजन के लिए मैं आरम्भ में ही एक कार्यक्रम की रूप रेखा प्रस्तुत कर चुका हूँ जिसे हमारे देश का क्रान्तिकारी बहुत सरलता से अपना सकता है और चला सकता है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ कलह की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि कलह से हम लोग कमजोर होंगे और सरकार मजबूत होगी। इन सबसे ऊपर हमें दूसरे लोगों की आलोचना करते समय आत्मसमय का परिचय देना चाहिए। विनम्रता और समय से हमें हानि के बजाय लाभ ही होगा। यदि हमारी कार्यक्रम में आस्था है तो हमें अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ लागू करना चाहिए। यदि हमारा कार्यक्रम सत्य पर आधारित है तो हमारे देशवासी भावी समय में इसे अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि अतत इस सप्ताह में सत्य की विद्यमानता ही रहेगी। मित्रों मैं आप का अत्यधिक मूल्यवान समय ले चुका हूँ लेकिन मैं अपनी बात समाप्त कर चुका हूँ। हमें अदम्य साहस किन्तु विनम्रता के साथ अपना कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। मेरे मन में एक पृष्ण रूपेण स्वतंत्र भारत का सकल्प है। भारत को विश्व सस्कृति एवं सभ्यता में भारी योगदान करना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही मेरे जीवन का स्वप्न है। समूचा विश्व उत्सुकता के साथ भारत के उन उपहार की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत एक नयी आर्थिक समाजार्थिक व्यवस्था और राष्ट्र के रूप में विश्व को अतिम उपहार देगा जो कि समूची मानवता के लिए एक पाठ होगा। भारत विश्व रूपी इमारत की शहतीर है और स्वतंत्र भारत विश्व से साम्राज्यवाद का अंत कर देगा। अतएव हमें इस अवसर पर उठ जागना चाहिए ताकि मानवता की रक्षा की जा सके।

बंगाल के कांग्रेसजनों के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव के अवसर पर नई दिल्ली में प्रेस के लिए वयान 11 अप्रैल, 1931

मुझे पूरी आशा है कि कराची कांग्रेस के सुखद समापन के बाद बंगाल में चलने वाला विवाद सदा के लिए समाप्त हो जायेगा। समूचा देश महमूस करता है कि स्वतंत्रता संग्राम का अंत नहीं हो गया है अतएव हमारे बीच कोई मतभेद है तो उन्हें दूर कर लेना चाहिए और नौकरशाहों के सामने एक सयुक्त मोर्चा पेश करना चाहिए। लेकिन प्रतीय और स्थानीय संगठनों की एकता के अभाव में अकेली कांग्रेस की एकता प्रभावहीन होगी।

शीघ्र ही प्रमन्नता पूर्वक कांग्रेस चुनाव होने जा रहे हैं और वगल को प्रतीय कांग्रेस कमेटी के पुर्नगठन का अवसर मिल जायेगा। मैंने हमेशा बंगाल की प्रतीय कांग्रेस कमेटी को सर्वोच्च राजनीतिक संगठन के रूप में देखा है और इस सन्धा की गरिमा वनान के दिना में मैंने यथ सामर्थ्य प्रयान किये हैं। यह कार्य मुझे सुखद और सरल प्रतीत नहीं हुआ है और मेरी मान्यता है

किं प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की गरिमा सद्भाव और अनुशासन के बिना किसी प्रांत में राजनीतिक जीवन और गतिविधि संभव नहीं है। इस सस्था का मुखिया कोई भी हो उसे निर्भीकता के साथ अपना दायित्व निर्वाह करना चाहिए।

कहने की जरूरत नहीं कि जहां तक हमारे अधिकार क्षेत्र के बात है कार्यकारिणी स्वयं यह देखेगी कि न्यायपूर्ण स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न हुए हैं। कांग्रेस सदस्यों की सूची बनाने हेतु प्रभाषिक कांग्रेस जनों को हर सुविधा प्रदान की जायेगी और यह आशा की जाती कि जिला कांग्रेस कमेटियां भी कांग्रेस के सदस्यों के नामांकन में पूरी सहयता करेंगी। बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के पुनर्गठन और बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए सदस्यों के मनोनयन के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटियों और बंगाल प्रदेश कमेटी में उनके प्रतिनिधियों की इच्छाओं का सम्मान किया जायेगा।

बड़े खेद की बात है कि कराची में कार्यसमिति के समक्ष इस आशय का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि बंगाल के चुनाव की निगरानी के लिए एक रेफरी की नियुक्ति की जानी चाहिए। कार्यसमिति के समक्ष ऐसा प्रतिवेदन केवल बंगाल की ओर से प्रस्तुत किया जैसे कि सभी प्रांतों में अकेला बंगाल ऐसा है जो स्वयं अपने चुनाव नहीं करा सकता। ऐसी प्रार्थना बंगाल के प्रति अन्याय है विशेष रूप से तब जब कि पिछले मीके पर पीड़ित भोतीलाल नेहरू एक शोचपूर्ण जाच के बाद बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गतिविधियों की सराहना कर चुके हैं। सौभाग्य से कार्यसमिति ने इन प्रस्ताव का नामजूर कर दिया और मुझे कहते हुए खुशी है कि महात्मा गांधी हमें आश्वस्त कर चुके हैं कि वे बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यथासंभव सहायता करेंगे और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कार्यसमिति बेहतर ही करेगी।

मुझे आशा है और प्रार्थना करता हूँ कि हम सर्वोच्च राजनीतिक सगठन अर्थात् बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सद्विचार से प्रेरित होंगे और इस सस्था को यह तय करना है कि जनहित में हमारी सेवाओं का किम रूप में इस्तेमाल किया जाना है। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस सद्विचार से प्रेरित होंगे तो अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं और नौकरशाही के समक्ष एक संयुक्त भोर्चा भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

एकता के लिए अपील

एक वमान, 13 अप्रैल 1931

मैं इन निश्चय के साथ कलकत्ता लौटा था कि मैं बंगाल में जारी आंतरिक कलह को दूर कर दूंगा। यह इसलिए जरूरी हो गया है कि बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकतम योगदान कर सके और अपने योगदान का पूर्ण श्रेय मिल सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि धरलू कलह के कारण बंगाल की प्रतिष्ठा कम हुई है और यह जरूरी है कि हम अविलंब इस कलह को समाप्त करें। हम प्रयोजन के साथ मैं प्रत्येक व्यक्ति की तकलीफों का एक जायजा लेना चाहूंगा और यथासंभव इनके निराकरण के उपाय सुझाऊंगा।

मैं परसो जारी बयान मे कह चुका हू कि बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सर्वोच्च राजनीतिक सस्था स्वीकार कर लेने मे ही हमारी समस्याओ का समाधान निहित है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपनी सेवा बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विवेक पर छोड दे। वह जैसे चाहे इस सेवाओ का इस्तेमाल करे। प्रांत या जिले मे किसी प्रतिद्वन्दी सस्था को अस्तित्व मे नहीं आना चाहिए क्योंकि इन सस्थाओ से देश भर मे कांग्रेस सगठन की प्रतिष्ठा और एकता पर बुरा प्रभाव पडेगा।

मेरा निजी विचार यह है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओ को अपवाद स्वरूप परिस्थितियो को छोडकर प्राय घन और सम्मान के पदो से बचना चाहिए। मैंने स्वयं पिछले वर्षो मे ऐसा कोई पद नहीं लिया, मुझे आशा है कि मैं भविष्य मे भी ऐसा कभी नहीं करूंगा। दुर्भाग्य से गत वर्ष परिस्थितियो ने मुझे भी ऐसे मेयर के पद हेतु खडे होने के लिए बाध्य किया। बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विचार था कि मेयर का पद किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और यह तय पाया गया कि डा० बी० सी० राय को मेयर के पद हेतु खडा करना चाहिए। बडे विवाद के बाद अप्रैल 1930 मे कांग्रेस म्यूनिसिपल पार्टी ने सर्वसम्मति से यह सकल्प पारित किया कि श्री जे० एम० सेनगुप्ता को मेयर चुना जायेगा और पुनर्निवाचन की स्थिति मे डा० बी० सी० राय का मेयर चुना जायेगा। इस व्यवस्था को बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वीकृति दे दी। जब पुनर्निवाचन का समय आया दुर्भाग्य से कांग्रेस म्यूनिसिपल पार्टी के एक हिस्से ने पिछले सकल्प को अनदेखा करत हुए श्री सेनगुप्ता को पुन मेयर बनाने की चाल चली। बगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ विद्रोह की श्रृंखला से यह आखिरी कदम था। इस विद्रोह को सहन करना प्रातीय कांग्रेस कमेटी के लिए मुश्किल था। परिणामस्वरूप बगाल मे कांग्रेस सगठन के अनुशासन और एकता के हित मे यह जरूरी समझा गया कि श्री सेनगुप्ता के विरुद्ध मेयर और महापौर पद हेतु मुझे खडा किया जाए।

अब परिस्थिति बदल चुकी है और मुझे मेयर बने रहना जरूरी नहीं रह गया है। इस कारण मैंने पार्टी की बैठक मे सहर्ष यह प्रस्ताव रखा कि आगामी वर्ष श्री सेनगुप्ता को मेयर के रूप मे मनोनीत किया जाये। वे हर प्रकार इस सम्मान के योग्य है और मुझे कोई सदेह नहीं है कि वे इस उच्च पद के साथ न्याय करेगे। इस व्यवस्था से मुझे बगाल और इससे बाहर कांग्रेस के कार्य को आगे बढ़ाने हेतु समय मिल सकेगा। मुझे लगता है कि आज के हालात मे हमे कठोर परिश्रम करना होगा ताकि कांग्रेस की फताका लहराती रहे।

मैं यह भी महसूस करता हू कि इस निर्णय से बगाल के बलाघरण को स्वच्छ करने मे सहायता मिलेगी और इसके द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओ मे एकता कायम हो सकेगी। मैं चाहूंगा कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता यह प्रदर्शित करे कि उसका एक मात्र उद्देश्य जनसेवा है पदलोलुपता नहीं। जब तक कोई पद उस पर लाद न दिया जाए तब तक वह उस पद को स्वीकार न करे। प्रबुद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ताओ के बीच कोई प्रतिद्वन्दिता या प्रतिस्पर्धा जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रतिस्पर्धा है तो वह सेवा और त्याग की प्रतिस्पर्धा है और जहा तक मेरी बात है मैं अपने देशवासियो के हृदय को ही केवल अपना मिहासन समझता हू।

सिलहट कांग्रेस विवाद का समाधान

बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में प्रेस के लिए बयान,

17 अप्रैल 1931

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सिलहट के धरेलू विवाद को सुलझाने के दिशा में हमने कुछ सुराग पा लिए हैं। सिलहट में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद परस्पर स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से न केवल जिला कांग्रेस कमेटी का स्वस्थ पुनर्गठन हो सकेगा बल्कि सिलहट का विवाद भी सुलझ जायेगा।

- 1 सिलहट की जिला कांग्रेस कमेटी के पुनर्निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी दर्ज की गई शिकायत पर गौर नहीं करेगी। इस बीच पुरानी कांग्रेस कमेटी, श्री हरेन्द्र चौधरी जिसके अध्यक्ष हैं, वैध कांग्रेसी कमेटी के रूप में कार्य करती रहेगी।
- 2 हमेशा के लिए शिकायत की गुजाइश दूर करने के उद्देश्य से सिलहट कांग्रेस समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित सदस्यता पुस्तिकाएँ सिलहट के बृजेन्द्र नारायण चौधरी को निर्गत की जायेगी। ये पुस्तिकाएँ सिलहट कांग्रेस समिति के सचिव को दी गयी पुस्तिकाओं के अलावा होंगी।
- 3 सिलहट जिला कांग्रेस समिति की वार्षिक आम सभा 10 मई 1931 को सिलहट में होगी। बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष इस बैठक के अध्यक्षता करेंगे तर्क दोनों पक्ष सलोष का अनुभव कर सकें। वे बैठक के समय व स्थान का निश्चय करने के लिए सिलहट जिला कांग्रेस समिति के सचिव से आग्रह करेंगे।
- 4 सिलहट जिला कांग्रेस समिति के पुनर्गठन के बाद नव गठित समिति बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति हेतु सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था करेगी।
- 5 जिन्होंने 3 मई 1931 तक सदस्यता ग्रहण कर ली है केवल वही 10 मई को होने वाले चुनाव में मताधिकार के पात्र होंगे।
- 6 3 मई तक नामांकित सदस्यों की सूची आधुनिक और शुल्क (यदि कोई है) सहित 5 मई तक जिला कांग्रेस समिति के कार्यालय में पहुँच जायेगी। बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मतदाता सूची की गणना तथा इससे संबंधित आपत्तियों के निराकरण हेतु एक जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। वही यह निर्णय करेंगे कि कांग्रेस समिति की शाखा विशेष जिला कांग्रेस समिति से संबद्ध है या नहीं? उनके द्वारा किसी समिति को असंबद्ध घोषित किये जाने की स्थिति में यदि उस शाखा समिति का कोई सदस्य अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसे जिला कांग्रेस समिति के पास पूरा शुल्क जमा कराना चाहिए।

मुझे आशा है कि सिलहट में दोनों पक्ष अपने पुराने मतभेदों को भुला देंगे। पुनः मेल-मिलाप कायम करने के लिए मेरी सेवाएँ अर्पित हैं। सिलहट की महत्वपूर्ण समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सामंजस्य की तीव्र आवश्यकता है।

फरीदपुर को लेकर मेरी जानकारी में कुछ शिकायतें आयीं हैं। मैं शिकायतकर्ताओं को पहले ही आश्वस्त कर चुका हूँ कि मैं सामंजस्य स्थापित करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मुझे थोड़ा समय दिया जायेगा। इस बीच में वे स्वयं देखेंगे कि फरीदपुर के कांग्रेसजनों के बीच कोई कटुता शेष नहीं रहेगी।

प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार ए० सी० चटर्जी के कार्य के बारे में

निवर्तमान मेयर के रूप में भाषण, 19 अप्रैल 1931

मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में कलकत्ता निगम श्री चटर्जी के मार्ग का अधिक से अधिक अनुसरण करेगा और इसके द्वारा भारतीय स्थापत्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा।

भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार श्री चन्द्र चटर्जी से भेट होने से पहले मैं आश्चर्य के साथ यह सोचा करता था कि भारत अपनी वास्तुकला की विशिष्ट शैली का विकास कैसे कर सकेगा जैसे कि उसने मुद्रण की एक विशेष शैली विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। तुरन्त बाद ही मुझे एक अखबार में श्री चटर्जी के कुछ लेख पढ़ने को मिले और उनसे विचार विमर्श किया। इस विचार विमर्श के बाद मेरे मन में उनके प्रति प्रशंसा का भाव और अधिक बढ़ गया।

श्री चटर्जी विशिष्ट भारतीय चरित्र में युक्त वास्तुकला की नयी शैली के शिखर पुष्प के रूप में सही समय पर हमारे सामने आये। उनके शिल्प में पाश्चात्य और विदेशी प्रभाव भी देखे जा सकते हैं लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में जुड़ते हुए वे भारत और विश्व को बहुत कुछ नया दे सकते हैं।

समस्त भारतीयों के लिए यह गौरव की बात है कि श्री चटर्जी भारतीय वास्तुकला के पवित्र उद्देश्य को लेकर पिछले दिनों अमरीका में रहे और वहाँ से बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ने में सफल हुए। श्री चटर्जी जब से प्रकाश में आये हैं कलकत्ता का निगम का निर्माण विभाग उनके प्रभाव में ही काम कर रहा है और निगम के मुख पत्र म्यूनिसिपल गजट ने उनके लेख प्रकाशित किये हैं।

यद्यपि मैं एक मामूली आदमी हूँ फिर भी मैंने श्री चटर्जी के जीवन का बड़ी रुचि के साथ अनुसरण किया है और मैं भविष्य में यह जारी रखूँगा। उनकी सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी सफलता का अर्थ भारतीय वास्तुकला के पुनर्जागरण का विकास और विश्व सभ्यता की समृद्धि है।

मेरे जीवन का स्वप्न

फरीदपुर के अविद्या मेमोरियल हाल में भाषण, 20, अप्रैल, 1931

यह मेरे जीवन का एक स्मरणीय दिन है जब मैंने सुख-सुविधाओं के जीवन की लीक छोड़कर सघर्ष के क्षेत्र में कदम रखा जिसके प्रति हर युग के युवाओं के मन में आकर्षण रहा है। तब से मैंने उस निगम को लेकर खेद व्यक्त नहीं किया। आप पूछ सकते हैं कि मैंने यह निर्णय क्यों लिया? मैंने एक गौरवशाली स्वप्न के कारण यह निर्णय लिया, इस स्वप्न ने मुझे भारत माता को हर प्रकार की श्रृंखलाओं से मुक्त करने और विश्वसमुदाय में एक गौरवशाली स्वप्न प्राप्त करने की दृष्टि दी और यदि मेरे जीवन में वह दिन कभी नहीं आया कि मैं अपने स्वप्न को साकार होता देख सकूँ तो मैं इस स्वप्न को अपने देशवासियों के लिए दाय के रूप में छोड़ जाऊँगा ताकि वे इसे साकार करें।

हर जगह स्वप्न द्रष्टाओं ने राष्ट्र की सत्ताएँ कायम की हैं। मेजिनी को पागल करार ठहरा दिया गया था जब उसने स्वतंत्र इटली के स्वप्न को अभिव्यक्ति दी थी। उस पर कमोवेश अत्याचार किये गये। ये अत्याचार उन शक्तियों की आर से हुए जो युवा आंदोलनकारियों को नापसंद करती थी और यह भी जानती थी कि इन युवाओं के स्वप्न में वे बीज हैं जो एक दिन उनके अस्तित्व को चुनौती बन सकते हैं। इसलिए मैंने सुविधाओं के जीवन का मार्ग छोड़ दिया और पद व प्रतिष्ठा की लालसा को परित्याग कर दिया।

फरीदपुर कांग्रेस विवाद का समाधान

फरीदपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच के भारी मतभेदों को सुलझाने पर एक बयान, 23 अप्रैल, 1931

देश की मौजूदा हालत को मद्दे नजर रखते हुए जो कि कांग्रेस जनो में एकता की मांग करती है यह आवश्यक हो गया है कि फरीदपुर के कांग्रेस जन अपने मतभेदों को दूर करके जिले में एक मजबूत कांग्रेस सगठन का निर्माण करें। इस प्रयोजन से मैंने मतभेद दूर करने के लिए फरीदपुर में दोनों पक्षों से बातचीत की है। दोनों पक्षों का निम्न लिखित व्यवस्था पर सहमत होना एक शुभ लक्षण है और समस्या का सही समाधान है -

- 1 विरोधियों द्वारा जनवरी, 1931 में चुनी गई जिला कांग्रेस समिति के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायतों व याचिकाएँ वापस ले ली जायेगी।
- 2 जनवरी में निर्वाचित जिला कांग्रेस समिति फरीदपुर की वैध जिला कांग्रेस समिति के रूप में कार्य करती रहेगी।

3. आगामी जून में जिला कांग्रेस समिति के दोबारा चुनाव होंगे।
4. चुनाव से पूर्व 25 मई, 1931 तक सदस्यों के नामांकन की सुविधा प्रदान की जायेगी। आगामी 25 मई तक जो सदस्य बन चुके हैं वही मताधिकार के पात्र होंगे।
5. जिला कांग्रेस समिति, भग सब डिवीजन कांग्रेस समिति की समाप्ति और इसके सदर सब डिवीजन कांग्रेस समिति के विलयन से उत्पन्न समस्याओं का ध्यान रखेगी और आगामी जिला चुनावों से पहले इसे एक स्वतंत्र कांग्रेस सब डिवीजन बनायेगी।

यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त व्यवस्था से सभी समस्याओं और शिकायतों का निराकरण हो सकेगा और जिला कांग्रेस समिति में अनुशासन कायम होगा। यह भी आशा की जाती है कि इस व्यवस्था से दोनों पक्षों का हृदय परिवर्तन होगा एकता बढ़ेगी और जनता की दृष्टि में जिला कांग्रेस समिति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

मैं व्यक्तिगत रूप से यथाशक्ति प्रयास करूंगा कि जिला कांग्रेस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्त को लेकर कोई शिकायत न हो। मेरा यह प्रयास भी होगा कि यदि कोई चुनाव विवाद खड़ा होता है तो शिकायतकर्ताओं को उचित न्याय मिले।

मैमन सिंह की घटना और उसके बाद

कलकत्ता में प्रेस के लिए जारी एक बयान, 25 अप्रैल 1931

सुबह के अखबारों में मैमन सिंह की घटनाओं के बारे में पढ़कर मुझे गहरा दुःख हुआ। अखबार की खबरों के आधार पर वास्तविक घटना और उसके कारणों की प्रामाणिकता को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिपोर्टों और लोगों से पूछताछ के आधार पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं -

नेत्रकोना में दो सभाये होनी थी। राजनीतिक पीडित अधिवेशन और जिला छात्र अधिवेशन की अध्यक्षता क्रमशः जे० एम० सेनगुप्ता और पूर्ण चन्द्रदास को करनी थी। नेत्रकोना के जिला छात्र अधिवेशन की प्रतिद्वंद्विता में मैमनसिंह में अन्य छात्र अधिवेशन के आयोजन से गनतफलमिया पैदा होना शुरू हुई। बड़ी मख्या में विधार्थियों ने इसका तीव्र विरोध किया। सेनगुप्ता के आगमन पर आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे समझौता करा दे। यहा तक उन्होंने सेनगुप्ता के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि नेत्रकोना के मूल छात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बन जाये और समझौता करा दे। इस प्रस्ताव के आधार पर सेनगुप्ता ने समझौता क्यों नहीं करगया? इतने दूर बैठकर यह कहना मुश्किल है। सेनगुप्ता ने अपने बयान में कहा था कि वे समझौते की खातिर मैमनसिंह अधिवेशन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैमनसिंह की स्वागत समिति उनके आड़े आ गई। संभवत यदि वे स्वागत समिति के सदस्यों को समझाते बुझाते तो उन्हें समझौता कराने में सफलता मिल सकती थी। उस स्थिति में सेनगुप्ता दोनो अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे और वे एक विशिष्ट बन जाते। दुर्भाग्य से वे मैमनसिंह के प्रतिद्वन्दी गुट का मन नहीं जीत सके।

मुझे इस बात का गहरा दुःख है कि विद्यार्थियों के आपसी विवाद के कारण सेनगुप्ता का अपमान हुआ इसी तरह गत वर्ष जब कलकत्ता में मेयर के चुनाव के दौरान युवा लोगों ने 20 बी० सी० राय के प्रति सार्वजनिक रूप से असम्मान व्यक्त किया तब मैंने हमारे युवाओं के भीतर बढती गई अगुशासनहीनता पर गहरी चिन्ता प्रकट की थी। आज की परिस्थितियों में जिम्मेदार नेताओं का कर्तव्य बहुत स्पष्ट है। उन्हें ऐसी किसी भी सभा की अध्यक्षता करने से इन्कार कर देना चाहिए जहाँ गुटबाजी के कारण सामान्य विघटनकार तक नहीं रह गया है।

मुझे अफसोस है कि सेनगुप्ता के प्रेस में छपे बयान में बंगाल कांग्रेस समिति को लेकर एक टिप्पणी है जिसमें बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी के प्रति चापलूसी की गद्य आती है। बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति एक ऐसी सस्था है जिसमें बंगाल के सभी जिलों के विभिन्न गुटों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। यदि बंगाल प्रदेश कांग्रेस के कुछ सदस्यों का मुकाब एक ओर है तो अन्य सदस्यों का मुकाब दूसरी ओर है। मैमनसिंह के विद्यार्थियों के बीच का विवाद पूरी तरह स्थानीय मामला है और जनता 1929 में मैमनसिंह में आयोजित प्रांतीय द्वात्र अधिवेशन के दौरान उठे विवाद को भूली नहीं होगी। यदि कोई बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के कुछ सदस्यों को चापलूसी इसलिए करता है कि वे स्थानीय मामले में दखल देगे तो यह सरासर ग़लत है। इस चापलूसी से आपसी सद्भाव बढाने में मदद नहीं मिलेगी।

लोग जागरूक हैं कि बंगाल में कांग्रेस जनो की बीच एकता स्थापित करने के गभीर प्रयास चल रहे हैं। सिलहट और फरीदपुर के विवादों को सुलझाने के बाद हमें जो उपलब्धि हुई उसने सभी भातिप्रिय लोगों को उत्साहित किया है। मुझे आशा है कि वे मैमनसिंह की घटनाओं को लेकर हताश नहीं होंगे। मैमनसिंह के कांग्रेसजनों से अनुरोध करूँगा कि छात्रों के बीच विवाद को न उकसाये और सौमनस्य स्थापित करने के प्रयास करें।

कुष्ठिया नगर पालिका का चुनाव

कुष्ठिया के मतदाताओं से अपील, 10 मई 1931

कांग्रेस ने कुष्ठिया के नगरपालिका प्रशासन को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। यदि भारत के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संस्था हो सकती है तो वह कांग्रेस है क्योंकि कांग्रेस का आदर्श ही जनता का आदर्श है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यह घोषित कर चुकी है स्वाधीनता प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है और वह व्यावहारिक रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत सक्षम है। पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति का अर्थ है—जनता की गरीबी, पीडा और दासता से मुक्ति। इसलिए जितनी कांग्रेस की शक्ति बढेगी उतने ही जनता के दुःख हल्के होंगे और दासता की अज्ञानता के निजाल पाना आसान होगा। इसी कारण स्वर्गीय देशबन्धु ने निर्गम के भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।

कुष्ठिया की जनता ने विभिन्न रूपों में कांग्रेस के प्रति सदेह व्यक्त किया है। पिछले सविनय अवज्ञा के दौरान कुष्ठिया के व्यापारियों ने कांग्रेस कोष के लिए उदारता पूर्वक दान दिया था। नागरिकों ने बाजार में विदेशी कपड़े की बिक्री असभव कर दी थी। स्त्रियों ने गहने उतार दिये थे, युवा लोग हस्तों हुए चेहरे के साथ जेल भेजे गये। कुष्ठिया से आज अतीत की भाँति अपेक्षा की जाती है। हमें आशा है कि कांग्रेस की गरिमा और सम्मान में वृद्धि होगी।

कुष्ठिया के नागरिकों से मेरी पुरजोर अपील है कि तमाम निजी स्वार्थों और आपसी मतभेदों को तिलाजलि देकर वे कांग्रेस को विजयी बनायेंगे ताकि कुष्ठिया नगर पालिका के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके।

(यह भाषण मूल बंगला में है)

पूर्ण स्वाधीनता और उसका अर्थ

नौआखाती में भाषण, 15 मई 1931

हम जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में सर्वप्रकार की पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं। पूर्ण स्वाधीनता घर में दीपक की भाँति है जिसके प्रज्वलित होते ही घर का कोना-कोना आलोकित हो उठता है। पूर्ण स्वाधीनता समानता के समाजवादी आदर्श पर आधारित होगी। रूस और इटली ने अपने-अपने रास्ते अपनाये और भारत के पास समानता और जनतात्रिक राज्य की अपनी अलग व्याख्या होगी। भारतीय दर्शन विविधताओं के एकत्व की शिक्षा देता है। इससे स्वाधीन भारत का आधार तैयार होगा। उपनिषद् युग से लेकर रामकृष्ण विवेकानन्द तक विविधता में जीवन का आदर्श रहा है। हमारे भीतर पूर्व और पश्चिम का संगम होगा। हम विविधता पूर्ण सस्कृति और परंपरा के आधार पर विशुद्ध भारतीय ढंग से एकता बढ़ होकर सभ्यता का आधार तैयार करेंगे। भारतीय आदर्श युद्ध नहीं, प्रेम है और प्रेम उस सभ्यता के आधार का निर्माण करेगा। युवाओं को इस महान समस्या का समाधान करना है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। विभिन्न युवा या दूसरी सस्थायों कांग्रेस रूपी नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटी सस्थाओं को कांग्रेस के तिलाफ विद्रोह नहीं जताना चाहिए। जैसा कि स्वागत समिति के अध्यक्ष ने जताया है। उन्हें कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस ने मिस मेमो के माध्यम से भारत के विरुद्ध अपने अतिम हथियार का इस्तेमाल किया लेकिन भारतीय नारीत्व ने एक वर्ष के सतह संघर्ष के दौरान अपनी साहसिक गतिविधियों से इसे झूठा सिद्ध कर दिया। भारतीय स्वाधीनता माताओं और बहनों से त्याग की अपेक्षा करती है और उनके अभाव में भारतीय राष्ट्रीयता एक झूठी चीज होगी।

देश बन्धु ने जो हमसे कहा था हम उसे भूल चुके हैं। हम अपनी जातीय चेतना को गो चुके हैं। हम गुटबाजी में बट गये हैं और एक सयुक्त बंगाल के आदर्श को भुला चुके हैं। क्या

भौगोलिक एकता पर्याप्त है? नहीं। हमें अपने अतीत की भाँति भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में योगदान करने वाले उस विचार को पुनः सक्रिय करना होगा। मैं सभी से अपील करता हूँ और हर दृष्टिकोण से पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को स्वीकार करता हूँ और आप अधिक से अधिक त्याग के लिए तैयार रहे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जनता को न्यूनतम त्याग करना है। लेकिन युवा वर्ग को अधिकतम त्याग हेतु तैयार रहना है। युवाओं को एक प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार करना है जो उनके शरीर को स्वस्थ बनायेगा उनके दिल को मजबूत करेगा और उनमें त्याग भावना भर देगा। हमें हजारों जतीनदास चाहिए हमें निःस्वार्थ और स्वावलम्बी युवा चाहिए। युवा ही भावी भारत का निर्माण करेंगे। यहाँ स्त्री पुरुष, किसान-मजदूर और सभी लोगों को उनका अधिकार मिलेगा।

(मूल बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद)

युवा और भारत का भविष्य

नेआखाली युवा अधिवेशन में भाषण, 17 मई 1931

हमें बंगाल में जतीनदास जैसे हजारों युवकों की जरूरत है जिनमें उसके समान स्वरहित भावना का समावेश हो।

हमें जातीय चेतना से युक्त नवयुवकों का व्यापक समुदाय चाहिए क्यों कि युवा ही भावी भारत का निर्माण करेंगे। जहाँ स्त्री पुरुष मजदूर किसान, सभी स्वतंत्रता के आनंद की अनुभूति करेंगे। मैं आप का आह्वान करता हूँ कि आप को भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है और आप को मातृभूमि को दामता से मुक्ति दिलाने के अलावा और किसी काम में ध्यान नहीं बटाना है।

मैं मेजिनी और इटली का एक उदाहरण दे सकता हूँ। उन दिनों लोग सैकड़ों गुटों में बँटे हुए थे तथा स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक विघ्न बाधाएँ थीं। लेकिन ये तमाम बाधाएँ मेजिनी के अदम्ब को क्षीण नहीं कर सकीं और उसे इटली की स्वतंत्रता के लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकीं। स्वाधीनता केवल वाद-विवाद से प्राप्त नहीं की जा सकती। बल्कि इसे वास्तविक साधना और कर्मयोग तथा मातृभूमि के वेदी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। बाद के युवाओं में व्यग्रता देखी गयी है और जीवन के लक्षण के रूप में यह स्वागत योग्य है और यह सत्य की खोज का संकेत है। विश्व भर के युवा आंदोलनों में इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है।

अंग्रेज भारत के विरुद्ध अपने शास्त्रागार के अंतिम शास्त्र के रूप में मिस भेयो को उपयोग कर चुके हैं। लेकिन भारतीय नारीत्व ने इस दुष्प्रचार को एक वर्ष के सतत संपर्क के माध्यम

से मिथ्या सिद्ध कर दिया है। भारतीय स्वाधीनता अपनी माताओं और बहनों से त्याग की अपेक्षा करती है और उनके बिना भारतीय राष्ट्रीयता आधी-अधूरी है।

कृपया बंगाल की मौजूदा राजनीति को देखिये। आज देशबन्धु की बात को हम भूल गये हैं। हम अपनी जातीय चेतना खो चुके हैं और गुटबाजी में फस गये हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने सयुक्त बंगाल के आदर्श को विस्तृत कर दिया है। मात्र भौगोलिक एकता पर्याप्त नहीं होगी हमें आज उसी विचार को पुनरुज्जीवित करना है जिसने अतीत में भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

संकटग्रस्त उत्तर बंगाल

एक अपील, 22 मई, 1931

लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि उत्तर बंगाल पर संकट के बादल छाये हुए हैं। तमाम केन्द्रों में गैबधा एक ऐसा केन्द्र है जिसे भारी क्षति पहुंचाई गयी है। यहाँ भुखमरी विपदा और गरीबी की भयानक कहानियाँ रोज सुनने को मिलती हैं। यह कहा जाता है कि अकेले गैबधा सब डिवीजन में 3 लाख लोग चपेट में आ चुके हैं। यहाँ यथासंभव अविलंब रूप से राहत कार्य के कदम उठाये जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि गैबधा कांग्रेस समिति कार्य के आरंभ कर चुकी होगी। मैं जनता से उदारता पूर्ण सहयोग की अपील करता हूँ। सभी घड़े मौलवी महीउद्दीन अध्यक्ष गैबधा कांग्रेस समिति के नाम भेजे जाने हैं।

भारत की स्वतंत्रता का अर्थ है मानवता की रक्षा

मथुरा में आयोजित उत्तर प्रदेश नौजवान भारत सभा के अधिवेशन में भाषण

26 मई, 1931

मित्रो, आप ने मुझे आप जैसे देशभक्त कार्यकर्ताओं और स्वतंत्रता प्रेमियों से व्यक्तिगत संपर्क का अवसर दिया। इस हेतु मेरा हार्दिक आभार स्वीकार कीजिए। आप ने मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मुझे अपनी योग्यता के कारण यह सम्मान नहीं मिला है बल्कि मेरे जैसे सहकर्मी के प्रति यह आपका स्नेह भाव है।

इस प्रकार की किसी सभा में सम्मिलित होने पर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है "जब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी सर्वोच्च संस्था है तो अलग से नौजवान भारत सभा के आंदोलन की क्या जरूरत है?" इस प्रश्न के एक उपर्युक्त उत्तर से सभी संदेह दूर हो जायेंगे। गलत फहमियाँ

दूर हो जायेगी और अन्य सस्याओ की सापेक्षता में नौजवान भारत सभा की स्थिति भी परिभाषित हो सकेगी।

नौजवान भारत सभा का आंदोलन कोई स्थानीय या प्रांतीय गतिविधि नहीं है। यह एक अखिल भारतीय आंदोलन है। यह आंदोलन देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से चल रहा है और इसकी पद्धतियाँ और कार्यक्रम भी भिन्न हो सकते हैं। तथापि देश-भर में इस आंदोलन का मूल चरित्र एक है। इस आंदोलन के जन्म के मूल में अनिवार्य कारण रहे हैं।

मौजूदा व्यवस्था को लेकर असंतोष और अघर्म की भावना तथा क्रान्तिकारी परिवर्तन की तीव्र इच्छा इस आंदोलन के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। इस आधारभूत भावना में ध्वसात्मक और रचनात्मक दोनों प्रकार के तत्व शामिल हैं। युवा मन जो पुरातन अनुपयुक्त और प्रभावहीन प्रतीत होता है, उसे वह नष्ट करने की इच्छा रखता है और कुछ नवीन, उपयोगी और सुंदर की रचना करना चाहता है। उसकी इन इच्छाओं को कोई भी वर्तमान आंदोलन सस्था या सगठन अभिव्यक्ति देने में समर्थ नहीं है। इसलिए युवाओं ने एक आंदोलन चलाने और एक नया सगठन सृजित करने की ज़रूरत महसूस की जो उनकी ध्वसात्मक एवं रचनात्मक वृत्तियों और इच्छाओं को खुलकर व्यक्त होने का अवसर दे सके।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुछ निश्चित सीमाओं में काम करना पड़ता है। इस दायित्व बोध का बोझ है जो कि अपनी आर्थिक अवस्थाओं युवा सगठनों पर नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जहाँ तक संभव हो सके समूचे देश को अपने साथ लेकर चलना है। इसलिए इसकी गति कुछ धीमी पड़ जाती है। इसके अलावा कांग्रेस प्राथमिक रूप से एक राजनीतिक सस्था है और सामान्यतया वह गैर राजनीतिक प्रश्नों के प्रति झुकाव नहीं दिखा सकती।

अतः में, समूचे देश को साथ लेकर चलने के सिलसिले में कांग्रेस को सभी वर्गों, समुदायों और विचारों के लोगों की इच्छाओं और हितों का ध्यान रखना पड़ता है।

अपने चरित्र और विचारधारा में पूर्णतः क्रान्तिकारी युवा सगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना में सोच व अमल के स्तर पर अधिक स्वतंत्र है। उन्हें फिजहाल अपने साथ पूरे देश को लेना होगा लेकिन उनका प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को एकताबद्ध करना ही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भाँति दायित्व बोध से दबे हुए हैं। फलतः वे जितने तेज चाहे चल सकते हैं। किसी व्यक्ति या समुदाय की परवाह किये बिना निर्भीक रूप से जितने चाहे क्रान्तिकारी बन सकते हैं।

मानव-इतिहास में यह होता आया है कि मातृसस्था का उग्रवादी धड़ा आगे चलकर एक स्वतंत्र सगठन बना लेता है। जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दे सके।

दो भिन्न सगठनों का द्वन्द्व से बचते हुए सामाजिक हित में कार्य करना इन सगठनों के सदस्यों पर निर्भर करता है। आज हम देखते हैं कि भारत के अनेक भागों में युवा सगठनों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई टकराव नहीं है, वही कुछ दूसरे भागों में यह टकराव विद्यमान है।

युवा सगठनों और कांग्रेस के बीच अनावश्यक द्वंद्व को टालने के सिलसिले में दो बातें जरूरी हैं। युवा सगठनों को चाहिए कि वे कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य करें और कांग्रेस को युवा सगठनों की इच्छा-आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। सचचाई यह है कि जहां कांग्रेस का तंत्र युवाओं के हाथों में है यह तंत्र युवाओं के प्रति सहानुभूति रखता है, वहां प्रायः द्वंद्व की गुजाइश ही नहीं रहती।

मेरा यह निश्चित मत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा सगठनों के कोई पारस्परिक विरोध-भाव नहीं है। यदि कोई विरोध या गलतफहमी है तो वह हमारी पैदा की हुई है। दोनों पक्षों की सदाशयता से इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नौजवान भारत सभा के बीच विरोध-भाव और गलतफहमियां दूर नहीं हुईं तो मुझ जैसे पूर्ण कालिक कांग्रेस कार्यकर्ता, जो युवा आंदोलन के नेता भी रहे हैं, बड़ी अड़चन में पड़ जायेंगे।

नौजवान भारत सभा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सापेक्षता में एक पोषक आंदोलन मान लिया जाये तो यह मेरे विचारों को सही अभिव्यक्ति दे सकेगा। युवा आंदोलन सख्या की चिन्ता नहीं करेगा। यह समाज में केवल युवा तत्वों को एक सूत्र में बांधेगा। यह मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा क्योंकि इसका सबध मानवीय जीवन के हर क्षेत्र से होगा और यह एक नयी समाजार्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्र के निर्माण हेतु प्रयत्नशील रहेगा। यह रोजमर्रा की सतही समस्याओं में दिलचस्पी नहीं लेगा बल्कि हमारे जीवन की गहनतम समस्याओं में दिलचस्पी लेगा और उनका समाधान करेगा। यदि दोनों ओर सदिच्छा है तो बिना किसी द्वंद्व के यह सब किया जा सकता है।

नौजवानों को यह बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस राष्ट्र को संकेतित करती है। अतएव इस सस्था की महिमा को ठेस पहुंचा कर कुछ भी कर पाना संभव न होगा। उन्हें सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए। यदि उनकी ऐसी इच्छा है तो वे कांग्रेस के भीतर दक्षिण पंथी और पुरातन पंथी वर्ग को प्रभावित करने के लिए जिगर के रूप में काम करें।

कांग्रेसजनों को चाहिए कि वे नौजवानों की ओर सदेह व हताशा की दृष्टि से न देखें। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अतत नौजवान ही भावी भारत के उत्तराधिकारी हैं। उनकी इच्छाओं व आकांक्षाओं की सराहना करनी चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यदि दोनों पक्ष मित्रता के भाव से प्रेरित हों मुझे विश्वास है द्वंद्व या गलतफहमियां आसानी से दूर हो सकती हैं।

अखिल भारतीय नौजवान सभा के कराधी अधिवेशन के अंतिम सत्र में मैंने नौजवानों को परामर्श दिया था कि कांग्रेस से बाहर रहकर और विरोध में काम करने के बजाय उन्हें कांग्रेस के वामपक्ष के रूप में स्वयं को सगठित करना चाहिए। इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी और कांग्रेस की महत्ता कम नहीं होगी। कांग्रेस देश को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने का सकल्प ले चुकी है। यह एक प्रगतिशील तथा जनमत के प्रति जवाबदेह सस्था है। इसकी एक गौरवशाली परंपरा तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। अतीत की सतत पीढ़ियों के महान बलिदानों ने इस सस्था का निर्माण किया है। इसके अतीत और वर्तमान के नेता राजनीतिक क्षितिज के देदीप्यमान नक्षत्र हैं और अंत में मैं पूछ सकता हूँ—“आप धरती पर महात्मा गांधी जैसा नेता अन्यत्र कहा पा सकते हैं?”

यदि कांग्रेस भारत के लिए स्वतंत्रता का सकल्प न ले चुकी होती, यदि कांग्रेस जनमत के प्रति गैर जवाबदेह एक प्रतिक्रिया वादी सस्था रही होती, यदि सभी कांग्रेस नेता स्वार्थी और गैर देश प्रेमी रहे होते, तब मैं अपने नौजवान साथियों को कांग्रेस से भिन्न रास्ता अपनाने का परामर्श दे सकता था। लेकिन जैसा कि आज लगता है, कांग्रेस अन्य लोगों की भांति नौजवानों की भी है क्योंकि वे ही भावी भारत के कर्णधार हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि यह अन्य लोगों की तुलना में नौजवानों की अधिक है। अतएव देश भर के नौजवान सच्चे मन से कांग्रेस में शामिल हो जायें, उसके साथ मिलकर काम करें तो कांग्रेस की बागडोर जल्द की उनके हाथों में आ जायेगी।

मैं कह चुका हूँ कि नौजवान भारत सभा का आंदोलन कोई स्थानीय या प्रांतीय गतिविधि नहीं है। मैं इससे आगे यह कहूँगा कि यह एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तक कि स्वतंत्र राष्ट्रों में भी युवा आंदोलन का अस्तित्व है। कारण यह है कि इस आंदोलन का उद्देश्य हमारे समग्र जीवन-व्यक्तिगत एवं सामूहिक की पुनर्रचना है और जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, युवा आंदोलन का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता।

आदिकाल से ही मानवता चीजों की बेहतर व्यवस्था खोजने के लिए प्रयत्नशील रही है। पूर्व और पश्चिम में न केवल ऋषियों और स्वप्नद्रष्टाओं द्वारा जारी रही है बल्कि राजनेता एवं राजनीतिवेत्ता भी इस खोज में सलग्न रहे हैं। हर युग में एक आदर्श समाज की कल्पना एक भिन्न रूप में की गयी है लेकिन इसके पीछे मूल भावना एक ही रही है। पूर्व में लोगों ने "धर्म राज्य" का स्वप्न देखा। पश्चिम में लोगों ने एक आदर्श गणराज्य का स्वप्न देखा। कभी-कभी लोगों ने प्रकृति की मूल अवस्था में लौटने का प्रयास किया। दूसरे कालों में उन्होंने सदियों पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढाँचे को समूल नष्ट करके अतीत खडहरो पर नव निर्माण करने के प्रयास किये।

एक बेहतर व्यवस्था की खोज में मानवता युगो-युगों के अधिकार और प्रकाश के धुंधलके से गुजरती रही है। धर्म दर्शन और साहित्य ने इस धुंधलके आदर्श पर कुछ प्रकाश विकीर्ण करने का प्रयास किया है। समय-समय पर इस दिशा में हर सभ्य देश द्वारा किये गये प्रयत्नों का अध्ययन करना एक रोचक अनुभव है। लेकिन यह अध्ययन हमें तात्कालिक समस्याओं से विचलित कर सकता है। यह मान लेना पर्याप्त होगा कि मानवता आज प्रगति के सिद्धांत को अपना चुकी है और इसके विरोधी सिद्धांत अर्थात् मनुष्य के पतन और हास के सिद्धांत को निरस्त कर चुकी है। यह प्रगति का सिद्धांत हमारी चर्चा का प्रस्थान बिन्दु हो सकता है।

यदि हम विभिन्न समाज-राजनीतिक आदर्शों का तुलनात्मक विश्लेषण करें, जिन्होंने मानवीय व्यवहार और गतिविधि को प्रेरणा दी है, तो हम कुछ सामान्य सिद्धांत तक पहुँच जायेंगे। आत्म गवेषणा और आत्म निरीक्षण करने के उपरांत भी हम ऐसे ही निष्कर्षों पर पहुँचेंगे। किसी भी मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन एवं प्रेम हमारे सामूहिक जीवन का आधार हैं। इस बात में किसी तर्क की गुंजाइश नहीं है कि हमारे समूचे कार्य व्यापार और सबंध न्याय की भावना से नियंत्रित होते हैं। न्याय और निष्पक्ष होने के प्रयास में हमें सभी मनुष्यों से समान व्यवहार करना होगा। मनुष्य को समान बनाने

के प्रयास में उसे स्वतंत्र करना होगा। समाजार्थिक या राजनैतिक व्यवस्था में गुलामी की विद्यमानता स्वतंत्रता को समाप्त कर देगी और भाति-भाति की असमानताओं को जन्म देगी। अतएव समानता स्थापित करने के सिलसिले में हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार की गुलामी से मुक्त होना होगा। हमें पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचार नहीं है। स्वतंत्रता में कानून की अनुपस्थिति नहीं होती। आत्मानुशासन केवल स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद ही आवश्यक नहीं है बल्कि स्वतंत्रता के दौरान भी आवश्यक है। अतएव जीवन के आधार के रूप में एक व्यक्ति या समाज के लिए अनुशासन अनिवार्य है। अतः न्याय, समानता, स्वतंत्रता और अनुशासन के सिद्धांतों में आदर्श का समावेश होता है। जब तक हम मानवता के प्रति प्रेम की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक दूसरों के प्रति न्याय नहीं कर सकते, न मनुष्यों के साथ समान व्यवहार कर सकते न स्वतंत्रता के लिए त्याग कर सकते और न ही उचित प्रकार का अनुशासन लागू कर सकते। मेरे मतानुसार ये पांच सिद्धांत हमारे सामूहिक जीवन का आधार हो सकते हैं। मैं आगे यह भी कहूंगा कि यही सिद्धांत समाजवाद के आधार हैं जैसा कि मैंने समझा है और मैं भारत में इसी समाजवाद के स्थान देखना चाहूंगा।

मेरी मान्यता है कि भविष्य में भारत एक समाजार्थिक राजनीतिक संरचना को विकसित करने में सक्षम हो सकेगा जो कि कई मायनों में विश्व के लिए एक सबक होगा। जिस प्रकार आज बोलशेविज्म ने मानवता के लिए कई उपयोगी शिक्षाएँ दी हैं लेकिन मैं यही नहीं मानता कि अमूर्त सिद्धांतों को ज्यों का र्यों लागू किया जा सकता है। मार्क्सवादी सिद्धांतों को जब रूस में लागू किया गया तब रूस में बोलशेविज्म का उदय हुआ। इसी प्रकार जब भारत में समाजवादी सिद्धांत लागू होंगे, तब तक विशेष प्रकार का समाजवाद विकसित होगा। इसे हम भारतीय समाजवाद कह सकेंगे। वातावरण, जातीय स्वभाव और समाजार्थिक परिस्थितियों को कलम की एक ठोकर से नहीं उड़ाया जा सकता। अतएव ये परिस्थितियाँ हर सिद्धांत को प्रभावित और परिवर्तित करती हैं, तब कहीं कोई भी सिद्धांत यथार्थ में रूपांतरित होता है।

बाहर से प्रकाश और प्रेरणा ग्रहण करते हुए हम यह बात नहीं भुला सकते कि हमें किसी व्यक्ति का अधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें केवल वहीं बातें आत्मसात करनी चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्रतिभा के अनुरूप हैं। इस कथावत में बड़ी सच्चाई छुपी हुई है कि—“जो एक व्यक्ति के लिए आहार है वह दूसरे व्यक्ति के लिए विष हो सकता है।” अतएव मैं उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ जो बोलशेविज्म के तरीकों का अधानुकरण करने के लिए तालावित हैं।

बोलशेविज्म के सिद्धांतों के बारे में यह कह सकता हूँ कि वर्तमान में ये सिद्धांत प्रायोगिक अवस्था से गुजर रहे हैं। रूस के लोगों में न केवल मार्क्स के मूल सिद्धांत से अलगाव बढ़ने लगा है बल्कि सत्ता प्राप्त करने से पूर्व लेनिन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से भी अब दूरी बढ़ने लगी है। यह अलगाव रूप की उन विभिन्न परिस्थितियों की देन है जिन्होंने मूल मार्क्सवाद या बोलशेविज्म के सिद्धांत में संशोधन हेतु दबाव डाला। रूस में बोलशेविज्म द्वारा अपनाए गए तरीकों के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि वे भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं हैं।

इसके परिणामस्वरूप मैं कह सकता हूँ कि साम्यवाद के सार्वभौमिक एव मानवीय आकर्षण के बावजूद साम्यवाद भारत में अपना मार्ग नहीं बना सका। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा अपनाए गए तरीके, एक दूसरे से विच्छिन्नता को प्रेरित करते हैं, सभावित मित्रों और सहयोगियों को जीतने की प्रेरणा नहीं देते।

सक्षेप में, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मैं भारत में एक समाजवादी गणराज्य चाहता हूँ। समाजवादी राज्य का वास्तविक रूप क्या होगा—इसकी व्याख्या आज करना संभव नहीं है। हम फिलहाल समाजवादी राज्य के मुख्य सिद्धांतों और अभिलक्षणों की रूपरेखा बना सकते हैं।

मेरा केवल एक संदेश है—सर्वतोन्मुखी स्वतंत्रता। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए जिसके द्वारा हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त स्वाधीन भारतीय राज्य के संविधान की रचना कर सकें। हर व्यक्ति के मन में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि स्वाधीनता का अर्थ ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति है और इस बिन्दु पर कोई अस्पष्टता और मानसिक प्रतिबंध के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

दूसरे, हम पूर्ण आर्थिक मुक्ति चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य का अधिकार और जीवन-ध्यान योग्य मजदूरी मिले। हमारे समाज में कार्य में कोई निकम्मा नहीं होगा। सबको समान अवसर होंगे। इन सब से ऊपर धन का एक न्यायपूर्ण और समान वितरण होगा। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्र को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा।

तीसरे हम पूर्ण सामाजिक समानता चाहते हैं। कोई जाति नहीं होगी, कोई दलित वर्ग नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास समाज में समान अधिकार होंगे और समान हैसियत होगी। इसके साथ-साथ लिंग भेद या सामाजिक हैसियत या कानून के आधार पर कोई असमानता नहीं होगी और हर क्षेत्र में स्त्री को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होंगे।

अतएव हमारे पास समाज के हर समूह की आवाज या व्यक्ति—जो किसी भी रूप में उत्पीड़ित है, के लिए संदेश है। हमारे पास राजनीतिक, कार्यकर्ताओं, मजदूरों, भूमिहीन और सम्पत्तिहीन लोगों, समाज के तथाकथित दलित वर्गों और स्त्रियों के लिए एक संदेश है। हमारे समाज में ये दलित और शोषित वर्ग क्रान्तिकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम उन्हें सर्वतोन्मुखी स्वतंत्रता का शुभकामना संदेश दे सकते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि वे तुरंत ही प्रेरणा लेंगे। जब तक इन क्रान्तिकारी तत्वों का उद्धार नहीं होता है, हम स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं कर सकते। हम क्रान्तिकारी नखरे को वह नया संदेश दिए बिना नामबंद नहीं कर सकते जो मानवीय जीवन को एक नया अर्थ और एक नई दिशा देता है।

पिछले तीस वर्षों और विशेष रूप से दस-बारह वर्षों के दौरान भारत में अनगिनत पाश्चात्य सिद्धांतों या "वादों" की बाढ़ सी आ गयी है। इनमें से कुछ सिद्धांत सही अर्थों में पाश्चात्य हैं क्योंकि वे पूर्व से भिन्न पश्चिम की विशिष्ट परिस्थितियों की उपज हैं। कुछ सिद्धांत जैसे समाजवाद केवल सतही रूप से पाश्चात्य हैं। इसलिए कि वे केवल पाश्चात्य लोगों द्वारा प्रचारित किये गए हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ये सिद्धांत भिन्न रूपों और भिन्न रूपों में पूर्व और पश्चिम दोनों में मानवता को प्रेरणा देते रहे हैं।

पश्चिमी विचारों की अनायास बाढ़ से एक वैचारिक उत्तेजना और कभी-कभी एक वैचारिक विभ्रम की स्थिति पैदा हो गयी। लोग एकदम यह निर्णय नहीं ले सके कि उन्हें क्या ग्रहण करना और क्या त्यागना है। लेकिन अब हम धीरे-धीरे अपना मार्ग खोज रहे हैं और हम स्वस्थ और वाञ्छित वृत्तियों को समझने लगे हैं। हम जो ग्रहण कर रहे हैं वह मात्र विदेशी विचारों का अधानुकरण नहीं है, बल्कि पूर्व एवं पश्चिम का संश्लेषण है। इस सिलसिले में धीरे-धीरे एक मान्यता और हमारे भीतर घर करती जा रही है। सबसे पहले हम उसी सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए लालयित होंगे जो बहुत गहरे में हमारी मुक्ति से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए आज ऐसे लोग भी हैं जो यह महसूस करते हैं कि हम रूस के बोलशेविज्म पर ईमानदारी के साथ अमल करें तो भारत की रक्षा की जा सकती है और हमारा अस्तित्व सार्थक हो सकता है। लेकिन अब यह आस्था क्षीण हो चली है। पहली बात यह है, यह महसूस किया जाने लगा है कि जाति के स्वभाव समाजार्थिक परिस्थिति और वातावरण की अनदेखा करके एक अमूर्त सिद्धांत को किसी देश में लागू नहीं किया जा सकता है, इन कारणों के रहते हुए एक सिद्धान्त किसी देश में अनुपयुक्त साबित हो सकता है जबकि भिन्न परिस्थितियों में यह उपयुक्त साबित हो सकता है। दूसरे हम यह महसूस करने लगे हैं कि सामान्यतया हम जिन "माडलो" को अपनाए की होड़ करने लगते हैं वे अपने-आप में एक अपूर्ण प्रयोग हैं और कोई नहीं जानता है कि ये प्रयोग किस रूप में पूर्ण होंगे।

इन तमाम कारणों से हम अपनी प्रगति में मानवीय तत्व के मूल्य एवं महत्व को समझने लगे हैं, हमने यह सोचना शुरू कर दिया है कि कोई सिद्धांत हमारी रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि हम अपने समाज में एक बेहतर मनुष्य की रचना नहीं करते। यह इतिहास का एक अनुभव भी है और इसीलिए युगो-युगों में सिद्धांत की खोज के साथ-साथ बेहतर मनुष्य की खोज भी जारी रही है। कभी ग्रीक दार्शनिकों ने श्रेष्ठ मनुष्य की खोज की, कभी भारतीय मनीषियों ने 'गुरु' या "अवतारों" को खोजा और फिर कभी जर्मन नीत्शे ने अतिमानव की तलाश की। अतएव एक बार फिर यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि कोई भी आयातित या अपनी ही मिट्टी से उपजा हुआ सिद्धांत या "वाद" हमारी रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि हम अपेक्षाकृत एक श्रेष्ठ और आदर्श मनुष्य की रचना नहीं कर लेते।

सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक संस्थाएँ अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके मानवीयता के विस्तार और चारित्रिक विकास में सहायक तो हो सकती हैं लेकिन अत प्रेरणा को जन्म नहीं दे सकती। यह अत प्रेरणा ही हमें मनुष्य बनाती है। मनुष्य इस अत प्रेरणा की ही बाह्य अभिव्यक्ति है। अत प्रेरणा या तो जन्मजात होती है या एक महतर आत्मा से गृहीत होती है या हमारे भीतर की जिजीविषा से उत्पन्न होती है।

नौजवान भारत सभा आंदोलन या युवा आंदोलन जैसे देशव्यापी संगठनों के केन्द्र समूचे देश में होने चाहिए। इन केन्द्रों में हमारे बीच से श्रेष्ठ लोगों को लेना चाहिए। नवयुवक और नवयुवतियों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए जो कि हमारे भावी कार्यकर्ता होंगे। इनमें एक बहुमुखी प्रशिक्षण होना चाहिए जिसमें युवाओं की शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास की संभावनाएँ हों। जब तक हमारे पास इस प्रयोजन को लेकर संस्थाओं का ताना बाना नहीं होगा युवा आंदोलन का विकास कदापि नहीं होगा।

जब ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर लगे और कार्य हेतु सक्षम हो जायेंगे, तब वे बाहर जाकर देश को सगठित कर लेंगे।

देश को सगठित करने हेतु मैं निम्नलिखित कार्यक्रम सुझाऊंगा -

- 1 समाजवादी आधार पर किसानों और मजदूरों का सगठन।
- 2 कठोर अनुशासन के तहत स्वयं सेवकों के दलों के रूप में युवाओं का सगठन।
- 3 सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वासों के उन्मूलन हेतु व्यापक आंदोलन।
- 4 ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वाधीनता के सिद्धांत और नये कार्यक्रम का प्रचार करने हेतु महिला सघों का गठन।
- 5 नयी नीति और कार्यक्रम के प्रचारार्थ नये साहित्य की रचना।
- 6 युग के नये विचार को लोकप्रिय बनाने हेतु देशव्यापी प्रचार।

जब हमारे युवा कार्यकर्ता विधिवत् रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और नये विचार से ओतप्रोत हो जायें, तब उन्हें अपने समाज के ब्रह्मिकारी तत्वों को आंदोलित करने और समाज के अपेक्षाकृत पिछड़े हुए वर्गों के गतिविधियाँ चलाने का काम हाथ में लेना चाहिए। मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं कि समानता और सर्वांगीण स्वतंत्रता का यह नवीन संदेश प्राणवायु का काम करेगा और समूचे राष्ट्र को प्रेरणा देगा। हमारे देश जैसे विशाल देश में जनता के हृदय में स्वतंत्र होने की इच्छा जितनी जल्दी उत्पन्न होगी, वह उतनी ही जल्दी दासता की बेड़ियों से मुक्त हो जायेगी।

मित्रों, मैं आपका काफी मूल्यवान समय ले चुका हूँ, मैं समझता हूँ यह पर्याप्त है। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने बीच आमंत्रित किया और विचार विनिमय का अवसर दिया। मुझे पूर्ण आशा है कि जब हम यहाँ से एक नया सकल्प और नयी प्रेरणा लेकर वापस जायेंगे तब हम पूरी गंभीरता और अदम्य साहस के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। हमारे युवाओं के मन में एक पूर्ण स्वतंत्र और मुक्त भारत की आकांक्षा उत्पन्न होनी चाहिए। उनके भीतर आजादी का नशा हो। भारत के समक्ष एक महान चुनौतीपूर्ण कार्य है—उसे अपनी रक्षा करना है और इसके बाद मानवता को भी बचाना है। आज भारत विश्व भर में साम्राज्यवाद की डाट है। अतएव भारत की स्वतंत्रता विश्व से साम्राज्यवाद का अंत कर देगी। इसलिए भारत की रक्षा करना जरूरी है।

इसके अलावा उसकी रक्षा करना इसलिए भी जरूरी है कि सस्कृति और सभ्यता के क्षेत्र में भारत के योगदान के अभाव में विश्व अधूरा है। मैं जोरिबम उठाकर और आलोचना का पात्र बनने के बाद भी हमेशा यह बात कहता रहा हूँ कि भारत को अभी विश्व के लिए बहुत कुछ नवीन और मौलिक चीजें देना है और समूचा विश्व उत्सुकता के साथ उस उपहार की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत एक अंतिम उपहार के रूप में विश्व के लिए एक नवीन समाजार्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्र प्रदान करेगा जो कि समूची मानव जाति के लिए एक शिक्षा होगी। मित्रों अतएव उठो और स्वतंत्र भारत का सकल्प करो अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखो कि भारत की स्वतंत्रता का अर्थ मानवता की रक्षा है।

सम्पूर्ण बंगाल के कार्यकर्ताओं से अपील

बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति से संबन्धित वक्तव्य'

2 जून, 1931

मैं समस्त बंगाल के कांग्रेसजनों का आभारी हूँ कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी और उसके समर्थकों के विरुद्ध चल रहे निन्दा अभियान के बावजूद वे बड़े ही शानदार तरीके से बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के इर्द-गिर्द एकत्र हुए हैं। अब तक प्राप्त सूचनाओं से यह पता चला है कि बंगाल के 32 में से 26 जिलों में हर महीने चुनाव हो रहे हैं। केवल छ जिलों की कांग्रेस समितियों ने रिटर्निंग ऑफिसरों को सहयोग करने से इन्कार किया है। हमें यह सूचना भी मिली है कि इन छ जिलों में जिला कांग्रेस समितियों को लेकर भारी जन-असंतोष है और जिला कांग्रेस समितियों के विद्रोह के बावजूद चुनाव में काटे की लड़ाई की उम्मीद है। जैसोर जैसे जिलों में उप-सभागीय और शाखा कांग्रेस समितियाँ जिला कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। यह भी लगता है कि उपर्युक्त छ जिलों में से कुछ जिलों (जैसे ढाका) में जिला कांग्रेस समिति के समर्थक चुनाव में भाग ले रहे हैं और वे नामांकन पत्र भर चुके हैं लेकिन श्री सेनगुप्ता के विद्रोह के कारण अचानक उनका रवैया बदल गया है। बंगाल प्रदेश कांग्रेस यह निर्णय ले चुकी है कि इन छह जिलों में उचित रूप से चुनाव कराये जाने हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जिस क्षण में श्री सेनगुप्ता ने बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के खिलाफ वगवत शुरू की है सभी 32 जिले प्रांतीय चुनावों को लेकर बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

मैं समस्त बंगाल के कांग्रेसजनों से अपील करता हूँ कि हमारे विरुद्ध प्रेस और मंच के स्तर पर चल रहे निन्दा अभियान के बावजूद वे अपने मन में धीरज बनाये रखें। मैं सबको आश्वस्त करता हूँ कि यदि पूरे प्रांत से प्रांतीय चुनावों की अनियमितताओं को लेकर कोई भी घटना बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के ध्यान में लायी जायेगी तो समिति इस पर शांत मन से विचार करेगी और यह ध्यान रखेगी कि किसी को शिकायत का कोई मौका न मिले। जहाँ तक निन्दा अभियान की बात है, मेरी सबको यही सलाह है कि इसकी उपेक्षा की जाये ताकि इसमें लिप्त लोग अभियान को बद करने के लिए बाध्य हो जायें। जनता हमारे पिछले त्याग और सेवाओं का ध्यान रखते हुए हमारे बारे में फैसला करेगी। हमारा अंतःकरण स्वच्छ है और हम जानते हैं कि निहित स्वार्थों के शोर-शराबे के बावजूद देश का दिल मजबूत है और देश हमारे साथ है।

गैर जिम्मेदाराना आरोप

देशवासियों से एक अपील, 11 जून, 1931

कार्यसमिति ने यह उचित निर्णय किया है कि बंगाल का विवाद किसी मध्यस्थ के पास भेज देना चाहिए जिसका निर्णय अंतिम होगा। समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनाव जारी रहेंगे जब तक कि मध्यस्थ स्थिति का जायजा लेते हुए कोई अलग हटकर निर्देश नहीं देता है। सभवतया अब तक अधिकांश जिलों में चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और केवल छ जिलों में चुनाव शेष रह गये हैं।

मैं हर संबंधित व्यक्ति से चुनाव में सहयोग करने की अपील करता हूँ जिन्हें चुनाव को लेकर कोई भी शिकायत है वे मध्यस्थ श्री अनय को अपनी परेशानी से अवगत कराये। सामान्य परिस्थितियों में बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति शिकायतों की जांच करेगी और उचित न्याय देने की कोशिश करेगी। अब कार्य समिति ने हस्तक्षेप किया है इसलिए हम यह दायित्व मध्यस्थ के लिए सौंपते हैं। कार्य समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि प्रेस और मंच के स्तर पर हमले बंद होने चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारी पार्टी पिछले पखवाड़े के दौरान तरह-तरह की उत्तेजना के बावजूद धैर्य का परिचय देती रही है। लेकिन मैं आज और अधिक धैर्य की उपेक्षा करूँगा। हमारा पक्ष मजबूत है, हम दूसरे पक्ष पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे और अचानक निन्दा नहीं करेंगे। इस प्रकार की कार्यनीति हमारे लक्ष्य को लाभ पहुंचाने के बजाय अनावश्यक हानि पहुंचायेगी।

हमें मध्यस्थ को कार्य करने के लिए बंगाल में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो मध्यस्थ को कार्य करना आसान होगा और हमारी कठिनाइयों का तत्काल निवारण हो जायेगा। आज की कटुता अग्रे लम्बे समय तक जारी नहीं रहनी चाहिए। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें जल्द विवाद सुलझाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि हम आज से ही बंगाल में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का सकल्प ले ले तो हम इस कार्य को कर सकते हैं।

मध्यस्थ का निर्णय जो भी हो वह अंतिम होगा। बंगाल निष्ठा के साथ उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। केवल ऐसा करने पर ही हम पुरानी कटुताओं का अंत कर सकते हैं और बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं।

हम एक नहीं अनेक कारणों से शुरू से ही इस मध्यस्थता का स्वागत करते रहे हैं। हमारे खिलाफ सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाये गये। हम पर रिश्वत, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ठेकादारी आदि जैसे आरोप लगाये गये। यह त्रासद है कि इतने वर्षों की जन सेवा के बाद जनता की अदालत में हमारे ऊपर ऐसे जघन्य अपराधों की आरोप लगाये गये। हम अब तक इन आरोपों को मित्रभाव से लेते रहे। लेकिन अब हम न्याय चाहते हैं आखिरकार हमने अपने प्रिय देश के लिए कुछ तो त्याग किया है और कष्ट सहें हैं और मेरे अन्य सहकर्मियों के त्याग के मुकाबले मेरा त्याग फीका पड़ जाता है जो कि आज भी सीखघों के पीछे जेल में बने हुए है। यदि हमने अतीत में भारत

के स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कार्य किया है तो हम भविष्य में और अधिक करने की आशा करते हैं, क्योंकि हम जीवन की शुरुआत से ही स्वयं को देश की सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं। क्या यह उचित और न्याय है कि अपने सार्वजनिक जीवन की इस अवस्था में हमें रिश्वत भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और ठेकेदारी जैसे आरोपों का उत्तर देना पड़े? क्या हम अपने प्रिय देशवासियों से सुरक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते? भविष्य में हम जिनके सेवक बने रहने की आशा करते हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की अदालत में किसी मुद्धार की आशा नहीं है। अतएव मैं स्नेहपूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने देशवासियों की ओर देखता हूँ। मैं कार्य समिति को बता चुका हूँ कि यदि श्री सेनगुप्ता उन आरोपों की सही सिद्ध कर देते हैं जो कि उन्होंने हम पर लगाये हैं, तो हम सार्वजनिक रूप से स्वयं को जन सेवा हेतु अयोग्य घोषित कर देंगे। दूसरी ओर इन आरोपों को सिद्ध करने में उनके असमर्थ रहने पर हम कार्य समिति की ओर से पूर्ण सुरक्षा और विपुल सहयोग की अपेक्षा करेंगे। पिछले वर्षों में हमने अपनी सामर्थ्यानुसार सेवाएँ अर्पित की हैं और हम भविष्य में इन सेवाओं को जारी रखने की इच्छा रखते हैं यह हमारे देशवासियों की मर्जी है कि उन्हें हमारी सेवाएँ चाहिए या नहीं? यदि वे चाहते हैं तो हमारे खिलाफ गैर जिम्मेदारी से लगाये गये आरोपों का उपयुक्त उत्तर देते हुए एक बार फिर हमारे प्रति स्नेह एवं विश्वास व्यक्त करें।

मजदूर सघ और बेरोजगारी की समस्या

अखिल भारतीय मजदूर सघ कांग्रेस (एटक) के सत्र
में अध्यक्षीय भाषण, कलकत्ता, 4 जुलाई, 1931

मुझे इस बात में संदेह है, यदि हम दावा करते हैं कि पिछले अठारह महीनों में मजदूर सघ ने अपनी ताकत बढ़ाने में कोई सफलता प्राप्त की है। बल्कि मैं यह कहना चाहूँगा कि इस दौरान आंदोलन को गहरा धक्का लगा है। इस क्षति के अनेक कारण रहे हैं लेकिन मेरे विनम्र मत में दो कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण—नागपुर में पैदा हुई फूट है और दूसरा कारण है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से उत्पन्न मार्गांतरण। हमारे कुछ साथी यह सोच सकते हैं कि इस फूट ने हमें कमजोर नहीं किया। लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ क्योंकि कम से कम इस समय मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हम इस फूट से ही कमजोर हुए हैं। अतएव मैं उन लोगों में से एक हूँ जो फूट को लेकर गभीरता से खेद व्यक्त करते हैं और यदि संभव हुआ तो हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। मैं इस स्थिति का हृदय से स्वागत करूँगा। जहाँ तक दूसरे कारण की बात है मैं ऐसा सोचता हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बड़े आकर्षण के कारण देश के जनता का ध्यान मजदूर सघ आंदोलन की ओर से हट गया। भिन्न परिस्थितियों में मजदूर सघ आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लाभान्वित हो सकता था और दूसरे शक्ति प्राप्त कर सकता था। लेकिन इस मौके पर मजदूर सघ आंदोलन की सामान्य प्रगति भी बाधित हो गयी है।

विभिन्न व्यक्तियों और मजदूरों द्वारा मजदूर सघ के कार्यकर्ताओं में एकता स्थापित करने का प्रयास समय-समय पर किये जाते रहे हैं। अतएव मैं यह बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि व मुख्य समस्याएँ क्या हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं और इस हालत में हम किम तरह एकता कायम कर सकते हैं। मुख्य मुद्दे ये हैं - (1) विदेशी सबद्धता का प्रश्न (2) जेनेवा में प्रतिनिधित्व (3) मजदूर सघ कांग्रेस के प्रस्तावों का आदेशात्मक चरित्र।

पहले मुद्दे के बारे में मेरा यह विचार है कि फिलहाल हमें किसी विदेशी सबद्धता की जरूरत नहीं है। भारतीय मजदूर सघ आंदोलन अपनी देख-रेख स्वयं करने में सक्षम है। हमें हर क्षेत्र में आखने के लिए तैयार रहना चाहिए और यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी कोने से मिलने वाली महायुता स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन हमें एम्स्टर्डम या मास्को के निर्देशों के आगे आत्म समर्पण नहीं करना चाहिए। भारत अपने तरीके खुद खोजेगा और अपने बालावरण एवं अपनी परिग्रहित आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढालेगा।

जेनेवा में प्रतिनिधित्व को लेकर मुझे डर है कि हमने इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी है। हमारे लिए यह बेहतर होगा कि इस प्रश्न पर हम खुले मन से सोचें और हर वर्ष इस प्रश्न पर एक निर्णय लें। हमें समय से पहले एक ही बार में यह निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि हम जेनेवा में कोई प्रतिनिधि भेजेंगे या नहीं। व्यक्तिगत रूप से मुझे जेनेवा में कोई विश्वास नहीं है। फिर भी यदि कोई साथी इस प्रश्न पर हर वर्ष निर्णय लेने की तज्जवीज से सतुष्ट है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

मजदूर सघ कांग्रेस के प्रस्तावों के आदेशात्मक चरित्र के बारे में मुझे डर है कि यदि मजदूर सघ को कांग्रेस के वजूद में रहना है और काम करना है तो किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। यदि हमें देश के मजदूर वर्ग की हमदर्दी हासिल करनी है तो मजदूर सघ कांग्रेस के प्रस्तावों की बाध्यता कांग्रेस से सबद्ध सभी सघों पर होनी चाहिए। मजदूर सघ कांग्रेस को एक शिक्षित सघ या एक सर्वदलीय सभा की तरह मान लिया जाना एक अतिमघाती कदम होगा।

मजदूर सघ एकता के प्रश्न पर मेरी स्थिति बहुत स्पष्ट है। मैं एकता चाहता हूँ क्योंकि इसके द्वारा हम एक सुदृढ़ और सशक्त सघ बना सकते हैं। यदि हम दुवारा लड़ते हैं और बंट जाते हैं तब हमें जोड़-तोड़ की एकता के प्रयासों की फिलहाल जरूरत नहीं है। मजदूर सघ कांग्रेस एक सार्वजनिक सम्पत्ति है। कांग्रेस में शामिल होने और अपनी उपस्थिति जताने हेतु सभी सघों का स्वागत है। यदि इसके द्वारा कांग्रेस का पद किसी दल विशेष के हाथों में चला जाता है तब कोई वैधानिक रूप से आपत्ति नहीं कर सकता। अतएव मैं सभी सघों को मजदूर सघ कांग्रेस में शामिल होने और कार्यकारिणी को कब्जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो।

हमारे कुछ कार्यकर्ता महात्मा गांधी और लार्ड रॉबिन्सन के बीच हुए समझौते के प्रति काफी लगाव महसूस करते हैं। मैं इस समझौते पर नुक्ताघीनी नहीं करना चाहता क्योंकि यह शव की धार फाड़ करने जैसा होगा। समझौता सम्पन्न हो चुका है और अब हम उसे भुला सकते हैं।

हम भविष्य की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करते हुए अपने समय एव ऋजा का सदुपयोग कर सकते हैं। पिछले वर्ष एक सस्था के रूप में मजदूर सघ कांग्रेस का मंत्रिणय अवज्ञा आंदोलन में कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन अब यह आंदोलन में से अपेक्षाकृत एक बड़ा हिस्सा ले सकती है जो कि मिलने वाला है। इस हिस्से को प्राप्त करने के सिलसिले में आज से ही पयास शुरू कर देना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे अब मौलिक अधिकार प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के विषय में विभिन्न मत प्रकाश में आये हैं। कुछ लोगो ने अनुपयुक्त और असतोषजनक बताते हुए इसकी भर्त्सना की है जब कि कुछ लोगो ने इसे सार्थक और भावपूर्ण बताया। मुझे ये दोनों दृष्टिकोण एकागी प्रतीत होते हैं। फिर भी यह प्रस्ताव असतोषजनक हो सकता है किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मजदूर व किसानों की मान्यता और समाजवाद की दिशा में एक निश्चित कदम के मदर्भ में पुरानी पराग से एक प्रस्थान को सूचित करता है। इस प्रस्ताव का मूल्य इसके बाह्य रूप में न होकर इसके आंतरिक रूप में है। इस प्रस्ताव की वास्तविक अंतर्वस्तु की अपेक्षा इसकी सभात्रनाए अधिक प्रभावित करती है। जब तक सतोष नहीं होता तब तक इस प्रस्ताव की अंतर्वस्तु में संशोधन परिवर्धन जारी रहेंगे। हमें यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस उद्देश्य के लिए पहले ही एक समिति कार्य कर रही है।

इस समय देश की जनता गोलमेज सम्मेलन के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी हुकूमत की वर्तमान मानसिकता के रहते हुए इस सम्मेलन का कोई सतोषजनक परिणाम निकलेगा। आगे गोलमेज सम्मेलन कुछ इस प्रकार का है कि इसमें जायज मंत्रों को बलपूर्वक रखा जाना अत्यंत कठिन है। जब सम्मेलन का परिणाम घोषित हो जाये तब जनता जैसा चाहें उचित कदम उठाये। जनता को चाहिए कि वह उस मनोवैज्ञानिक क्षण को न गये।

कांग्रेस के नागपुर सत्र में बिटले कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। यदि मैं एक तर्कशास्त्री के रूप में सोचता तो मुझे इस रिपोर्ट की एकदम अपेक्षा कर देनी चाहिए थी लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह चाहे अच्छा हो बुरा हो चाहे नगण्य हो हमें ऐसे किसी दस्तावेज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो जनता के सामने आ चुका है और जनता जिसका गभीर रूप में नोटिस लेने व आलोचना करने के लिए बाध्य हो।

मैं शुरू में ही यह कहना चाहूंगा कि किसी आयोग विशेष की रिपोर्ट का उमकी अंतर्वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि बाद में सामने आने वाली इसके परिणामों में निहित होता है। क्या आयोग पर होने वाले व्यय न्यायसंगत होगा? यह वह प्रश्न है जिसे एक सडक का आदर्भ भी पूछेगा। हम भारतीय ऐसी अनेक रिपोर्ट देख चुके हैं जो महज रिपोर्ट साबित हुई हैं और जिनका कोई सार नहीं निकला है। हम ऐसी रिपोर्टों के परिणाम को लेकर शकालु और संदेहवादी हो गये हैं। मैं यहां तक कह सकता हू कि पिछले वर्षों में कुछ आयोगों की रिपोर्टों की खुलकर भर्त्सना की गयी क्योंकि सरकार इन रिपोर्टों की अच्छी बातों को लागू करने में भी असफल साबित हुई।

मौजूदा रिपोर्ट में मजदूरों के कल्याण कार्यों की समस्या पर पर्याप्त बल दिया है। यद्यपि मैंने ब्रिटिश कमीशन के बहिष्कार के पक्ष में मतदान किया है लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि इस सिफारिश को लागू किया जाता है तो आज के हालात में यह एक सुधार होगा। फिर भी मैं जोर देकर कहता हूँ कि इस रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। आज मजदूर कार्य का अधिकार चाहते हैं। नागरिकों को रोजगार मुहैया कराना राज्य की जिम्मेदारी है। यदि राज्य इसमें असफल होता है तो उसे मजदूरों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरे शब्दों में मजदूर नागरिक केवल मालिक की दया पर नहीं हैं कि मालिक उन्हें अपनी इच्छानुसार सड़क पर खदेड़ दे और भूखा मरने के लिए छोड़ दे। कठोर नियमों के लागू होने के कारण देश का उद्योग संकट में है। मैं मालिकों की कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। उन्हें अपने पुराने कर्मचारियों को रख पाना असंभव सा हो गया है और वे छटनी पर मजदूर हो गये हैं। लेकिन यद्यत्क तक कि इन मामलों में मालिक अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती और मालिक से यह कहा जाना चाहिए कि अपने अच्छे दिनों में उसने गरीब मजदूरों की मदद से अपार धन कमाया है तब अपने बुरे दिनों में वह मजदूरों को उनके भाग्य में नहीं छोड़ सकता। जब तक इस छटनी की समस्या का सतोषजनक समाधान नहीं होता तब तक इस देश में औद्योगिक शांति स्थापित नहीं हो सकती।

जैसे एक व्यक्ति कार्य के अधिकार का दावा कर सकता है वैसे ही वह जीवन-यापन योग्य मजदूरी का दावा भी कर सकता है। क्या आज भारत में कारखानों के मजदूर को जीवनयापन योग्य मजदूरी मिलती है। जूट के कारखानों और कपड़ों मिलों को देखिए। वे अपने अपार लाभ का कितना अंश गरीब और उत्पीड़ित मजदूरों के कल्याण पर खर्च करते हैं? मैं जानता हूँ कि यह कहेंगे कि बाद में उनके दुर्दिन आ गये। उनकी यह बात मानते हुए भी क्या हम यह पूछ सकते हैं कि पिछले इतिहास के दौरान उन्होंने कितना संग्रह कर लिया है? मैं यहाँ भारतीय रेतने के बात नहीं भुला सकता। आजकल वे कठोर नियम लागू करने में व्यस्त हैं लेकिन आजकल निर्मम छटनी करने पर तुले हुए हैं उनका उन मजदूरों के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है जिनके द्वारा उन्होंने पहले धन कमाया है। हम चाय बागान के मालिकों का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने कितना मुनाफा कमाया है और आज वे अपने मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि कई इलाकों में गरीब मजदूरों को पुराने जमाने की दासता की स्थिति में ढाल दिया है। तब भारतीय मजदूर के लिए जीवन यापन योग्य मजदूरी और शालीन व्यवहार प्राप्त करने की दिशा में श्रम आयोग ने क्या सिफारिश की? उन्होंने जूट और कपड़ा उद्योग में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया है। लेकिन क्या हम आश्चर्य हो जायें कि न्यूनतम मजदूरी का अर्थ जीवन-यापन मजदूरी है।

मैं ब्रिटिश कमीशन की विभिन्न सिफारिशों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। फिर भी मैं एक विन्दु की ओर संकेत करना चाहूँगा जो ऊपर से देखने से अमहत्वपूर्ण लगता है लेकिन भारत में मजदूर आंदोलन के विकास के सन्दर्भ में काफी दिलचस्प है। रिपोर्ट के मुताबिक "मजदूर संधि अधिनियम की धारा 22 में इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए कि एक पंजीकृत मजदूर संधि के सदस्य-कर्मचारियों में से कम से कम दो तिहाई लोग उस उद्योग के कर्मचारी होने चाहिए जिसमें

कि वह सघ सबधित है। आयोग को यह जानना चाहिए कि भारत में बाहरी लोग या लोग या कर्मचारी अक्सर मजदूर सघ के पदाधिकारी चुने जाते हैं क्योंकि मालिक लोग मजदूरी करने वाले पदाधिकारियों किसी न किसी धोते बहाने उत्पीडित करते रहते हैं अतएव यदि कर्मचारियों को पदाधिकारी बनने पर बाध्य किया गया तब मालिकों द्वारा उनके उत्पीडन को रोकने के कुछ प्रबंध किये जाने चाहिए। अन्यथा उत्पीडन की मौजूदा नीति जारी रही तो कर्मचारियों का पदाधिकारी बनना असंभव हो जायेगा।

सारांश यह है कि बेराजगारी, छटनी और मजदूरों के लिए जीवन-यापन योग्य मजदूरी की समस्याओं से उचित ढंग से नहीं निबटा गया। आयोग द्वारा अपनाये गये सुधार कार्यक्रम में कई बिन्दु बड़े आकर्षक हैं लेकिन इस कार्यक्रम को कौन लागू करने वाला है? क्या मौजूदा श्रम विरोधी सरकार से कुछ अपेक्षा की जा सकती है? अतएव श्रमिक समस्या अतंतोगत्वा एक राजनीतिक समस्या है। जब तक भारत में समाजवादी न सही-एक जनतांत्रिक सरकार नहीं बन जाती तब तक मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाला कोई सुधार-कार्यक्रम लागू नहीं हो सकता। रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट है कि व्यावहारिक रूप से हर बात सरकार पर छोड़ दी गयी है। रिपोर्ट में इस संवध में कुछ नहीं कहा गया है कि मजदूर किस प्रकार सरकारी मशीनरी को हस्तगत या प्रभावित कर सकते हैं जब तक ऐसा नहीं हो जाता रिपोर्ट का मजदूरों के लिए कोई लाभ नहीं होगा। आयोग को नये सविधान के सिलसिले में वयस्क मताधिकार की सिफारिश करनी चाहिए। इसके साथ-साथ या विकल्प के रूप में प्रांतीय और केन्द्रीय विधायिका में मजदूर प्रतिनिधियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।

पिछले वर्षों के अस्थायी गतिरोध के बावजूद मजदूर सघ आंदोलन अवश्य फलेगा-फूलेगा। विचारों की विभिन्न धाराएँ और उपधाराएँ कभी-कभी मजदूर सघ के कार्यकर्ताओं के सामने किकर्तव्यविमूढता की स्थिति पैदा कर देते हैं कि वे किस मार्ग का अनुसरण करें। एक ओर दक्षिण पथी लोग हैं जो सुधार कार्यक्रम को सर्वोपरि मानते हैं। दूसरी ओर हमारे वामपथी मित्र हैं यदि मैं उन्हें सही समझूँ हूँ, जो मास्को के अनुयायी हैं। हम उनके विचारों से सहमत हो या न हो लेकिन हम उन्हें समझने में असफल नहीं हो सकते। इन दोनों समूहों के बीच में एक समूह और है जो समाजवाद-तेजस्वी समाजवाद का आकांक्षी है लेकिन वह चाहता है कि भारत को अपना निजी समाज और निजी पद्धतियाँ विकसित करनी होंगी। मैं इस समूह के साथ जुड़ने का विनम्र दावा करता हूँ।

मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि भारत के साथ-साथ विश्व की मुक्ति समाजवाद पर निर्भर करती है। भारत को दूसरे राष्ट्रों से लाभ उठाना चाहिए लेकिन भारत को अपनी आवश्यकता और परिवेश के अनुरूप अपनी पद्धतियाँ विकसित करनी चाहिए। किसी भी सिद्धांत को व्यवहार में लाते समय आप भूगोल या इतिहास की कदापि उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो असफल होंगे। अतएव भारत को अपना समाजवाद विकसित करना चाहिए। जब सारी दुनिया समाजवाद का प्रयोग कर रही है, फिर हम क्यों न करें? यह हो सकता है कि भारत जिस समाजवाद को विकसित करेगा, वह कुछ नवीन होगा और विश्व के लिए कल्याणकारी होगा।

मजदूर संघ आंदोलन के लिए अपनाया गया मार्ग

मजदूर संघ कांग्रेस में मास्को के खतरे पर बयान,

11 जुलाई, 1931

अब मजदूर संघ कांग्रेस का कलकत्ता सत्र समाप्त हुआ। यह पिछले सप्ताह की घटनाओं की समीक्षा करने का समय है। यह याद होगा कि 1928 में आयोजित अरिया सत्र में भावी तूफान के चिन्ह दिखाई देने लगे थे लेकिन वास्तव में तूफान आया नहीं। यहां तक कि अरिया में सुपरिभाषित दलों को अलग से पहचाना जा सकता था। एक ओर श्री जोशी और उनके साथियों के नेतृत्व वाले दक्षिण पंथी घड़ा था जिसे भारत में मजदूर संघ आंदोलन का स्थापक कहा जा सकता है। दूसरी ओर बम्बई गुट के नेतृत्व में मास्कोवादी कम्युनिस्ट थे जो आदर्शों पद्धतियों और कार्य नीतियों के मामले में मास्को का अधानुसरण करते थे। उपर्युक्त दोनों दलों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनमें से किसी को नहीं मानते थे लेकिन उस समय वे एक दल के रूप में संगठित नहीं थे। वे निश्चित रूप से समाजवाद के पक्षधर थे और वे एक युष्टुस कार्यक्रम चाहते थे। लेकिन वे मास्को के पिछलगू नहीं बनना चाहते थे और उन्हें पैन पैशिकिक सैक्रेटरीएट की धुन पर नाचना पसंद नहीं था।

मजदूर संघ कांग्रेस के नागपुर सत्र में इस तीसरे गुट ने बम्बई की गिरनी-कामगार यूनियन की मान्यता बिले कमीशन का बहिष्कार जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों में मास्कोवादी कम्युनिस्टों के साथ मतदान किया था। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण पंथी इन प्रश्नों पर निष्क्रिय साबित हुए। दुर्भाग्य से खेल भावना के रहते हुए उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की और ट्रेड यूनियन कांग्रेस में अलग होकर ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन कर लिया। नागपुर सत्र में मास्कोवादी कम्युनिस्टों ने पूरे सचिवालय को हथियाने की कोशिश की लेकिन तीसरे गुट के दबाव के कारण उन्होंने अनिच्छापूर्वक मुझे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। मैं बड़ी विषम स्थिति में था क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति सचिव था जिससे मैं कार्यनीति और पद्धतियों को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मैं फिर भी इस आस्था के साथ काम करता रहा कि आखिरकार अच्छे दिन भी आयेगे। लेकिन हमारे मास्कोवादी कम्युनिस्ट नागपुर की सफलता पर इतरा उठे थे। यह सफलता उन्हें तीसरे गुट के समर्थन के कारण मिली थी। यह तीसरा गुट हर उस व्यक्ति को ट्रेड यूनियन कांग्रेस से बाहर कर देना चाहता था जो कि उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं था।

वे एक वर्ष से भी अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सभी उन हिस्सों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाते रहे जो कि उनसे जुड़े हुए नहीं थे। जब कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो वे इसी प्रयोजन से तैयार होकर आये। लेकिन शुरू में ही बिना किसी नट यूनियन की सहायता के यह सिद्ध हो गया कि वे अल्पमत में हैं। यह बात समझ लेने पर उन्हें तुरंत ही यह अहसास हो गया कि सचिवालय पर कब्जा नहीं कर पायेगे। उनका यह अनुमान सही था क्योंकि ट्रेड यूनियन कांग्रेस में से अधिकांश लोग भी देश पाड़े और उनके कार्यक्रम से पीछा रूढ़ाना चाहते थे। पिछले वर्ष के दौरान श्री देश पाड़े के सचिवत्व में ट्रेड यूनियन कांग्रेस मृतप्राय हो गयी थी। श्री गिनशापा के पत्र दस्तावेज लगाना पड़ा वर्ष के अंत तक सचिव ने किसी पत्र का

उत्तर नहीं दिया। कोषाध्यक्ष श्री गिनवाला ने शिकायत की कि सचिव ने निकाली गई राशि का हिसाब नहीं दिया है।

आगे कलकत्ता कांग्रेस में प्रत्यय-पत्र समिति ने श्री देश पाडे के गुट के विरोध और गिन्त्री कामगार यूनियन के गुट के पक्ष में मतदान किया था। इसके परिणाम स्वरूप श्री देश पाडे स्वतः ही कांग्रेस से बाहर हो जायेंगे। इसलिए उन्होंने सत्र को ठप्प करने का निर्णय किया। हाल के अदर उन्होंने शोर-शराबा किया और अध्यक्ष से लेकर हर किसी सदस्य को अपमानित करने की ठान ली। बाहर उन्होंने बड़ी सत्या में गुडे जमा कर रखे थे कि सकेत मिलते ही हाल पर धावा बोल दे। श्री देश पाडे का गुट और उनके कुछ बगाली अनुयायी (जिनका नेतृत्व सयोग से सर्वश्री बकिम मुखर्जी और भूपेन दत्ता कर रहे थे) बराबर हाल में निकलते रहे और गुडो को सूचना देते रहे यद्यपि स्वयं सेवको का प्रबन्ध स्वागत समिति के हाथों में था फिर भी देश पाडे ने उन्हें परे हटा दिया और दरवाजे पर कुछ अपने सोग तैनात कर दिये। इन लोगों ने गुडो को अदर आने की अनुमति दे दी।

ये सब घटनाएँ इसलिए होती रहीं क्योंकि हम और स्वागत समिति के सदस्य उन लोगों से खुले झगडे को टालते रहे थे। मैंने इसी माह की पाच तारीख को कार्यकारी परिषद और कांग्रेस के खुले सत्र को स्थगित कर दिया था इसलिए कि कार्यवाही चलाना असंभव हो गया था। लेकिन सचिव ने अध्यक्ष को सूचित किये बिना इसी 6 तारीख को 8 बजे अलबर्ट हाल में कार्यकारी परिषद की बैठक बुला ली। इस प्रक्रिया को लेकर मजदूरों के अस्तोष के कारण देशपाडे का गुट बैठक नहीं कर पाया। बैठक बुलाने के उतावलेपन में आखिरकार उन्हें कलकत्ता शहर छोड़ना पडा और उन्होंने अपनी यह बैठक शहर से दूर मठियाबुर्ज के बाजार में आयोजित की।

दूसरे दिन कार्यकारी परिषद और खुले सत्र की बैठक टाउन हाल में हुई लेकिन देशपाडे गुट इसमें उपस्थित नहीं रहा।

मास्कोवादी कम्युनिस्ट और उनके बगाली अनुयायी अब खेल रूप में ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग हो चुके थे। वे गुडगर्दी सहित तमाम आपत्तिजनक तरीके अपना चुके थे। उन्हें आशा थी कि इन तरीकों के द्वारा वे तीसरे गुट को कांग्रेस से बाहर कर सकते हैं जिस तरह कि उन्होंने नागपुर में दक्षिणपथियों को बाहर खदेड दिया था। लेकिन कलकत्ता में उनका वाम्ना कठोर व्यक्तियों में पडा था। तीसरे गुट यानी समाजवादी गुट ने यह निश्चय कर लिया था कि वे कांग्रेस के अदर ही रहेंगे और हर संभव लडाई लडेगे। जब वे बहुमत में थे तब वे मास्कोवादी कम्युनिस्टों द्वारा बाहर नहीं किये जा सके। लेकिन अब यदि वे अल्पमत में हैं तो वे कांग्रेस से अलग नहीं होंगे। मास्कोवादी कम्युनिस्ट भारत में ट्रेड यूनियन के स्वस्थ विकास के लिए एक गंभीर खतरा है और संभवतः हम उन्हें मैदान नहीं छोड सकते। समाजवादी आज भारत में एक दल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है जिसके पास एक आदर्श कार्यक्रम एवं विचारधारा है। वे देश के हर दल के साथ सहकार भाव से काम करना चाहते हैं लेकिन इनमें से किसी-कम से कम मास्कोवादी कम्युनिस्टों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं कर सकते।

पिछले सप्ताह की घटनाओं में एक अशोभनीय बात यह थी कि बंगाल प्रदेश समिति के विरोधी दल ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारी परिषद की बैठक में अव्यवस्था पैदा करने में

देशपाडे गुट की मदद की। सर्वश्री बकिम मुखर्जी, भूपेन गुप्ता और उनके मित्र, जो कि श्री देशपाडे के अनुयायी हैं, बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रति निःसिद्ध विद्वेषी नहीं थे। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके वे साथी जो बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के विरोधी थे और जिन्हें ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था, अव्यवस्था पैदा करने में देश पाडे गुट के साथ क्यों शामिल रहे?

श्री देश पाडे की नजर में हमारे गुट का दोष यह था कि हम मास्को के आजापन के विरोधी हैं और हम में से अनेक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य एव महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम उनके साथ चीख-चीख ये नारे नहीं लगा सकते थे—“राष्ट्रीय कांग्रेस मुर्दाबाद” और “महात्मा गांधी मुर्दाबाद”। हमारी इच्छा एक मिथ्या ढग के अधीन आगे बढ़ने और मिथ्या दावों के अधीन काम करने की नहीं थी। जो कांग्रेसी है, वे श्री देश पाडे और उनके मित्रों के बावजूद कांग्रेसी रहेगे। हम अत तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीच मित्रवत् संबंध बनाये रखने के प्रयास करेगे और हम भारत के मामले में मास्को के वर्चस्व के विरुद्ध लडेगे क्योंकि हमारा विश्वास है कि ऐसा करने पर ही हम भारत और मजदूर सघ आंदोलन के हितों की रक्षा कर सकते हैं। हम इस बात से सतुष्टि अनुभव करते हैं कि हमने जो रास्ता चुना है, अततोमत्वा भारत की जनता उस स्वीकार करेगी।

भारत की रक्षा का अर्थ मानवता की रक्षा है

नराइल में संबोधन, 17 जुलाई, 1931

देवियो, सज्जनो और मेरे युवा मित्रो,

मैं सोचता हू कि आपको उन व्यक्तियों की मनोवृत्ति और आदर्शों को समझना चाहिए जिन्होंने आपकी सेवा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया है। आपको निश्चय ही यह जानने का अधिकार है।

आपको विदित है कि अंग्रेज इस देश में पहले एक व्यापारी के रूप में आये। राजसत्ता के लोभ ने उन्हें राजनीतिक शक्ति हस्तगत करने के लिए प्रेरित किया। बंगाल में हम सब भली-भांति जानते हैं कि वे किस प्रकार हमारे शासक बने। उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाये, उन्हें निष्कपट नहीं कहा जा सकता।

मित्रों, आप जानते हैं कि भिन्न सस्कृतियों वाले कितने राष्ट्र भारत में आये और अतंत भारतीय राष्ट्र का एक अंग बन गये। इस स्वेच्छक मेल-जोल ने हमारी सस्कृति एव सभ्यता को पर्याप्त रूप से समृद्ध किया। फिर भी अंग्रेज भारतीयों के साथ साम्राज्य की इस प्रवृत्ति का हठधर्मी के साथ विरोध करते रहे। दूसरी ओर वे भारत पर अपनी जीवन-शैली एव सस्कृति को थोपने का प्रयास करते रहे।

भारत में अंग्रेजी राज के आरंभ में यह प्रश्न उठा कि भारत की शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को

अपनाना चाहिए? राजा राम मोहन राय का आग्रह था कि इस भाषा को सीखे बिना हमारी उन्नति नहीं होगी, हम पाश्चात्य तौर-तरीके स्वयं पश्चिमी लोगो से सीखे बिना अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार हमने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन शुरू किया।

फिर भी, यथा समय प्रतिक्रिया व्यक्त हुई। राष्ट्र में आत्मचेतना जाग्रत हुई और स्वाधीनता के प्रयत्न शुरू हुए। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि इसे कैसे प्राप्त किया जाये। देश सही मार्ग की खोज में अंधेरे में भटक रहा था। समस्या यह थी कि देश में विभिन्न सांस्कृतिक जातिगत और धार्मिक तत्वों का सश्लेषण कैसे किया जाये। क्या विस्मयकारी विविधता और भिन्नता के मूल में कोई एकता भी थी, जिसे भारत ने प्रदर्शित किया।

इस अवस्था में श्री रामकृष्ण का आगमन हुआ और उन्होंने समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि समस्त धर्म उसी सर्वशक्तिमान पिता के चरणों की ओर ले जाते हैं। सार्वभौमिक सहिष्णुता और प्रेम के आधार पर भारत के सभी धर्मों का सश्लेषण भारत की राष्ट्रीयता के विकास का स्थायी आधार बनेगा।

जब लोगो ने इस आधारभूत सत्य को ग्रहण किया तब उन्हें यह अनुभूति हुई कि धर्म ही नहीं जीवन की सभी पहलुओं में, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के रहते भी एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।

विविधता में एकता के सत्य की पूर्ण अनुभूति किये बिना हम धार्मिक सामाजिक या राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इन विविधताओं के मूल में एक एकता है, वाह्य रूपों से भयभीत हुए बिना हमें इस मूलभूत एकता को ग्रहण करना है और इस सुरक्षित आधार पर हमारे व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन का निर्माण करना है।

तदनंतर स्वामी विवेकानन्द का आगमन हुआ, जब भारतीय राष्ट्रीयता का आधार सुरक्षित हुआ। स्वामी जी ने स्वतंत्रता का संदेश सुनाकर लोगो में जीवन की चेतना जाग्रत की। उन्होंने महसूस किया कि केवल स्वतंत्रता का प्रकाश ही जीवन को आलोकित कर सकता है। अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से उन्होंने घोषणा की कि, "स्वतंत्रता आत्मा का गीत है।" निसंदेह विवेकानन्द आत्मिक स्वतंत्रता की बात करते थे लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जब आत्मा जाग्रत हो जायेगी तब जीवन के हर क्षेत्र में जागरण की अभिव्यक्ति दृष्टिगत होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के हर अवयव में जीवन की दीप्ति दिखाई देती है। इसके विपरीत यदि वह अस्वस्थ है, तो अग-प्रत्यग से शिथिलता और विक्षिप्ता प्रकट होती है। यही बात एक राष्ट्र के संदर्भ में सत्य है। जब एक राष्ट्र के हृदय में स्वतंत्रता की इच्छा जडे जमा लेती है वह जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है।

स्वतंत्रता के इस नवजात विचार को नया रूपाकार देने के लिए अरविंद घोष का आगमन हुआ। उन्होंने घोषणा की कि "ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त पूर्व-स्वायत्तता ही हमारा आदर्श है।" यह एक उद्गत एवं प्रेरणास्पद आदर्श था। बंगाल ही नहीं, समूचे भारत में जीवन की स्फूर्ति दौड गयी। हृदय की उत्कठा को वास्तविक अभिव्यक्ति मिली और समूचा देश जैसे कि पुकार उठा

“मेरे हृदय के पीछे आखिरकार एक मनुष्य है।” मित्रो, उस समय इस लहजे में बोलने का साहस करने वाले कितने भारतीय नेता थे? इस प्रकार पच्चीस वर्ष पूर्व वर्तमान राष्ट्रवाद का विकास हुआ।

इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को तीन विशिष्ट अध्यायों में विभाजित किया जा सकता है। यथा-स्वदेशी आंदोलन क्रान्तिकारी आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का उत्थान मार्ले-मिटो सुधारों के आने के साथ हुआ। जनता के एक वर्ग ने इसे स्वीकार कर लिया शेष ने इसके प्रति सतोष व्यक्त किया। लेकिन इस देश के युवा, जिनके हृदय में स्वतंत्रता जड़ें जमा चुकी हैं इन सुधारों को मात्र एक बहाने बाजी समझते थे और इसीलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रान्तिकारी पद्धतियों को अपनाया।

क्रान्तिकारी गतिविधियों के पश्चात् असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। एक अहिंसक क्रांति थी इसलिए कि पहली बार सामान्य जन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। यह बात तीव्रता के साथ महसूस की गयी कि यदि देश के छोटे-बड़े अमीर-गरीब सभी लोग एकजुट होकर शासकों से अपना सहयोग वापस ले ले तो भारत में साम्राज्यवाद टुकड़े-टुकड़े हो कर बिखर जायेगा। मुट्ठी भर अंग्रेज इतने विशाल देश को कैसे शासित कर पायेंगे? सज्जनों, पूरे जैसोर जिले पर हुकूम चलाने वाले कितने अंग्रेज हैं? उनका शासन केवल संभव है कि हम उन्हें सहयोग करते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। जब मैं बरहमपुर जेल में था एक कैदी के सबंधी और मित्र उससे मिलने आये। कैदी ने उनसे कहा, “आप मेरे परिवारजनों को जाकर बता दे कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सरकार ने मुझे 250 कैदियों के ऊपर हाकिम बना दिया है।” सब बात यह थी कि उसे एक कैदी ओवरसिपर बना दिया गया था। सज्जनों, इस तरह वे हमारी ही सहायता से हम पर शासन करते हैं और हमें गुलाम बनाये रखते हैं। एक गुलाम देश में कोई हाकिम नहीं होता सब गुलाम होते हैं। जैसे देश के भीतर जैसे ही जेल के बाहर, वे दूसरे गुलामों की मदद से गुलामों पर शासन करते हैं।

अतएव, इस घर्षण के लोग यदि विदेशियों की सहायता से इन्कार कर दे भारत में अंग्रेजी राज का अंत हो जायेगा। दशकों पहले सीली, टाउनशेड और अन्य लोगों ने इसका पूर्वानुमान कर लिया था। टाउनशेड ने लिखा था, “जब भारत अपना सहयोग वापस ले लेगा एक दिन में उभरा हुआ साम्राज्यवाद एक रात में खत्म हो जायेगा।”

अब न केवल हम उनकी सेवा करते हैं बल्कि उन्हें बल भी देते हैं। हम उनकी 110 करोड़ रुपये की वस्तुएं खरीदते हैं, इस राशि के द्वारा इंग्लैंड अपना रख-रखाव करता है। इसीलिए हम विदेशी का बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी को अपनाते हैं। लोगों में स्वतंत्रता की इच्छा जाग्रत करने के उद्देश्य से हम प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम में दो चीजों को प्रार्थमिकता पर रखते हैं- असहयोग और बहिष्कार। राष्ट्रीय इच्छा के जागृत हुए बिना स्वतंत्रता नहीं मिलेगी।

अपने स्वतंत्रता संग्राम में हमने उत्पीड़ित वर्गों, किसानों और मजदूरों को साथ नहीं लिया है। वे पहले की तरह अछूते और उपेक्षित बने हुए हैं। वे हमारे साथ नहीं जुड़ सकें क्योंकि हम उनके सामाजिक कष्टों के निवारण में असमर्थ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बात की क्या

बंगाल विवाद को लेकर सच्चाई

प्रेस के लिए बयान, 12 अगस्त, 1931

"फ्री प्रेस ऑफ इंडिया" ने बंगाल विवाद के बारे में एक सदेश भेजा है, जो गलत और गुराह करने वाला है। डा० वी० सी० राय कल बम्बई से आये और अपने साथ निम्नलिखित आधारों पर बंगाल विवाद को सुलझाने के लिए एक लिखित प्रस्ताव लाये -

- 1 कि आगे की जाच रोक दी जाये।
- 2 कि उन जिलों में ताजा चुनाव कराना वाछनीय है जहाँ कार्य समिति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जा चुकी है। ये चुनाव मध्यस्थ की सीधी निगरानी में होंगे।
- 3 अन्य जिलों के चुनाव को वैध माना जाये।
- 4 बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अक्टूबर में होने वाले चुनाव श्री अनय की निगरानी और नियंत्रण में सम्पन्न होंगे।

कल डा० राय ने महात्मा गांधी को एक तार भेजा। उसमें उन्होंने बिन्दुओं का उल्लेख किया, मैं जिनके आधार पर प्रारूप-प्रस्ताव में सशोधन चाहता था। इसके तुरंत बाद कल के तार की पुष्टि के लिए मैंने सीधे महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा।

तार इस प्रकार है -

"डा० राय के लिए आपका तार। बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा संचालित मौजूदा प्रांतीय चुनाव, जो जनवरी 1930 में पंडित मोतीलाल जी द्वारा वैध करार दिये गये। 1931-32 के लिए प्रांतीय चुनाव इस वर्ष जून में हुए क्योंकि कांग्रेस वर्ष और अखिल भारतीय चुनाव का समय बदल गया था। आगामी प्रांतीय चुनाव अगले वर्ष होंगे। प्रारूप के पाचवे (चौथे) बिन्दु के बारे में, हम पर्यवेक्षक की नियुक्ति की किसी भी शर्त को अनावश्यक समझते हैं। फिर भी हम किसी उचित और निष्पक्ष आधार पर एक स्थायी समझौता चाहते हैं। कृपया तार से सलाह दें।"

उपर्युक्त से यह बात स्पष्ट है कि बम्बई से "फ्री प्रेस" द्वारा प्रसारित सदेश मिथ्या और भ्रामक है। वास्तव में हुआ यह कि समझौते की दिशा में अनौपचारिक बातचीत और सवाद चला रहे थे। मुझे खेद है कि बम्बई की "फ्री प्रेस" ने ऐसे महत्वपूर्ण मामले से निबटने में असावधानी बरती है।

निष्कर्ष रूप में मैं इतना जोड़ना चाहूंगा कि जिस समय बम्बई में प्रारूप-प्रस्ताव लाया गया था, तब कांग्रेस वर्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के चुनावों के समय में परिवर्तन के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के आगामी चुनाव आने वाले अक्टूबर में न होकर कभी अगले वर्ष में होंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक श्री अनय की बंगाल चुनाव विवाद से संबंधित प्रारंभिक शंको से उभरने वाले प्रश्नों को लेकर महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों के बीच चर्चा हो चुकी है। यह जान पड़ता है, महात्मा गांधी कांग्रेस समिति के तत्वाधान में बंगाल प्रदेश कांग्रेस के ताजा चुनाव कराने को लेकर सहमति व्यक्त कर चुके थे। श्री अनय कार्य समिति का

प्रतिनिधित्व करेगे। प्रस्ताव के लाभों के बारे में कहा जा चुका है कि कार्य समिति के तत्वाधान में चुनाव होने से समूचे प्रांत के कांग्रेस जन बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति में आजादी के साथ अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकेंगे। इसके द्वारा कार्य समिति के सविधान को कांग्रेस जनो के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो सकेगा।

गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का स्वागत

बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में बयान,

15 अगस्त, 1931

मैं एक नहीं अनेक कारणों से कांग्रेस समिति द्वारा गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार के निर्णय को लेकर प्रसन्न हूँ। सरकार की वर्तमान मानसिकता को देखते हुए यह निहायत अमभव लगता है कि वह हमारी राष्ट्रीय मांगों को मान लेगी, आगे हाल की घटनाओं से वामपार्थियों के पूर्वानुमान की पुष्टि होती है और अब वे विरोध में खड़े होने का दावा कर सकते हैं। शुरू से ही समझाते की शर्तों को लेकर प्रसन्न नहीं थे और वे समझौते के परिणामों और साथ ही गोलमेज सम्मेलन के प्रति निराशावादी थे। अब यह कार्य समिति की इच्छा पर है कि वह अपनी बैठक बुलाये और यह विचार करे कि क्या सरकार को यह नोटिस भेज दिया जाये या नहीं कि समझौता समाप्त हो गया है। दूसरी ओर यह विचार भी करे कि देश के सामने भाजी कार्यक्रम क्या होना चाहिए।

सधि की औपचारिक समाप्ति से बंगाल के राजनीतिक वातावरण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आयेगा। इसका सहज कारण यह है कि इस दुर्भाग्यशाली प्रांत ने समझौते के वातावरण का मुख एक दिन के लिए भी नहीं भोगा है। बंगाल अध्यादेश का क्या हुआ? विरोध अदालतों पड़्यत्र के मुकदमों और ऐसी ही अनेक मामूली बातों का क्या हुआ? पिछले मार्च से दमन-चक्र निरंतर चल रहा है। यदि लोगों के हृदय में झाककर देखा जाये तो वहाँ सरकार के प्रति लेशमात्र सद्भावना नहीं मिलेगी। बंगाल दमन का इतना अभ्यस्त हो चुका है कि यहाँ गांधी-इर्विन समझौते का भंग होना कोई आश्चर्य की बात नहीं समझी जाती बल्कि इसे अपरिहार्य माना जाता है। दुर्भाग्य से सरकार की दमनकारी नीतियों ने युवा वर्ग पर कांग्रेस के प्रभाव को गभीर क्षति पहुँचाई है। एक ओर सरकार के रवैये से उत्तेजित होकर, दूसरी ओर दमन के अध्याय की समाप्ति में कांग्रेस की अक्षमता से कुपित होकर युवा लोग पूरी तरह आपे से बाहर हो गये। इस उत्तेजना और कांग्रेस द्वारा अहिंसा के तीव्र प्रचार के कारण क्रान्तिकारी गतिविधियों का पुनः प्रकोप हुआ है। यदि सरकार एक मैत्रीपूर्ण नीति का पालन करते हुए अहिंसा के पक्ष में प्रचार और आंदोलन को मजबूत नहीं करती, जिसे कि कांग्रेस चला रही है, तब मैं नहीं समझता कि कांग्रेस देश भर में अहिंसा के सिद्धांत को फैलाने के मिशन में कैसे सफलता प्राप्त कर सकती है? आज मुश्किल से ही कोई व्यक्ति यह आशा कर सकता है कि सरकार के पास मेल-मिलाप करने की राजनीतिमत्ता है। अतएव, केवल दूसरे क्षेत्र से ही अलग की जानी चाहिए। यदि कांग्रेस गतवर्ष की भांति एक सशक्त अहिंसक कार्यक्रम शुरू कर देती है, तब न केवल तमाम क्रान्तिकारी गतिविधियों को दबाया जा सकता है बल्कि देशभर

के कांग्रेस जनो के सभी हिस्सो मे एकता कायम की जा सकती है, जो कि आज आपस मे लड रहे है। अतएव, हमे कार्य समिति का पहल की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति का चुनाव विवाद

अमृत बाजार पत्रिका के सपादक के नाम पत्र

18 अगस्त, 1931

महोदय

मेरा ध्यान इस आशय की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि 'डा० विधान चंद्र राय, सुभाष बोस की ओर से बम्बई आये थे और उन्होने समझौते के लिए लिखित प्रस्ताव रखा था जिसकी शर्तें अग्नि-इत्यादि है।' मैं जोर देकर कहता हू कि डा० बी० सी० राय मेरी ओर से बम्बई नहीं गये थे और मुझे उस समय तक बंगाल विवाद से सबधित समझौते के प्रस्ताव या बातचीत के विषय मे कुछ ज्ञात नहीं था, जब तक कि डा० राय ने बम्बई से लौटने के बाद मुझे आश्चर्य मे नहीं डाला था। मैं महात्मा गांधी को भेजे गये तार मे अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हू। सबसे पहले मैंने यह कहा था कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनाव आगामी अक्टूबर मे न होकर किसी समय अगले वर्ष होंगे। दूसरी बात मैंने यह कही थी कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनाव कराने के लिए बाहर से पर्यवेक्षक बुलाने की जरूरत नहीं है। हम 1921 से 1931 के लम्बे समय तक बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के चुनावो से संचालन के साथ-साथ बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्य और सगठन का संचालन करते रहे है। इस सूरत मे हमे किसी पर्यवेक्षक की जरूरत नहीं है। मेरे विचार से इस मामले मे पर्यवेक्षक की नियुक्ति बंगाल जैसे राजनीतिक दृष्टि से अग्रणी प्रांत की कांग्रेस समिति का सीधा-सीधा अपमान है। मैं यह हरगिज नहीं चाहूंगा कि कार्य समिति या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति हमारी इच्छा विरुद्ध हमारे ऊपर एक पर्यवेक्षक को थोप दे। मुझे इस बात मे कोई आपत्ति नहीं है कि चुनाव विषयक विवादो को किसी निष्पक्ष अदालत को सौंप दिया जाये लेकिन पूरे चुनाव के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति एकदम भिन्न बात है। इस प्रकार की व्यवस्था से विवादो की रोकथाम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगे।

इस सिलसिले मे चुनाव विवाद सुलझाने हेतु श्री अनय के मध्यस्थ नियुक्त किये जाने से सबधित गलत बयान की ओर भी मेरा ध्यान दिलाया गया है। यह कहा गया है कि मैंने स्थानीय मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध किया था और किसी बाहरी मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर दिया था। सच्चाई यह है मैंने महात्मा गांधी के उपयोग के लिए तीन स्थानीय मध्यस्थो के नाम लिखे थे और इसके स्थानीय मध्यस्थो की पात्रता के विषय मे सहमति न होने की स्थिति मे मैंने बाहरी मध्यस्थो की एक सूची सुझाई थी। मेरे हस्तलेख मे लिखा हुआ वह कागज सभावतया महात्मा गांधी के पास अभी तक होगा जिसमे सबसे ऊपर स्थानीय मध्यस्थो के नाम है और सबसे नीचे बाहरी मध्यस्थो की सूची दर्ज है।

राहत कोष की वचत के बारे में कुछ प्रश्न

बंगाल कांग्रेस वाढ एव अकाल राहत समिति के नाम पर,

20 अगस्त 1931

प्रिय महोदय

आपको याद होगा कि 1922 में उत्तर बंगाल में राहत कार्य करने हेतु एक वाढ राहत समिति का गठन किया गया था जिसमें बंगाल राहत समिति कहा गया था। यह बात साधारण के ज्ञान में है कि समिति का नाम जानबूझकर बंगाल राहत समिति रखा गया था। इस पद के पीछे कारण यह था कि जो समितियाँ 1922 से पूर्व गठित की गयी थीं और जिनके पास बिना खर्च की गयी राशि पड़ी हुई थी (जैसे ढाका बवडर कोष) व अब इस राशि को 1922 में राहत कार्य पर खर्च कर देना चाहती थीं और यह तर्क दिया जाता था कि ढाका बवडर कोष के नाम पर इकट्ठा किया पैसा नियमानुसार उत्तर बंगाल की बाडों पर खर्च नहीं किया जा सकता। 1922 में लोगों ने यह अनुभव किया कि बची हुई राशि को बाद में बंगाल के किसी भी भाग में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। अतएव तकनीकी कठिनाई में बचाव करने के लिए जान-बूझकर बंगाल राहत कोष नाम तजवीज किया गया ताकि इस समिति द्वारा बची हुई धनराशि को बंगाल के किसी भी भाग के राहत कार्य में खर्च किया जा सके।

यह बात बाद में खुली कि जब 1923 में उत्तर बंगाल के राहत कार्य बढ़ हुए तब समिति के पास कुछ लाख रुपये हाथ में बचे हुए थे। फिर बचे हुए कोष में से एक बड़ी राशि अकेले खादी प्रतिष्ठान नामक संगठन के माध्यम से खादी के काम पर खर्च की गयी। यह सर्वसिद्धित है कि बंगाल राहत कोष के एक सचिव श्री सर्ताश चन्द्र दाम गुप्ता खादी प्रतिष्ठान के भी सचिव या मुख्य संगठक थे। ताजा सूचना यह है कि खादी प्रतिष्ठान एक घाटे में चल रही सम्था है और इसमें लगाया गया पैसा वसूल नहीं किया जा सकता।

महोदय, बंगाल कांग्रेस वाढ एव अकाल राहत समिति के अध्यक्ष के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित बिन्दुओं की खोज-बीन करें -

- 1 1923 में उत्तर बंगाल में राहत कार्य की समाप्ति के बाद कितनी राशि बची रही।
- 2 क्या खादी के काम में कुल या टुकड़ों-टुकड़ों में राशि खर्च हुई है?
- 3 यदि ऐसा है तो खादी के काम पर खर्च होने वाली राशि कितनी थी?
- 4 खादी के काम पर पैसा खर्च करने से पहले क्या समिति की स्वीकृति ले ली गयी थी? यदि ऐसा है तो यह राशि कितनी है और किस बैंक में लगायी गयी है?
- 5 क्या कुछ राशि बची रह गयी है? ऐसा है तो, यह कितनी है और किस बैंक में लगायी गयी है?
- 6 यदि कुछ राशि बची रह गयी है तो क्या इसमें निष्कलन किया जा सकता है? राहत समिति को लौटा दी जायेगी?

के विभिन्न वर्गों और गुणों के विचारों को ध्यान में रखकर बंगाल विवाद की जांच कर ली हो गये थे लेकिन दूररे लोग तैयार

यदि मेरी सूचना सही है, बंगाल राहत समिति में तीन सचिव थे और 1923 में राहत कार्य समाप्त हो जाने के बाद बंगाल राहत समिति ने जो भी धनराशि खर्च की, इसके बारे में दो सचिवों को एकदम अंधेरे में रखा गया।

कलकत्ता नगर पालिका चुनाव के संचालन में प्राधिकार

बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में वयान,

16 सितम्बर, 1931

वार्ड नम्बर 6 के मौजूदा नगर पालिका चुनाव के संबंध में प्रांतीय कांग्रेस समिति के प्राधिकार और दायित्व को लेकर जांच की गयी है। उत्तर में यह कहा गया है कि 1924 से (दशवधु सी० आर० दास के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहली बार निगम में सत्ता प्राप्त की थी) हर अवसर पर प्रांतीय कांग्रेस समिति चुनाव कराती रही है। 1930 में पहली बार इस प्राधिकार को जे० एम० सेनगुप्ता ने चुनौती दी थी। वे बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति पर नियंत्रण नहीं रख सके थे। यद्यपि जब उन्होंने 1927 में चुनाव का संचालन किया था उन्हें प्रांतीय कांग्रेस समिति का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था।

1924 में देशबन्धु दास ने जिनके पास नगर पालिका चुनाव कराने संबंधी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित थे प्रत्याशियों का चयन करने के मामले में बंगाल प्रदेश समिति की अवज्ञा करने को लेकर उत्तरी कलकत्ता कांग्रेस समिति की निन्दा की थी। इस तथ्य के अलावा कि बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति बंगाल का सर्वोच्च कांग्रेस संगठन है और भी अनेक कारण हैं जिनके रहते हुए जिला कांग्रेस समितियों के बजाय बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। यद्यपि जिले को यह अधिकार है कि वह बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के लिए चुनाव प्रत्याशियों (यदि उनकी ऐसी इच्छा है) के नामों की सिफारिश कर सकती है। कलकत्ता नगर पालिका क्षेत्र में पांच जिले हैं—उत्तर दक्षिण केन्द्रीय बड़ा बाजार और 24 परगना। यदि बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति जैसी सर्वोच्च सत्ता चुनाव कराने संबंधी सम्पूर्ण दायित्व और कार्यभार नहीं लेती है तथा जिले अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं तब उससे दुविधा और द्वन्द्व की स्थिति पैदा हो जायेगी। यदि निगम के भीतर एक कांग्रेस नगरपालिका पार्टी का गठन करना है यह तभी संभव हो पायेगा यदि जब चुनावी काम-काज में समन्वयन करने वाली बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति जैसी उच्चतर सत्ता हो।

आगे यह कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो पूर्ण रूप से एक जिले में नहीं आते। वार्ड नम्बर 6 एक ऐसा ही निर्वाचन क्षेत्र है जिसे पर उत्तरी कलकत्ता कांग्रेस समिति और बड़ा बाजार कांग्रेस समिति का प्राधिकार है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उभरे करने को लेकर सूची सुझाई थी। मेरे विचार में ऐसी स्थिति से कौन निबटरेगा? बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अभी तक होगा जिसमें सर्वोच्च प्रकार की स्थिति पर विचार कर करती है। अतएव यह मध्यस्थों की सूची दर्ज है। निर्वाचन के मामले में जिलों को स्वायत्तता दे दी गयी

है लेकिन उत्तरी बंगाल कांग्रेस समिति वाई नय्यर ६ = श्री सेन गुप्ता को खड़ा नहीं कर सकी। उत्तरी बंगाल कांग्रेस समिति ने बड़ा बाजार कांग्रेस समिति से स्वीकृति भी नहीं ली। जे० एम० सेन गुप्ता ने एक हास्यास्पद बयान दिया है कि कलकत्ता के मामले में शेष 27 कांग्रेस जिलों की कोई नहीं चलनी चाहिए। इसके विपरीत मैं आग्रह के साथ कहूँगा कि कलकत्ता के विकास एवं समृद्धि में सम्पूर्ण बंगाल का योगदान रहा है। शेष बंगाल के योगदान के बिना कलकत्ता वह नहीं होता, जो कि आज है। इसलिए कलकत्ता बंगाल का सार है। यदि हम कलकत्ता निगम में उन लोगों को निकाल दे जो कि कलकत्ता के पुराने नागरिक नहीं हैं तब हमें अनेक पार्षदों के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के अभाव में काम करना पड़ेगा। क्या श्री सेनगुप्ता इस आकस्मिकता का स्वगात करेंगे?

बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तथा कलकत्ता निगम के महापौर पद से त्यागपत्र के कारण

बंगाल के कांग्रेसजनों को संबोधन, 18 सितम्बर, 1931

जब से बंगाल में मनमुटाव बढ़ना शुरू हुए हैं मैं नहीं सोचता कि किसी देशभक्त कांग्रेस जन को यह सुखद लगा होगा। जहाँ तक मेरी बात है मैं शुरू से विवाद समाप्त करने के विनम्र प्रयास करता रहा हूँ। मुझे शुरू से ही यह लगता था कि समस्या के समाधान के तीन रास्ते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के सविधान और नियमों को कठोरता के साथ पालन किया जाये तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों और अनुशासनहीनता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये। दूसरे कांग्रेसजनों के विभिन्न वर्गों और गुटों के बीच समझौते के प्रयास किये जाये जिससे कांग्रेस की गतिविधियों में पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित होगा। तीसरे, दोनों विकल्पों के असफल होने की स्थिति में सब मिलाकर एक पार्टी बनाने के लिए राजी किया जाये।

मेरा अनुभव यह कहता है कि इस प्रात में एक गुट या दल हमेशा उन लोगों का विरोध करेगा जो कि कांग्रेस संगठन में कोई कार्यभार प्राप्त कर चुके हैं। कम से कम पिछले दस वर्षों के दौरान यही हुआ है। जब प्रांतीय कांग्रेस समिति की मौजूदा कार्यकारिणी के विरोध की तैयारी हुई, तब उपर्युक्त दोनों उपायों से इस विरोध को शांत करने के प्रयास किये गये। फिर भी कांग्रेस के सविधान और नियमों के कार्यान्वयन द्वारा कोई समाधान नहीं हो सका क्योंकि बंगाल में कांग्रेस जनो का एक ऐसा गुट था जो हर सभ्य अवसर पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का निरादर करने के लिए कृत निश्चय था। दूसरे, कांग्रेस की कार्य समिति अनुशासनहीनता के खिलाफ अपेक्षित कार्यवाही करने में असफल रही। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस के विभिन्न वर्गों और गुटों के बीच समझौते की नीतियों के आधार पर भी कोई समाधान नहीं निकल सका।

यह याद होगा कि जब 1930 में स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू बंगाल विवाद की जांच करने हेतु बंगाल आये थे, हम उनके परामर्शानुसार समझौते पर राजी हो गये थे लेकिन दूसरे लोग तैयार

नहीं थे। पंडित जी के निर्णय के बाद यह आशा की जाती थी कि विवाद समाप्त हो जायेगा लेकिन यह आशा निष्फल गयी। यही विरोधवादी और अलगाववादी प्रवृत्ति 1930 के नगरपालिका चुनाव और सविनय अवज्ञा समिति के निर्माण के अवसर पर खुलकर सामने आयी। जब इस वर्ष कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता हुआ यह आशा की जाती थी कि इसके साथ नये अध्याय की शुरुआत होगी। एक बार फिर हमें निराशा होना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस समिति का विरोध जारी रहा। पहली बार यह विरोध जिले में प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस समितियों तथा प्रांतीय कांग्रेस समितियों तथा प्रांतीय कांग्रेस सभ के रूप में एक प्रतिद्वंद्वी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के निर्माण के रूप में प्रकट हुआ। इसके बाद मई अंत के अंतिम चुनाव के दौरान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का खुला विरोध हुआ। तदनंतर कार्य समिति ने सम्पूर्ण परिस्थिति की जांच करके निर्णय देने हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति कर दी। एक बार फिर यह आशा की किरण जागी कि मध्यस्थ की नियुक्ति से निराशा के बादल छटेंगे। लेकिन जब प्रांतीय कांग्रेस समिति ने बाद राहत समिति का गठन करना चाहा और सभी दलों को आमंत्रित किया, विरोधियों ने सहयोग से इन्कार कर दिया और एक अलग समिति बना ली। इसके बाद श्री जे० एम० सेन गुप्ता ने अपने चुनाव घोषणापत्र में एक अपील जारी की कि कांग्रेस के निगम पार्षद कांग्रेस म्यूनिसिपल एसोशियेशन से बाहर आ जाये और एक पृथक दल का गठन कर लें। इस पृथक दल का पहले ही गठन हो चुका है और इसने निगम में यूरोपीय एवं मनोनीत सदस्यों के गुट के साथ खुली गठजोड़ कर ली है।

मेरे उपर्युक्त वक्तव्य का सार यह है कि हम कांग्रेस संविधान के कार्यन्वयन या समझौते के द्वारा बंगाल के कांग्रेसजनों के बीच एकता कायम करने में असफल रहे। यह तथ्य इस रूप में हमारे सामने है कि आज बंगाल के कांग्रेस जन विभाजित हैं तथा सरकार और शत्रु इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। जिनके पास आज सगठन का कार्यभार है वे सभी दलों का सहयोग लेने में असमर्थ हैं। हम समझते हैं कि मौजूदा असंतोष के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, इसके लिए विरोधी दोषी हैं। फिर भी एक गली-बाजार का आदमी और जनता का एक औसत सदस्य यह जाने बिना रहेगा कि दोषी कौन है? वह किनी भी साधन से और किसी भी कीमत पर विवाद का समाधान चाहता है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं बंगाल के मानस की सही व्याख्या कर रहा हूँ, जब मैं यह कहता हूँ कि मौजूदा असंतोष का अंत समय की एक मांग है भले ही मेल-मिलाप करने के लिए कितने ही कठोर कदम उठाने पड़े। प्रात में घटित हाल की घटनाओं से एकता की जरूरत बहुत बढ़ गयी है। पहले हमारे लान्से देशवासी बाढ़ और अकाल से पीड़ित हैं। दूसरे चित्तगोग में हमारे देशवासी अमानवीय यातना और अकथनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। तीसरे, हमारे लगभग 800 श्रेष्ठ कार्यकर्ता देशभक्ति के अपराध में जेल में कष्ट भोग रहे हैं।

मेरे निकट के साथी और सहकर्मी इस बात को जानते हैं कि मैं तीसरे मार्ग को अपनाते हुए कांग्रेस-कार्यकर्ताओं में एकता कायम करने की दिशा में सोचता रहा हूँ। तीसरा मार्ग अर्थात् प्रांतीय कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी से स्वेच्छा से त्याग-पत्र। मेरे मन में यह विचार प्रतिदिन दृढ़ होता रहा है कि पद पर बने रहने की कोई सार्थकता नहीं है, यदि कांग्रेसजनों के सभी वर्गों का सहयोग सुनिश्चित नहीं होता है। आज पद पर बने रहना कोई सहायता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सेवा में एक सकारात्मक बाधा है।

तीसरे मार्ग पर अमल करने में मेरे मन में जो भी सकोच था, वह समाप्त हो गया जब कि हिजली कारावास शिविर में भयानक आघात पहुचाने वाली खबर मिली। हमारे देशवासियों को जेल और जेल से बाहर पिलने वाला अकथनीय यातनाएँ हमारे लिए एक दैवीय चुनौती है कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एक हो और शत्रु के समक्ष एक समुक्त मोर्चा पेश करें।

अतएव मैं प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और साथ ही कलकत्ता निगम के महापौर पद से त्यागपत्र प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह त्यागपत्र देते हुए अपने महान और श्रेष्ठ कांग्रेसी साथियों से अपील करता हूँ कि वे इस अवसर पर आगे आये और मौजूदा अस्तोष को दूर करें। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं एक दृढ़ अनुशासन प्रिय हूँ और मेरे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं एक साधारण विनम्र कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूँगा और जो भी अध्यक्ष के पद पर आसीन होता है उसे मेरी सेवाएँ देने का अधिकार होगा। यदि मेरे आत्म वितोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल को बचाया जा सकता है तो मुझे यह कीमत चुकाने में प्रसन्नता होगी। यदि मेरे देशवासी बदले में मुझे हृदय में स्थान देते हैं तो मेरे लिए यह एक बड़ा पुरस्कार होगा।

हिजली शिविर और खड़गपुर रेलवे अस्पताल में बंदियों की हालत

हिजली और खड़गपुर की स्थिति पर बयान
19 सितम्बर, 1931

मैंने कल शुकवार को सर्वश्री जे० एम० सेनगुप्ता नृपेन बनर्जी डा० चारु बनर्जी और श्रीमती यनर्जी, सुशील राय चौधरी और अन्य साथियों के साथ खड़गपुर का दौरा किया। कुमार देवेन्द्र लाल खान, शीलजा सेन और रामसुंदर सिंह भी हमारे साथ थे। हमें हिजली शिविर में जाने की अनुमति नहीं दी गयी लेकिन मैंने खड़गपुर अस्पताल में बंदियों के साथ-साथ अनेक घायलों को देखा। मुझे अखबारों में छपी खबरों की सच्चाई जानने का अवसर भी मिला। अब मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि प्रेस ने वास्तविकता से कम आका है। बंदियों पर हुआ हमला अपने चरित्र में जघन्य और पैशाचिक है। सतोष मित्र और तारकेश्वर सेन ने वीरतापूर्वक प्राण दे दिये और देश शहीदों के रूप में सदैव उनका आदर करेगा। गोविंद दत्त और शशींद्र घोष रेलवे अस्पताल में गभीर हालत में पड़े हुए हैं। अस्पताल में कृष्णपाद बनर्जी सुधीर सेन और सविता राय चौधरी की हालत भी चिन्ताजनक है। हिजली शिविर में आशुतोष हाजरा की हालत भी ऐसी ही है।

सभी बंदी भूख हड़ताल पर हैं और वे तक तक इसे जारी रखेंगे जब तक एक अनौपचारिक समिति का गठन न कर दिया जाये। अब तक बंदियों को घायलों से मिलने की अनुमति दी जाती रही लेकिन लगता है कि कल (रविवार) से यह सुविधा छिन जायेगी। इस स्थिति में फिर से समन्वय रखी हो सकती है। मैं स्थानीय अधिकारियों से साग्रह निवेदन करता हूँ कि वे इतने निर्दयी न बनें और बंदियों को अस्पताल में अपने घायल मित्रों से मिलने की अनुमति दें।

मैं लडगपुर से अत्यंत दुःखी एवं अपमानित होकर लौटा हूँ। हमारे साथी जेल में कुत्ते और बिल्लियों की भाँति मारे जा रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों में भी हमें लडना-झगडना चाहिए? हमें अपने शत्रु के सामने अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर एक हो जाना चाहिए। मैं आज के अखबार में अपने बयान में पहले ही कह चुका हूँ कि जिस रूप में भी मेरी सेवाओं की अपेक्षा की जाती है मैं जन-सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे अनेक मित्रों ने मेरे इस कदम की सराहना की है जो कि मैंने सभी पदों से त्यागपत्र देने के रूप में उठाया है। इससे मेरे इसे विश्वास की पुष्टि होती है कि मैंने बंगाल के मानस की ठीक-ठीक व्याख्या की है। हमें आशा करनी चाहिए कि बंगाल और पूर्ववत् प्रतिष्ठा एवं गरिमा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे।

व्यक्ति स्वयं को राष्ट्र में विलीन करे

एकता पर कांग्रेसजनों को संबोधन

20 मितम्बर, 1931

बहुत दिनों बाद आज बंगाल की राजनीति के विभिन्न दल और गुट एक मंच पर एकत्र हुए हैं। कांग्रेसजनों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास ही दुःख वेदना और अपमान के अधिकार से आच्छादित आकाश के बीच एक मात्र आशा की किरण के समान है। शहीदों का रक्त ही मंदिर का बीज है। अतएव आज हमारे हृदय की यही पुकार है कि शहीदों के रक्त पर एकता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। यदि बंगाली लोग ऐसा करने में असफल रहे तो कोई भी यह कह सकता है कि, "बंगालियों तुम धरती में उठ जाओ, तुम धरती पर व्यर्थ ही क्यों बोज़ बने हुए हो?" लेकिन मुझे अपने लोगों पर विश्वास है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं शहीदों के रक्त के प्रति श्रद्धा रखता हूँ कि एकता की इमारत का निर्माण अवश्य होगा।

व्यर्थ के मामलों को लेकर विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक प्रश्न विचारणीय है। तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि जो सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, वह सच है। लेकिन इसका आभिप्राय क्या है? कमरों के अंदर गोलियाँ बरसाने का क्या औचित्य था? और जो लोग मारे गये, वे कोई साधारण अपराधी चोर-तुटेरे नहीं थे बल्कि देश के सर्वोत्तम व्यक्ति थे, इसके मन में सरकार विरोधी भावनाएँ हो सकती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नीति-सहिता के अनुसार वे युद्ध बंदियों की भाँति व्यवहार के अधिकारी थे कोई कारण नहीं है कि बंगाल के बंदियों का वह व्यवहार क्यों नहीं दिया जाता जो कि युद्ध में किया जाता है? मैं जब बहरामपुर जेल में था, जिला मजिस्ट्रेट ने मुझसे हसते हुए कहा, "कि हमारे सामने एक ही रास्ता है कि तुम्हें दीवार के सामने लडा किया जाये और गोली मार दी जाये।" मैंने भी हसते हुए उत्तर दिया, "ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे ऐसी आग-भड़केगी जो आप सबको भस्म कर देगी।" जैसा कि अध्यक्ष ने कहा है, यह स्वेच्छाचारी शासन की अंतिम सास है। दीवार की इमारत बहुत स्पष्ट है। अन्यायी

हाथों से सत्ता खिसक रही है। वे हर ओर में जन-उभार को देख रहे हैं और उन्हें अपने अंतिम दिनों का अहसास हो गया है। सीले और टाउनशैंड जैसे अंग्रेजी लेखकों ने भविष्यवाणी की थी "एक दिन में उभरा हुआ साम्राज्य एक रात में खत्म हो जायेगा।"

अंग्रेजों ने इस देश की जनता में फूट और भेदभाव पैदा करके अपनी स्थिति मजबूत की। अंग्रेजों ने बंगालियों-विशेष रूप से मुवा बंगालियों को पसंद नहीं किया। लेकिन बंगालियों के हृदय में छुपा हुआ भावुकतावाद जिस दिन प्रकट हो जायेगा उस दिन सब चीजें उनके सामने स्पष्ट हो जायेंगी और इस भावुकतावाद की जीत होगी।

यहां तक बंगाल की बात है, यहां समझौते की शर्तों का कभी पालन नहीं किया गया। समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ से ही यहां भरपूर दमन चलता रहा है। राज्य बंदियों को मुक्त नहीं किया गया, मृत्युदंड प्राप्त बंदियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती गयी पड़्यत्र मुकदमों को वापस नहीं लिया गया और प्रतिदिन नयी गिरफ्तारियां होती रही हैं। तब समझौता कहा रहा? क्या हृदय परिवर्तन हुआ? जब हृदय ही नहीं है तो परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यक्ति के रूप में एक अंग्रेज सहृदय हो सकता है लेकिन जब अंग्रेज गोलमेज सम्मेलन में बैठते हैं तब वे हृदय के निर्देशों को अनसुना कर देते हैं। वे दमन और अधिक दमन की बातें करते हैं।

बंगाली अपनी स्वाधीन चेतना और पूर्ण स्वतंत्रता की लालसा के कारण अंग्रेजों की आंखों में चुभते रहे हैं। विगत तीस वर्षों से बंगाली इसके लिए आग्रहशील रहे हैं और घातनाएं महते रहे हैं इसीलिए अंग्रेज उन्हें कुचलना चाहते हैं। उनके अंतिम रूप से सत्ता को त्याग देने से पहले बंगाल में वैसी ही पुनर्रचना होगी जैसी कि काले और भूरो ने आयरलैंड में की थी। यह बंगाल की देशभक्ति का अमल परीक्षण होगा। देखना यह है कि बंगाल पूर्ण स्वाधीनता की कीमत चुकाने को तैयार है या नहीं (मुझे विश्वास है कि बंगाल (युवा बंगाल) अपनी महता की पूर्ण ऊंचाई तक नहीं उठेगा)। यदि मेरे देशवासी इसकी कीमत देने को तैयार हैं तब उन्हें पूर्ण स्वाधीनता मागना चाहिए। अन्यथा वे अपने मालिकों के सामने हाथ जोड़े और जो रोटों का टुकड़ा उनकी ओर फेंका जाता है उसे स्वीकार करें और स्वाधीनता के भ्रम में जीते रहें।

धमकी की नीति बंगाल को नहीं डरा सकती। बंगाल ने महान व्यक्तियों को जन्म दिया है लेकिन उसकी बड़ी असफलता यह है कि उसके सपूतों में क्रिया की अन्विति और सबद्धता नहीं है। अब समय आ गया है कि व्यक्ति स्वयं को राष्ट्र में विलीन करे। प्रकृति से अत्यंत सन्पन्न बंगाली अपनी अयोग्यता के कारण ऐसा कर पाने में असफल रहे हैं।

उन्हे शांत मन के साथ अपनी कार्य-योजना पर विचार करना होगा तब उन पर भ्रमल करना होगा। चित्तागोण और डिब्रुगढ़ की घटनाओं के बाद वे चुप नहीं बैठे लेकिन पहले उन्हें एक सयुक्त मोर्चा बनाना होगा।

सभी राज्य बंदी सुधार के लिए उनका मुंह जोड़ रहे हैं। यह समझना उनका दायित्व है कि उनके (बंदियों) काट और दुःख व्यर्थ नहीं जायेंगे।

जो लोग उन पर ऐसे आरोप लगाते हैं वे वास्तव में उन पर विश्वास नहीं करते अन्यथा आज तक वे जेल के बाहर क्यों बने रहते? कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फूट और मतभेद पैदा करने के इरादे से ही ये आरोप लगाये गये हैं।

जहाँ तक मेरी बात है, यदि मेरे त्याग पत्र देने से कांग्रेस का कार्य सुचारू रूप से चल सकता है मैं सहर्ष त्यागपत्र दे दूंगा। यदि मुझे लगता है कि मेरे आत्म विलोपन से देश स्वतंत्रता के समीप पहुँच सकता है, मैं स्वेच्छा से ऐसा कर दूंगा। यदि मुझसे यह कहा जाता है कि स्वाधीनता सश्रम मे समूचा राष्ट्र एक जुट हो जायेगा तब वास्तव मे मुझे एक धूल का कण बन जाने मे भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। जैसा कि मैं यह कह चुका हूँ, मैं राष्ट्र का एक विनम्र कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने देशवासियों के लिए दिल मे जगह के सिवा किसी पद या प्रतिष्ठा का दावा नहीं करता।

व्यक्ति को सबके हित मे आत्म त्याग करने के लक्ष्य सीखनी चाहिए। मौदेबाजी की भावना से उनकी क्रिया मे सजीवता नहीं आ सकती।

जमशेदपुर की गंभीर स्थिति

एक बयान, 24 अक्टूबर, 1931

जमशेदपुर की स्थिति गंभीर रूप से जनता का ध्यान खींचती है। लेबर फेडरेशन के अध्यक्ष श्री मानिक होमी पर सफलता पूर्वक मुकदमा चलाने और लेबर फेडरेशन की गतिविधियों को ठप्प कर देने के बाद टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लेबर एसोसिएशन को कुचलने पर भी आमादा है। गत रविवार को मजदूरों की समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु बुलाई गई बैठक गुडो द्वारा नाकाम कर दी गयी और तीस से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। कस्बे मे आम धर्या है कि गुडो को तैयार करने मे कम्पनी के दलालो का हाथ है और इस सिलसिले मे कम्पनी के कई जाने-माने अधिकारियों के नाम खुलकर लिये जा रहे है।

लेबर एसोसिएशन की सामान्य परिषद ने सरकार से माग की है कि रविवार की घटनाओं की जाच हेतु एक समिति नियुक्त की जाये। समिति नियुक्त होने या नहीं होने का दायित्व टाटा के निदेशक मंडल का है। यदि कम्पनी अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहती है तो उसे तुरत जाव समिति बैठानी होगी। मैं यह कहने की स्थिति मे हूँ कि यदि एक निष्पक्ष समिति नियुक्त कर दी जाती है और गवाहो को सताया नहीं जाता है, तब पूर्णतया यह सिद्ध हो जायेगा कि कम्पनी के कुछ अधिकारियों के उकसाने पर कम्पनी के कुछ दलाल गत रविवार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। तब से इस मामले मे कोई प्रगति नहीं हुई है।

कल मुझे एक सामाजिक कार्यजश कस्बे के बाहरी क्षेत्र मे जाना था। वहाँ गुडो द्वारा हमारे ऊपर हमला करने का पूरा इतजाम था। सौभाग्य से हमारे लोग आगाह हो गये और आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गये। इसलिए प्रत्याशित हमला संभव न हो सका। मुझे सूचना मिली है कि कस्बे के गुडो आज भी सक्रिय है और हमले के दूसरे मौके की तलाश कर रहे हैं। ग्रह कहना एक फालतू बात होगी कि कम्पनी के व्यवहार ने हमें विचलित कर दिया है। यदि वे ऐसा सोचते है कि गुडागर्दी की नीति मजदूरों को हताश और ध्वस्त कर देगी, तो यह उनकी भूल है। अब उनका पाला लेबर फेडरेशन के पदाधिकारियों से भिन्न लोगों के साथ पडा है। इस मौके पर मैं एक दिन के लिए

जमशेदपुर आया लेकिन यह घटना घटी तो मैंने सब कार्यक्रम रद्द कर दिये और यहाँ रुकने का निर्णय किया। यदि एक स्थान पर मालिक लोग गुडों की मदद से मजदूरों को कुचलने में सफल हो जाते हैं, इसी प्रयोग को वे हर जगह दोहरायेगे। अतएव अब हमारे सामने जीवन-भरण का प्रश्न है और हमें शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीकों से कम्पनी के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है।

मैं टाटा समुदाय को चेतावनी देता हूँ कि इन कार्यनीतियों को आगे जारी न रखे। उन्होंने अब तक जो कुछ किया है और भविष्य में जो भी करेंगे इन सब बातों का जनमत की अदालत के सामने जवाब देना होगा। उनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जो न्यायोचित कार्य के लिए अपने जीवन का बलिदान भी कर सकते हैं। कम्पनी के दलाल पहले ही अपने व्यवहार से मजदूरों को उत्तेजित कर चुके हैं और कारखाने के हर विभाग में उनके प्रति विरोध भाव बढ़ रहा है और अधिक उत्तेजना से क्रोध भड़क सकता है और औद्योगिक सिकंदर खड़ा हो सकता है। जहाँ तक हमारा सबंध है हम मजदूरों के पक्ष में खड़े होने के लिए कृत निश्चयी हैं और हर प्रकार के जोखिम और परिणामों का दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए तत्पर हैं।

हिजली शिविर में भूख हड़ताल पर बैठे बदियों से साक्षात्कार की अनुमति नहीं मिली

बयान, 1 अक्टूबर, 1931

मैं और सतींद्रनाथ डाउन बम्बई मेल से मंगलवार की सुबह खडगपुर आये। हमने आते ही बदियों से साक्षात्कार के लिए आन्देन किया जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। हम कमांडेट बेकर से मिले। उन्होंने हमसे कहा कि सरकार के आदेश के बिना मैं साक्षात्कार की अनुमति नहीं दे सकता। मैंने बताया कि हम अपने घदी मित्रों को भूख हड़ताल तोड़ने पर राजी करने के लिए आये हैं और हिजली कैम्प के कमांडेंट यदि उचित समझते हैं तो साक्षात्कार की अनुमति दे सकते हैं। जब मैं अध्यादेश के तहत नजरबंद था बदियों ने भूख हड़ताल की थी तब जेल अधीक्षक ने हमसे साक्षात्कार करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन कमांडेट ने मुझे उत्तर दिया कि वे साक्षात्कार की मजूरी नहीं दे सकते और मुझे सलाह दी कि मैं अनुमति के लिए राइटर्स बिल्डिंग को लिखूँ। मैंने कहा कि यदि वह व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार के विरोधी नहीं है तो टेलीफोन द्वारा आदेश प्राप्त करने के लिए हमारे मामले को सरकार के पास भेज सकते हैं। इस पर वह राजी हो गये और यह व्यवस्था की गयी कि हम उनसे दोपहर एक बजे मिलें तब तक सरकार की ओर से जवाब आ सकता है।

एक बजे जब हम हिजली कैम्प के लिए रवाना हुए, रास्ते में सिपाहियों ने हमारी गाड़ी रोक ली और बोले कि उनके पास हुकम नहीं है कि यहाँ से आगे बढ़ने दें। हमने सिपाही और हवलदार से कहा कि हम पूर्व निश्चित कार्यक्रम के मुताबिक एक बजे कमांडेट से भेट करने जा रहे हैं और सुबह हमें इस तरह नहीं रोका गया था। लेकिन उसने जिद ठान ली और मैंने कमांडेट को

लिखा कि उनकी लिखित अनुमति के बिना हम उनसे मिलने दफ्तर नहीं पहुँच सकते। कमांडर ने मेरे पत्र के उत्तर में लिखा कि हमारा आगे बढ़ना ठीक न होगा। उन्होंने मि० हूचिंगम को फोन किया था। जवाब में उन्होंने बताया कि वे स्वयं तो अनुमति नहीं दे सकते लेकिन वे मि० प्रेंटिस से सम्पर्क करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि हमें बंदियों से साक्षात्कार का अनुमति आज मिल जाना संभव न होगा। बंदियों से साक्षात्कार की हमारी कोशिशों का कुछ हासिल न निकला। सौभाग्य से हम सुबह ही अमरेंद्र नाथ चटर्जी से मिले जो स्वयं सुबह हिजली बंदी शिफ्ट में अपने छोटे भाई ब्रजेन्द्र नाथ चटर्जी से मिलने जा रहे थे। हमने उनसे कहा कि हम बंदियों से साक्षात्कार की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि हमें अनुमति क्यों नहीं मिली? हमने अमरेंद्र बाबू से निवेदन किया कि वे बंदियों तक हमारा यह संदेश पहुँचा दे कि वे जनता की इच्छा का ध्यान रखते हुए भूल-भड़ताल समाप्त कर दें।

नवापाडा पुलिस स्टेशन से उत्पीड़न

व्याप्त, 14 अक्टूबर, 1931

बंगाल जूट मजदूर सम्मेलन के आयोजकों ने मुझे बताया कि वे आज सम्मेलन नहीं कर पायेंगे। आज कार्य दिवस होने के कारण मजदूरों का सम्मेलन में उपस्थित होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगा। दूसरे श्रोताओं की अधिक तादाद को देखते हुए एक गाँवियाने की बजाय खुले मैदान में यह सम्मेलन करना होगा और प्रतिकूल मौसम के कारण खुले मैदान में आयोजन करने में भी कठिनाई आयेगी। आयोजकों का यह आग्रह भी था कि मैं आज क बजाय सम्मेलन वाले दिन जगतदल आऊँ। इस सप्ताह में ही किसी दिन सम्मेलन बुलाने की तैयारियाँ चल रही थीं। इस बीच मुझे हिजली में एक जरूरी बुलावा आया। इसलिए मैं आज बम्बई में ही रुक गया हूँ और कल वापस आऊँगा।

बंगाल जूट मजदूर सम्मेलन की म्यागत समिति के अध्यक्ष श्री टी० सी० गोस्वामी के साथ मैं रविशंकर को दोपहर बाद जगतदल खाना हुआ। जगतदल खाने की मीमांसा में प्रवेश करने से पहले जब हम नवापाडा आने के क्षेत्राधिकार में थे तब पुलिस वालों ने हमारी कार रोक ली। गाड़ियाँ खड़ी करके रास्ता बदल दिया गया था। पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया कि उसके पास ऐसा आदेश है कि मुझे कलकत्ता लौट जाना चाहिए। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे नवापाडा आने में तिरामत में ले लिया जायेगा। मैंने कार से उतरने से पहले ही पुलिस अधिकारी को चेतावनी दी कि वह एक गैर कानूनी काम कर रहा है। इसके लिए वह जवाबदेही होगा क्योंकि वह मुझे जगतदल खाना क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने से पहले गिरफ्तार कर रहा है। उसने कहा कि वह हुकूम के आगे मजबूर है। मेरे नीचे उतरने के बाद स्वयं को नवापाडा पुलिस स्टेशन का आफिसर रविवार बताने वाले पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा कि यदि मैं पैदल न जाना चाहूँ तो कार चलाकर

धाने पहुच सकता हू। उसने दो सिपाही मेरे साथ कर दिये थे। वे श्री गोन्वामी की। कार मे बैठ गये और हम शाम पाच बजे के आसपास नवापाडा थाना पहुचे।

धाने पहुचने के बाद आफिसर इचार्ज ने तमाम बडे अधिकारियो को फोन गटका दिये। लेकिन उनके आते-आते काफी समय बीत चुका था। आखिरकार गाम 6 30 या 7 30 बजे एस० डी० ओ० (बर्थ), ए० एस० पी० (वेमरोज) और इस्पेक्टर मैके जी आये। पहले दो अधिकारिया के कपडो को देखकर लगता था कि वे सीधे क्लब से आ रहे है। (मुझे भी बाद मे पता चला कि जब उन्हे फोन किया था उम समय वे क्लब मे थे।) तीसरे अफसर ने बताया कि वह सीधा फुटवाल के मैदान से आया है। इस प्रकार तीन-सर्वोच्च स्थानीय अधिकारी उम समय अपने खेल-कूद मे मग्न थे जबकि उनके मुताबिक जूट मजदूर सम्मेलन की दूसरी बैठक के रूप मे शांति भंग करने की कोशिश हो रही थी और धारा 144 लगाकर मुझे जगतदल थाना इलाकं मे दाखिल होने मे रोका जा रहा था। निस्संदेह बडी मत्त्या मे सगन्त्र और निशगन्त्र पुलिसकर्मी जगतदल और पडास के रेलवे स्टेशन पर तैनात थे। लेकिन यदि वास्तव मे शांति भंग होने का आशका होती तो जगतदल थाना सीमा से लगभग दस मील दूर वारकपुर मे तीन सर्वोच्च अधिकारी गेल-कूद मे मग्न न रहे होते। मुझे विश्वसनीय सूत्रो से यह भी पता चला कि शाम 4 30 बजे क्लब जाने से पहले एस० डी० ओ० अपने बगले पर ही था और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हू वह शाम 6 30 या 7 बजे तक नवापाडा थाना नहीं पहुच सका। एस० डी० ओ० ने मुझे यह भी बताया कि उसे शनिवार को आयोजित जूट मजदूर सम्मेलन के बारे मे रविवार सुबह 10 बजे तक कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि यदि जूट मजदूर सम्मेलन मे शनिवार शाम को हगामा हुआ होता तो इसकी सूचना उसे जरूर मिलती।

मभवतया नवापाडा के इस्पेक्टर को मेरी चेतावनी का अनुकूल प्रभाव पडा और शनिवार की शाम एस० डी० ओ० ने धाने मे मुझसे कहा कि यदि मैं कलकत्ता वापस जाने और फिर जगतदल न आने का वचन दे दू तो मुझे छोड दिया जायेगा। मैंने जवाब दिया कि शायद जो भी परिणाम निकले लेकिन मैं उन्हे या किसी भी सरकारी अधिकारी को अपनी गतिविधियां को लेकर आशवासन नहीं दे सकता और यह कि मैं धाने से छूटते ही सीधा जगतदल जाऊंगा। उसने बताया कि इस स्थिति मे वह मुझे छोड नहीं सकेगा और मुझे धाने मे हिरासत मे रहना पडेगा।

रविवार की रात निर्देश प्राप्त हुए कि यदि मैं कलकत्ता वापस नहीं गया तो बिम्तर और खाना नहीं दिया जायेगा। लेकिन इस समय तक ये चीजे मुझे दी जा चुकी थीं। सोमवार की सुबह ये निर्देश फिर दोहराये गये। इस्पेक्टर ने मुझे बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी है और न ही कुछ खाना-पीना है। मैंने जवाब दिया कि भोजन और पेय की आपूर्ति रोक देने से मुझ पर कोई असर नहीं पडेगा। सोमवार के पूरे दिन और आधी रात तक मेरे भाई के अलावा न तो मुझे किसी से मिलने दिया गया और न कुछ भोजन-पानी ग्रहण करने दिया गया, सिवाय एक चाय के जो कि धाने मे भोजन-पानी बंद करने के निर्देश प्राप्त होने से पहले मुझे दे दी गयी थी।

सोमवार को दिन भर मे कोई विशेष घटना नहीं घटी, सिवाय इसके कि देर रात तक एक के बाद एक समूहो मे मिलने वाले थाने मे आते रहे। करीब रात 11 बजे मुझे 'धाना प्रभारी ने जगामा और कहा कि वह आदेश के तहत मेरे लिए टैक्सी ले आया है और मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा। मैंने उसे बताया कि मैंने पहले ही रविवार रात और सोमवार को अधिकारियो को सूचित कर दिया है कि मैं अपनी भविष्य की गतिविधियो के बारे मे किसी को कोई आश्वासन नहीं दे सकता। मैंने थाने से छूट जाने के बाद जहा चाहूंगा, वहा जाऊंगा और यदि मुझे बाध्य किया तो मैं कलकत्ता जाने से इन्कार कर दूंगा। आगे मैंने उसे बताया कि मेरे छूटने के बाद वह मुझे स्थान विशेष पर जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रभारी अधिकारी ने अपने दरिष्ठ अधिकारी से बड़ी देर तक फोन पर बातचीत की और आखिरकार मुझसे कहा कि मुक्त होने के बाद मैं जहा मर्जी चाहे वहा जा सकता हू और मुझे टैक्सी इसीलिए दी गयी है। मैंने जवाब मे कहा कि मैं उनके द्वारा मुहैया कराई गयी टैक्सी मे नहीं बैठ सकता क्योंकि इस टैक्सी का ड्राइवर मेरे मार्ग निर्देशो को नहीं समझ सकता। इसलिए मेरे धाना छोडने से पहले मेरी निजी कार मगा दी जाये। धाना प्रभारी ने ए० एस० आर० की अनुमति ले ली और कार भेजने के लिए मेरे घर फोन किया। आधी रात के बाद कार आयी और नवापाडा थाने मे 31 घंटे गैर कानूनी हिरासत मे रहने के बाद मैं मुक्त हुआ।

सम्मेलन की दूसरी बैठक पर पाबदी और मुझे दिया गया आदेश दोनो एकदम अनुचित और गैर कानूनी थे। मैं जानता हू कि स्वार्थी दलालो ने हमारा सम्मेलन बिगाडने की कोशिश की थी किन्तु उन्हे सफलता नहीं मिल सकी। उन्होने रविवार की सुबह कुछ अखबारो (जैसे स्टेट्समेन और एडवास) मे सम्मेलन को लेकर गलत रिपोर्टे भी छपवाई। इन रिपोर्टो को पढने के बाद हमने आगे की शरारत का अदाजा लगा लिया। इन शरारतियो ने सभ्यताय मिल मालिको की मदद ली थी और उन्होने एक ऐसे अधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश प्राप्त करने मे सफलता हासिल कर ली थी जिसे अपने आगमन के बाद रविवार सुबह दस बजे तक जूट मजदूर सम्मेलन के बारे मे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने एस० डी० ओ० से कहा कि यदि वाकई उसे किसी गडबडी का अदेशा है तो उसे सम्मेलन को शांतिपूर्वक आयोजित करने वालो के बजाय शरारती तत्वो को रोकना चाहिए। मैंने उसे यह भी बताया कि कुछ शरारतियो की कोशिशो के बावजूद मुझे सम्मेलन मे गडबडी की आशका नजर नहीं आती। एस० डी० ओ० और पुलिस अफसर ने बड़ी लापरवाही के साथ साम्प्रदायिकता का हौवा खडा कर दिया। मैंने इसके जवाब मे कहा कि मजदूर सम्मेलन साम्प्रदायिकता के विरुद्ध सबसे बडा आश्वासन है क्योंकि यह एक ऐसा सम्मेलन है जो सभी सम्प्रदाय के लोगो को एक मंच प्रदान करता है। यदि धारा 144 के तहत आदेश लागू करने की सारी कहानी सुनाई जाये तो यह बडी रोचक साबित होगी लेकिन फिर कभी।

इन घटनाओ का बयान करने के पीछे मेरा उद्देश्य निजी असुविधाओ की ओर ध्यान आकर्षित करना नहीं है। मैं केवल इस बात को रेखांकित करना चाहता हू कि ऐसे आश्चर्यजनक रूप से समर्थन प्राप्त सम्मेलन को न केवल स्थानीय बदमाशो ने प्रतिबधित किया जिनका कोई वजूद नहीं था बल्कि निहित स्वार्थी लोगो की सेवा मे समर्पित स्थानीय अधिकारियो ने भी इसके मार्ग मे बाधाएं उत्पन्न की।

बंगाल को अपनी सुरक्षा पुनः करनी है

16 अक्टूबर, 1931 को एसोसिएटेड प्रेस को जारी वार्ता

मैं कांग्रेस कार्य समिति के रवैए के प्रति लगाव महसूस नहीं करता। पिछले कुछ वर्षों में मैं बंगाल के मामलों को लेकर कार्य समिति से कोई प्रत्याशना नहीं करता और मैं समझता हूँ इस प्रांत के लोगों में धीरे-धीरे यह भावना घर करती जा रही है। यह कल्पना परिवर्तित नहीं होगी कि बंगाल की जीवित समस्याओं के प्रति कार्य समिति की उदारमनता को लेकर बंगाल में कोई जगह सकारात्मक असंतोष दिखाई देता है। बंगाल के लिए उचित यह होगा कि वह कार्य समिति को भुलाकर अपने पैरों पर खड़ा हो तथा अपनी मुक्ति का मार्ग खोजे। बंगाल ने 1905 में अपने प्रगल्भ द्वारा अपने-आपको बचाया, फिर कोई कारण नहीं है कि 1931 के वर्ष में उसी प्रकार स्वयं को न बचा पाये। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बंगाल परचाम वर्षों पूड़ की भूति यदि संयुद्धा मकद के डेर में उठ खड़ा हो तो वह अपने कष्टों का निवारण करने में समर्थ हो लेंगे। भले ही उसे देश भारत की सहायता प्राप्त न हो। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बंगाल को तनम अपनी मत्तनेव भुलाकर एकता का प्रदर्शन करना होगा। मुझे आशा है कि बंगाल आज के दिन नि स्वयं देश-भक्ति में कोई कमी नहीं रखेगा। हम चाहते हैं कि हमारे बीच से अच्छे और भले लोग सानूतिक लि के कार्य में आगे बढ़ कर आये। कार्य समिति हमारे कष्टों को लेकर उदमन हो सकती है लेकिन मैं इन सच्चाई को जानता हूँ कि अन्य प्रांतों के लोग हमारे द्वारा बनाये जा रहे इतिहासिक सत्य में पूरे मन से हमारे साथ हैं।

समिति ने गवाहिया दर्ज करके जाच का एक चरण पूरा कर लिया है। कम उत दोनो सजे की दर्ताते चुनेगी। फिर हम उनकी रिपोर्ट की उत्तुकता के साथ प्रतीक्षा करेंगे। समिति के एक सरकारी होने के बावजूद मैं नहीं सोचता कि हम हिजली में किये गये उनके काम के बारे में कोई गिनायत कर पायेंगे। कम से कम यह मेरा निजी विचार है। लेकिन यह कहना बहुत लक्ष्यदर्शक होगा कि समिति की खोजे जनता कैसे सतुष्ट करेगी? समिति द्वारा दर्ज की गई गवाहिया किन्हीं स्थिति में जनता के सामने अवश्य पहुंचेगी। तब उनके आधार पर जनता अपने निष्पक्ष निकालेगी। इन सिलसिले में मैं यह बात साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि जनता समिति ने केवल एक स्वच्छ और निष्पक्ष रिपोर्ट ही नहीं चाहती बल्कि एक दु खद भून का समुचित सुधार भी चाहती है।

वित्तगोम की घटनाओं को लेकर भी जनता की मांग यही है। वित्तगोम के असहाय और निहच्ये लोगों का जो नुकसान हुआ है हम उसकी क्षतिपूर्ति चाहते हैं। मेरा निजी विचार यह है कि हिजली और वित्तगोम की घटनाओं के सबंध में हुई जाच के आधार पर जनता एक मान-सूची तैयार करे और इन मांगों को पूरा करने की दिशा में अभियान चलाया जाये।

बंगाल में नागरिकों के अधिकारों की इतनी सरलता से और लगातार कुचला जा रहा है। यह देखकर मुझे लगता है कि नागरिकों के अधिकारों के अतिक्रमण से सदाचित्त मुजदमों की तुरत सुनवाई के लिए एक स्थायी सत्या बनाने की जरूरत है जिनका नाम नागरिक अधिकार समिति हो। यदि एक ऐसी सक्रिय एवं पूर्णरूपेण प्रतिनिधि समिति बन जाये तो हम समिति जनमत की शक्ति द्वारा उस काले अध्याय का अंत कर देगे जिससे कि आज हम गुजर रहे हैं।

जमशेदपुर के मजदूरों की समस्याएं और मांगे

टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी के मजदूरों को संबोधन, 17 अक्टूबर, 1931

पिछले कई दिनों से हम प्रबन्ध के सामने जमशेदपुर के मजदूरों की विशिष्ट समस्याओं और मांगों को रखते रहे हैं। हमने शनिवार, 20 सितम्बर, 1931 को महाप्रबन्धक के साथ एक बैठक की थी जिसमें समस्याओं और मांगों पर विचार-विमर्श किया गया था। शुक्रवार 25 सितम्बर को महाप्रबन्धक के साथ मेरी दूसरी बैठक हुई जिसमें इन मांगों और समस्याओं पर पुनः चर्चा हुई और उन्हें एक लिखित मागपत्र सौंपा गया। मैं शनिवार 27 सितम्बर को निदेशक ए.आर. दलाल से मिला जो कि उसी सुबह बम्बई से आये थे। मैंने बातचीत के दौरान उनके सामने कुछ समस्याएं रखीं। दूसरे दिन फिर हम श्री दलाल से मिले। कामरेड नायडू, मोइत्रा और मोनी घोष भी बैठक में उपस्थित थे। हमने महाप्रबन्धक को सौंपी गई समस्याओं और मांगों की सूची पर सविस्तार चर्चा की। हमने 20 सितम्बर 1931 को भी टाउन मैदान की बैठक में हुई घटनाओं की जांच के सबन्ध में भी महाप्रबन्धक से विचार-विमर्श किया।

यह कहना जल्दबाजी होगी कि हमारे प्रयासों का क्या परिणाम निकलेगा? यह बहुत कुछ मजदूरों की शक्ति और एकता पर निर्भर करता है। आम दफ्तर का कार्य समय पहले ही सुबह 9-30 से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। बीच में आधा घंटे का अंतराल। वर्षों के विरोध और प्रयासों के बादु बहुअपेक्षित परिवर्तन कर दिया गया है।

मजदूरों की समस्याएं और मांगे

1. वेतन बिल से सदस्यता शुल्क की वसूली की बहाली।
2. अनिवार्य अवकाश पर भेजे गये बार मिल मजदूरों को तुरंत वापस बुलाया जाना चाहिए और उन्हें अपेक्षित दरों पर काम लगाया जाये जैसा कि सर पी गिनवाला और महाप्रबन्धक ने 31 मार्च और 7 अप्रैल 1931 को आश्वासन दिया था। मजदूरों से बेकारी के दिनों के मकान का किराया वसूल न किया जाये। उन्हें सितम्बर से ही मजदूरी दी जाये क्योंकि सितम्बर में उन्हें कारखाना चालू होने का आश्वासन दिया गया था।
3. न्यू रेल मिल, न्यू फिनिशिंग मिल, प्लेट मिल और शिपिंग विभाग के मजदूरों को उस अवधि का पूरा वेतन दिया जाये जिस दौरान उन्होंने काम बंद रखा।
4. बेबुनियादी बातों पर सताये गये और सेवा-मुक्त किये गये मजदूरों की बहाली की जानी चाहिए।
5. भविष्य में मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।
6. मिथ्या आधारों पर और उचित खोजबीन के बिना किये गये निलबन्ध और अन्य दंडों को समाप्त किया जाये और इस प्रकार के मुकदमों पर प्रबन्ध-तंत्र शीघ्रतिशीघ्र पुनर्विचार करे।
7. अनिवार्य अवकाश को लागू न किया जाये।

- 8 द्वार पर कर्मचारियों की गतिविधियों को लेकर लगायी गयी अनुचित पाबंदिया वापस ली जाये।
- 9 समय-समय पर अवकाश के दिनों का पूरा वेतन दिया जाये।
- 10 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों सहित सभी रोजाना और हफ्तेवार मजदूरों की दूरे मासिक भुगतान वाले कर्मचारियों के समतुल्य की जाये।
11. चिकित्सा के आधार पर आधे वेतन का अवकाश दिया जाना चाहिए।
12. वर्षों पहले ग्रेजुइटी और पेशान योजनाओं को लेकर किये गये वायदे को पूरा किया जाना चाहिए।
- 13 1928 के विवाद के समझौते के फलस्वरूप दिये गये कर्ज को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस कर्ज को कर्मचारियों से अब तक वसूल नहीं किया गया है और इसे सेवा मुक्ति के समय वसूल किया जाना है।
- 14 कर्मचारियों के बच्चों के लिए घटाई गयी स्कूल फीस बरकरार रहनी चाहिए।
- 15 जिन विभागों में अब तक विभागीय उत्पादन बोनस नहीं दिया जाता है उन्हें दिया जाना चाहिए।
- 16 भूमि और आवास के किराये में वृद्धि को वापस लिया जाये।
- 17 जो कर्मचारी अब तक अपने वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन नहीं पा रहे हैं उन्हें दिया जाना चाहिए और बिना किसी बाधा के उन्हें वेतनमान के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए।
- 18 गोल खोली आर एन टाइप राम दास भट्ट और सी टाउन आदि के कमरे के क्वार्टरों में सुरत सुधार किये जाने चाहिए।
19. मजदूरों द्वारा घेरी गयी सड़की और बस्तियों में प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाये।
- 20 जहाँ पानी की आपूर्ति के उचित प्रबंध नहीं हैं वहाँ किये जाये।
- 21 एक महिला कर्मचारी के लिए प्रसूति लाभ की सेवा अवधि एक वर्ष से घटाकर छ महीने कर दी जाये।
- 22 कार्यालय कर्मचारियों और टाइमकीपरो द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर 22-7-30 को सोंपे गये ज्ञापन-पत्र पर उचित ध्यान दिया जाये। विशेष रूप से आम पाली को जारी रखने के प्रश्न पर विचार किया जाये।
- 23 टाइम कीपिंग विभाग में आराम देने वाली टोली को खत्म किया जाये। इसके कारण बड़ी दिक्कत होती है।
- 24 स्कूल समिति, कल्याण समिति और ऐसी ही लोक कल्याण समितियों में मजदूर संगठन का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

चित्तगोंग और हिजली की जांचों के आधार पर मांगें

प्रेस के लिए जारी बयान, 23 अक्टूबर, 1931

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बंगाल की वर्तमान समस्याओं को लेकर पहल की है। मेरी केवल यह इच्छा है कि कार्य समिति के लिए यह सभव होगा कि बैठक कलकत्ता में रखी जाये, लेकिन मुझे खेद है कि कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के बावजूद कुछ सदस्यों की अनुविधा मार्ग में बाधा बन रही है।

मुझे अखबारों से ज्ञात हुआ कि सरदार पटेल का कहना है कि उन्हें न तो बंगाल प्रात कांग्रेस कमेटी और न मैंने हिजली की घटनाओं से अवगत कराया है। हम सब यह समझते हैं कि कार्यसमिति में बंगाल के सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष से निकट का सवाद बनाए हुए हैं फिर भी बंगाल प्रात कांग्रेस कमेटी उस समय अध्यक्ष विहीन थी क्योंकि हिजली त्रासदी का समाचार पाकर मैंने उसी दिन त्यागपत्र दे दिया था। हिजली की घटनाओं की खबरे अखबारों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पहुंच चुकी हैं।

जैसा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष को पहले ही सूचित कर चुका हू कि मैं पूर्व निश्चित कार्यक्रमों के कारण इस माह की 27 तारीख को दिल्ली में आयोजित कार्य समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। मुझे गोइला (बारीलाल) में शहीद तारकेश्वर सेन के पवित्र अस्थियों के विसर्जन समारोह में उपस्थित होना है और ऐसी पवित्र प्रकृति के सार्वजनिक कार्यक्रम को टालना सभव न होगा। फिर भी मुझे आशा है कि बंगाल प्रात कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक में अत्रत्य उपस्थित होंगे और बंगाल के चारे में संपूर्ण तथ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

मैं पहले ही सार्वजनिक रूप से अपने विचार बता चुका हू। हमें चिन्तगोंग और हिजली की जांचों के आधार पर अपनी मांगें तैयार करनी होंगी। इन मांगों में यह बात शामिल होनी चाहिए कि सभी श्रद्धियों को तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाये और भविष्य में कभी इस प्रकार त्रासद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही हमारे देशवासियों के साथ की गयी दुखद भूलों का उचित रूप से प्रामादित किया जाये। एक बार ये मांगें तैयार हो जाये फिर मैं प्रस्ताव करता हू कि इन मांगों को पूरा करने की दिशा में देशव्यापी अभियान चलाया जाये। हमें उन पवित्र ज्वालाओं को अक्षय बनाये रखना है जिन्होंने शहीद सतोप मित्र और तारकेश्वर सेन के पार्श्व शरीर को भस्म में बदल दिया है। चित्तगोंग और हिजली की घटनाओं ने देशभर में शोक का वातावरण बना दिया है। दामता और अजमानना की परिस्थितियों ने हमारी आत्मा में अग्नि प्रज्वलित कर दी है। इंग्लैंड और भारत के बीच में सतोप मित्र और तारकेश्वर सेन के शव लेटे हुए हैं। ऐसा न हो कि हम भूल जाये, ऐसा न हो कि हम भूल जाये।

निजी स्वतंत्रता से वंचित और परेशान हाल

चाटपुर से बयान, 10 नवम्बर 1931

मैं 7 नवम्बर 1931 को टाका की स्थिति का जायजा लेने के लिए मय थी। त. मो. गान्धे नरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हेमेटनाथ दासगुप्ता और श्रीमन्नाज भट्टाचार्य के साथ मिलकर त. म. नारायण गज पहुंचा। यह बाद होगा कि 5 नवम्बर 1931 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आयोजित आम सभ में हम तीनों को टाका जाच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था।

जैसे ही स्टीमर दरवाण गज घाट पहुंचा नारायण गज के उप सभाध्य अधिकारियों सहित अनेक पुलिस अधिकारी और सिपाही स्टीमर में सवार हो गये। स्टीमर के अन्दर में एक नार था तथा दो गणी लिये हमने यात्रा की। तुरत बाद एक यूरोपीय पुलिस अधिकारी बाद में मान्य हुआ कि वह कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक एलीसन है। मेरी तरफ मुखस्थि हुआ और मी० आर पी० मी० की धारा 144 के तहत मुझे दो माह तक टाका जिले में प्रवेश न करने का आदेश दिया। इस आदेश पर टाका के विला मजिस्ट्रेट मि० गौडिग के हस्ताक्षर थे। फिर एलीसन ने मुझे नाव में आने के लिए कहा जो मुझे नारायण-गज से भीधे गांतदो जान गये स्टीमर तक पहुंचा देगी। उसने मुझसे जल्दी करने को भी कहा क्योंकि मेरे कारण ही डाउन भल रक्ता हुआ था। मैं बोला कि मेरा गलत्य टाका था और एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह टाका की आर ही यात्रा करना। मैंने यह भी बताया कि यह आदेश निरर्थक और अवांछित है और मैं इसका पालन का इरादा नहीं रखता। एलीसन ने नारायण गज के एम० डी० ओ० और अन्य अधिकारियों से कुछ बातचीत की और मेरी तरफ बढ़ते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला "मे तुम्हें गिरफ्तार करता हू।" फिर उसने कहा कि मुझे नाव में बैठना ही पड़ेगा और नारायण गज से जाने बाल स्टीमर तक पहुंचना होगा। मैंने यह कहते हुए प्रतिरोध जताया कि मैं यदि धारा 144 के तहत आदेश की अवज्ञा करता हू तो मुझे धारा 188 के तहत तिरास्त में लिया जा सकता है। लेकिन मुझे इस दर्ज पर जबर्दस्ती टाका जिले में बाहर नहीं रादेडा जा सकता। कार्यवाहक अधीक्षक ने मेरी एक न सुनी। वह अपना निर्देश दे चुका था और मेरे सामान को नाव पर लाद दिया गया। फिर भी सरकार और पुलिस के पक्ष पर साफ तौर से यह कानूनी तमने वाले काम का मेने पुन विरोध किया। इससे एलीसन थोड़ा रक्ता और एम० डी० ओ० नारायण गज और अन्य अधिकारियों से पुन परामर्श करने लगा। अंत में यह मेरे पास आया और बोला कि मुझे नीधे उतरना होगा और उसे उसके साथ घाने जाना होगा। मैं विरफ्तारी में था इसलिए उसका पालन करना पडा। उसने मुझे एक कार में बैठाया और घाने ले गया पहले उसने बताया कि मुझे एक मिनट के लिए घाने में छूटना है। लेकिन बाद में मैंने पाया कि मुझे दो घंटे से अधिक भाने में रहना पडा। घाने में अधिकारियों के बीच लकी बातचीत हुई। कुछ समय बाद एलीसन पहुंचा और बोला कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि मुझे पुलिस को मरवाण में रता गया है। उसने मुझसे कलकत्ता वापस जाने और आदेश का पालन करने को कहा लेकिन उसी समय यह टिप्पणी भी कर दी कि वह पहले से जानता था कि मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा। उसने मुझसे यह भी पूछा कि

जब जगतदल मे धारा 144 के तहत मुझे तहत मुझे आदेश दिया गया था, तब क्या हुआ था? मैंने जवाब मे कहा कि यदि मैं गिरफ्तार नहीं हू तो मैं जाना चाहता हू। मेरा गतव्य ढाका था और मैं वहा पहुंचना चाहता था। जगतदल के बारे मे मैंने बताया कि मेरी गिरफ्तारी के बाद अधिकारियो ने तुरत अपनी गलती महसूस की और मुझे केवल मुक्त ही नहीं किया बल्कि उस क्षेत्र मे मेरी सभ का निषेध करने वाले आदेश को भी वापस ले लिया। फिर मैंने एलीसन से पूछा कि मेरे अपराध के असंजये होने की स्थिति मे वह क्या करेगा मैं जमानत पर छूटने की माग करूंगा। इस स्थिति मे वे मुझे ढाका मे रहने से रोक नहीं सकते। इस बिन्दु पर एलीसन और एस० डी० ओ० बाहर चले गये और अन्यत्र देर तक बतियाते रहे और शायद जिला मजिस्ट्रेट से फोन पर बात करते रहे है जो कि उस नारामण गज मे दस मील दूर ढाका मे था। इस बीच मे मैं अर्धर हो उठा। मैंने थाना प्रभारी पूछा कि एलीसन ने जाने से पूर्व जो टिप्पणी की है उसको देरते हुए मैं स्वय को गिरफ्तार समझू या नहीं थाना अफसर मुझे जवाब न दे सका। उसने कार्यवाहक एस० पी० को फोन किया। एस० पी० ने जवाब दिया कि वह हाल ही मे आ रहा है। कुछ देर बाद वह आया और बोला कि मैं गिरफ्तार नहीं बल्कि वास्तविक रूप से नियंत्रण" मे हू। मैंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हू कि मैं कानूनन गिरफ्तार हू या नहीं? मुझे एक नाव पर गिरफ्तार किया गया। मैंने कार्यवाहक अधीक्षक के आदेश का पालन इसलिए किया कि मैं तब गिरफ्तार था। यदि उस समय मैं स्वतंत्र होता तो थाने नहीं आया होता। एलीसन ने समझा को उलझाने का प्रयास किया। वह स्पष्ट उत्तर देने के बजाय यही दोहराता रहा कि मैं "वास्तविक रूप मे नियंत्रण" मे हू। जब मैंने नाव पर गिरफ्तारी का हवाला दिया तो वह बोला कि वह गलतफहमी थी। मैंने जवाब मे कहा कि उस गिरफ्तारी को लेकर कोई गलतफहमी नहीं थी यद्यपि मेरी गिरफ्तारी को एक भूल कहा जा सकता है। फिर मैंने कहा कि जब मैं कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं हू तो मैं चलूंगा। मैं वाम्ताव मे उठ गया और जाने लगा। तब एलीसन ने मेरा हाथ पकडा और जाने से रोका। ऐसा दो बार हुआ। पुलिस अधिकारी के पक्ष पर इस गैर कानूनी काम का मैंने तीव्र प्रतिरोध किया और कहा कि या तो मुझे कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाये या आजाद। मुझे केवल शारीरिक बल से अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता। मैंने उसे यह चेतावनी भी दी कि वह ऐसा आचरण करके स्वय को कानून की नजर मे दोषी बना रहा है। उसने कहा कि उसे बचा लिया जायेगा कि क्योंकि वह आदेश के तहत ऐसा कर रहा है। मैंने कहा कि यह सच्चाई उसे कानून की नजर मे निर्दोष साबित नहीं कर सकती। लेकिन मेरे शब्दो का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। शाम चार बजे के आसपास वह उठा और बोला कि मुझे उसके साथ चादपुर स्टीमर मेल तक जाना होगा और वहा से बैठकर मुझे ढाका जिले से बाहर भेज दिया जायेगा। तब उसने मुझसे हाथ से पकडा और कुछ दूरी तक धकाता हुआ ले गया। मैंने यह पाया कि वह शारीरिक बल का प्रयोग करने पर आमादा है, मैंने समर्पण कर दिया और अनेक लोगो की उपस्थिति मे कहा कि मैं कानूनी आदेश के आगे नहीं बल्कि मात्र शारीरिक बल के आगे झुक रहा हू।

याने से स्टीमर घाट के लिए प्रस्थान करने से ठीक पहले मैंने एलीसन से कहा कि जब वह मुझे शारीरिक बल प्रयोग द्वारा ढाका जिले से बाहर निकाल रहा है ऐसे मे मैं अपने वकीलो

के लिए निर्देश छोड़ देना चाहता हूँ ताकि वे जिम्मेदार सरकारी अफसरों द्वारा किये गये गैर कानूनी काम के विरुद्ध ज़रूरी कानूनी कार्यवाही कर सकें। जब मैंने उससे वकीलों को बुलाने के लिए कहा उस समय नरेंद्र नारायण चक्रवर्ती मेरे साथ थे। लेकिन एलीसन ने कहा कि मुझे किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं दी जायेगी और उस समय नरेंद्र नारायण चक्रवर्ती मेरे साथ थे। लेकिन एलीसन ने कहा कि मुझे किसी वकील से मिलने की इजाजत नहीं दी जायेगी और उस समय नरेंद्र बाबू से लौटने को कहा। बाद में एलीसन ने कहा कि वह केवल जे० सी० गुप्ता को मुझसे मिलने की इजाजत देगा। लेकिन उसने मेरे थाना छोड़ने तक जे० सी० गुप्ता की प्रतीक्षा नहीं की। फिर भी जे० सी० गुप्ता मुझसे स्टीमर पर आकर मिले। मैंने वे मेरे हालात बयान किये लिनके तहत मुझे बल प्रयोग द्वारा स्टीमर तक लाया गया था और ढाका जिले से बाहर भेजा जा रहा था।

सर्वश्री जे० सी० गुप्ता हेमेट्रनाथ दास गुप्ता और नरेंद्र नारायण चक्रवर्ती अधिकांश समय मेरे साथ रहे। मैंने ऊपर जो कुछ कहा है वे इसके व्यक्तिगत रूप में साक्षी हैं।

जब स्टीमर नारायण गज को छूटने वाला ही था घाट पर लोगों की भीड़ जमा हो गयी और वे मुझे साधुवाद देने लगे। बडाबिल्ला के बदनाम एलीसन के लिए इतना काफी था वह स्टीमर से उतरा और सिपाहियों को साथ लेकर भीड़ को लाठियों से रोकने लगा।

मि० एलीसन और पुलिसकर्मी मुशीगज पहुंचने तक स्टीमर की मार्ग रक्षा करते रहे। मुशीगज घाट पर पुलिस के लोग नीचे उतरने लगे। तब मैंने एलीसन से कहा कि मैं शुरू से उसका अनुसरण कर रहा हूँ, इसीलिए अब मैं भी नीचे उतरूंगा। मेरी इस बात ने कार्यवाहक ए० पी० को मर्तक कर दिया। उसने आदेश दिया कि घाट पर पुल बनाने वाले सभी तख्तों को हटा दिया जाये केवल एक तख्ता छोड़ दिया जाये। जब पुलिस दल उस पार उतर गया वह भी जल्दी में पार कर गया और तुरंत तख्ते हटा लिये गये ताकि मैं वे उसके पीछे पार न उतर सकूँ। स्टीमर तुरंत चल पड़ा।

इन परिस्थितियों में चादपुर आने के लिए बाध किया गया। ए० पी० निर्देशानुसार मेरा सामान ढाका भेज दिया गया था। जब मुझे मालूम हुआ कि वे मुझे ढाका से बाहर भेजने पर तुले हुए हैं तब मैंने उस सामान को वापस मगाना चाहा। लेकिन सामान नहीं आया। ए० पी० ने मुझसे कहा कि यदि मेरा सामान समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे लिए कुछ बिस्तर का प्रबंध कर दिया जायेगा। लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया गया। टिकट के रूप में मुझे मुशीगज के बाद दूसरे स्टेशन गजारिया तक का पास दिया गया। जब ए० पी० ने मुझे पास दिया तो मैंने उससे कहा कि वह मुझे गजारिया से चादपुर तक बिना यात्रा टिकट यात्रा का गैर कानूनी काम करने के लिए बाध कर रहा है। लेकिन इस बात का उस पर कुछ अमर नहीं हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों की रोशनी में मेरा इस बात को दोहराना उचित है जिसे मैं अकमर कहता रहा हूँ कि इस दुर्भाग्यशाली देश में अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम पूरी तरह स्थानीय अफसरों की दया पर रहते हैं। मुझे वह भी लगता है कि ढाका में ऐसी बहुत सी अधेरिया हैं जिन्हें स्थानीय अफसर रोशनी में नहीं आने देते। उन्हें

बेनकाब होने का डर बना रहता है। इतका कारण निर्फ यह है कि उन्होंने मेरे खिलाफ धारा 144 के तहत गैर कानूनी कार्यवाही क्यों की है? फिर भी मुझे आशा है कि जाभ समिति निर्भीक होकर जाच शुरू करेगी। जहा तक मेरी बात है यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं ढाका जाने का पयास फिर से करूंगा लेकिन इस का परिणाम क्या होगा? यह बता पाना एक जल्दबाजी होगी।

लोग ढाका की भयप्रद घटनाओं के बारे मे काफी कुछ सुन चुके है। मैं उन्हें यह अहसास कराना चाहता हू कि भविष्य मे दमन को रोकने का तरीका यह है कि स्थानीय अपराधो को बेनकाब किया जाये। यदि मुझे अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया गया जैसा कि लगभग सुनिश्चित लगता है मुझे आशा है कि मेरे साथी निर्भीक रूप से इस काम को आगे बढ़ायेगे।

आत्म सम्मान, मनुष्यता और जनता के अधिकार कुचल दिये गये

गिरफ्तारी के समय संदेश, 12 नवम्बर, 1931

चित्तगोग और हिजली को याद रखे। ये स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय भूले है। इन भूलो का किसी भी प्रकार का अल्प सुधार हमे सतुष्ट नहीं कर सकता। मैं देशवासियो से अपील करता हू कि वे चित्तगोग और हिजली की भूलो के सुधार को लेकर हमारे द्वारा पेश की गयी मागो का समर्थन करे और एक देशव्यापी आंदोलन चलाये।

बगाल प्रांतीय सम्मेलन जल्द ही होगा और कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की जायेगी। मेरा परामर्श है कि यदि इस बीच सरकार हमारी मागे पूरी नहीं करती है तो हम पिकेटिंग के साथ-साथ वित्तायती माल के वडिष्कार का अभियान छेड देगे। मुझे आशा है बगाल प्रांतीय सम्मेलन इस मागले मे बगाल का निश्चित नेतृत्व करेगा।

चित्तगोग और हिजली की नृशसताओ से केवल बगाल के कायेसजनों के ही नहीं बल्कि समूचे बगाल वासियो के समक्ष एक समस्या खड़ी कर दी है। यदि कांग्रेस अपने कर्तव्य मे असफल होती है

और मैं आश्वस्त हू कि नहीं होगी . सब कोई कारण नहीं है कि

जनता इस मामले को अपने हाथ मे न ले। आत्म सम्मान, मनुष्यता और जनता के अधिकार पैरो के नीचे कुचल दिये गये और यह जनता का कर्तव्य है कि इनका प्रतिशोध ले। मुझे आशा है कि यदि जरूरत पडी तो लोग चित्तगोग और हिजली की भूलो के सुधार हेतु एक सगहन बनायेगे और सफलता प्राप्त होने तक अभियान जारी रहेगे। कहीं भूल न हो जाये मैं अपने देशवासियो से अपील करता हू कि हर माह की 16 तारीख को चित्तगोग और हिजली दिवस के रूप मे मनाये।

हिजली और चित्तगोग के अत्याचारो का प्रतिकार किया जाये

हरीश पार्क मे भाषण, 26 नवम्बर, 1931

यद्यपि इस परिस्थिति मे हमारे कर्तव्य को मैं अनगिनत बार दोहरा चुका हू। मुझे यह ज़रूरी लगता है कि क्योकि यह हमारे राष्ट्रीय आत्ममन्मान को प्रभावित करने वाला मामला है। हमारा कर्तव्य यह है कि हमे अपने देशवासियो को इस परिस्थिति से अवगत कराने के लिए एक तृफानी अभियान छेडना चाहिए।

दमन के अभ्यस्त होने के कारण हम परिस्थितियो की गभीरता का अनुमान करने मे समर्थ नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम इस मामले को गहराई से देखे तो महसूस करेगे कि यह हमारे लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। चित्तगोग जैसे अत्याचार हमारे लिए नये नहीं है लेकिन इस घटना मे एक नयी बात यह है कि एक गैर सरकारी जाच समिति ने आरोप लगाये है कि स्थानीय अधिकारी किसी आधार पर इस मामले मे निर्दोष नहीं ठहराये जा सकते। अब तक इस गभीर आरोप का उत्तर नहीं मिला है। जब तक हमे उत्तर नहीं मिलता है हमारा इस निष्कर्ष पर पहुंचना अतार्किक नहीं है कि इस आरोप मे सच्चाई निहित है। यदि सरकार कोई उत्तर नहीं देती है, देश इस आरोप को सच समझेगा लेकिन यदि सरकार कुछ करना चाहती है तो अविलच करे। चित्तगोग का मामला एक स्थानीय समस्या नहीं है क्योकि ऐसी घटनाए देश के किमी भी भाग में किसी भी समय घटित हो सकती है। अतएव यदि हम इन अत्याचारो के प्रति उदासीन बने रहे, सरकार यह समझेगी कि हम इनका प्रतिकार करने मे अशक्त है फिर इससे भी अधिक गभीर रूप मे अत्याचार जारी रहेगे।

कुछ घटो की सूचना पर लाखो लोग शहीद सतोष और तारकेश्वर के शवो को लेने के लिए इकट्ठे हो गये और कलकत्ते की सडको के बीच से इनकी यात्रा निकाली। उन्हे ऐसा करने के लिए किसने उकसाया? क्योकि उन्होने महसूस किया कि हिजली की घटनाए कही भी दोहराई जा सकती है और यह कि उनके पास अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है। हिजली के अत्याचार जलियावाला बाग से भी कहीं अधिक बडे है क्योकि यहा बिन्दा किसी मुकद्मे के निर्दोष लोग सरकारी हिरासत मे रहे। हम ऐसा मानते कि इन लोगो की सुरक्षा के लिए सिपाही से लेकर हर अधिकारी जवाबदेह है। इस घटना से हमारी लाचारी का पता चलता था।

यदि हम दावा करते है और वास्तव मे हमारी यह अस्था है कि हम मनुष्य है तब हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम यह बताये कि हम मनुष्य है भेडे नहीं। जो स्वय का कानून और व्यवस्था का रखवाला बताते हैं, वे हमारे जीवन और सम्पत्ति की रत्ती भर चिन्ता नहीं करते।

हम चीजो की इस हालत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वय जिम्मेदार है। 1920 मे कलकत्ता तथा 1921 मे नागपुर के कांग्रेस सत्रो मे पजाब और खिलाफत समस्याओ के समाधान की मागो को स्वराज की भाग के ऊपर बरीयता दी गयी थी। मैं नहीं समझ पाया था कि ऐसा क्यो हुआ? लेकिन इसका कारण आज समझ मे आया। हमारी जान-माल प्राथमिक चिन्ता का विषय है और स्वराज गौण। यदि बंगाल विभाजन की नीति से सहमत होता, तो वह स्वराज

के सघर्ष में इतना गौरवशाली पराक्रम न दिखा पाता। आज भी वही समस्या वही खतरा हमारे सामने मौजूद है।

दुर्बल बगाल बंगालियों ने अपनी बहादुरी से दरिद्रता को पराजित कर दिया था। उन्होंने विजय का स्वाद चख लिया है। अब यह उनके शक्ति प्रदर्शन का समय है। उन्हें आप को सगठित करना चाहिए और एक तगड़ी भिड़त देनी चाहिए। यदि हम आज इन चीजों को सहन कर लेते हैं तो सत्ता यह समझेगी कि हम कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। अपनी कार्यवाही से यह दर्शाए कि आप किसी भी कीमत पर इन चीजों को सहन नहीं करने जा रहे हैं।

दमन करने वाले से दमन सहने वाला कहीं बड़ा अपराधी है। पाच करोड़ बंगाली एक स्वर में कहे कि वे प्रतिकार चाहते हैं। इन मुद्दों की खातिर अन्य समस्याओं की कुर्बानी कर देनी चाहिए। दमन की छोटी-छोटी खुराकें अध्यादेश और विशेष अदालतों के साथ शुरू हुईं। इसके परिणामस्वरूप चित्तगोग और हिजली की वारदातें हुईं और यदि हमने इन्हें सहन कर लिया तो हमें कलकत्ता में इसमें भारी और कठोर दमन के लिए तैयार रहना चाहिए।

हिजली और चित्तगोग को लेकर जनता की मांगें पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी हैं और हमारे अभियान का आधार यही मांगें होनी चाहिए। यदि हम चुप रहते हैं तो हम समूचे सभ्य ससार के सामने हसी का पात्र बनेंगे। यह विश्राम का समय नहीं है। हिजली और चित्तगोग का प्रतिकार किया जाना चाहिए।

बहिष्कार कार्यक्रम

खुलना जाने से पहले दिया गया बयान, 17 दिसंबर, 1931

बहरामपुर में बहिष्कार प्रस्ताव को पारित हुए ग्यारह दिन बीत गये लेकिन यह खेद की बात है कि बंगाल प्रांत कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव की पुष्टि अब तक नहीं की है और यह प्रस्ताव औपचारिक अनुमोदन के लिए कार्यसमिति के पास नहीं भेजा गया है। बहरामपुर में हमें सर्वथी राजेन्द्र प्रसाद नरीमन और अनय द्वारा स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया गया था कि बंगाल से जो भी कार्यक्रम भेजा जायेगा कार्यसमिति उसे मजूरी दे देगी। अतएव अकारण ही बहुत समय नष्ट हो चुका है। फिर भी जब आगामी 29 दिसम्बर को कार्यसमिति की बैठक हो रही है मुझे आशा है इस बीच बंगाल प्रांत कांग्रेस समिति की संयुक्त समिति बहिष्कार प्रस्ताव की पुष्टि कर देगी और इसे औपचारिक अनुमोदन हेतु कार्यसमिति को भेज देगी।

इस बीच प्रांत भर के कांग्रेस सगठनों और अन्य संस्थाओं को बहिष्कार प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेना चाहिए। आवश्यक धन जुटाने स्वयं सेवकों की मूर्छी बनाने और आवश्यक साहित्य के प्रकाशन में स्वाभाविक रूप से अधिक समय लग जायेगा। ये प्रारंभिक तैयारियाँ तुरंत की जानी चाहिए। खुलना से लौटने के बाद में धम्बई और पूना जाऊंगा। आशा

है कि महात्मा गांधी के इलैड से लौटने पर मैं बम्बई में उनसे भेट करूंगा। जैसे ही बहिष्कार कार्यक्रम कार्यसमिति द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत कर लिया जाता है हम लोग अविलंब छोड़ देंगे।

ईश्वर ने चाहा तो मुझे आशा है कि मैं बहिष्कार कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श हेतु समूचे प्रांत के जिलों के प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के एक सभा का आयोजन जनवरी के आरंभ में करूंगा।

समझौते के बावजूद दमन जारी है

महाराष्ट्र युवा सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण का मूल पाठ, 22 दिसम्बर, 1931

सारे ससार के युवा वर्तमान व्यवस्था को लेकर बेचैन हैं। उनके पास अपना एक स्वप्न है, एक दृष्टि है— चीजों को बेहतर रूप में देखने की दृष्टि और अब ये युवा अपने स्वप्न को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए शक्ति बटोर रहे हैं। हम स्वप्नदृष्टा हो सकते हैं लेकिन हमें यह विश्वास है कि आज का स्वप्न कल के यथार्थ में बदल सकता है। इस आस्था से प्रेरित होकर हम हमारे देशवासियों के लिए एक नयी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था निर्माण करने हेतु कठोर वास्तविकताओं और बाधाओं का मुकाबला करने के लिए युद्धरत हैं।

मैं जानता हूँ कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि स्वतंत्रता की पूरी खुराक हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसे यह स्वेच्छा को प्रेरित कर सकती है। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है बल्कि हम उनसे तर्क करने में अपने समय और ऊर्जा को नष्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ यह कहेंगे कि हमारे और उनके बीच कुछ मूलभूत अंतर है। हमारा विश्वास है कि स्वतंत्रता सबके लिए है और यह जितनी अधिक हमें प्राप्त होगी, इससे हमारा और मानवता का उतना ही हित है। लेकिन मित्रों युवाओं की आवाज आसानी से नहीं सुनी जाती। अक्सर इस आवाज पर मुहर लगाने के प्रयास किये जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि मुहरबंद आवाज उन लोगों द्वारा सुनी जा सकती है जो अपने कानों पर जोर डालने की तकलीफ उठाते हैं। जहाँ तक हमारे देश की बात है मैं आग्रह के साथ कहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परिधि में भी युवाओं की आवाज को हमेशा नहीं सुना गया। इसके परिणामस्वरूप आप देश के कई भागों में कांग्रेस सगठन और युवा आंदोलन के बीच द्वंद्व की स्थिति देख सकते हैं। मैं कांग्रेस सगठन के प्रभारी व्यक्तियों से जोरदार अपील करूँगा कि वे हमारे समाज के क्रान्तिकारी तत्वों को कांग्रेस सगठन में प्रवेश दें। यही क्रान्तिकारी तत्व किसी दल या सगठन की शक्ति का निर्माण करते हैं और मेरे मतानुसार हमें ऐसे व्यक्तियों को सगठन से बाहर नहीं रखना चाहिए जो अपने दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी हैं।

मेरे विनम्र मत में गोलमेज सम्मेलन की पराजय का एक बड़ा कारण यह है कि जब यह अभागा समझौता हुआ। उस समय युवाओं की आवाज की कम्बोवेश उपेक्षा की गयी। वास्तव में

गोलमेज सम्मेलन को "युद्धरत" दलो तक परिमिति रहना चाहिए था। दुर्भाग्य से गोलमेज सम्मेलन के वफादारों साम्प्रदायिक और अज्ञात कुलशील लोगों को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि सही राष्ट्रवादियों के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करना था। इन परिस्थितियों में कोई आश्चर्य नहीं कि सम्मेलन धुएँ में उड़कर रह गया। आज के गोलमेज सम्मेलन को देखकर आयरलैंड के समझौते की याद आती है जो सीन फीनर्स के लिए एक गदा साबित हुआ था। लेकिन सीन फीनर्स इस गड्ढे से बच निकले और हम इसमें गिरने वाले हैं। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न होती यदि हम समझौते के समय यह आग्रह करते कि केवल युद्धरत दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और यदि हम अंग्रेजी हुकूमत से यह वचन ले लेते कि सम्मेलन में केवल कराची प्रस्ताव के अनुसार भारतीय जनता की मूलभूत मांगों पर विचार-विमर्श किया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप सम्मेलन में स्वराज के उस वास्तविक रूप पर विचार-विमर्श नहीं हुआ जिसे भारत प्राप्त करना चाहता था लेकिन क्या भारत पूर्ण स्वराज चाहता था या स्वराज की टुकड़ों-टुकड़ों में खुराकें चाहता था और सभी लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत स्वराज की मांग का विरोध किया।

समझौते के समय हुई गलती को केवल कांग्रेस के सर्वोच्च कार्यकर्ताओं के मत्पे नहीं मढ़ना चाहिए बल्कि यह भारत सरकार की गलती भी है। मुझे कहना चाहिए इसमें भारत सरकार की गलती ज्यादा है। समझौते की शर्तों पर विचार-विमर्श के दौरान क्रान्तिकारी बंदियों और मेरठ पड़यत्र मुकदमे के बंदियों द्वारा प्रतिनिधित्व देश के दो उग्रवादी समूहों की एकदम उपेक्षा की गयी। लार्ड डर्बिन को सूचित किया और परामर्श दिया गया कि यदि शांति कायम रखना है तो इन दो उग्रवादी समूहों की उपेक्षा करना उचित न होगा। लेकिन इस परामर्श का कुछ अर्थ नहीं निकला। समझौते की घोषणा में सत्याग्रह बंदियों को मुक्त करने की बात थी लेकिन मेरठ पड़यत्र मुकदमे बदस्तूर चलते रहे। भारत की विभिन्न जेलों में पड़े क्रान्तिकारी बंदियों को या तो भुला दिया गया था उनकी उपेक्षा की गयी। इन दो समूहों के साथ-साथ बिना मुकदमे के जेल भेजे गये बंदियों को मुक्त न करना एक गंभीर भूल थी।

जबकि सरकार और कांग्रेस के बीच सामान्य रूप से समझौता हो चुका था फिर भी खुशी-खुशी दमन चलता रहा। बिना मुकदमे के जेल में डाले गये बंदियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती गयी। दमन की मात्रा और विधियों में वृद्धि होती रही। फिर सरकार अपनी ऐसी नीतियों द्वारा उत्तेजित करती रही, कांग्रेस जिन्हे रोक या बंद नहीं कर सकती थी। जब इस प्रकार की उत्तेजनाओं ने तेजस्वी युवाओं के मन में रोप उत्पन्न कर दिया और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के ओर प्रेरित कर दिया तब एंग्लो इंडियन प्रेस और नौकरशाही के दलालों ने जिन्हे हम सरकारी आतंकवाद के लिए जवाबदेह मानते हैं- कांग्रेस और उसके प्रतिनिधियों को दोष देना शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकारी आतंकवाद को रोक पाने में इसलिए अक्षम साबित हुई क्योंकि देश भर के युवाओं, विशेष रूप से बंगाल के युवाओं पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं रही। यदि कांग्रेस नौकरशाही की दमनकारी नीति को रोक पाने में सक्षम होती हो अहिंसा के रूप में कांग्रेस की अपील की सीधा प्रभाव पड़ता। लेकिन आज की हालत की देखते हुए यह मान लेना चाहिए कि अहिंसा-को बनाए रखने की विद्या में प्रेस तथा मजदूरों से बार-बार की जाने वाली अपीलों का अपेक्षित प्रभाव नहीं हो पा रहा है।

मेरा यह दृढ़ मत है कि जैसे ही महात्मा गांधी भारत आते हैं, उनसे यह निवेदन किया जाना चाहिए कि सरकार को एक धमकी भेज दे, जब सरकार अपना अहंकार से यह जता चुकी है कि उसने समझौते को तोड़ दिया है। मैं नहीं समझ पाया कि कांग्रेस का अपने ही हाथ से जगो विपदी हुई है, जबकि इसका मार का अंश नष्ट हो चुका है।

कांग्रेस को एक निर्भीक नीति अपनानी चाहिए

शिवाजी मंदिर में आयोजित महाराष्ट्र युवा आंदोलन में
भाषण, २४ दिसम्बर, १९३१

किसी भी क्षेत्र में कोई सदेह नहीं किया जा सकता कि अब हमें स्वतंत्रता की भूत तणी हुई है। यह भूत बहुत तीव्र और गहन है। जब एक बार यह भूत हमारे भीतर जाग चुकी है तो पूरी सुरक्षा मिलने तक यह भूत शांत नहीं हो सकती।

स्वतंत्रता का पहला-पहला स्वाद हमें अवतुलित कर सकता है हमें चक्कर भी आ सकते हैं लेकिन जब हम सचेत हो जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता असीम और अव्यक्त शक्ति का स्रोत है। दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली समझौते के समय युवाओं की आवाज की उपेक्षा की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक बड़ी तथा गजबबब लोग मुक्त नहीं किए जा सके और जब कि कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता हो चुका था फिर भी दमन के द्वारा युवाओं के मन में रोष उत्पन्न किया जाता रहा जिसने उन्हें आत्मकषाद की दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही की ओर प्रेरित किया।

यदि कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति को रोकवाने में सक्षम होती तो अहिंसा के रूप में कांग्रेस की अपील का सीधा प्रभाव पड़ता। लेकिन आज की हालत को देखते हुए यह मान लेना चाहिए कि अहिंसा की वनधि रखने की दिशा में प्रेस तथा मंचों से नारा-बार की जाने वाली अपील का अपेक्षित प्रभाव नहीं हो पा रहा है।

मेरा यह दृढ़ मत है कि जैसे ही महात्मा गांधी भारत आते हैं उनसे यह निवेदन किया जाना चाहिए कि सरकार को इस आशय की एक धमकी भेज दे कि सरकार जब तक विभिन्न शक्तियों पर अपनाये गये दमनकारी उपयों को तुरंत समाप्त नहीं लेती है तब तक हमारे लिए गोलमेज सम्मेलन को सहयोग जारी रखना नहीं होगा। जब सरकार अपने आचरण से यह जता चुकी है अपने समझौते को तोड़ दिया है। मैं नहीं समझ पाया कि कांग्रेस समझौते की छाया से क्यों विपदी हुई है जबकि इसका सार-तत्व एकदम नष्ट हो चुका है।

जैसा कि देश को एक निर्भीक और तत्पर अनुयायी की प्रतीक्षा नहीं है, कांग्रेस को एक निर्भीक नीति अपनानी चाहिए और मैं कांग्रेस पदाधिकारियों को चेतावनी देता हूँ कि सरकार से समझौता करते समय कांग्रेस के वक्तावियों को सतित देश के प्रमुख ममूहों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

स्वाधीनता प्राप्ति में एकमात्र उद्देश्य निहित है

कलकत्ता जाने से पहले प्रेस को जारी बयान, 3 जनवरी, 1932

उस समय जब कांग्रेस कार्यसमिति आगे बातचीत के लिए तैयार थी, लार्ड जिलिगडन एक दुर्निवार समस्या का अंत करते हुए हमारे बचाव के लिए आ गये। अब हमारी पकड़ जल्दी ही मजबूत हो जायेगी और एक बार फिर वास्तविक मुद्दों की लड़ाई शुरू हो जायेगी। गांधी-इर्विन समझौते के समापन के समय हमने महसूस किया था कि अभी हताशाओं के अंत का समय नहीं आया है और जग जारी रहेगी। तब हमारी आवाज की अनसुनी कर दी गयी। आज हम सही साबित हुए हैं।

जहां तक बंगाल की बात है, आज हमारे पास वह नहीं है, जो कि हम चाहते थे। अब विलंब रूप से सत्याग्रह अभियान का पुन आरंभ होना चाहिए क्योंकि केवल इसी के द्वारा बंगाल की स्थिति में सुधार की आशा की जा सकती है। यह भी सुखद है कि एक बार फिर अंग्रेजी माल के बहिष्कार को अखिल भारतीय अस्त्र के रूप में अपना लिया गया है।

इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे सामने एक खतरा है। कुछ समय लड़ाई जारी रहने के बाद पिछले दिल्ली समझौते की भांति फिर किसी समझौते का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि इसे रोकना है तो आज से ही कार्यकर्त्ताओं को क्रियाशील और गतिशील बनाना चाहिए और जो लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि स्वाधीनता प्राप्त में ही उनका एकमात्र लक्ष्य निहित है और वे नये समझौते व मोल-तोल सहन नहीं करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर हम स्वयं को विपत्ति में शोक देंगे।

मेरा स्वास्थ्य एवं अन्य विचार

एक मित्र के लिए पत्र, 16 अप्रैल, 1931

यह जानकर हमें बड़ा सुख मिला कि पिताजी के स्वास्थ्य में तेजी के साथ सुधार हो रहा है। हमें आशा है, गर्मी के मौसम के बावजूद यह प्रगति बनी रहेगी।

आपने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा था। हा तथ्यों को छुपाने का कोई अर्थ नहीं है। आप पहले ही सुन चुके हैं कि मेरे आमाशय में गडबडी है। इस कारण मैंने निर्भमता के साथ अपनी खुराक कम कर दी है। पहले मैं कई दिनों तक दूध और साबुदाने पर रहा। जब मैं थक गया तो मैंने हॉर्लिवुस्त लेना शुरू किया और अब मैं सूप भी पी रहा हू। इस प्रतिबद्धित भोजन के कारण कई दिनों से मुझे तेज दर्द नहीं होता है। लेकिन रोजाना जाने के समय मेरे पेट में जलन होती है जो मेरे लिए इस बात का संकेत है कि सीमारेखा पार नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब

मुझे जलन का अनुभूति हो, उस समय यदि मैं भारी भोजन कर लू तो तेज दर्द उठने लगता है और असुविधा व बेचैनी होने लगती है।

अभी-अभी मुझे साइटिका का रोग भी हो गया है। एक पखवाड़े तक मैं बिस्तर से लगा रहा। लगातार मालिश करने से कुछ सुधार हुआ। जाघ के निचले भाग से लेकर घुटने तक अब भी खिचाव रहता है और पिछले सप्ताह से कोई सुधार नहीं है। मैं इजेक्सन ले रहा हूँ और लगातार मालिश करा रहा हूँ लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यदि तुम साइटिका का कोई घरेलू उपचार जानते हो तो मुझे बताना।

मेज दादा (श्री शरत् बोस) कुल मिलाकर ठीक है केवल पिछले महीने सुगर बढ़ गयी थी। जब तक वे यहाँ हैं, मुझे आशा है कि यह दीमारी नियमित डाइबिटीज का रूप नहीं लेगी।

माफ़ करना मैं अपने बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ। इसका यह प्रभाव पड़ सकता है कि मैं दुःखी हूँ। दुःख से कोसो दूर हूँ। प्रसन्नता का सबध शरीर में नहीं बल्कि मन से होता है। सच्चाई यह है कि शारीरिक अस्वास्थ्य के समय मेरा मस्तिष्क अधिक स्पष्ट और द्विविधा मुक्त होकर कार्य करता है। जैसे-जैसे आप की दीमारी बढ़ेगी शरीर का हास होगा जैसा कि होता है तब आप अनुभव करेंगे कि अततो गत्वा मनुष्य एक बधकमुक्त आत्मा है शरीर तो केवल एक वस्त्र है और भी, इस स्थिति में व्यक्ति की भविष्य दृष्टि अधिक स्पष्ट हो जाती है और उसके विचारों में दृढ़ता आ जाती है। आपका सत्य के साथ तादात्म्य हो जाता है जो कि आपके जीवन की प्रेरणा है। व्यक्तिगत रूप से मैं आध्यात्मिक पीड़ा से गुजरने के बाद आध्यात्मिक अनुभव की अधिकतम ऊँचाइयों तक ऊपर उठ सकता हूँ, जितनी कि मेरा सामर्थ्य है।

मानवीय सत्ता में निहित दैवीय प्रयोजन में मेरा सदैव विश्वास रहा है और मैं आजवस्तु हूँ कि मेरा सिवनी निवास निष्फल नहीं जायेगा जिस प्रकार माडले निवास किसी भी रूप में निष्फल नहीं रहा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं अपेक्षाकृत एक उत्तम शुद्ध और आदर्श व्यक्ति के रूप में सामने आऊँगा जो निर्द्वंद्व और निस्वार्थ भाव से स्वयं को एक महान लक्ष्य की सेवा में पूर्णतः समर्पित कर देगा। स्व का अतिक्रमण सबसे बड़ी साधना है और आत्माहृति सेवा के निमित्त हमारी योग्यता की उच्चतम परीक्षा है। स्व को नष्ट करना सरल है किन्तु इसे अर्जित करना कठिन है। यदि मैं इस अंतिम सचर्य में सफल हो जाता हूँ, मैं जीवन-समर को जीत लूँगा और तब मैं दैवीय प्रयोजन के अनुशासित उपकरण के रूप में कार्य करने में समर्थ हो जाऊँगा। एक समय अरविद ने कहा था, "हमें दैवीय विद्युत के शक्तिकरण होना चाहिए ताकि जब हममें से प्रत्येक उठ खड़ा हो तो हजारों सूर्य हमारे आसपास उदित हो जायें।"

मैं अरविद के ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन कर रहा हूँ और यह ग्रंथ मुझे बहुत मोहक लगते हैं। दिताप (श्री दिलीप कुमार राय) जैसे कुछ मित्र मुझे उनकी नयी पुस्तकें भेजते रहते हैं। मैं "आर्य" का नियमित पाठक था जिन दिनों यह प्रकाशित हुआ करता था लेकिन बाद में मेरे पास उनकी पुस्तकें पढ़ने के लिए समय नहीं रहा। अब मैं महमूस करता हूँ कि यहाँ से मुक्त होने के बाद मुझे एक बार पांडिचेरी जाना चाहिए। अभी-अभी मुझे दिलीप का एक लम्बा पत्र मिला है। उसे बहुत कष्ट हुआ जब उसने पांडिचेरी विचार सम्प्रदाय के बारे में मेरी टिप्पणियाँ पढ़ीं

जो कि मैंने दिसम्बर 1928 में की थी। उसने इन टिप्पणियों को बहुत गहराई से लिया। दिलीप और अनिल बरन डे जैसे पुराने मित्रों से मिलकर मुझे प्रसन्नता होगी।

सभी मित्रों को मेरी याद दिलाये। मैं सभी मित्रों को नहीं लिख सकता, यद्यपि मैं सबको चाहता हूँ कि लिखूँ। सत्य बाबू (श्री सत्य रजन बक्षी) के परिवार जन कैसे है।

आशा है, आप सपसन्न है।

आपका स्नेहाकांक्षी

मेरे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में

कलकत्ता के एक मित्र के नाम पत्र, 22 अप्रैल, 1932

मैंने जो आपको पिछला पत्र लिखा था तब से देश भर में गर्मी बहुत बढ़ गई है और यहाँ भी हम इसे महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ बौछारे पड़ी थीं, इससे अस्थायी तौर पर कुछ ठंडक हो गई। अभी सारी गर्मी पड़ी हुई है और यह मौसम सुखद नहीं लगता है।

हाल ही में छिदवाड़ा का सर्जन मेरे परीक्षण के लिए तिवनी आया था। उसने सावधानी से मेरा परीक्षण किया। मुझे उसके नुस्खे के बारे में सूचना नहीं दी गई है और मैं व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कल से हमें शाम को जेल के बगीचे में कसरत के लिए जाने की इजाजत दी गई है और मुझे आशा है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। लगातार एक ही जगह पर बघकर रहने के प्रभाव का पता एकदम नहीं चलता लेकिन निःसंदेह इससे शरीर और मन पर एक जकड़न महसूस होने लगती है और समय बीतने के साथ धीरे-धीरे इसका पता चलने लगता है।

कुल मिलाकर मेरी शारीरिक दशा में परिवर्तन नहीं आया है। आज भी साइरिका बड़ी जिद के साथ मुझसे चिपटा हुआ है, जबकि मैं दो इन्जेक्सन ले रहा हूँ। पिछले पखवाड़े में मुझे केवल एक बार तेज दर्द उठा था लेकिन प्रतिदिन भोजन के बीच में और असमय दवाई और जलन महसूस होती रहती है। इस जलन के रहते हुए आहार की मात्रा बढ़ाना संभव नहीं लगता क्योंकि मेरा अनुभव बताता है कि यह एक सतरे का संकेत है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में आहार वृद्धि, असुविधा और वेदना को बढ़ाता है। अब तक मेरा 20 आइब वजन घट चुका है। यदि मैं पहले जितना वजन बढ़ाने की सोचू तो मुझे आमामशय को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करना होगा। (यदि प्रतिबन्ध की मौजूदा परिस्थितियों के बीच ऐसा संभव हो सका)। मैं चाहता हूँ कि रोग की वास्तविक जड़ को जानने के लिए मेरे अंदर का सम्पूर्ण परीक्षण किया जाना चाहिये जैसे बिस्मय भोजन के बाद एक्स-रे परीक्षण, टेस्ट मील परीक्षण आदि। फिलहाल हम कमोवेश अंधेरे में भटक रहे हैं, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ जेल या सिविल अस्पताल में ऐसा कोई परीक्षण संभव नहीं है।

इसलिए हमसे जो सर्वोत्तम होता है, हम करेगे।

इन परिस्थितियों में जैसा हो सकता है, मेजदादा कुल मिलाकर ठीक है। केवल सुगर बढ़ गई है।

मैं यहाँ अपने निवास और विश्राम का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कब बंगाल वापस आऊँगा। टैगोर ने अपनी उत्कृष्ट शैली में जो लिखा है उसकी अनुभूति मुझे यहाँ हो रही है। बर्मा को छोड़कर और किसी स्थान पर मुझे पहले कभी यह अनुभूति नहीं हुई-

“सोनार बागला आमि तोमे भालो बाशी

धिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश

आमार प्राणे बाजाए बशी।”

और मेरे मनस्पटल पर समुद्र की भाँति नदियों एव हसते हुए लहरियोंदार मक्का के पौधों के खेत समय-समय पर उभरते रहे हैं, जो केवल बंगाल में ही देखे जा सकते हैं और मैं यहाँ कवि के शब्दों को दोहराए बिना नहीं रह सकता-

“ओरे अद्याने तोर भारा रवेते

की देकेची मधुर हासी।”

मेरे यहाँ गिरफ्तार होने से पहले मैंने महाराष्ट्र के भीतरी क्षेत्रों का भ्रमण किया और मैंने महाराष्ट्र की पहाड़ियों के जंगली और ऊँच-खाँच दृश्यों का आनंद उठाया। ये दृश्य मेरे मन को बहुत भाए लेकिन साथ-साथ मुझे यह अनुभूति भी हुई कि बंगाल की विशाल नदियों और अग्रहायण घाट के अनंत खेतों से निर्मित काव्यात्मक दृश्य के बिना यहाँ की दृश्यावली अधूरी है।

जहाँ इन्द्रिय-अनुभवों की सीमा समाप्त हो जाती है, वहाँ आनंद की अनुभूति के लिए मन को ही सक्रिय होना पड़ता है। विषयांतर के लिए मेरा यह तर्क है।

आपका स्नेहाकाक्षी,
सुभाष चंद्र बोस

स्वास्थ्य और उपचार के बारे में

कलकत्ता के कविराज अनाथ नाथ राय के नाम पत्र

4 जून, 1932

वास्तव में यह आपकी अनुकम्पा है कि आप मेरे उपचार हेतु सिवनी आना चाहते हैं। कई दूसरे डाक्टर, होम्योपैथिक और कविराजों ने मुझे लिखा है वे मेरे उपचार हेतु प्रस्तुत हैं। मैं उनकी कृपापूर्ण आत्मीयता का आभारी हूँ। लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाना मेरे लिए सम्भव नहीं है क्योंकि मेरे जैसे रोगी के उपचार हेतु एक चिकित्सक जिन परिस्थितियों की अपेक्षा रखता है वे यहाँ नहीं हैं।

मैं आपके निवेदन से सहमत हूँ कि मेरा रोग वृत्तिमूलक नहीं है बल्कि अस्वाभाविक है। एक आम आदमी के विचार से या तो आमाशय के कुछ भागों में नासूर बढ़ जाने के कारण हुआ है या फिर गाल ब्लैडर की कुछ परेशानी है। लेकिन एक्स-रे परीक्षण के बिना किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। इस बीच आमाशय को बेहतर रखने के लिए मैं आहार को नियमित कर सकता हूँ और कुछ पदार्थ ले सकता हूँ। लेकिन आहार समय के बावजूद मुझे आमाशय में जलन महसूस होती है। यहाँ मुझे हरे नारियल और गन्ने नहीं मिल सकते, जैसा कि आपने परामर्श दिया है और ऐसा जल्द भोजन तो केवल घर पर तैयार किया जा सकता है।

मुझे खेद है कि मैंने सब को मेरे प्रति चिन्ता में डाल दिया है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं यहाँ आया था, मैं इतना स्वस्थ और प्रसन्न था कि यह सोचने में ही नहीं आता था कि मैं बीमार पड़ जाऊँगा। पिछले दिनों मेरे स्वास्थ्य की क्षति पूर्ति हो गयी थी क्योंकि मेरा आमाशय सतोषजनक स्थिति में था। मेरे स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति में क्षतिपूर्ति का केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है कि मेरे फेफड़े ठीक हैं और अब तक मानसिक अवसाद या हताशा का कोई चिन्ह नहीं है।

उचित निदान के लिए एक्स-रे परीक्षण

जबलपुर से कलकत्ता के एक मित्र के नाम पत्र

10 जून, 1932

आज सुबह एक्स-रे परीक्षण शुरू हुआ और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद यह कल सुबह तक चलेगा क्योंकि आज मैंने जो "बिस्मय आहार" लिया है, इसके बाद कई प्लेटें लेनी होंगी। सम्भवतया यह परीक्षण सोमवार तक चलेगा।

मेरे शरीर का तापमान अब भी घट-बढ़ रहा है। आज सुबह वजन अस्पताल में 141 रिकार्ड किया, दाहिने के समय 182 था। इस प्रकार 41 की क्षति हुई है। साइटिक दर्द अब भी होता है और बवासीर का नया दर्द शुरू हो गया है। मधुमेह के लिए मेजदादा का पूर्ण रूप से परीक्षण

किया जा चुका है अगले सप्ताह परीक्षण का परिणाम मिलने की आशा है। हमारे उपचार हेतु भविष्य में किये जाने वाले प्रयासों की हमें विस्तृत जानकारी नहीं है। ब्रिटिश स्टेशन हॉस्पिटल में भी हमारा परीक्षण किया जाना है और वहाँ तीन मदरन्य मेडिकल बोर्ड है।

शारीरिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं

मद्रास मुद्यारालय से कलकत्ता के एक मित्र के नाम पत्र

31 जुलाई, 1932

मेरे यहां पहुंचने से पहले मद्रास में कहा गया था कि मुद्रासनय एक वॉन्टल मन्था है लेकिन यह सूचना गलत साबित हुई। यह हमारी अलीपुर मेंटल जेन की तरह है। जबलपुर के जेन अधीक्षक जिसके पास मेरे तवादाने के वादश भेजे गये वे ने मुझे बताया कि मैं मद्रास आने के बाद एक अस्पताल में जाऊंगा। लेकिन यहां आने पर पता चला कि मुद्रासनय के अधीक्षक के पास मुझे किसी अस्पताल में भेजने का कोई आदेश नहीं है। उन स्थिति ने मेरी सम्यक्त आहार की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

मैं जबलपुर छोड़ने से पहले सरकार को आग्रह के साथ लिखूंगा कि मुझे अपने निजी डाक्टर सर नीलरतन सरकार डा० बी० सी० राय और मेरे भाई डा० मनीन बोस द्वारा परीक्षण कराने की अनुमति दी जाये। मैं यहां यह बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि सरकार मेरे मद्रास तवादाने के बारे में न सोच सके और यह प्रश्न स्वाभाविक रूप में यहीं समाप्त हो जाये।

उत्र मैं यहां आया हूँ शरीर में तापमान बना हुआ है। मेरी शारीरिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मद्रास में अभी बहुत गर्मी है। मुझे बताया गया कि वर्षा अक्टूबर तक होगी।

फेफड़ों के कष्ट का पता लगा

मद्रास मुद्यारालय से कलकत्ता के एक मित्र के नाम पत्र

18 अगस्त, 1932

मैंने मद्रास सरकार समुक्त प्रांत सरकार और भारत सरकार को इन आग्रह के साथ पत्र लिखे हैं कि मेरा अस्पताल में दाखिला किया जाये और यह संकेत भी कर दिया है कि यदि नहीं किया गया तो मेरा मद्रास तवादाना करना व्यर्थ है। बहरहाल व्यापक परीक्षण का कोई मतलब नहीं रह जायें यदि बाद में वैज्ञानिक दृष्टि से किसी अस्पताल में उपचार नहीं किया जाता है। मैं अस्पताल पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि सरकार के मौजूदा रवैये से मुझे नहीं लगता है कि घर पर मेरे निजी चिकित्सको द्वारा मेरा उपचार कराया जायेगा। और मैं सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की अपेक्षा नहीं करता मैं केवल यह चाहता हूँ जो कि पहले एक नागरिक और फिर एक राज बंदी के रूप में ईमानदारी के साथ मेरा अधिकार बनता है।

मैं निजी चिकित्सको द्वारा परीक्षण के लिए भी दबाव डालता रहा हूँ और इस विषय में मैंने मद्रास सरकार और भारत सरकार को लिखा है। मैं जब जबलपुर में था, मैंने इस विषय में सयुक्त प्रांत सरकार को भी लिखा है।

व्यावहारिक रूप से अब परीक्षण समाप्त हो चुका है। एक्स-रे परीक्षण में काफी समय लग गया। यहाँ सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक लेफ्टिनेंट कर्नल स्किनर और डा० गुरु स्वामी मुदालियर ने भी मेरा परीक्षण कर लिया है। ब्लड सुगर का परीक्षण अभी जरूरी नहीं समझा गया है लेकिन वान पर्विवट का परीक्षण किया जा चुका है। डाक्टरों से पता चला है कि गाल ब्लैडर में कोई गभीर गड़बड़ी नहीं है। लेकिन फेफड़ों की दशा सामान्य नहीं है। (चिकित्सक की भाषा मुझे याद नहीं है) यह इसलिए हुआ कि वान पर्विवट का परीक्षण क्षय रोग के लिए जरूरी समझा जाता है। परीक्षण की अभिक्रिया का झुकाव पाजिटिव की ओर है।

इस संपूर्ण परीक्षण का शुद्ध परिणाम यह है कि जैसा मैंने सोचा था स्थिति उससे कहीं बदतर है। लेकिन सिवनी और जबलपुर दोनों जगह एक सिद्धांत सामने आया था कि कष्ट की जड़ गाल ब्लैडर है। लेकिन अब जताया गया कि यह सब फेफड़ों का कारण हुआ है। एक मामूली आदमी के रूप में मैं यह नहीं समझ सका कि फेफड़ों के कष्ट के सिद्धांत से तमाम लक्षणों की व्याख्या कैसे की जा सकती है? आमाशय वेदना साइटिका और ववासीर आदि लक्षणों की व्याख्या केवल गाल ब्लैडर जैसे अन्य सिद्धांत से की जाती है। फिर भी, मद्रास में परीक्षण से मुझे यह लाभ हुआ कि कष्ट के जिस कारण को सिवनी और जबलपुर में अनदेखा किया गया, यहाँ आकर उसका पता लग गया।

मेरी शारीरिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। दैनिक तापमान बना हुआ है और अदरुनी दर्द साइटिका वजन का कम होना भूख न लगना अपच और अनिद्र जैसे रोग ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मद्रास में अभी तक गर्मी बनी हुई है।

मैं मेजदादा का समाचार पाने के लिए व्यग्र हूँ। मद्रास काउंसिल में मेरे उपचार संबंधी गलतचीत के बारे में आपने कल अखबारों में पढ़ा होगा। विधि सदस्य सर कृष्णन नायर ने एक सतोषजनक उत्तर दिया (यद्यपि उनके कथन में एक गलती थी।) और कहा कि वे अस्पताल में मेरे उपचार को लेकर भारत सरकार को लिख रहे हैं।

मैं अपने मामले को सभी तथ्यों की जानकारी देते हुए विधि सदस्य (जो कि जेल प्रभारी भी हैं) को लिखा है कि किस प्रकार जबलपुर के मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल में मेरे उपचार की सिकारिश की, किस प्रकार डा० सुनील बोस को इस आधार पर मेरे परीक्षण की अनुमति नहीं दी कि सरकार अस्पताल में मेरे परीक्षण का प्रबंध कर रही है और किस प्रकार यह बताते हुए मद्रास सुधारालय में मेरा तबादला किया गया कि वहाँ अस्पताल में उपचार कराया जाएगा? इसी बीच प्रतिरोध के रूप में मैंने अस्पताल जाना बंद कर दिया था लेकिन जेल महानिरीक्षक जिसने इस जेल का दौरा किया था, ने मुझे मौखिक आश्वासन दिया है कि परीक्षण समाप्त होने के बाद अस्पताल में लिखित प्रश्न पर औपचारिक रूप से विचार किया जायेगा। इसके बाद मैंने परीक्षण हेतु अस्पताल जाना बंदस्तूर कर दिया।

आशा है, वहाँ सब सकुशल हैं।

डा० आलम के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना

वेगम आलम के नाम पत्र, 2 नवम्बर, 1932

प्रिय श्रीमती आलम

जब मैं मद्रास में था, मुझे डा० आलम का एक पत्र मिला और मैंने तुरंत उसका उत्तर दे दिया था। मुझे आशा है यह पत्र यथा समय पहुंच गया होगा। उन्हे हाल ही में पड़े दौरे की बात सुनकर मुझे असीम दुःख हुआ। अपनी व्यग्रता की भावनाओं का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन लगता है कि हम एकदम असहाय हैं केवल मैं दिन-रात उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि इच्छा-शक्ति एवं विचार जैसी कोई चीज है और उनके असख्य मित्रों एवं देशवासियों की प्रार्थनाओं से वे पूर्ण स्वस्थ हो जायेंगे।

आज उन सुखद दिनों की याद आ रही है जो लाहौर में हमने आपकी छत की नीचे गुजारे थे।

जब तक मुझे डा० साहब के स्वस्थ होने की शुभ सूचना नहीं मिलती है मैं अपने विषय में कुछ नहीं लिखूंगा।

डा० साहब और आपके प्रति हार्दिक सम्मान एवं शुभकामनाओं के साथ

आपका शुभाकांक्षी
सुभाष चंद्र बोस

प्रयोगात्मक उपचार का रोगी

एस० सत्यमूर्ति के नाम एक पत्र, 19 नवम्बर, 1932

आपका 31 अक्टूबर का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मुझे आपकी गतिविधियों और स्वास्थ्य के बारे में अखबारों से सूचना मिलती रही है। अखबारों से यह जानकर हर्ष हुआ कि आखिरकार आपको अस्पताल से छुट्टी मिल गयी है। आपका बदलाव के लिए बाहर जाने का निर्णय उचित ही है और मुझे आशा है कि आपको डाक्टरों के अनुमान से भी अधिक तीव्र गति से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मजदूरी के विश्राम के समय को किस प्रकार बिताना चाहते हैं?

मेरे स्वास्थ्य में सुधार की खबर कुछ जल्दी फैल गयी है। दरअसल हुआ यह कि जलवायु और वातावरण के परिवर्तन के कारण मैं अधिक प्रसन्न अनुभव करने लगा हूँ। तापमान मद्रास

मे जितना हुआ करता था, उससे कुछ कदर कम है लेकिन शाम के समय अब भी बढ़ जाता है। अब यह 99.2 और 99.4 के बीच डोलता रहता है। दुर्भाग्य से आंतों के कष्ट से मुझे अब भी वही असुविधा हो जाती है और भूख अब भी कम लगती है। अब तक मेरे वजन का रिकार्ड भी ठीक नहीं रहा है। चार सप्ताह बाद मेरा वजन उतना ही है जितना कि दाखिले के समय था।

मुझे आशा थी कि यहाँ ठहरने के दौरान मुझे स्वतंत्रता दी जायेगी। मैं आज की 1818 के विनियम-3 के अधीन लगाये गये प्रतिबन्धों के बीच रहता हूँ। सेनेटोरियम 15 दिसम्बर को बंद हो जायेगा और मार्च 1933 तक नहीं खुलेगा। एक मित्र ने लिखा था कि मुझे देहरादून भेजा जा सकता है लेकिन मुझे अब तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है।

यहाँ एक दूसरी परेशानी खड़ी हो गयी है। जैसा कि आप जानते हैं मद्रास में सभी डाक्टरों को यह डर था कि मेरे दोनों फेफड़ों पर टी० बी० का असर है। इसके साथ-साथ ले० कर्नल स्किनर ने रिपोर्ट दी थी कि आंतों में टी० बी० के ग्लैंड हैं। बाद में मेडिकल बोर्ड ने भी सदेह व्यक्त किया था कि फेफड़ों में कुछ गड़बड़ी है। उन्हें मेरे पेट में कुछ कमी लगती थी लेकिन वे रोग की वास्तविक प्रकृति के बारे में अब तक राय कायम नहीं कर पाये हैं।

लेकिन मुझे पहले की तरह टी० बी० का उपचार दिया जा रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया और 'बिस्तर में उपचार' अब भी जारी है। मुझे कोलोडियल कैल्शियम इजेक्सन दिया जा रहा है और अनेक दवाएँ दी जा रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति का लेकर मैं प्रसन्न अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ।

मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूँ कि क्या रोग है? और मैं प्रयोगात्मक उपचार का रोगी हूँ। यहाँ तक डाक्टर भी निश्चित रूप से निदान नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यह बात मुझे साफ तौर पर बता दी जाये। अतएव मैं सरकार को लिख चुका हूँ कि किसी अन्य डाक्टर से मेरा पुनः परीक्षण कराया जाये।

यह सेनेटोरियम केवल फेफड़ों के लिए है और यदि मेरे फेफड़े दुरुस्त हैं तो मुझे यहाँ क्यों रखा जा रहा है? और यदि मैं आंत की टी० बी० का रोगी हूँ, तब क्या किया जाना है? मैं भारत में ऐसे किसी सेनेटोरियम के बारे में नहीं जानता जहाँ आंत की टी० बी० का उपचार होता हो। फिर भी हमें देखना और प्रतीक्षा करनी चाहिए।

कृपया समय-समय पर मुझे लिखते रहें। मैं वर्तमान परिस्थितियों के अधीन यथासंभव समय पर उत्तर दूँगा।

आपके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना और अगाध सम्मान के साथ

आपका स्नेहाकाक्षी
सुभाष चंद्र बोस

प्रयोगो से तग आ गया

भोवाली सेनेटोरियम यू० पी० से मद्राम के एक
मित्र के नाम पर, 19 नवम्बर, 1932

मैं मद्राम के डाक्टरों का अत्यंत आभारी हू कि उन्होंने बड़े कष्ट उठाकर मेरा परीक्षण और निदान को संपन्न किया। यद्यपि इसके परिणाम मुझे और हर किसी को चिन्ताजनक है। लेकिन कई बीमारियों के मामले में उचित निदान आधे उपचार के बराबर होता है।

भोवाली कुल मिलाकर अच्छी जगह है और यह वर्ष का सर्वोत्तम मौसम है। जेल की बंद दीवारों से पहाड़ियों पर बने सेनेटोरियम का बदला हुआ वातावरण मेरे लिए मानसिक शांति का स्रोत है। व्यक्तिगत रूप से मैं पहाड़ियों का बड़ा शौकीन हू। उनके पास एक मान बच्चन और गरिमा विद्यमान है जो आपके मन को मसारा के मामले में ऊपर उठाती है और आपको यह अहसास कराती है कि आप एक आध्यात्मिक प्राणी है और युगो-युगो में हमारे काव्य, दर्शन और प्रेम प्रसंग का प्रमुख विषय पहाड़िया-विशेष रूप में हिमालय की श्रेणियां रही हैं।

जसा कि उन्होंने कहा है दुर्भाग्य से भिंटी का पिण्ड हान क कारण शरीर रतने जन्दी वातावरण के परिवर्तन में प्रभाव ग्रहण नहीं करता है जितने जन्दी मन प्रभावित होता है और जहा तक शारीरिक सुधार की बात है मैं कुछ असंतुष्ट रहा हू। दुर्भाग्य से तापमान बना हुआ है और पिछले दिनों कभी 99.2 और 99.4 के बीच ऊपर नीच होता रहा है। आता क काट से बड़ी अमुविधा होती है आर खाना खाने के बाद ये पहले की तरह भारी ले जाती है। पाचन और भूख की हानत अब भी ठीक नहीं है। वजन का रिकार्ड भी सतोपजनक नहीं है। चार सप्ताह बाद वजन उतना ही है जितना कि दाखिल के समय था।

मे अपेक्षा करता था कि अस्पताल में दाखिल हान के बाद मुझे राजबंदी नहीं समझा जायगा लेकिन दुर्भाग्य से पहले की भांति प्रतिबंध जारी रहे। सेनेटोरियम 15 दिनों के बाद हो जायगा और मैं एक बार फिर फूटवाल बन जाऊंगा।

एक दूसरी बात बेचेनी का कारण बन गयी है। आप जानत है कि मुझे मेरे परीक्षण करने वाले सब डॉक्टर इस बात को लेकर एकमत थे कि मेरे दोनों पैरों पर टिफ्ट का अमर है। इसके साथ साथ लफ्टीनेट कर्नल स्किनर ने रिपोर्ट में यह बताया कि आरक के टी. वी. के रजिड है। बाद में मेडीकल बोर्ड की राय थी कि पट में भी कुछ गड़बड़ी है। लेकिन वे रोग की प्रकृति के निष्कारण पर एकदम नहीं पहुंच सक और सभवतया उन्होंने गड़बड़ी का कारण ऐसा अनुमान लगाया। फिर भी मैं समझता हू यहा डाक्टर कहते है कि वे फेफड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं खोज सकते। पट की परखानी को लेकर भी वे राय कायम नहीं कर सके। लेकिन पहले की भांति अब भी मेरा टी. वी. का उपचार चल रहा है। मैं 11 अक्टूबर को जब मे यहा आया हू मुझे विस्तर पर बने रहन का आदेश दे दिया गया है। आम रागिया और विशेष रूप से विस्तर वाले रोगियों पर यहा कडा अनुशासन रहता है आर यह उचित है जसा कि होना भी चाहिए। मुझे कोलोडियल कैल्शियम के इजेक्शन भी दिये जा रह है मैं बहुत-नी अन्य दवा भी ले रहा हू जो मैं समझता हू टी. वी. के रोगी को दी जाती है।

निदान की कठिनाई को देखते हुए मैंने सरकार को दूसरे दिन फिर लिखा है कि मेरे निजी डाक्टरों सर नीलरतन सरकार डा० बी० सी० राय और डा० सुनील बोस द्वारा मेरा परीक्षण कराया जाये। उचित निदान के अभाव में उपचार के विचार मुझे ठीक नहीं लगता और मैं प्रयोगात्मक उपचार से लग आ चुका हूँ। मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूँ कि निदान क्या हुआ है? और यदि डाक्टर निदान कर पाने में असमर्थ है तो स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। सरकार की ओर से उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक मित्र ने मुझे लिखा है कि मुझे सेनेटोरियम बंद होने के बाद देहरादून भेजा जा सकता है लेकिन मुझे अब तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है।

यदि मेरे फेफड़ों में टी० बी० नहीं है तो फिर मुझे यहाँ क्यों रखा जाना चाहिए। यह सेनेटोरियम फेफड़ों के रोगियों के लिए है और मैं देश में ऐसे किसी सेनेटोरियम के बारे में नहीं जानता जहाँ आतों की टी० बी० का उपचार किया जाता हो। यदि यह अंतिम रूप से डाक्टरों द्वारा घोषित किया जा चुका है कि आतों की टी० बी० का रोगी हूँ, तब स्थिति ज्यादा गम्भीर हो जायेगी। फिर भी यहाँ के मौजूदा हालात को देखते हुए मैं डाक्टरों की राय मानने को जब तक तैयार नहीं हूँ, तब तक कि मेरे विश्वासपात्र निजी डाक्टर इसकी पुष्टि नहीं कर देते हैं।

उपचार जारी है, कोई सुधार नहीं

विमत कांति घोष के नाम पत्र, 22 नवम्बर, 1932

मेरे प्रिय विमत बाबू,

आपके 8 नवम्बर के स्नेहपूर्ण पत्र को पाकर प्रसन्नता हुई विशेष रूप से यह जान कर मुझे सतोष हुआ कि मैं शोक सप्त परिवार के सदस्यों तक अपनी सवेदनाएँ पहुँचा सका। आपके पत्र से बीते हुए दिनों का स्मरण करने में सहायता मिली। आप जानते हैं कि स्मृतिशेष मोतीबाबू अन्धर हमसे कहा करते थे कि पत्रिका एक राष्ट्रीय सस्था है। जब उनका निधन हुआ, उन्होंने इसका दायित्व आपके स्वर्गीय पिताजी को सौंप दिया था। मैं आश्चर्य से हूँ कि आपके पिताजी ने अपने अग्रज के पति प्रत्याशा से परे सम्मान व्यक्त करते हुए इस दायित्व को जीवन के अंतिम क्षणों तक निभाया और सतोषजनक भूमिका अदा की। बहरहाल हम केवल भरण पोषण के लिए जीवित नहीं हैं, बल्कि हमें एक कर्तव्यनिर्वाह करना है, एक मिशन को पूरा करना है और जब तक यह मिशन पूरा हो गया तो जीवन के लक्ष्य को पूर्ण हो गई।

मैं पहले ही जो अपने स्वास्थ्य के विषय में लिख चुका हूँ, उसमें अधिक कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तापमान अभी बना हुआ है, और यह आमतौर पर 99.4 और इससे भी अधिक हो जाता है। भोजन के बाद पेट दर्द भी बना रहता है। वजन की स्थिति जैसी भी है उसमें कोई सुधार नहीं है। उनका कहना है कि टी० बी० वजन एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसा कि मैंने पिछली बार लिखा था, यहाँ के डाक्टरों की राय में फेफड़ों से ज्यादा पेट की गड़बड़ी है। अब सुपरिटेन्डेंट की यह निश्चित राय है कि मुझे आतों की टी० बी० है। फिर भी वे मेरे फेफड़ों

और आतो दोनो की टी० बी० का उपचार कर रहे है। कोलाऊल केलशियम और सोडियम मारहेट के इजैक्सन एक दिन छोड कर दिये जा रहे है। दवाओ के साथ-साथ मे पाचनक्रिया ठीक रखने और पेटदर्द से आराम के लिए टमाटर के जूस के साथ मछली के जिगर का तेल एजियर्स समलजन और कुछ अन्य औषधिया भी ले रहा हू। इस सबके बावजूद मेरी पाचनक्रिया और भूत की हालत ठीक नहीं है। एक डाक्टर मित्र ने आपरेशन के बाद पेट मे आक्सीजन के प्रयोग का परामर्श दिया था। यद्यपि यह टी० बी० के उपचार की एक मान्यता प्राप्त पद्धति है (यह फेफडे की टी० बी० के लिए कृत्रिम न्यमो-थोरेक्स उपचार के समान है) लेकिन उन्होने यह उपचार नहीं किया क्योकि यह सेनेटोरियम फेफडे की टी० बी० के लिए है। साथ-साथ मैं यह चाहता था कि यह उपचार केवल अनुभवी और पूर्णत दक्ष हाथो द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसलिए मैं उपचार हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ। वास्तविक कठिनाई यह है कि भारत मे आतो की टी० बी० को कोई सेनेटोरियम नहीं है।

जैसा कि आज व्यवस्था है, मैं यहा 15 दिसम्बर तक रहूंगा। एक मित्र ने मुझे लिखा है कि इसके बाद वे मुझे देहरादून भेज सकते है। लेकिन मुझे सरकारी सूत्रो से कोई सूचना नहीं मिली है।

यहा का परिवेश बडा ही सुखद है और मैं शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद प्रसन्न हू। सबको प्रेम एव हार्दिक स्मरण के साथ,

आपका अपना

अब तक विस्तर से बंधा हुआ रोगी हू

भोवाली से सत्येद्र नाथ मजूमदार, सपादक, आनंद बाजार
पत्रिका के नाम पत्र, 24 नवम्बर, 1932

जैसा कि आप जानते है, मैं पिछले माह के मध्य मे यहा पहुचा था। दीवारो से छिदी हुई जेल की तुलना मे सेनेटोरियम का बदला हुआ वातावरण मुझ पर थोपे गये प्रतिबन्धो के बावजूद स्वागत योग्य है। पर्वतो का दृश्य अत्यंत मनोरम है और हिमालय के साथ परम्परा से चले आ रहे पवित्र सबधो का स्मरण अपने मे सहायता करता है। वास्तव मे, पर्वतो मे एक उदास भव्यता होती है जो हमारे मन को स्वर्गामुख करती है और निम्न व तुच्छ धरातल से ऊपर उठा कर उच्चतर अस्तित्व के प्रगति मे समर्थ बनाता है। मुझे बताया गया कि यदि आप यहा से 500 फुट ऊपर चढ जाये तो वहा से आपको अनंत हिमराशि का भव्य दृश्य दिखाई देगा। मैं ऊचाई पर चढने और उस रजत भव्यता के दृश्य को देखने की कामना कैसे कर सकता हू?

जैसे ही मैं यहा आया, मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। यह टी० बी० के सभी रोगियो के लिए एक साधारण नुस्खा है, आम तौर पर उक्त तापमान के समय बिस्तर छोडने की अनुमति नहीं दी जाती। उनके लिए एक ब्रमिक व्यायाम की व्यवस्था है जो बिस्तर के आराम से शुरू हो कर

5 या 6 मील के ध्रमण के साथ खत्म होती है। सच्चाई यह है कि कुछ ध्रमण करते हुए रोगी इतने स्वस्थ लगते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे टी० वी० के रोगी हैं। फिर भी वे स्वस्थ नहीं होते और यदि वे अमावधानी बरते तो फिर से बीमार पड़ सकते हैं।

यहां उपचार सबंधी कठोर अनुशासन है जैसा कि होना चाहिए। दिनचर्या बहुत नपी-तुली है और आपको इसका पालन करना है। सुबह 6 बजे के बिगुल के साथ दिन आरम्भ होता है और फिर 9-30 के बिगुल के साथ आपको विस्तर पर पहुंच जाना होता है। जैसे ही रोगी की दगा सुधरती है उसे कृत्रिमवृद्ध के साथ व्यायाम की अनुमति दी जाती है। यदि दुर्भाग्य से रोगी को हानि होती है तो उसे पुनः विस्तर पर वापस आना पड़ता है। सेनेटोरियम पहाड़ियों के इर्द-गिर्द फैली ओपडियो की एक कालोनी की भांति है। यहां वर्ष में दो बार खेल-कूद होते हैं जिनमें केवल ध्रमण करने वाले रोगी ही नहीं बल्कि कर्मचारी रोगियों के रिश्तेदार और और नौकर भी भाग लेते हैं। सेनेटोरियम में एक एक्स-रे प्लाट और एक आधुनिकतम प्रयोगशाला है।

मैं अब तक विस्तर से बंधा हुआ एक रोगी हूँ और शारीरिक दृष्टि से मैं उतना ठीक हूँ जितना कि एक जेल के बंदी को होना चाहिए। फिर भी इस सुखद परिवेश के बीच एक व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। जैसे ही 15 दिसम्बर को सेनेटोरियम बंद हो जायेगा मुझे नहीं लगता कि मैं एक ध्रमण करने वाला रोगी हो जाऊंगा जैसा कि मैं यहां हूँ।

विवावती व्रोस के नाम पत्र

सेनर्स एंड पान्ड
हस्ताक्षर अपाठ्य
। 11-32

द्वारा अधीक्षक
चिंग एडवर्ड सेनेटोरियम
भोवाली (पू० पी०)

26-10-32

मेरी प्रिय मजली दीदी

आपका पत्र पाकर मुझे असीम प्रसन्नता हुई कृपया मेरा सादर विजय प्रणाम स्वीकार करे, वझे को प्रणाम और छोटी को स्नेह।

मैं जब से यहां आया हूँ, प्रसन्न हूँ और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तथापि मुझे ठीक होने में अभी समय लगेगा पाचन का कष्ट और बुखार अभी तक बना हुआ है। इस कारण मुझे विस्तर पर ही रहना पड़ता है। एक सप्ताह बाद शायद मैं चल फिर सकता हूँ। डाक्टर और मेडन मेरी अच्छी देखभाल कर रहे हैं और फिलहाल यहां की जलवायु बड़ी सुखद है। डाक्टर आशा करते थे कि यहां आने पर मेरी हालत में शीघ्र सुधार होगा। लेकिन घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया है उन्हें निराशा होने लगी है। संभवतया वे अपना निदान बदल देंगे। वे शायद छाती के

बजाय पेट के रोग का उपचार करेंगे। मैं बाद में आपको सकारात्मक प्रगति से अवगत करा सकूंगा। किन्हीं भी रूप में ये सूचनाएँ माता पिता के देना अनावश्यक है। सेनेटोरियम 15 दिसम्बर को बंद हो जायेगा, मैं नहीं जानता कि बाद में मुझे कहा भेजा जायेगा।

मुझे इस की बड़ी चिन्ता है कि मझले दादा को एकदम अकेले रहना है। कृपया देखें कि कोई न कोई उनसे हर माह मिलता रहे।

आशा है आप सकुशल है।

आपका मनेहाकाक्षी

सुभाष

पुनश्च

आपने मुझे अपना बनारस का पता नहीं दिया है। अशोक ने भी पत्र लिखा है लेकिन पता नहीं भेजा है। मैं अशोक को एक पत्र लिख रहा हूँ जब आप उसे लिखें तो कृपया अपने पत्र के साथ नर्त्थी कर दें। यहाँ बड़ी ठंड पड़ रही है। यदि कलकत्ता लौटने के बाद आपको आलमारी में मेरे कुछ गर्म कपड़े मिलें तो मुझे भेज दें। ओवरकोट यदि वहाँ है तो दस्ताने ऊनी मोचे आदि जो भी हों मुझे भेज सकती है। इसके साथ-साथ कलकत्ता लौटने पर कृपया आप मुझे जेब खर्च के लिए पचास रुपये भेज दें।

सुभाष

(मूल बगला से अनुवाद सम्पादक)

बगालवासियो को विदाई संदेश

एस० एस० 'गेज' से सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित संदेश भेजा

एक वर्ष से भी अधिक समय हुआ मुझे अपने ही प्रात से निर्वासित कर दिया गया है। लगातार बंदिशों में रहते मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। जैसे ही मेरी हालत बिगड़ी मुझे एक प्रात से दूसरे प्रात में भेज दिया गया। लेकिन मुझे जानबूझ कर अस्पताल और चिकित्सकों से दूर रखा गया, जो कि मेरे उपचार की जिम्मेदारी लेने के लिए बेचैन थे। यहाँ तक कि बगाल की जेलों के दरवाजे भी मुझ पर बंद हो चुके हैं जो कि मेरे हजारों देशवासियों के लिए खुले हुए हैं।

मेरे शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक यातना भी जुड़ी हुई है। बगाल से बाहर मेरी कैद के दौरान मैंने प्रातः होने वाले दमन को बड़ी शिकस्त के साथ महसूस किया। मैं इन परिस्थितियों में अपनी कोठरी के एकांत में केवल मौन प्रार्थना कर सकता था कि देवी हमारे लोगों को शक्ति दे और एक नये बगाल का निर्माण हो सके।

जीवन की वास्तविकताओं से घबरा कर मैंने निराशा के लंबे समय के दौरान मैंने समाधि में अपनी शरण खोजी। भारतीय चिंतन दृष्टि ने मेरी मन की आखिरी खोल दी मुझे सात्वता, शक्ति एवं प्रेरणा दी। यह दृष्टि बकिम और विवेकानंद से लेकर द्विजेन्द्र लाल और देशबन्धु जैसे मनीषियों को सम्मोहित करती रही है। मैंने पहली बार अनुभव किया कि 'भारत माता' की अवधारणा एक सर्वोच्च वास्तविकता है जो वर्तमान समय की न्यूनतमताओं और अपूर्णताओं को अतिक्रमण करती है और अपनी श्रेष्ठता जताती है। यह चिंतन-दृष्टि वह निधि है, जिससे मुझे ससार की कोई शक्ति वचिंत नहीं कर सकती। यही वह मठ है जिसमें मैं प्रतिदिन आराधना करता हूँ।

एक स्वप्न है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है वह स्वप्न है- भारत और मानवता की सेवा के लिए समर्पित एक महान और अविभाजित बगाल संप्रदायों और समूहों की सतह से ऊपर उठा हुआ ऐसा बगाल जहाँ मुसलमान हिंदू, ईसाई और बौद्ध सभी भाई-चारे के साथ रहे। यह मेरे सपनों का बगाल है। भविष्य का बगाल अभी भ्रूण की अवस्था में है- जिसकी मैं प्रतिदिन पूजा और सेवा करता हूँ।

"इस स्वप्न की व्याख्या करना और इसे यथार्थ में बदलने का प्रयास करना- मेरे जीवन की एक व्यसन है। यदि सफलता मिलती है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने सर्वोत्तम का त्याग कर देना चाहिए। यदि हम इस मिशन को पूरा करते हैं तो कोई त्याग इतना प्रिय नहीं है और यातना इतनी बड़ी नहीं है। मित्रों क्या आप उस घरातल तक ऊंचा नहीं उठेंगे जहाँ आपके सम्मुख केवल एक महान और अविभाजित बगाल की वास्तविकता हो। हमारे महापुरुषों द्वारा छोड़ी गई विरासत को याद कीजिए। यह मत भूलिये कि आप उनके सपनों- देश के भविष्य की आशाओं के उत्तराधिकारी हैं। यदि आप अपने विचार एवं कर्म में महान हैं तो आप अकेले ही अपने देश को महान बनाने में समर्थ हो सकते हैं, अतएव, मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहता हूँ कि जितनी कि मेरे भीतर हो सकती है, अपने तुच्छ झगड़ों को भूल जाओ, अपने व्यक्तिगत मतभेद दूर कर दें बगाल को सयुक्त एवं महान बनाने के प्रयास करो ताकि उसकी महानता में हम अपनी सर्वोच्च प्रसन्नता और गरिमा की अनुभूति कर सकें। अतएव यदि बगाल जीवित है तो कौन मर सकता है, यदि बगाल मृत है तो कौन जी सकता है?"

अनुक्रमणिका

अ	ई
असारी बगाल छात्र सघ	ईसा
अखिल भारतीय काँग्रेस समिति	ऊ
अखिल भारतीय नौजवान भारत सभा	कमल
अखिल भारतीय मजदूर सम्मेलन	कराची
अखिल भारतीय युवा सम्मेलन	कराची काँग्रेस
अखिल भारतीय राजनीतिक पीडित दिवस	कराची प्रस्ताव
अखिल भारतीय स्वयंसेवी सम्मेलन	कराची सम्मेलन
अनय	कलकत्ता
अमृत बाजार पत्रिका	कलकत्ता काँग्रेस
अमरावती	कलकत्ता नगर निगम
अमरीका	कलकत्ता इजीनियरिंग कालेज
अमानुल्लाह	कलकत्ता प्रस्ताव
अम्बिका मैमोरियल हाल	कार्ल मार्क्स
अरविंद घोष	कार्शाराम
अलीपुर सेटल जेल	किसान आंदोलन
अली शौकत	कुष्ठिया
अल्बर्ट हाल	कृतिका
अजारी	ख
असहयोग आंदोलन	खडगपुर
अहमद	खडगपुर रेलवे अस्पताल
आ	खादी प्रतिष्ठान
आलम डा०	खान कुमार देवेद्र ताल
आलम बेगम	खान भौलवी मुहीउद्दीन
आयगर श्री निवास	खुलना
आयरलैंड	ग
इ	गढवाली
इटली	महात्मा गांधी
इनाहाबाद	

गांधी इर्विन समझौता
गिरनी कामगार यूनियन
गुप्ता जे० सी०
गुप्ता योगेश
गैबधा
गैबधा कांग्रेस समिति
गोलदो
गोल मेज सम्मेलन
गोहाटी
गोस्वामी टी० सी०

घ

घोष
घोष मौनी
घोष मोतीताल
घोष शशीद्र
घोष सुरेद्र मोहन

च

चडीदास
चक्रवर्ती नरेद्र नारायण
चक्रवर्ती जोगेद्र चद्र
चटर्जी एस० सी०
चटर्जी मृत्युजम
चादपुर
चित्तगोग
चित्तगोग शस्त्रागार छापा मुकुदभा
चिनमुना
चिसौर
चीन
चौधरी, ब्रजेद्र नारायण
चौधरी, हरेद्र

छ

छिदवाडा

ज

जगत दल
जतीन्द्रनाथ दास स्मारक समिति
जबलपुर
जमशेदपुर
जर्मनी
जलिधावाला बाग
जानी
जापान
जिला कांग्रेस समिति
जूट मजदूर सम्मेलन
जैसौर
जैसौर कांग्रेस समिति
जौशी

झ

झरिया
झरिया कांग्रेस

ट

टाउन सेड
टाउन हाल
टाटा
टाटा आपरन एण्ड स्टील कंपनी
टिन प्लेट कंपनी
टेगौर रवीन्द्रनाथ
द्रामवेज कंपनी
ट्रेड यूनियन फेडरेशन

ड

डान्टनगज
डे० डा० बी० एन०

ड

ढाका

ढाका जाच समिति

ढाका तूफान कौश

त

तुर्की

द

दक्षिणपथ

दक्षिणेश्वर बम केस

दत्त अखिल चद्र

दत्त गोविंद

दत्त बटुकेश्वर

दत्त, भूपेन

दलाल ए० आर०

दास जतींद्र नाथ

दास, पूर्ण चद्र

दासगुप्ता, वीरेद्र नाथ

दासगुप्ता, सतीश चद्र

दासगुप्ता, हेमेद्र नाथ

दिल्ली

दिल्ली घोषणा पत्र

दिल्ली जेल

दिल्ली समझौता

दीवान चमल लाल

देवी, उर्मिला

देशपाडे

देशबधु (दक्षिण देशबधु चित्तरजन दास)

देहरादून

न

नरीमन

नराइल

नवापाडा

नागपुर

नाथर, कृष्णा

नारायणगज

नियोगी ज्ञानाजन

नीत्स

नेपोलिथन

नेहरू, जवाहरलाल

नेहरू, मोती लाल

नौजवान भारत सभा

नौजवान भारत सभा आंदोलन

नौआखाली युवा सम्मेलन

नृपेन बाबू

प

पजाव

पजाव छात्र सम्मेलन

पटु आखाली सत्याग्रह आंदोलन

पटु आखाली समझौता

पाडिचेरी

पावना

पावना हीजरी

पार्मर, लार्ड

पूना

पैट्रिक, फ्लाडर्स, सर

प्रसाद राजेद्र

प्लेटो

फ

फरीदपुर

फासीवाद

फोतेशिया

फ्रांस

फ्री प्रेस

ब

बंगाल
 बंगाल अध्यादेश
 बंगाल कांग्रेस
 बंगाल कांग्रेस बाढ़ एव अकाल राहत कोष
 बंगाल बस सिडीकेंट
 बंगाल जूट मजदूर सम्मेलन
 बंगाल प्रांतीय सम्मेलन
 बंगाल प्रांत कांग्रेस समिति
 बंगाल राहत कोष
 बंगाल विधान परिषद
 बंगाल विवाद
 बंगाल स्वयंसेवक दल
 बडाबिल्ला
 बंधी सत्परजन
 बंगाल कोट
 बजाज, जमनालाल
 बडा बाजार कांग्रेस समिति
 बनर्जी कृष्णापाद
 बनर्जी, जे० एल०
 बम्बई बरार छात्र सम्मेलन
 बर्गसन
 बर्मन, भदन मोहन
 बर्मा
 बर्मा, मदल मोहन
 बहरामपुर
 बहदुर, खडग
 बारकपुर
 बारीसाल
 बारीसाल डकैती मुकदमा
 बैतूल
 ब्रोन्शेविक
 ब्रोस, जगदीश चंद्र
 ब्रोस, विदावती
 ब्रोस, विजय कृष्ण

बोस, शरतचंद्र

बोस, डा० सुनील

ब्रह्म समाज

ब्रिटिश भारत

ब्रिटिश शासन

ब्रिटिश ससद

ब्रिटिश साम्राज्यवाद

ब्रिटेन

भ

भट्टाचार्य, अविनाश

भवानीपुर दगा मुकदमा

भारत

भारतीय मजदूर सघ आंदोलन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारतीय समाजवाद

भारतीय सिविल सेवा

मोवाली सेनेटोरियम

म

मडल शातिराम

मटिया बुर्ल

मजदूर आंदोलन

मदर इंडिया

मद्रास

मद्रास सुधारालय

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र युवा सम्मेलन

माडला जिला

माडले जेल

मार्क्स

मार्क्सवादी सिद्धांत

माटेम्यू चैम्सफोर्ड सुधार

मार्ले मिटो सुधार

मात्को

मुशी गज

मुशी गज पोस्ट आफिस तूट मुकदमा

मुकर्जी बकिम

मुसोलिनी

मेरठ

मेरठ पड्यत्र मुकदमा

मयर

मेमनसिह

मेमनसिह प्रकरण

मेमन सिह सम्मेलन

मैकडोनाल्ड रेम्जे

मैकेजी

य

युवा आंदोलन

युवा सम्मेलन

र

रक्षित भूपेद्र

रज्जाक

राजगुरु

राजशाही जिला छात्र सम्मेलन

राजशाही मेल डकैती केस

राजशाही विधार्थी सम्मेलन

रामकृष्ण परम हम

रामप्रसाद

राय अनिल बरन कविराज

रायचौधरी मन्विता

रायचौधरी मुशील

राय किरण शकर

राय डा० नारायण

राय दिलीप कुमार

राय विजय चद्र

रीडिंग लाई

रूस

रूसी लाल सेना

ल

लखनऊ

लाहौर

लाहौर कांग्रेस

लाहौर पड्यत्र

लिबर्टी

लेनिन

व

वदे मातरम्

वद्योपाध्याय निखिल नाथ

वर्थ

वाइसराय

वान न्यूडनडार्फ

विटलेकर्मेशन

विधान परिषद्

विधापति

वित्तिगटन

त्रिविकानद

वीरभूमि

श

शिवाजी मंदिर

गोलापुर

श्यामादास कविराज

स

सन्यमूर्ति

सत्याग्रह अभिमान

सब्जैक्ट कमेटी

समाजवाद

समाजवादी गणतंत्र

समाजवादी सेना मघ

सन्ध्यामूर्ति

सरकार नील रतन

साइबेरिया
 साइमन कमीशन
 सिलहट
 सिंह प्रेम
 सिंह बाबा गुरदित्त
 सिंह भगत
 सिंह रामसुन्दर
 सिंह सरदार शार्दूल
 सीतारामैया, पट्टाभि
 सुखदेव
 सूरत
 स्वदेशी
 स्वदेशी आन्दोलन
 म्बगज
 स्वराजवादी कार्यकर्ता

ह

हचिगस
 हरकिशन लाल
 हरीश पार्क
 हाउस आफ लार्ड्स
 हाजरा, आशुतोष
 हिदुस्तानी सेवा दल
 हिजली
 हिजली क्विरि
 हुगली जिला छात्र सम्मेलन
 हुगली जिला राजनीतिक सम्मेलन
 शेमी, मानिक

